खण्ड-389, अंक-5
बुधवार, 26 माघ, शक संवत् 1910
(15 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
प्रश्नोत्तर	1–106
नियम 301 की सूचनायें	107
कानपुर महानगर की कतिपय बस्तियों में गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जिला गाजीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पक्का पुल का पहुंच मार्ग बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जिला गाजीपुर में गोघन नदी पर रेंगाघाट पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जिला मैनपुरी की नौनेर ग्राम सभा को खण्डों में विभाजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जिला गोण्डा खाबगंज शुगर मिल पर गन्ना कृषकों तथा मिल मजदूरों का बकाया भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जिला आजमगढ़ की तहसील आजमगढ़ व लालगंज के गन्ना काश्तकारों की परेशानियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
इण्डिया पेस्टीसाइड्स प्रा0 लि0 एवं स्वरूप कैमिकल्स प्रा0 लि0 के श्रमिकों की अवैधानिक छंटनी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद आगरा की तहसील किरावली के अकबरा ग्राम में हुई अग्नि-दुर्घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के टनकपुर (पिथौरागढ़) परिक्षेत्र में परिचालकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 के बकाया ब्याज माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	112–118
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	119–121
नियम 301 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	122–123
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हतेमापुर–सूरतगंज रोड को डामर स्तर तक राज्य सेक्टर से बनवाने विषयक श्री धर्मराज गिरि निवासी ग्राम एडौरा, विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	125
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	127–185
विधान सभा सचिवालय के सेवा-निवृत्त रक्षकों की रिट याचिका संबंधी सूचना	186–188
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	189
नत्थियां	190–211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कु0	एटा	महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
औसान सिंह, श्री	इटावा	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
क मलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	मान बहादुर सिंह, श्री	गोंडा
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	मुस्तमन्द अली, खां, श्री	मथुरा
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	रघुवीर सिंह यादव श्री	मैनपुरी
कृष्णवीर सिंह कौशल डा0	आगरा	रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
गौरी शंकर, श्री	इटावा	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
चन्द्रभान मौर्य, श्री	आगरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
चारूशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
जगदंन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	राम सजीवन, श्री	बांदा
जय नरायण शर्मा, श्री	मेरठ	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	रेवतीरमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	लक्ष्मी नारायण श्री	मथुरा
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
बंगाली सिंह, डा0	अलीगढ़	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा

वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिवनाथ सिंह, कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
श्री नाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 1989 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ के अध्यासियों को हायर परचेज के आधार पर आवंटित भवन का दिया जाना

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति विभाग को राजकीय कालोनी सेक्टर—4, इन्दिरा नगर, लखनऊ के अध्यासियों को आवंटित भवन हायर परचेज के आधार पर दिए जाने के संबंध में आवास आयुक्त ने अपनी संस्तुति अपने पत्र संख्या—11200/इन्दिरा नगर, दिनांक 5 नवम्बर, 1982 द्वारा दी है ? क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त ने भी अपने पत्र संख्या—36 सी0 बी0/24 सी0 बी0-39/83, दिनांक 13 फरवरी, 1984 द्वारा उक्त कालोनी के आवास भवन अध्यासियों को ही हायर परचेज पर आवंटित किए जाने की प्रबल संस्तुति की है ? यदि हां, तो आवास आयुक्त की संस्तुति तथा ला0 नि0 वि0 के तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर उक्त आवास अध्यासियों को हायर परचेज पर दिए जाने में शासन को क्या कठिनाई है ? सरकार कब तक इस संबंध में निर्णय ले लेगी ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

राजकीय कालोनी सेक्टर—4, इन्दिरा नगर, लखनऊ के अध्यासियों को आवंटित भवन हायर परचेज पर दिए जाने के संबंध में आवास आयुक्त ने संस्तुति नहीं की थी अपितु कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने में अनापत्ति व्यक्त की थी ।

अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त ने भी अपनी संस्तुति नहीं की थी, अपितु यह उल्लेख किया था कि हायर परचेज पर आवास अध्यासियों को दिए जाने में शासन को आर्थिक क्षति नहीं होगी ।

शासन की नीति कर्मचारियों को किराये पर आवास देने की है न कि हायर परचेज पर आवास उपलब्ध कराने की । अध्यासियों को उनके नाम आवंटित आवास हायर परचेज पर दिए जाने से शासन द्वारा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था सम्भव न हो सकेगी । अतएव यह निर्णय लिया गया कि उक्त आवास अध्यासियों को हायर परचेज पर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी बारीकी से संस्तुति और अनापत्ति के बीच का भेद निकाल दिया । मेरे पास दोनों पत्रों की प्रतिलिपि हैं, लेकिन उनको यहां पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । मान्यवर, अधीक्षण अभियन्ता ने साफ-साफ यह कहा है कि यह जो मकान आवंटित किए जाते हैं, यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं, इनका ट्रान्सफर नहीं होता है, पूरी सेवावधि में लखनऊ में ही रहते हैं । इनकी 25-30 साल की सर्विस होती है । मकान इतने घटिया स्तर के होते हैं, कि

25 वर्ष बाद रहने लायक नहीं रह जाते हैं । आगे अधीक्षण अभियन्ता की राय से सहमति व्यक्त की गयी है । मान्यवर, यह नीतिगत सवाल जरूर है । क्या सरकार अपनी वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ? अगर फोर्थ क्लास इम्पलायज को हायर परचेज पर दे दिए जायेंगे, तो इन गरीबों के लिए रहने के लिए झोपड़ी की व्यवस्था हो जायेगी । दूसरी तरफ आपके अधिकारी कह भी रहे हैं कि 25 साल बाद रहने लायक नहीं रह जायेंगे । अपनी वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किराए पर देने के बजाय इन मकानों को हायर परचेज पर दे दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर जिस भावना के तहत यह प्रश्न किया गया है, उसका मैं आदर करता हूं । जिन कर्मचारियों की बात कही गई है, वह मुझसे भी मिले थे । माननीय गुप्त जी ने कहा कि यह फोर्थ क्लाश इम्पलायज हैं, गुप्त जी ने तो आब्जेक्शन और संस्तुति के बीच की बात कही । मान्यवर, यह पत्र जब मिला जो वहां के रहने वाले हैं उनकी तरफ से तो उसे हाउसिंग बोर्ड को भेजा गया, माननीय विधायकगण ने भी इस सिलसिले में लिखा था, उनका कहना था कि हमें कोई एतराज नहीं है । मान्यवर, सिफारिश करना दूसरी बात है और किसी बात पर नो आब्जेक्शन देना दूसरी बात है इसे आप स्वयं जानते हैं, सम्मानित सदस्य भी जानते हैं । हमदर्दी है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं प्रश्न यहां पर नीति का है, जैसा कि माननीय गुप्त जी ने स्वयं कहा । राज्य सम्पत्ति विभाग का कार्य सीमित है, उसका कार्य क्षेत्र सीमित है । उसके कार्यक्षेत्र में केवल यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उन सभी को आवास उपलब्ध कराना । इसके कार्यक्षेत्र में यह नहीं है कि जो आवास उपलब्ध कराए गए हैं, उनको हायर परचेज पर दे देना । इस काम के लिए और अन्य एजेन्सीज हैं, जैसे डेवलेपमेंट एथारिटीज हैं, हाउसिंग बोर्ड है और भी कई एजेन्सियां हैं । इस मामले के संबंध में मान्यवर, मैंने स्वयं गुप्त जी से बात की थी । आज अगर राज्य सम्पत्ति विभाग इस बात पर सहमत हो जाता है कि हम हायर परचेज पर मकानों को देंगे, तो फिर जिस मकान में माननीय अध्यक्ष रह रहे हैं, माननीय विधायकगण रह रहे हैं, माननीय मंत्रीगण रह रहे हैं, तब कोई भी कह सकता है कि यह मकान पुराना हो गया है, इसे हायर परचेज पर दे दीजिए । इस तरह से मान्यवर, जो उद्देश्य राज्य सम्पत्ति विभाग का है, वह पूरा नहीं हो सकेगा, बल्कि इससे आने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होगी । मान्यवर, मेरा बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि राज्य सम्पत्ति विभाग का जो काम है, वह वह उसे करने दिया जाय । लेकिन कर्मचारियों को या और छोटे लोगों को मकान की आवश्यकता हो, तो जो भी मदद हमसे हो सकेगी, वह हम करने के लिए तैयार हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जब उत्तर देना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मामला सही रास्ते पर जा रहा है । लेकिन जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और उदाहरण भी दिया तो आपका, माननीय विधायकों का । मान्यवर, हम लोग जो यहां पर आते हैं, वह मतदाताओं की कृपा से । अगर मतदाताओं ने फिर चाहा तो हम लोग यहां दुबारा आयेंगे । इस तरह हम लोगों को केवल 5 साल

ही रहना है । हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं । अगर वह भगवान को प्यारे न हो जाएं, तो उन्हें 25-30 साल रहना है । मान्यवर, मंत्री जी के ही अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र में कहा है कि यह मकान 25 साल बाद बिल्कुल बेकार हो जायेंगे । जिस पत्र का मैंने यहां पर सन्दर्भ दिया है, उसी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन आवासों पर पूर्ण स्वामित्व तो आवास विकास परिषद् का है और राज्य सम्पत्ति विभाग ने इनका आवंटन किया है और आवास विकास परिषद् को ही उन मकानों को लीज पर देने का अधिकार है, इसलिए इस पत्र में यह भी कहा गया है कि शासन इस संबंध में अपना निर्णय कर ले । यह ठीक है कि यह प्रश्न नीति संबंधी है और नीति संबंधी मामलों में शासन को निर्णय लेना है । मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई आश्वासन देने की कृपा करेंगे, जिससे शासन अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह मकान 53 लाख 31 हजार 760 रुपए के खरीदे जा चुके हैं, हाउसिंग बोर्ड से । मान्यवर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, माननीय गुप्त जी की बात से इन्कार करते हुए । गुप्त जी से हमारा दोहरा रिश्ता है, एक तो यह मेरे जिले के हैं और दूसरे सदन के बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं । मेरा फिर अनुरोध है कि अगर राज्य सम्पत्ति विभाग इस तरह हायर परचेज पर मकान देने लगेगा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे । इसलिए मेरा गुप्त जी से अनुरोध है कि वह इस बात के लिए जिद न करें और दूसरी कोई जगह मकान दिलाने की बात होगी, उसमें हमसे जो हो सकेगा, वह हम करेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में यह बतायेंगे कि जिन संस्थाओं से, छोटे कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, प्लाट आवंटन की बात में आपने कहा कि हम मदद करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मदद का स्वरूप क्या होगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हम उस संस्था को लिखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और उनको मकान आवंटन में पूरा ध्यान दिया जाय तथा उनको पूरी वरीयता दी जाय ।

भूगर्भ जल विभाग में अभियंत्रण पदों पर वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक पदों पर अभियंताओं को स्थानान्तरित किए जाने का औचित्य

**2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में शासनादेश सं0–175/54-3-88-1800 (47)/87, दिनांक 4-8-88 के द्वारा प्रथम श्रेणी के अभियंत्रण पदों पर वैज्ञानिक, एवं वैज्ञानिक पदों पर अभियंताओं को स्थानान्तरित करने का क्या तकनीकी औचित्य है ? क्या मंत्री जी विभागीय कार्य प्रणाली के अनुरूल सेवा नियम बनाकर प्रोन्नतियां एवं ज्येष्ठता निर्धारण हेतु भविष्य में नीति निर्धारित करने पर विचार करेंगे ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

भूगर्भ जल विभाग में मुख्यतया हाइड्रोजियोलाजिकल/हाइड्रोलाजिकल सर्वेक्षण, फोटोजिलाजिकल एवं हाइड्रोकेमिकल अध्ययन कार्यों के निमित्त एवं न्यूक्लीयर हाइड्रोलाजिकल अध्ययन, फोटोजियोलाजिकल एवं रिमोट सेंसिंग आदि के सामान्य एवं विशिष्ट कार्यों के निमित्त खण्डों के कुछ प्रथम श्रेणी के अभियन्ता पदों पर वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक पदों पर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-यू0 ओ0 175/54-3-88-1800(47)/87, दिनांक 4-8-88 द्वारा किया गया है ।

जिन खण्डों में ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है उन खण्डों में उक्त कार्यों के निमित्त वे तैनात किये जा सकते हैं । शासन द्वारा इस विभाग के श्रेणी प्रथम एवं श्रेणी द्वितीय के पदों पर प्रोन्नति हेतु कार्यकारी आदेश दिनांक 10-5-88 को जारी किया गया है, जिसके द्वारा संवर्गवार पदों को भरने हेतु प्रोन्नति का मापदण्ड निर्धारित किया गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) में आरक्षित पदों पर की गयी नियुक्तियां

*1–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अगस्त, 1984 के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित रिक्तियों पर नियमित नियुक्तियां की गयी थी जबकि शासनादेश संख्या-65/2/69 रा0 एकीकरण, दिनांक 8-3-73 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध मात्र तदर्थ नियुक्तियां ही की जा सकती थी और नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए था ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? सरकार इन अवैध नियुक्तियों को कब तक निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई उप मंत्री (श्रीमती हितेश कुमारी)–

जी नहीं । अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर अगस्त, 1984 में किये गये नियमित चयन के समय अनुसूचित जाति की अग्रेनीत एवं आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध इस वर्ग के एक अधिकारी की नियमित प्रोन्नति की गयी और आरक्षित कोटे की शेष रिक्तियों के विरुद्ध, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पहले से तदर्थ रूप से कार्यरत, अनुसूचित जाति के अधिकारी तथा सामान्य श्रेणी के अधिकारी यथावत कार्यरत रखे गये । वर्तमान में नियमानुसार आरक्षित श्रेणी की शेष रिक्तियां अग्रेनीत की जा रही है । अतएव इन नियुक्तियों को समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीपचन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे व तथ्यहीन है । मैंने अपने मूल प्रश्न में साफ तौर से पूछा है कि 1984 के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के चयन में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आरक्षित रिक्तियों पर

नियमित नियुक्तियां की गयी थीं ? 1984 में जिस समय आपने 117 अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दी तो उस समय अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति एडहाक बेसिस पर अधीक्षण अभियन्ता के पद पर थे और अब कितने पदों पर प्रोन्नति करनी शेष रह गई है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, 4 पदों पर नियुक्तियां भरी जानी थी । 3 व्यक्ति पात्रता में न आने के कारण उन्हें एडहाक पर कन्टीन्य किया गया और एक पद पर पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण सामान्य से यह पद भरा गया ।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि 117 लोगों का जो प्रमोशन किया गया है, उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों का कितना हक होना चाहिए और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, जवाब तो दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना उत्तर दोहरा दें ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, 18 परसेन्ट का आरक्षण होता है । 4 नियुक्तियां होनी थी । 3 पात्र व्यक्ति न होने के कारण उन्हें एडहाक पर ही कन्टीन्य किया गया और एक पद पर पात्र व्यक्ति न मिलने के कारण सामान्य से व्यक्ति लिया गया ।

श्री दीप चन्द सोनकर–

मान्यवर, माननीया मंत्री या तो [xxx] लाकर आती हैं या प्रश्न को समझना नहीं चाहती हैं । इसीलिये जानबूझकर भ्रामक उत्तर दे रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । यह शब्द सही नहीं है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से "शब्द वापस लो", "शब्द वापस लो" की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री दीपचन्द्र सोनकर–

8 मार्च, 1973 का एक जी0 ओ0 है । मैं उसका एक अंश पढ़ देता हूं । इसमें लिखा है कि–"यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों को कार्य दृष्टि से भरा जाना आवश्यक ही समझा जाता है तो उनमें केवल तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों में यह स्पष्ट भी कर दिया जाय ।" इस संबंध में अनुरोध यह है और यह जानना चाहता हूं कि जब 1984 में 117 आदमी प्रोमोट किये गये, उस

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

समय 4 आदमी अनुसूचित जाति के कार्य कर रहे थे, एक आदमी को किया गया, 3 आदमी आज भी एड हाक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर हैं, जबकि कोटे के हिसाब से 25 आदमियों को रखना चाहिये था लेकिन नहीं किया गया । यह जानना चाहता हूं कि जब एड हाक नियुक्तियां होनी चाहिये थीं, रेगुलर कैसे किया गया ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मैं बता रही हूं कि 4 रिक्तियां थीं, जो 3 एडहाक में से थीं वे आज भी एडहाक चल रहीं हैं । चार रिक्तियां तो आप मान रहे हैं ।

श्री दीपचन्द्र सोनकर–

माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझ नहीं पा रही हैं ।

श्री भोपाल सिंह–

प्रश्न क्या है और जवाब क्या दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी! वह पूछ रहे हैं कि वे तीन क्यों नहीं लिये गये ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जो तीन एडहाक में हैं, पात्रता की सूची में नहीं आते हैं, इसलिए एडहाक में ही रखा गया है ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जैसा माननीय सदस्य श्री दीपचन्द्र सोनकर ने एक जी0 ओ0 का उद्धरण देते हुए कहा कि रिक्त पदों पर यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तब उन पदों को तदर्थ नियुक्ति से पूरा किया जायगा, यह नियम है, लेकिन जब 4 आदमी मौजूद थे फिर उनका विनियमितीकरण करने में क्या कठिनाई थी? दूसरी बात 25 आदमी पहले से चल रहे हैं तो उनको रेगुलराइज करने में क्या कठिनाई है ? यह तो आरक्षण के जी0 ओ0 का सीधा उल्लंघन है ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

जब तक पात्रता के क्षेत्र में नहीं आते हैं, कैसे किया जाय, इसलिए ऐसे ही रखा गया ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, प्रश्न बहुत स्पष्ट है। यह बड़े दुख की बात है, यदि माननीय लोकपति त्रिपाठी स्वयं इसका जवाब दिये होते तो अच्छा रहता ।

(माइक से आवाज स्पष्ट न आने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप माइक पर बोलें, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, सरकार ने, जो हरिजनों के लिये अनुसूचित जाति का 18 फीसदी और अनुसूचित जन जाति का 2 फीसदी आरक्षण का कोटा दिया है और इस आरक्षण के कोटे के अन्तर्गत हर विभाग में यह नियम लागू है और यह ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है इनके यहां 1984 में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर जो प्रोन्नतियां हुई तो उस समय इन्होंने 125 पदों पर प्रोन्नतियां की जिसमें विधानत: इनको किसी को रेगुलर नहीं किया जाना चाहिये था । अब माननीया मंत्री जी कह रही है कि चूंकि योग्य लोग नहीं मिले इसलिये प्रोन्नति नहीं की गयी । इसमें क्या कठिनाई थी और सामान्य अभ्यर्थियों को रेगुलर क्यों किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतलायेंगी कि इसके लिए कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र आये और कितने विभागीय अभ्यर्थी थे जिन्हें आपने प्रोन्नत किया ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो अलग ही यह सवाल कर दिया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो शासन का जी0 ओ0 है उस जी0 ओ0 के तहत जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए थीं, वह नहीं हुई । यह जो नियुक्तियां हुई वह परमानेन्ट रिलीफ नहीं था, यह इन्टरिम रिलीफ थी । इसमें तीन नियुक्तियां अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गयीं जबकि यह भी एडहाक थी इससे यह साबित होता है कि आप रेगुलराईज नहीं करना चाहती हैं, जो इन्टरिम रिलीफ दिया गया था उसको भी आप कभी भी खतम कर देंगी । इसलिये माननीय मंत्री जी यह बतला दें कि उन तीनों को कब तक रेगुलराईज कर देंगी ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

आप तीन के लिये पूछ रहे हैं, वह जब तक पात्रता की सूची में नहीं आयेंगे, तब तक उन्हें नहीं किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने अभी दो प्रश्न किये थे, उनका उत्तर नहीं आया । माननीया मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहती हैं। यह नीतिगत प्रश्न है और सरकार इसका ही फायदा उठा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने जवाब तो दे दिया कि पात्रता में नहीं आते हैं इसलिये नहीं किया गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह नीतिगत प्रश्न है और सरकार इसका फायदा उठा रही है । मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । यदि आप मा0 मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट हैं तो

मैं बैठ जाता हूं और यदि आप भी सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप फिर उनसे जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मेरे सन्तुष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मुहम्मद आजम खां के अनुपूरक प्रश्न का जो जवाब दिया कि जो एडहाक पर तीन व्यक्ति हैं वह जब तक पात्रता की सूची में नहीं आ जायेंगे तब तक उनको रेगुलराईज नहीं किया जायेगा । क्या एडहाक नियुक्तियां जिनको सरकार कर रही है वे लोग क्या अर्ह नहीं हैं ? यदि अर्हता रखते हैं तो फिर सरकार उनको प्रान्नत क्यों नहीं कर रही है और यदि वे लोग अर्ह नहीं हैं तो उनकी नियुक्तियों के प्रति कौन दोषी है और उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ उसे दण्डित करने की कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जो कोटे की रिक्तियां होती हैं उनके विरुद्ध सामान्य नियुक्तियां कोई नहीं की गयी हैं, कोटे की नियुक्तियों में जब कोई पात्र व्यक्ति आ जायेंगे तो उनको नियुक्त कर लिया जायेगा और फिर नियमानुसार उन्हें बाद में नियमित भी कर लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने यह पूछा था कि क्या तदर्थ नियुक्तियों पर जो व्यक्ति अर्हता नहीं रखते हैं उनको नियुक्त कर लिया जाता है, अगर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया जाता है तो वह किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उन लोगों के प्रति अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(इस प्रश्न का कोई जवाब मा0 मंत्री जी की ओर से नहीं दिया गया)

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, ऐसे मंत्रीगण जो जवाब देना नहीं जानते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के पास एक घंटे के लिए भेज दिया करिए ।

(शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित करवा दीजिए ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, शासनादेश में इस बात का प्राविधान है कि जो आरक्षित पद हैं अगर उन पर पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो सामान्य क्षेत्र से उन पदों को न भरा जाय क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो आरक्षण प्रतिशत कम हो जायेगा, इसलिए ऐसा न करके उन आरक्षित पदों को सुरक्षित रखा गया है शासनादेश के तहत ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय, जो बात पूछी जा रही है, उसका उत्तर सही या नहीं पा रहा है, इसके लिए कृपा करके इसे स्थगित कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । प्रश्न संख्या-2

आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने की योजना

*2–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा शहर की विकराल जलापूर्ति समस्या को ध्यान में रखते हुए आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बैराज कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जी हां । आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने हेतु विभिन्न स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन एक तकनीकी समिति द्वारा किया जा रहा है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर योजना की स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह–

माननीय, इस माननीय सदन में बहुत दिनों से आगरा शहर की विकराल जलापूर्ति की स्थिति पर बराबर यहां चर्चा होती रही है आगरा की जनता बराबर पानी की समस्या से जूझ रही है और इस प्रकार से आगरा प्यासा मर रहा है और वहां के निवासियों को मल व मूत्र के मिले हुए पानी को पीना पड़ रहा है, जिस कारण से वहां के लोग बराबर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बैराज बनाने हेतु विभिन्न स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन एक तकनीकी समिति द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस तकनीकी समिति का गठन कब हुआ है और किन-किन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है और किन-किन स्थलों का अब तक अध्ययन किया जा चुका है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

27 मई, 1988 को इस समिति का गठन हुआ है और इस समिति द्वारा आगरा स्थित यमुना बैराज स्थल का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिला की गवर्निंग बाडी और जिसमें जिलाधिकारी आदि बैठते हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारीगण भी वहीं रहते हैं, वहीं यमुना बैराज पुल बनाने हेतु आगरा के कमिश्नर व जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति शासन को भेजी गयी क्या उस संस्तुति के आधार पर कोई कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जो समिति बनायी गयी है, उसको शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 4 फरवरी को रिमाइन्डर भेजा है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि तकनीकी समिति तुलनात्मक अध्ययन करती है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक उस समिति की रिपोर्ट आती है, तब तक आगरे की पेय जल समस्या से निपटने के लिये क्या कोई त्वरित योजना शासन के विचाराधीन है, क्या कोई योजना चलायी जायेगी ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मैंने अभी बताया कि समिति को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही रिपोर्ट दे जिससे काम शीघ्र चालू हो सके ।

श्री सुखपाल पान्डे–

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगी कि समिति कब गठित की गयी थी और उसमें कौन-कौन से सदस्य हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि समिति में कौन-कौन से सदस्य थे, तो मैं बताना चाहती हूं कि उसमें श्री आर0 पी0 गोयल, श्री वी0 के0 जैन और श्री डी0 एन0 भार्गव सदस्य हैं । उस समिति में तीन सदस्य हैं और इस समिति को शीघ्र ही रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

यह तो टालू मिक्सचर वाली बात है। तिवारी जी ने ऐसे मंत्री रख रखे हैं, जो उत्तर नहीं दे पाते हैं और जब बेगारी लेने की बात होती है तो लाल प्रताप सिंह से लेते हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा आगरे की पेयजल आपूर्ति के बारे में कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आगरे की जल आपूर्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए सिकन्दराराऊ वाटर वर्क्स बनाने की योजना जिसको शासन ने विश्वबैंक की सहायता से 18 करोड़ रुपये की मंजूर कर लिया है, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा सवाल हो गया ।

श्री सतीश चन्द्र–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बैराज निर्माण के पूर्व गर्मी के दिनों में आगरे की जल आपूर्ति को ठीक करने के लिये 4-5 क्यूसेक पानी ताजवाला हेड वर्क्स से या अन्य किसी स्रोत से लेने का प्रयास किया जायेगा, जिससे इस नगर को रिसाइकिल्ड वाटर से बचाया जा सके ।

श्री अध्यक्ष–

जो आपने सुझाव दिया है, उसको वह दिलवा लेंगी ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है, इसका उत्तर आप जरूर दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप उत्तर देना चाहती हैं ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

अधिक से अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किया जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं बैठूंगा नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। पूरे आगरे में जल की समस्या है। जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक 5 क्यूसेक पानी अतिरिक्त दिलवायेंगी और कहां से दिलवायेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को शान्ति से कह सकते हैं। गरमाने की आवश्यकता नहीं है । आप गुस्सा होंगे तो जो पानी मिलने वाला है, वह भी गायब हो जायेगा ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अधिक पानी की आवश्यकता नजर आ रही है। इसलिए जैसा कि मैंने निवेदन किया हम अधिक से अधिक पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब काफी सवाल हो गये । बदन सिंह जी बैठ जाएं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय बदन सिंह जी बेपानी हो गये हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को अपने कक्ष में बुला लें और माननीय सदस्य को कम से कम संतुष्ट करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

वह आ जायें । आपका सुझाव मान लिया है।

श्री बदन सिंह–

यह पानी आप कहां से देंगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कक्ष में आ जायें तो समझा दूंगा ।

श्री सुखपाल पण्डे–

श्रीमन्, ये लोग माननीया मंत्री जी को परेशान करते हैं। ये एक तनख्वाह में दो आदमी काम कर रहे हैं।

मथुरा एवं आगरा की पेयजल आपूर्ति हेतु गोकुल बैराज का शिलान्यास

*3–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मुख्य मंत्री जी ने मथुरा जनपद में 25 दिसम्बर, 1988 को गोकुल बैराज परियोजना का शिलान्यास मथुरा, वृन्दावन व आगरा की पेयजल आपूर्ति हेतु कर दिया है ? यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है तथा क्या इसमें लिफ्ट सिंचाई का भी प्राविधान है जिससे आस-पास के किसानों को भी लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 25-12-88 को गोकुल बैराज का शिलान्यास मथुरा एवं आगरा की पेयजल आपूर्ति हेतु कर दिया है।

योजना में निर्माण हेतु तीन वर्ष की अवधि प्रस्तावित है। इस योजना में लिफ्ट सिंचाई का प्राविधान नहीं है ।

यह योजना केवल पेयजल व्यवस्था हेतु है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा में चम्बल डाल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*2–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में चल रही चम्बल डाल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन है और प्रक्रिया किस स्तर पर है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चम्बल–डाल परियोजना से संबंधित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच इंजीनेज मण्डल, अलीगढ़ के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा रही है और जांच अभी उन्हीं के स्तर पर प्रचलित है ।

गाजियाबाद से दादरी एवं दादरी से नोएडा रोड पर औद्योगिक इकाइयों को नियमित किए जाने की मांग

*3–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 टी0 रोड पर गाजियाबाद से दादरी एवं दादरी से नोएडा रोड पर अनियमित रूप से बनने वाली औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने के लिए किसी प्राधिकरण को बनाने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)–

गाजियाबाद से दादरी एवं दादरी से नोएडा पर अनियमित रूप से बनने वाली औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने के लिए किसी प्राधिकरण के बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

अनियमित रूप से लगाये जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने हेतु प्राधिकरण के गठन का औचित्य नहीं है ।

(लिखित उत्तर पढ़ने के लिए श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, उद्योग मंत्री तो हैं नहीं । वे तो वन मंत्री हैं । वे अपना तो चल नहीं सकते और न उनको चलने देते हैं ।

श्री जयदम्बिका पाल–

मैं उनका मंत्री तो हूं ही । जब मंत्री हूं तो सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करने का आप मुझे अवसर देंगे ।

(प्रश्नोत्तर पढ़ा गया ।)

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, जरूरत तो है लेकिन क्यों नहीं है यह मैं आपको बताना चाहता हूं । मान्यवर, नोएडा से दादरी तक अनियमित रूप से कुछ औद्योगिक इकाइयां बनी हुई हैं जिनमें कुछ राजनीतिक लोगों की इकाइयां भी हैं जैसे वहां पर [xxx] की वी0 आर0 फूड के नाम से एक इकाई बनाई गई है . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं देता । यह नहीं लिखा जायेगा । . . . (व्यवधान)

श्री महेन्द्र भाटी–

जो सत्य बात है उसको तो कहने की इजाजत आप देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । आप इसे वापस लें । . . .

श्री महेन्द्र भाटी–

मैं किसी को बदनाम करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । जो यहां है नहीं, उनका नाम नहीं लिया जायेगा ।

श्री महेन्द्र भाटी–

मैं तो एक इकाई होने की बात कह रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी कि यह नहीं लिखा जायेगा । [xxx] तो लिखा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो एक ही बात है ।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मैं उनको बदनाम करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं । सत्य बात कह रहा हूं कि उनकी बी0 आर0 फूड की एक फैक्ट्री सिधियानी के हरिजनों की आवंटित भूमि के ऊपर बनी है । एक समथर फैक्ट्री है जिस पर मेरे सवाल होने के बाद सीलिंग की जमीन का मुकदमा चल रहा है । एक हीरो होंडा की फैक्ट्री है जिस पर मेरे सवाल के बाद सीलिंग की जमीन का मुकदमा चल रहा है इस प्रकार अनियमित रूप से बनने वाली फैक्ट्रियों को नियमित नहीं किया जा सकता और वह केवल राजनीतिक लोगों या उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न कीजिये ।

श्री महेन्द्र भाटी—

यह नियमित क्यों नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पर अंधाधुंध और गैरकानूनी तरीके से और इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री महेन्द्र भाटी—

मेरा कहना यह है कि इनको नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है जबकि इस तरह की ही सीलिंग की हरिजनों की आवासीय भूमि पर नोएडा में फैक्ट्री लगाई गयी यहां पर भी हरिजनों की भूमि पर फैक्ट्री लगी है । तो इनको नियमित करने के लिए कोई प्राधिकरण का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 1976 में नोएडा आथॉरिटी बनी और उसके माध्यम से उस क्षेत्र का विकास हो रहा है । जहां तक माननीय सदस्य ने खुर्जा, दादरा, काशना, सूरजपुर का प्रश्न उठाया है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नोएडा के ढंग से विकास हो । तो उस दिशा में भारत सरकार के सहयोग से जैसा कल ही बताया कि 6 नये औद्योगिक केन्द्र आ रहे हैं उसमें भी हम इस दिशा में खर्च कर रहे हैं । काशना सूरजपुर आदि में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा कार्य करेंगे । अगर उस क्षेत्र में कोई अनियमित इकाई होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

जैसा माननीय सदस्य ने बताया हरिजनों की भूमि पर फैक्ट्री लगाई गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना सही है या नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में एक स्पष्ट प्रश्न आया कि इन दो मार्गों के किनारे अनियमित और अवैध औद्योगिक इकाइयां लगी हैं । मैं जानना चाहूंगा कि

इस प्रश्न के मिलने के बाद क्या इसकी जानकारी करने की कृपा की गयी या नहीं ? यदि की गयी तो कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं और वह किस-किस की हैं । क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है अनियमित इकाइयों के लगाने के सम्बन्ध में तो मैं बताना चाहता हूं कि वह कई प्रकार की होती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि उन्होंने अन्यथा भू-उपयोग बदल कर फैक्ट्री लगाई या फिर फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया । जिन्होंने भू-उपयोग को बदल कर किया है उनके सम्बन्ध में डेवलपमेंट आथॉरिटी कार्य करेगी और जिन्होंने फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया उनके सम्बन्ध में लेबर डिपार्टमेंट कार्यवाही करेगा । तो जिस विभाग के अन्तर्गत जो आयेगा उसमें वह विभाग कार्यवाही करेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, सीधा-सीधा प्रश्न किया गया था कि वहां पर अनियमित और अवैध इकाइयां लगायी गयी हैं। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कई तरह की अनियमित इकाइयां होती हैं और उसके लिये कई विभाग काम करते हैं । स्पष्ट आरोप लगाया गया था कि हरिजनों की आवंटित भूमि पर औद्योगिक इकाइयां लगाई गई हैं तो इसके लिए कह दिया कि सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । तो यह निर्बल वर्ग और हरिजनों का इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है और यह सरकार अवैध और गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री लगाने वालों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है । तो माननीय सदस्यगण जो प्रश्न करते हैं अगर उसका जवाब मंत्री स्पष्ट नहीं देते हैं तो उसको स्थगित किया जाता है इसलिए इस प्रश्न को भी स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको भी दिखवा लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह सिद्ध हो चुका है कि जो औद्योगिक इकाइयां वहां बनी हैं वह अपने आप में अवैधानिक और अनियमित हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इन इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो अनियमित या अवैधानिक हैं,, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा में विद्युत ट्रांसफार्मर के डैमेज से हुई क्षति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही

*4–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में दिनांक 21-12-87 से 31-1-88 तक 40 दिन की अवधि में 6 विद्युत ट्रांस-

फार्मर जिनकी क्षमता 160 के0 वी0 से 800 के0 वी0 ए0 तक थी, डैमेज हो गये थे, जिससे विद्युत परिषद् को लगभग 5 लाख रुपये की क्षति हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन ट्रांसफार्मरों के डैमेज होने का मुख्य कारण ट्रांसफार्मरों से तेल का बिल्कुल गायब होना तथा गलत तरीके से लोड डालना व क्षमता से अधिक लोड डालना था ? यदि हां, तो इस लापरवाही के कारण डैमेज हुए ट्रांसफार्मरों से विद्युत परिषद् को हुई क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के मुख्य कारण अधिकृत से अधिक अनियमित विद्युत अधिभार होना, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पुरानी व कमजोर होना आदि है ।

इन ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी नहीं है ।

हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 6 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, यह कितनी-कितनी क्षमता के थे, कब-कब खरीदे गये थे और उन्होंने कितने-कितने दिन कार्य किया था?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक क्षमता का सवाल है, एक ट्रांसफार्मर 400 के0 वी0 ए0 का, दूसरा 800, तीसरा 160, चौथा 500 के0 वी0 ए0, पांचवां व छठा 4-4 सौ के0 वी0 ए0 का था ।

हाजी मोहम्मद हयात–

इनमें विद्युत परिषद् का कितना नुकसान हुआ ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इनकी मरम्मत में करीब 30 हजार रुपया खर्च हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह–

इन 6 ट्रांसफार्मरों पर लोड कितना था क्योंकि सवाल में यह आया है कि लोड अधिक होने से यह क्षतिग्रस्त हुए?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने निवेदन किया अधिभार अधिक था, लेकिन किस पर कितना अधिक था, यह इस समय मैं नहीं बता सकता ।

हाजी मोहम्मद हयात–

यह जो ज्यादा लोड था, इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर होती है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जो भी अधिकारी वहां पर होता है, वैसे सबसे नीचे स्तर पर जूनियर इंजीनियर उस पर होता है।

डा0 दिनेश जौहरी–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली विभाग में ट्रांसफार्मरों की जो बड़ी कमी है और हर शहर में कोई एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर होता नहीं है, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम महानगरों और बड़े नगरों में एक-दो ट्रांसफार्मर एक्सट्रा मौजूद हों, जो ट्राली या जीप पर बने हुए हैं, जिससे जहां भी लगे हुए ट्रांसफार्मर में खराबी हो जाए तो वहां पर यह पहुंचा दिया जाया करे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वैसे इस प्रश्न का इससे वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे सम्मानित सदस्य डाक्टर जौहरी जी ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, तो मैं आपके माध्यम से इन्हें और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इसके लिए प्रयास किया गया था और यहां पर लखनऊ में ट्राली माउन्टेड ट्रांसफार्मर रखने की शुरुआत हमने करायी है और इसके साथ ही अन्य नगरों में भी हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं।

हाजी मोहम्मद हयात–

अधिक लोड होने का दायित्व किस पर है और शासन ने उस पर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, इसका उत्तर नहीं मिला ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्य हाजी जी का यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है, यह एक जगह की बात नहीं है। इसमें उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है और इस बारे में प्रयास किये जा रहे हैं । अब कोई स्पेशफिक प्रश्न आप करेंगे तो उसका जवाब हम दे देंगे ।

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बरेली में स्थित सामान्य राजकीय नलकूपों तथा विश्व बैंक परियोजना में नलकूपों को विद्युत आपूर्ति तथा सिंचाई दरों में अन्तर का औचित्य

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में स्थित सामान्य राजकीय नलकूपों तथा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत लगाए गए राजकीय नलकूपों को प्राप्त होने वाली बिजली आपूर्ति का समय क्या-क्या निर्धारित है तथा इन दोनों प्रकार के नलकूपों द्वारा रबी, खरीफ तथा जायद में सिंचाई की दरें क्या-क्या हैं ? विद्युत आपूर्ति तथा सिंचाई दरों में अन्तर का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)–

जिला बरेली में स्थित सामान्य राजकीय नलकूपों को रूरल फीडर से लगभग 10 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है । विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों को विद्युत आपूर्ति लगभग 16 घण्टे प्रतिदिन दिए जाने का प्राविधान है । विद्युत आपूर्ति का समय विद्युत विभाग के रोस्टर के अनुसार परिवर्तित होता रहता है ।

राजकीय नलकूपों तथा विश्व बैंक पोषित नलकूपों की रबी, खरीफ तथा जायद में सींच की दरें समान हैं तथा निम्न प्रकार है :–

अवधि	फसल	सिंचाई की दरें
16 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक	खरीफ एवं जायद	रु0 1·20 प्रति 10,000 गैलन
16 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक	रबी	रु0 1·20 प्रति 5,000 गैलन

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पहले मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा इन्होंने जो उत्तर दिया है वह है 16 से 18 घण्टे कहा है मुझे जो उत्तर दिया है उसमें कुछ और लिखा है तो यह अन्तर किस लिए है । पहले इस बारे में बता दें ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जो विश्व बैंक परियोजना के नलकूप हैं उनके 16 से 18 घण्टे बताये हैं । वैसे सामान्यतः 16 घण्टे ही हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने लिखित उत्तर दिया है वह सही है या यह जो पढ़ रहे हैं वह सही है, पहले इसका उत्तर दिला दें ।

श्री मुईद अहमद–

16 घण्टे सही है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

दोनों प्रकार के नलकूप राजकीय नलकूप हैं जिनको राज्य सरकार चलाती है, जो विश्व बैंक के पैसे से नलकूप चल रहे हैं उनको भी राज्य सरकार चलाती है, फिर दोनों नलकूपों के लिए भिन्न-भिन्न समय के लिए बिजली देने में अन्तर क्यों है ? एक प्रकार के नलकूप को आप कम बिजली देते हैं और दूसरी प्रकार के नलकूपों को आप ज्यादा बिजली देते हैं इसका क्या कारण है ?

श्री मुईद अहमद—

माननीय, सामान्य राजकीय नलकूपों को रूरल-फीडर से लगभग 10 घण्टे बिजली दी जाती और विश्व बैंक परियोजना के नलकूप हैं उनको स्वतंत्र फीडर से लगभग 16 घंटे बिजली दी जाती है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक द्वारा पोषित नलकूप जो हैं उसमें क्या विश्व बैंक ने यह शर्त लगाई है कि इतनी बिजली आपको देनी पड़ेगी ? जो भारतीय पैसे से बने नलकूप हैं उनको बिजली कम देने के क्या कारण हैं ?

श्री मुईद अहमद—

विश्व बैंक योजना में एक कलस्टर होता है जिसमें 25 नलकूप होते हैं। इनके लिए स्वतंत्र फीडर होता है उसके लिए हमारा अनुबन्ध अलग होता है और जो राजकीय नलकूप हैं इनके लिए रुरल फीडर से अनुबन्ध होता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

विश्व बैंक परियोजना के तहत इन्होंने 16 घंटे बिजली देने की बात कही है मैं जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद में बिल्हारी, दुबहट में जो नलकूप लगे हुए हैं । वहां पर नलकूप तैयार हैं लेकिन एग्रीमेन्ट के खिलाफ उन ट्यूबवेलों को एक भी घंटे बिजली नहीं दी गयी है। इसका क्या कारण है। जब आप एग्रीमेन्ट की परवाह ही नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश में ट्यूबवेलों को समान रूप से बिजली देने पर विचार करेंगे ?

श्री मुईद अहमद—

विश्व बैंक के जितने क्लस्टर हैं उनको 16 घंटे बिजली दी जा रही है । बलिया की बात जो आप कह रहे हैं उसके लिए हमको सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मैनेजर सिंह—

बलिया में एक घंटे भी विश्व बैंक के ट्यूबवेलों को बिजली नहीं दी जा रही है ।

श्री मुईद अहमद—

इसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राजकीय नलकूपों को ग्रामीण फीडर से जोड़ रहे हैं और विश्व बैंक के नलकूपों के लिये स्वतंत्र फीडर होता है । तो क्या माननीय मंत्री जी जो राजकीय नलकूप हैं उनको भी स्वतंत्र फीडर से जोड़कर 16–20 घंटे बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुईद अहमद—

श्रीमन् राजकीय नलकूपों को रुरल फीडर से बिजली देने की व्यवस्था की जाती है । जो राजकीय नलकूप स्वतंत्र फीडर के 1 कि0 मी0 परिधि में आते हैं उनको भी विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजना में ले लेते हैं । हम प्रयास करेंगे कि राजकीय नलकूपों को भी अधिक से अधिक बिजली दी जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार विश्व बैंक की शर्तों के अधीन काम करती है। मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि उनको बिजली ही अधिक नहीं देते हैं बल्कि उनके लिये स्वतंत्र फीडर बनाने की शर्त स्वीकार की है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरु की जो नीति थी और भारतीय आत्म सम्मान को देखते हुये जो हमारी राष्ट्रीय नीति है वह यह है कि हम किसी विदेशी कर्जे को इस शर्त पर नहीं लेंगे कि वह हमारी नीति निर्धारित करता हो। भारतीय टैक्स से बने हुये नलकूपों को कम बिजली और विदेशी डालरों से, स्वीस बैंक के डालरों से बने हुये नलकूपों को अधिक बिजली देना क्या हमारी राष्ट्रीय नीति की खुली अवहेलना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह विश्व बैंक की शर्तों को मानते हैं। तो क्या यह राष्ट्रीय नीति के विपरीत नहीं है ?

श्री मुहम्मद अहमद—

मान्यवर, यह राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध नहीं है बल्कि किसानों के हित में है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

यह सरकार हमारे टैक्स से बने नलकूपों को कम बिजली और विदेशी पैसे से बने नलकूपों को अधिक बिजली दे रही है जो हमारी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। मैं सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन से त्याग करता हूं।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये।)

अधिशासी अभियन्ता बेलन नहर प्रखण्ड इलाहाबाद तथा सिंचपाल पद हेतु ली गयी परीक्षा फल की घोषणा

*3—श्री राकेश धर त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता बेलन नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद तथा दिनांक 2 अगस्त, 1986 को सींचपाल पद हेतु लिखित परीक्षा करवाई गई थी और परीक्षाफल घोषित हो जाने के बाद 10 सितम्बर, 86 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या साक्षात्कार का परीक्षाफल घोषित किया गया ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में कौन-कौन से अभ्यर्थी चुने गए ? परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से दो वर्ष से इस मामले को लम्बित रखा गया ? क्या 10 सितम्बर, 1986 को साक्षात्कार में सम्मिलित आय परी करने वाले अभ्यर्थियों को दो वर्ष बाद आयु बढ़ जाने के बाद उन्हें आयु में छूट दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी परीक्षाफल घोषित करवाने और चुने अभ्यर्थियों को जिनकी आयु 10 सितम्बर, 86

को विभागीय मापदण्ड के अनुकूल थी और अब अधिक हो गयी है, को आयु में छूट देकर नियुक्त करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

परीक्षाफल घोषित होने से पहले ही प्रादेशिक अध्यक्ष, सिंचाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा सींचपालों के पदों पर केवल कार्य प्रभारित कर्मचारियों को खपाने का अनुरोध किया गया था जिस पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा आदेश दिये थे कि अभ्यर्थियों के चयन को स्थगित रखा जाये ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

परीक्षाफल यथाशीघ्र घोषित कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विद्युत आपूर्ति हेतु कैपेसिटर्स लगाने की योजना

*4—कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत आपूर्ति में जो व्यतिक्रम आता है उसे दूर करने के लिए और अबाध गति से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैपेसिटर्स लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

यह योजना पहले से ही चल रही है । राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न उपकेन्द्रों पर मार्च 1988 तक 33 के0 वी0 के 571 एम0 वी0 ए0 आर0 और 11 के0 वा0 के 365.5 एम0 वी0 ए0 आर0 क्षमता के कैपेसिटर्स लगाये जा चुके हैं । वर्ष 1989–90 तक 33 के0 वी0 के 250 एम0 वी0 ए0 आर0 तथा 11 के0 वी0 के 606 एम0 वी0 ए0 आर0 क्षमता के कैपेसिटर्स लगाने की योजना है ।

*5—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

पांच क्यूसेक क्षमता पम्प नहरों के निर्माण हेतु आदेश

*6—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान नीति के अनुसार 25 क्यूसेक से कम क्षमता की नहरों का निर्माण नहीं किया जा रहा है जबकि शासन द्वारा सिद्धान्तः यह स्वीकार किया जा चुका है कि 5 क्यूसेक की क्षमता की पम्प नहरें भी बनायी जा जा सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 5 क्यूसेक की क्षमता की पम्प नहरों का निर्माण करने हेतु आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

यह नीति विषयक प्रश्न है जो सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या 25 क्यूसेक से कम क्षमता वाली 5 क्यूसेक तक की पम्प नहरें सरकार बनायेगी जिसको वह सिद्धान्तः स्वीकार कर चुकी है। मान्यवर, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि यह नीति विषयक प्रश्न है जोकि शासन के विचाराधीन है। मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा जो छोटी नदियां हैं उन पर छोटी पम्प नहरें बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है तो इसके संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यह जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शासन के विचाराधीन है तो इसकी कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि कब तक यह पुष्टि कर देंगे और छोटी पम्प नहरें लगना शुरू हो जायेंगी ?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, यह विचाराधीन है और नीति विषयक प्रश्न है जैसा कि मैंने कहा, इसमें समय लगेगा । जब यह सूखा पड़ा था तो उस स्थिति में यह देखा गया और महसूस किया गया कि 25 क्यूसेक से कम की पम्प नहरें बनायी जायं । हम विशेष रूप से उन जनपदों को ले रहे हैं जैसे मिर्जापुर, बांदा और बुन्देलखण्ड का एरिया है, आगरा और मथुरा में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि जब शासन द्वारा सिद्धान्तः यह स्वीकार कर लिया गया है कि 5 क्यूसेक की क्षमता की पम्प नहरों का निर्माण कराया जाय तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि नीति विषयक प्रश्न है और शासन के विचाराधीन है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिसको इन्होंने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है वह इनकी नीति का अंग नहीं है और अगर है तो इसको क्रियान्वित करने में कौन-कौन से कदम शासन द्वारा उठाये गये हैं ?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है और यह मामला उस वक्त सामने आया जब सूखा पड़ा था तो विशेष परिस्थिति में इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर में मिर्जापुर, बुन्देलखण्ड और बांदा को मंत्री जी ने बताया । मान्यवर, लखनऊ जनपद में तो सई और गोमती जैसी छोटी नदियां हैं क्या यहां पर छोटी पम्प नहरें लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अभी तो मामला वहीं का तय नहीं हुआ है जहां पर पानी की कमी है और यह लखनऊ में चले आये ।

*7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[दि0 18-2-86 के ता0 प्र0 सं0-1 द्वारा उत्तरित]

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो से बिक्रीकर रहित टेलीविजन तथा फ्रिज क्रय करने की मांग

*8–श्री राम पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो से बिक्री कर रहित स्कूटर/मोटर साइकिल व अन्य महंगी वस्तुओं के क्रय की सुविधा राज्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा बिक्रीकर रहित टेलीविजन व फ्रिज के क्रय की सुविधा न दिए जाने का क्या कारण है ? यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम बिक्रीकर रहित टेलीविजन तथा फ्रिज की बिक्री के लिए अधिकृत नहीं है । अतएव यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सीयर में तालों से स्थाई जल निकासी की मांग

*9–श्री शारदानन्द अंचल (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सीयर अन्तर्गत कोइली मोहान ताल सहित सम्पूर्ण तालों के जल निकास के संदर्भ में दिनांक 27-9-88, 3-10-88 व 12-10-88 और 21-10-88 को पत्र लिख-कर शासन से स्थाई जल निकास की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस अत्यन्त लोकमहत्व के मामले में कौन सी कार्यवाही सुनिश्चित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-88 और 21-10-88 प्राप्त हुआ है दिनांक 27-9-88 व 3-10-88 के पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

सीयर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोइली मोहान ताल सहित सम्पूर्ण तालों की जल निकासी के लिए 12 अदद विभागीय ड्रेनें बनी हुई हैं जिनकी कुल लम्बाई 108.40 कि0मी0 है । रबी की बुवाई के पूर्व इन ड्रेनों से प्रभावी जल निकासी हो जाती है। वर्षा काल में घाघरा नदी की बाढ़ के कारण इन ड्रेनों का प्रवाह अव-

रुद्ध हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए कोइली मोहान ताल क्षेत्र की जल निकासी पम्पिंग द्वारा करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसे राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

निचली गंगा नहर इटावा प्रखण्ड के क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत की मांग

*10–श्री शिवबख्श सिंह राठौर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निचली गंगा नहर इटावा प्रखण्ड इटावा के क्षेत्रान्तर्गत रजबहा गांगसी की रतभानपुर से समान तक की जीर्ण शीर्ण पटरियों की गत कितने वर्षों से मरम्मत नहीं की गयी है और क्यों तथा क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत कब तक कराये जाने की योजना है ? क्या उक्त रजबहा गांगसी की पटरी को रतभानपुर से समान तक पक्की कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्का कराया जावेगा ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

प्रश्नगत क्षेत्र की नहर पटरियों की यथा सम्भव मरम्मत नहरों के रख-रखाव कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप करायी गयी है। पटरियों की मरम्मत कराये जाने की अलग से कोई योजना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव बख्श सिंह राठौर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि गांगसी रजबहा रतभानपुर से समान तक में इतनी निचली भूमि है कि वहां रजबहा पटरी की कटिंग होती रहती है जिससे किसानों की हजारों बीघे भूमि जलमग्न हो जाती है और पानी भर जाने की वजह से यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे किसान अपनी फसल मंडी तक ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं तो इसे देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे।

बाढ़ व जल भराव से बचने हेतु दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को भेजना

*11–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ व जलभराव से बचने हेतु प्रदेश सरकार ने कोई दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को भेजी है तथा धनराशि की मांग की है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या तथा वांछित धनराशि क्या है?

श्रीमती हितेश कुमारी–

प्रश्नगत मामले में कोई दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को नहीं भेजी गई है और न ही धन की मांग की गयी है ?

श्री मित्रसेन–

मा0 अध्यक्ष जी, यह हमारी सरकार न तो दूरगामी है, न दूरदर्शी है । इसीलिए दूरगामी योजना नहीं बनाती है। हमारे प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की समस्या से प्रदेश के पूर्वांचल के जिले गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। मैंने अपेक्षा की थी कि बाढ़ और जल भराव के लिए कोई योजना बनाई जानी विचाराधीन होगी । यदि इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन है तो उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई मांग की गयी है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि न तो योजना है न कोई मांग की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर सरकार के पास बाढ़ की इस समस्या से निपटने के लिये कोई योजना है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की कोई दूरगामी योजना नहीं दी गयी है ।

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ और जल भराव की जो समस्या हमारे प्रदेश में है, इससे सरकार चिंतित है या नहीं । यदि सरकार इसको महत्वपूर्ण समझती है तो इसके लिए कोई दूरगामी योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है ? यह भी बताने की कृपा करें कि हमारे प्रदेश के किन-किन जनपदों में विशेष रूप से पिछले एक दो वर्षों से तबाही हुई है? खासतौर पर पूर्वांचल के जिले जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया आदि जनपदों में बाढ़ और जल भराव के कारण जिन जनपदों में आधे से अधिक भूमि प्रभावित हो जाती है, उनके लिए सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यह प्रश्न मूल प्रश्न से बाहर का है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने प्रश्न से संदर्भित अनुपूरक के लिए कह दिया कि प्रश्न से असम्बद्ध है। यह उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या है। बाढ़ और जल भराव, इसके बारे में सरकार द्वारा स्वयं चिंतित होकर प्रस्ताव भेजा जाना चाहिये था, लेकिन वह कुम्भकरण की नींद सोयी है। इनको चिन्ता नहीं है, इसलिये विपक्ष ने चिन्ता की है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल की 20 लाख हेक्टेयर भूमि हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है और करोड़ों रुपये की फसल नष्ट होती है, क्या इसको देखते हुए कोई विस्तृत रूपरेखा बनाने पर सरकार विचार करेगी जिससे कि बाढ़ और जल भराव को रोका जा सके ? यदि हां तो इसको कब तक बनाया जायगा ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मा0 अध्यक्ष जी, हर साल करोड़ों रुपये की फसलों की क्षति होती है । पिछले वर्ष राप्ती में बह कर मा0 वीर बहादुर सिंह जी दिल्ली चले गये जिसके फल-स्वरूप मंत्री जी यहां पर उप मंत्री बनी हैं। उनको पता है कि हर साल जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, देवरिया आदि जनपदों में हर साल बाढ़ आती है । क्या मा0 मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ और जल भराव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ करने जा रही है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, इसकी सूचना एकत्र करके उस पर विचार किया जायगा ।

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सूचना की क्या आवश्यकता होगी । क्या बाढ़ और जलभराव की समस्या प्रदेश सरकार की जानकारी में नहीं है ? मैं तो जानना चाह रहा हूं कि बाढ़ और जलभराव जैसी गम्भीर समस्या के संबंध में सरकार की क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ? कम से कम इसका उत्तर दिला दें, एक प्रश्न का भी अभी तक सही उत्तर मंत्री जी की ओर से नहीं आया है । सरकार अपनी नीति बता दे जल भराव और बाढ़ की समस्या के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी इसमें काफी चिन्तित हैं और उसमें उनकी सरकार भी काफी चिंतित है ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी इस प्रदेश की हैं, इनको तो पूरी स्थिति पता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीया अध्यक्ष जी, आप माननीया मंत्री जी को और माननीय राज्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वे पूर्वी जिलों का दौरा करें और ज्ञान अर्जन करें, उन्हें पता चलेगा कि पूर्वी जिलों की क्या समस्या है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी, माननीय मैनेजर सिंह जी ने पूर्वी जिलों के दौरे की बात कही है, उनका ख्याल तो अच्छा है ।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव, श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीया मंत्री जी के जिले में बाढ़ नहीं आती है, इसलिए उनका अनुभव नहीं है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो तिहाई भाग हमेशा घाघरा, कुआना, राप्ती, बूढ़ी राप्ती आदि नदियों से प्रभावित रहता है। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर आजमगढ़ आदि जिलों में बाढ़ आती है । क्या माननीया मंत्री जी माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए कोई कमेटी बनायेंगी या केन्द्र सरकार को इस बात की संस्तुति करेंगी कि बाढ़ के नियंत्रण और पानी के निकास के लिए कोई अतिरिक्त योजना बनायी जाय?

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी आपने कुछ बांड बनाया है ?

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय हुकुम सिंह जी आप ही उन्हें कुछ सलाह दे दें, वे तो जवाब नहीं दे पा रही हैं । मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

प्रदेश के पिछड़े पूर्वान्चल के जिलों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना

*12–श्री राज किशोर सिंह, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नोयडा औद्योगिक क्षेत्र की भांति प्रदेश के पिछड़े पूर्वांचल के जिलों को भी घनीभूत औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जी हां ।

जनपद जौनपुर में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र को आधार बनाकर एवं जनपद गोरखपुर में गोरखपुर–सहजनवां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आप कब से लागू करेंगे और इससे कौन-कौन से जिले लाभान्वित होंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सवाल यह किया था कि नोएडा के पैटर्न पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी अथारटीज बनाने जा रहे हैं । मैंने उत्तर दिया है कि जनपद जौनपुर में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र को आधार मानकर और गोरखपुर में गोरखपुर सहजनवां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवरर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घनीभूत औद्योगिक क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर खोले जाने का क्या आधार है और किस आधार पर आपने योजनाओं

को प्रस्तावित किया है, उसका बेस क्या है? इस समय उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर ग्रोथ सेन्टर खोले जाने की योजना प्रस्तावित है, इसके सन्दर्भ में मैं जानकारी चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ग्रोथ सेन्टर्स के खोलने का निर्णय भारत सरकार करती है । केवल हम यहां उत्तर प्रदेश से इसके लिए प्रस्ताव भेजते हैं । इस बार पूरे भारत के लिए 61 स्थानों पर ग्रोथ सैन्टर बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 12 जगहों के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें से 6 जगह ग्रोथ सेन्टर बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उद्योग मंत्री भी हैं और हमारे बस्ती के भी हैं । केवल पूर्वांचल में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में यह बस्ती जनपद पिछड़ा हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह गोरखपुर और जौनपुर इण्डस्ट्रियल इस्टेट बनाये जाने की योजना है, उसी तरह से बस्ती में भी औद्योगिक केन्द्र बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नोएडा के अनुरूप ऐसी कोई योजना इस समय बस्ती में नहीं है, लेकिन ग्रोथ सेन्टर, जिस पर 35 करोड़ की लागत का अनुमान है, खलीलाबाद, जनपद बस्ती में प्रस्तावित है ।

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 12 स्थानों पर ग्रोथ सैन्टर खोले जाने का प्रस्ताव है, यह 12 स्थान कौन-कौन से हैं, यह बता दें और यह भी बता दें कि क्या मझोले और मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों को भी इसमें बड़े उद्योगपतियों की भांति हिस्सा लेने का मौका मिलेगा या इसमें केवल बड़े उद्योगपति ही रहेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उसमें निम्नलिखित 12 स्थान हैं (1) पौड़ी गढ़वाल (2) झांसी (3) बुलन्दशहर (4) मुरादाबाद (5) आगरा (6) अलीगढ़ (7) बाराबंकी (8) कानपुर देहात (9) शाहजहांपुर (10) बस्ती (11) गोरखपुर (12) जौनपुर ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही जानना चाहा था कि इन प्रस्तावों का मानक क्या है ? बड़ी बखूबी के साथ माननीय मंत्री जी इस बात को छिपा गए, जिन 12 स्थानों का जिक्र आपने किया है, उनको तय करने का मानक क्या था ? क्या आपने औद्योगिक पिछड़ेपन को और जिलों के उद्योग शून्य होने की बात को आधार माना, यदि नहीं, तो इसका कारण क्या था और इन मानकों मे परिवर्तन करते हुए क्या देवरिया के प्रस्ताव पर भी आप विचार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो जिले उद्योग शून्य हैं, जो नो इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर पहले से ही एस0 आई0 डी0 सी0 इण्डस्ट्रियल स्टेट बना रहा है और इस संबंध में 7 ग्रोथ सेन्टर्स पहले ही इस्टैबिलिस हो चुके हैं । अब और जिन स्थानों पर उद्योग नहीं हैं, वहां पर हम एस0 आई0 डी0 सी0 के माध्यम से इन्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके व्यवस्था के प्रश्नों को 300 और 301 के बाद सुनूंगा ।

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में इटवा झील और अंगइया ताल के निर्माण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने की मांग

*13–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित इटवा झील और अंगइया ताल की बाढ़ और जल भराव से प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में दो दर्जन से अधिक ग्रामों की हजारों एकड़ फसल डूबकर नष्ट हो जाती है और जन व धन की बड़े पैमाने पर क्षति होती है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों स्थानों से नाला खोदकर बिसुही और मड़हा नदियों में गिराने के लिए कई बार सर्वे कराया गया परन्तु आज तक उस पर काम नहीं हुआ ? यदि हां, तो प्राथमिकता देकर उक्त दोनों ही नालों की खुदाई का काम कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

इटवा झील से बिसुही नदी तक इटवा ताल नामक ड्रेन निर्मित है, परन्तु उसकी क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है अंगइया ताल से मड़हा नदी तक अंगइया ताल ड्रेन हेड से 2 कि0मी0 की लम्बाई में निर्मित है । इस ड्रेन का निर्माण पूर्ण कराने तथा इटावा झील ड्रेन की क्षमता वृद्धि का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत कराए जाना प्रस्तावित है ।

मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा शराब की अवैध बिक्री से लोगों की कथित मृत्यु

*14–श्री अशोक वाजपेयी, श्री मूलचन्द्र तथा श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर, गाजियाबाद बिना सरकार को राजस्व दिये स्प्रिट खुले आम चोरबाजारी में बेच रही

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त ।

है जिससे नकली शराब बनाकर लोग बेचते हैं और जिसके कारण गत दो वर्षों में मेरठ मण्डल में लगभग 250 आदमी जहरीली शराब से मर चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार ने आज तक इस कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं । मोहन मीकिन लि0, मोहन नगर, गाजियाबाद से सरकार को राजस्व दिये बिना स्प्रिट खुले आम चोरबाजारी से बेचने व उससे नकली शराब बनाये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। यह कहना सही नहीं है कि विगत दो वर्षों में मेरठ मण्डल में लगभग 250 व्यक्तियों की जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ के अन्तर्गत सुरिस माइनर जंगीपुर एवं सैदपुर माइनर पर सिल्ट, सफाई का कार्य

*15–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय आजमगढ़ के अन्तर्गत सुरिस माइनर, जंगीपुर माइनर एवं सैदपुर माइनर पर जो कार्य अवर अभियन्ता द्वारा मरम्मत एवं सिल्ट सफाई कार्य पर कराया गया उसका वर्ष 88-89 में खरीफ की फसल की बुआई से पहले कितने धनराशि का भुगतान उक्त नहरों पर किया गया है ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

खरीफ की फसल की बुवाई से पहले 88-89 में कोई भुगतान नहीं हुआ क्योंकि खरीफ की फसल की बुवाई का आंकलन एक अप्रैल से किया जाता है तथा इसी तिथि से वर्ष 88-89 भी प्रारम्भ होता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्य को राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को हस्तान्तरण

*16–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वित्त वेतन आयोग-1 द्वारा जारी किये गये संकल्प दिनांक 14-8-88 के कालम–20 में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा आवश्यक वस्तुयें बेचने वाले कार्य को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो यह हस्तान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या हस्तान्तरण होने के बीच की अवधि तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपों के कर्मचारियों को आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों की भांति समस्त वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । यह उल्लेख इस रूप में किया गया है कि इस प्रश्न पर अलग से परीक्षण करके निर्णय लिया जाय । हस्तान्तरण करने की संस्तुति नहीं की गयी है। हस्तान्तरण की कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के कर्मचारियों के समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने का आदेश दिनांक 17-12-1988 को जारी कर दिया गया है। इसलिए उनको आवश्यक वस्तु निगम के समान वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रेनेज खण्ड बस्ती के कार्यों की लेखा परीक्षक द्वारा की गयी जांच में पाये गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*17–श्री मंनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज प्रखण्ड प्रथम बस्ती के कार्यों की विभागीय तथा प्राविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गयी जांच में लगभग 40 लाख रुपये का फर्जी भुगतान किया जाना पाया गया जिसमें एक सहायक अभियंता एवं 6 अवर अभियंता दोषी पाये गये ? यदि हां, तो किन कारणों से उनमें से चार अवर अभियंताओं को निलम्बित नहीं किया गया जबकि शेष निलम्बित हो गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ड्रेनेज खण्ड, बस्ती के वर्ष 86-87 के कार्यों का प्राविधिक परीक्षक द्वारा दिनांक 14-10-86 से 17-10-86 व 11-6-87 को जांच किया गया जिसमें रुपया 1.96+0.88=2.84 लाख के कार्य की अवधि मापी जाने की रिपोर्ट थी परन्तु मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर द्वारा विविध माध्यमों से उक्त खण्ड के कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों की विस्तृत विभागीय प्रारम्भिक जांच कराई गयी तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर द्वारा भी कुछ कार्यों की जांच कराई गई जिनमें लगभग 40 लाख रुपयों के अनियमित कार्य किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक सहायक अभियन्ता व 6 अवर अभियन्ताओं को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है ।

कुछ अपवादों को छोड़कर (जिनमें प्रश्नगत मामला नहीं आता है) शासन की यह नीति है कि यथासम्भव निलम्बन के साथ ही आरोप-पत्र अपचारी कर्मचारी पर तामील किये जायं । अपवाद की परिस्थितियों में भी यथासम्भव निलम्बन के आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के अन्दर अपचारी कर्मचारी को आरोप-पत्र तामील कर दिये जाने की नीति शासन की है ।

प्रश्नगत मामले में प्रथम दृष्टया अन्तर्ग्रस्त एक सहायक अभियन्ता एवं दो अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृत करके उन्हें निलम्बित किया गया जबकि शेष अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अभिलेखों के अभाव में आरोप-पत्र तैयार नहीं होने के कारण उपरोक्त तीन कार्मिकों के साथ इन्हें निलम्बित नहीं किया गया है।

इलाहाबाद के विकास हेतु लगाये जाने वाले उद्योगों को स्थापित करने का विचार

*18–श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-7-88 का पत्र जो उनके द्वारा इलाहाबाद के विकास हेतु लगाये जाने वाले उद्योगों की घोषणा से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित उद्योगों को जनहित में कब तक स्थापित करने का शासन का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इलाहाबाद के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये के विनियोजन का माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिये गये आश्वासन से सम्बन्धित पत्र दिनांक 30-7-88 प्राप्त हुआ ।

इलाहाबाद जनपद में आप्टीकल फाइबर उत्पादन करने की परियोजना भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री हिन्दुस्तान केबिल द्वारा लगाई जा रही है जिस पर अनुमानित लागत 47.80 करोड़ रुपये है । इलाहाबाद जनपद में रेयान का कोई कारखाना नहीं लग रहा है। वहां पर मेसर्स रेमण्ड वूलन मिल्स जो कि निजी क्षेत्र की इकाई है, के द्वारा पोलियस्टर फिलामेण्ट यार्न बनाने की एक परियोजना लगाई जा रही है जिस पर अनुमानित पूंजी विनियोजन 150 करोड़ रुपये होगा । फ्लोट ग्लास का कारखाना इलाहाबाद में लगाया जाना नहीं प्रस्तावित है बल्कि उसे बांदा जनपद में स्थापित किया जा रहा है।

कानपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत पाण्डो नाले की क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही

*19–श्री असान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कानपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत पान्डे नाले में दर्जनों नाले विगत 10 वर्षों की अवधि में मिला दिये गये हैं और अब इसकी क्षमता कम होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़, वर्षा से करोड़ों की जनधन व फसल की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या शासन इस पाण्डे नाले की क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो योजना क्या है और वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

कानपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत पाण्डो नाम का नाला नहीं है, परन्तु पाण्डो नदी अवश्य है। इस नदी में विगत वर्षों में कई नाले मिलाये गये हैं परन्तु इन नालों का जल ग्रहण क्षेत्र पाण्डो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पहले से ही सम्मिलित है । अतः अब क्षमता कम हो जाने की स्थिति नहीं है। अत्यधिक वर्षा के समय नदी के दोनों ओर जल अवश्य फैल जाता है। जन, धन की हानि की कोई सूचना नहीं है । परन्तु बाढ़ क्षेत्र में आने वाली भूमि की फसलों को क्षति होती है।

नदियों के नहरीकरण की शासन की नीति नहीं है। पाण्डो नदी के टेल 232.6 कि0मी0 (उद्गम) से 178.00 कि0मी0 तक की 54.6 कि0मी0 लम्बाई में तली की ढाल कम है। अत: तली के ऊंचे हिस्सों को नीचा करके उक्त भाग में ढाल बढ़ा कर नदी की क्षमता वृद्धि की एक योजना विचाराधीन है।

उक्त योजना का मुख्य अभियन्ताओं की बाढ़ योजनाओं सम्बन्धी समिति की तकनीकी जांच एवं राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्योंचित की जायेगी ।

*20–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

प्रमुख अभियन्ता तथा अन्य मुख्य अभियन्ताओं के शिविरों में सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नति की मांग

1–श्री महाराज सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा अन्य मुख्य अभियन्ताओं के शिविरों में सेलेक्शन ग्रेड के पद पर स्थापित पदों पर अभी तक प्रोन्नति की प्रक्रिया क्यों नहीं आरम्भ की गई है और इसे कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रमुख अभियन्ता तथा अन्य मुख्य अभियन्ताओं के शिविरों में कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड में पद स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । शासनादेश में निहित प्रतिबंधों के अन्तर्गत दिनांक 31-12-88 तक पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं पाए गए ।

सिंचाई विभाग में एडहाक कितने आशुलिपिक/लिपिक कार्यरत हैं उन्हें हटाकर चयनित आशुलिपिकों की भर्ती

2–श्री महराज सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि सिंचाई विभाग में बिना परीक्षा पास किये ही एडहाक बेसिस पर कितने आशुलिपिक/लिपिक कार्यरत हैं ? उन्हें हटाकर चयनित आशुलिपिकों को कब तक रखा जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विश्व बैंक द्वारा मंझनपुर जनपद इलाहाबाद में नलकूप क्लस्टर प्वाइन्ट प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना

3–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की नीतिनुसार विश्व बैंक द्वारा लगाये जा रहे नलकूप क्लस्टर प्वाइन्ट युक्त क्षेत्र में ही पहले प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाने सुनिश्चित हुए थे ? यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर जनपद इलाहाबाद में अभी कितने क्लस्टर प्वाइन्ट अवशेष हैं जिन पर नलकूप लगाये जाने हैं ? क्या यह सही है कि क्लस्टर प्वाइन्ट रहित स्थानों पर भी नलकूप लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो मंझनपुर में क्लस्टर प्वाइन्ट पर कब तक नलकूप लगा दिये जायेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले नलकूपों के क्लस्टर की स्वीकृति जनपदवार दी जाती है न कि क्षेत्रवार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । विश्व बैंक नलकूप क्लस्टर में ही लगाये जाते हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद देहरादून में मेसर्स उत्तराखण्ड मारबल उद्योग का अस्थायी पंजीकरण तथा उसके सम्बन्ध में दोहरी नीति के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण

5–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून में मेसर्स उत्तराखण्ड मारबल उद्योग का अस्थायी पंजीकरण दिनांक 10-2-81 को सामान्य जिला केन्द्र द्वारा पंजीकरण संख्या–20/16/00682 द्वारा किया गया था और उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा दिनांक 25-3-82 तथा 2-4-86 को इस उद्योग को ऋण स्वीकृत करते हुए उपरोक्त तिथियों से ब्याज लगाना आरम्भ कर दिया ? क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक ने अपने पत्रांक 1908/पंजी-स्थायी/86-87 दिनांक 20-2-87 के द्वारा उपरोक्त मारबल उद्योग को पंजीकृत न कर सकने की सूचना दी थी? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण प्रकरण में सरकार की दोहरी नीति के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस हेतु उपरोक्त मारबल उद्योग को ब्याज मुक्त कर ऋण में कमी करने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । मेसर्स उत्तराखण्ड मारबल उद्योग का अस्थाई पंजीकरण दिनांक 10-2-81 को पंजीकरण संख्या–20/16/00882 द्वारा किया गया था । इस इकाई

का उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा दो ऋण रु0 1,96,800 तथा रु0 1,23,000 क्रमशः दिनांक 29-3-81 तथा 5-3-85 को स्वीकृत किये गये थे जिनका वितरण क्रमशः दिनांक 25-2-82 से तथा 17-2-86 को किया गया था । ब्याज वितरण की तिथि से वितरित राशि पर लगाना प्रारम्भ किया गया, ऋण स्वीकृति की तिथियों से नहीं ।

यह भी सही है कि सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ने इकाई को पत्र संख्या 19081/पंजी-स्थायी/86-87, दिनांक 20-2-87 द्वारा सूचित किया था कि उनका उद्योग प्रदूषण रेड (लाल) श्रेणी की प्रकृति का है, जिसे स्थाई रूप से पंजीकृत करना नियमानुसार संभव नहीं है । इकाई का जब अस्थाई पंजीकरण किया गया था उस समय इस प्रकार का प्रदूषण सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं था । अतः दोहरी नीति का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा दिये गये ऋण को ब्याज मुक्त करना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

6–हाजी मोहम्मद हयात–

[अनिश्चित होने के कारण निरस्त]

इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड, लखनऊ में कार्यरत एस0 डी0 ओ0 के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच

7–श्री भगवान दीन कुशवाहा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में वर्ष 1983 से 1985 तक कार्यरत एस0 डी0 ओ0 के विरुद्ध वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में गबन एवं भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्रमाणित होने पर उन्हें दण्डित किया गया था तथा सत्यनिष्ठा रोक दी गयी थी? क्या अब उसी अधिकारी को पदोन्नति देकर अधिशासी अभियन्ता बनाये जाने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

श्री सुहर्ष अवस्थी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में एस0 डी0 ओ0 के पद पर दिनांक 15-4-83 से 3-1-87 तक तैनात रहे थे । श्री अवस्थी की वर्ष 1983-84 (23-9-83 से 31-3-84) अवधि की सत्यनिष्ठा दिनांक 2-9-85 को जारी कर दी गई थी । अस्तु सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु जून, 1986 में हुए चयन के समय चयन समिति ने श्री अवस्थी को अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया था ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के गांवों में राजकीय नलकूपों के लगवाने की मांग

8–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ए/25/सि0/87 दिनांक 8-9-87 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के असिंचित क्षेत्र गांवों में सिंचाई सुविधा

हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? क्या पत्र में लिखित गांवों में राजकीय नलकूप लगवाने हेतु सर्वे कराकर टेस्टबोरिंग करवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली मशीन से राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी नहीं । टेस्ट बोरिंग हेतु जनपद प्लान में धन का प्राविधान नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संगठन में पत्थर तोड़ने वाली मशीन उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के ग्राम–नेदुवा के पास बागे नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में पत्र

9–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 223 दिनांक 18 जून, 1987 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम नेदुवा के पास से बागे नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां, प्राप्त हुआ परन्तु संदर्भित पत्र में नदी का नाम "रेंज" उल्लिखित है ।

जी नहीं ।

नदी से जल की उपलब्धता की पुष्टि नहीं है।

10–श्री सुखपाल पाण्डे–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

11–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) शक्ति भवन विस्तार चतुर्थ तल 14 अशोक मार्ग, लखनऊ के द्वारा मा0 विधायक श्री पुष्कर सिंह धौंधाण को लिखे गये पत्रांक 104/एच0 सी0/दिनांक 12 जनवरी, 1987 के द्वारा सूचित किया गया था कि शासनादेश संख्या–11340/भाउ/18-11 दिनांक 16-1-86 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु दी जाने वाली सुविधायें,

राज्य विद्युत परिषद् वित्तीय कठिनाइयों के कारण देने में असमर्थ है ? यदि हां, तो इस वित्तीय पक्ष को सोचे बिना शासनादेश जारी करवाने तथा शासनादेश जारी होने पर उसे क्रियान्वित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् एक स्वशासी संस्था है। उद्योग विभाग के दिनांक 16-1-1984 के पत्र में जो सुविधायें राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जानी प्रस्तावित थी, वे सुविधाएं विद्युत परिषद् अपना वर्तमान वित्तीय स्थिति में दिया जाना सम्भव नहीं समझता ।

12–श्री बृहमदत्त द्विवेदी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम बहरौली, जनपद बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की मांग

13–श्री धनराज यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बहरौली, जनपद बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हरिजन बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण हेतु मा0 विधायक, भोपाल सिंह व कृष्णा रावत के उपरिपत्र के साथ ग्रामीण निवासियों के सामूहिक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28-5-87 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त ग्राम में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

ग्राम बहरौली एक मजरा है जिसका मुख्य ग्राम बेलहरी, विकास खण्ड पूरे डलई है। वित्तीय संसाधनों के कारण ग्राम बहरौली मजरे का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

शारदा सहायक परियोजना, जनपद सुल्तानपुर में सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति

14–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना जनपद सुल्तानपुर में कितने ऐसे सहायक अभियंता एक ही खण्ड, एक ही मुख्यालय पर विगत पांच वर्षों से अधिक समय से शासनादेशों के विपरीत कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनमें से कुछ सहायक अभियन्ता लगातार तीन वर्षों से स्थानान्तरण आदेश प्रति वर्ष स्थगित कराकर नियमों के विरुद्ध मुख्यालय पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो विभागीय स्थानान्तरण नीति का लगातार उल्लंघन किन परिस्थितियों में किया गया है ? इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शारदा सहायक परियोजना, जनपद सुल्तानपुर के केवल एक खण्ड सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर में केवल श्री सईद अहमद खां, सहायक अभियन्ता एक ही खण्ड एक ही मुख्यालय पर विगत पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। इनका स्थानान्तरण सर्वप्रथम ज्ञापांक सी–296/ई-1, दिनांक 29-6-86 द्वारा किया गया था परन्तु क्षेत्र की प्रगति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक दृष्टि से एवं जनहित में स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता द्वारा कराये गये अनुबंधित कार्य

15–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत सहायक अभियंता द्वितीय ने वर्ष 1986-87 व वर्ष 1987-88 में अपने स्तर से कितने कच्चे और पक्के कार्यों के अनुबन्ध किये हैं ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों को भी कई भागों में बांटकर बगैर निविदा आमंत्रित किये एवं बिना जमानत की धनराशि जमा कराये हुए उपरोक्त सभी कार्यों को मनमाने ढंग से ठेकेदारों के नाम नियमों के विपरीत अनुबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सभी कार्यों की अनुमानित लागत क्या है ? नियमानुसार निविदा न आमंत्रित करने एवं जमानत की धनराशि न जमा करने के लिए दोषी कौन लोग हैं ? क्या उपरोक्त पूरे मामलों में किये गये गम्भीर भ्रष्टाचार की समयबद्ध जांच कराकर तथ्यों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सहायक अभियंता द्वितीय सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 1986-87 में कुल 42 नग अनुबंध किये गये थे जिनमें 4 कच्चे कार्यों के तथा 38 पक्के कार्यों के थे । वर्ष 87-88 में उन्होंने 17 अदद अनुबंध किये थे वे समस्त पक्के कार्यों के थे ।

वर्ष 86-87 में पक्के कार्यों के 3 अनुबन्ध ऐसे थे जो 2 भागों में किये गये हैं तथा वर्ष 87-88 में केवल एक ही अनुबन्ध ऐसा था जो 2 भागों मे किया गया जो व्यवहारिक दृष्टि से कार्यों के हित में किया गया था ।

इन सभी कार्यों की अनुमानित लागत रु0 15,15,828.50 है। निविदायें प्राप्त करने हेतु प्रत्येक माह की 6 तारीख एवं 21 तारीख निर्धारित की थी जिसके व्यापक प्रचार हेतु सूचना निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था तथा सूचना निदेशक ने व्यापक प्रचार हेतु सुल्तानपुर, रायबरेली तथा कानपुर जनपदों से निकलने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजा तथा इसके अतिरिक्त उपरोक्त तिथियों के विषय में सुल्तानपुर जनपद के अन्य संबंधित कार्यालय में सूचना भेजी गयी थी । अतः बिना निविदा के अनुबंध करने का प्रश्न नहीं उठता है । कोई भी अनुबन्ध नियमों के विपरीत नहीं किया गया है । अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

16–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्मिक अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का औचित्य

17–डा0 दिनेश जोहरी तथा श्री औसान सिंह–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्मिक अधिकारी के रिक्त पदों पर विभागीय कर्मचारियों की उपेक्षा करके सचिवालय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दिनांक 10-3-88 को तैनाती हेतु आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विभागीय कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी उक्त पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया ? क्या सचिवालय कर्मियों को प्रतिनियुक्ति/चयन करते समय विभागीय कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रतिनियुक्ति कर्मी राजकीय मुद्रणालय और सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1981 में निर्दिष्ट कार्मिक अधिकारी पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें एवं अनुभव रखते हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्तियां की गयी ? क्या विभागीय कर्मचारी श्री के0 डी0 यादव उक्त कार्मिक अधिकारी के पद पर लगभग 3 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं ? यदि हां, तो श्री यादव को हटाकर प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों की तैनाती करने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्मिक अधिकारी का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में सीधी भर्ती का पद है, इस पद पर विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति का प्राविधान नहीं है। उक्त पद पर विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने में प्रशासनिक कठिनाइयां थीं । अतः पद को अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति करके भरा गया । इसमें विभागीय कर्मचारियों की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । नियुक्तियां सचिवालय के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा की गयी थी, इसलिए विभागीय कर्मचारियों को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, किन्तु प्रतिनियुक्त कर्मी नियमावली में उल्लिखित निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव में से अधिकांश अर्हताओं की पूर्ति करते हैं।

श्री यादव कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से दिनांक 3-1-81 से 5-10-82 तक तथा 1-9-84 से 30-8-85 तक नियुक्त रहे ।

श्री यादव को अन्तिम बार एक वर्ष के लिए तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था जिसकी अवधि समाप्त होने पर तदर्थ नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गई। श्री यादव की पुनः तदर्थ नियुक्ति किये जाने में प्रशासनिक कठिनाई थी, अतः कार्यहित में पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया ।

सिरसी बांध प्रखण्ड मिर्जापुर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत स्व0 हरस्वरूप बाजपेयी की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान

18–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरस्वरूप बाजपेयी जब वे मिर्जापुर सिरसी बांध प्रखण्ड मिर्जापुर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, को 25 जून, 1965 को निलम्बित दर्शाया गया था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने 30 जून, 1977 को उन्हें दोष मुक्त कर दिया तथा कुछ ही दिन बाद उनका देहान्त हो गया किन्तु अभी तक उनकी पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान उनके परिवार को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सभी लाभ तुरन्त भुगतान कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

श्री हरस्वरूप बाजपेयी को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद द्वारा 16-2-65 से निलम्बित किया गया ।

जी नहीं, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने 30-6-77 को श्री बाजपेयी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/465 के अभियोग से दोषमुक्त कर दिया । श्री बाजपेयी का देहान्त 18-9-78 को हुआ ।

स्व0 श्री बाजपेयी के अवशेष देयों रु0 5,933.60 का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों को दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आदेश दे दिये गये हैं ।

औद्योगिक आस्थान, बिजनौर की अविकसित भूमि का हस्तान्तरण

19–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत विभाग बिजनौर के अभियन्ताओं ने उद्योग विभाग की 10 हजार वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर रखा है जबकि विवादित भूमि उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1962 में औद्योगिक अस्थान के निमित्त अधिग्रहीत की गई थी ? क्या विद्युत मंत्री को यह भी जानकारी है कि बिजनौर के जिलाधिकारी द्वारा समस्त प्रकरण की जानकारी हेतु एक तीन सदस्यीय समिति भी विद्युत अभियंताओं के पास मामले का पता लगाने हेतु भेजी गई थी ? यदि हां, तो उक्त समिति के साथ अभियंताओं की वार्ता का परिणाम क्या निकला ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । उद्योग निदेशक, उ0 प्र0, कानपुर के आदेश संख्या–2091-93 दिनांक 16-6-1972 द्वारा औद्योगिक आस्थान, बिजनौर की 3.95 एकड़ (1918 वर्ग गज) अविकसित भूमि का राज्य विद्युत परिषद् की स्टोर, कालोनी एवं कार्यालयों के निर्माण के लिये, वर्ष 1972 में हस्तांतरण किया गया था ।

जी हां ।

उक्त समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी ।

जनपद एटा में ग्रामीण विद्युतीकरण की मांग

20–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा की वार्षिक विद्युत समिति की बैठक में वर्ष 1987-88 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुए ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री नरेन्द्र सिंह

जनपद एटा की विद्युत सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु 40 ग्रामों का चयन किया गया था जिनमें से 6 ग्रामों का विद्युतीकरण उसी वर्ष कर दिया गया था ।

शेष चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण नहीं हो सका था ।

श्री उमापति शुक्ल नोटर एवं ड्राफ्टर निवासी ग्राम बेलभरिया, जिला बस्ती के विरुद्ध मुकदमा संख्या अ0 सं0 181/85 धारा 302 संबंधी कार्यवाही

21–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक , बस्ती का पत्र संख्या–एम-1/85, दिनांक 15-1-86 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) बस्ती तथा मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, मोहिद्दीपुर, गोरखपुर को मुकदमा अ0 सं0 181/85 धारा 302 के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में श्री उमापति शुक्ल (नोटर एवं ड्राफ्टर) पुत्र श्री राम अचरज, निवासी ग्राम बैलभरिया, थाना बालटरगंज, बस्ती मुकदमा अ0 सं0 181/85 धारा 302 भा0द0वि0 में नामित अभियुक्त होने तथा उनके द्वारा दिनांक 26-10-85 को न्यायालय सी0 सी0 तृतीय बस्ती में हाजिर होकर दिनांक 30-10-85 से जमानत पर रिहा होने का उल्लेख है । इस प्रकरण में अभी तक कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी ।

उपरोक्त कर्मचारी के निलम्बन के आदेश दिए जा रहे हैं । इस कार्य में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण के भी आदेश दिए गए हैं ।

जनपद एटा में ट्रान्सफार्मर तथा बन्द नलकूपों को ठीक कराने की मांग

22–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में कितने ट्रान्सफार्मर कितने दिनों से खराब पड़े है ? इस कारण बन्द पड़े नलकूपों को सिंचाई की सुविधा हेतु कब तक ठीक कर दिया जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जनपद एटा में 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार 39 ट्रांसफार्मर खराब हैं जिनमें से 2 ट्रांसफार्मर अगस्त, 1988 से, 8 ट्रांसफार्मर सितम्बर, 88 से, 11 ट्रान्सफार्मर अक्टूबर, 88 से, 14 ट्रांसफार्मर नवम्बर, 88 से और ट्रांसफार्मर दिसम्बर, 1988 से खराब हैं।

अधिकांश ट्रांसफार्मर (लगभग 27) उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयों का भुगतान न करने के कारण नहीं बदले जा सके हैं। उपभोक्ताओं द्वारा देयों का भुगतान करने पर इन्हें बदलना सम्भव हो सकेगा। शेष ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही बराबर की जा रही है।

जनपद लखनऊ के अमौसी राजबहा के ग्राम नटकूर विकास खण्ड सरोजनीनगर में टूटे पुल का निर्माण

23–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के अमौसी राजबहा के ग्राम नटकूर विकास खण्ड सरोजनीनगर, लखनऊ में टूटे हुए पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

पुल का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है तथा यह कार्य जून, 1989 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शहर के अधिकांश पेट्रोल पम्पों पर मिलावटी पेट्रोल बेचने की जांच

24–श्री [illegible]–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लखनऊ शहर के अधिकांश पेट्रोल पम्पों पर मिलावटी पेट्रोल बेचे जाने और पेट्रोल में घटतौली की जाने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या प्रत्येक पेट्रोल पम्पों की इस सम्बन्ध में मासिक जांच की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ शहर में वित्तीय वर्ष 87-88 में पेट्रोल में मिलावट की जांच करने के लिये कितने छापे मारे गये और उनमें कितने पेट्रोल पम्पों के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुम सिंह–

पेट्रोल में मिलावट की जांच कराये जाने के लिये शासनादेश संख्या-6703/29-7-एम-118/85 दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे गये हैं तथा पेट्रोल पम्पों में घटतौली के संबंध में बांट तथा माप निरीक्षकों द्वारा मासिक जांच की जाती है।

लखनऊ शहर में वित्तीय वर्ष, 1987-88 में पेट्रोल में मिलावट के सम्बन्ध में 11 निरीक्षण किये गये परन्तु जांच में मिलावट का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

जिला झांसी के धार्मिक स्थानों से देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग

25–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या आबकारी मंत्री कृपा करेंगे कि बाहर सेयरगेट झांसी में देशी शराब की दुकान को वहां से हटाने के लिए झांसी में कोई जन आन्दोलन चल रहा है क्योंकि शराब की दुकान के पास ही बाल्मीकि मन्दिर, गुरुद्वारा, राजकीय बालवाड़ी आदि स्थित हैं ? यदि हां, तो शराब की दुकान अब तक वहां से न हटाने का क्या कारण है? दुकान कब तक हटा दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कुछ व्यक्तियों द्वारा दुकान हटाने का अनुरोध किया गया था । जांच के उपरांत पाया गया कि बाल्मीकी मन्दिर, गुरूद्वारा तथा राजकीय बालवाड़ी इस दुकान से काफी दूरी पर है। यह दुकान अपने वर्तमान स्थल पर गत लगभग पचास वर्षों से है । दुकान को हटाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में शकर विक्रेता तथा फर्जी यूनिटों की जांच

26–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में ऐसे कितने शकर विक्रेता हैं जिनके पास 2000 से ज्यादा यूनिट है? विगत वर्ष 1987 में क्या फर्जी यूनिटों की संख्या के बारे में जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी फर्जी यूनिटों की जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद एटा में 436 ऐसी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जिनसे 2000 से अधिक यूनिट सम्बद्ध हैं।

जी हां।

उपरोक्त उत्तर के परिपेक्ष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ जिले के ग्रामीण अंचल एवं इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थापित 33 के0 वी0 सब स्टेशनों को कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई, सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ को सौंप दिये जाने के संबंध में पत्र

27–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के ग्रामीण अंचल एवं इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थापित 33 के0 वी0 के सभी सब स्टेशनों को कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ को सौंप दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुआ यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

33 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशनों का अनुरक्षण कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड , लखनऊ के दायित्व में सम्मिलित नहीं है ।

रुहेलखण्ड कैनाल डिवीजन के अंतर्गत गहलुइया माइनर नहर का निर्माण एवं अर्जित भूमि का मुआवजा

28–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड कैनाल डिवीजन के अन्तर्गत गहलुइया माइनर नहर का निर्माण शीर्ष से एक किलोमीटर से नीचे वर्ष 1977-78 में पूरा कर लिया गया था तथा जिन कृषकों की भूमि में उक्त नहर का निर्माण किया गया था, उन्हें आज तक कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उन कृषकों को पिछले ग्यारह वर्ष की फसलों की क्षति पूर्ति सहित इस समय के बाजार भाव पर तत्काल मुआवजा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

गहलुइया माइनर का निर्माण शीर्ष से कि0मी0 1.6 तक वर्ष 1984-85 में पूर्ण हुआ था । निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा रु0 28,917.80 संबंधित कृषकों को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली द्वारा अप्रैल, मई, 1985 में ही वितरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालय उत्तर प्रदेश के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत प्रेस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

29–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय उत्तर प्रदेश के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत प्रेस कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट अलग-अलग है और उनकी प्रोन्नति वहीं पर उसी लिस्ट के अनुसार ही होती है? यदि हां, तो प्रशासनिक आधार पर एक प्रेस से दूसरे प्रेस को स्थानान्तरित किये गये प्रेस कर्मचारियों का ग्रेडेशन लिस्ट में अंतर के कारण जो प्रोन्नति आदि विलम्ब होने से नुकसान होता है, उसका उत्तरदायी कौन है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

सामान्यतः कर्मचारियों का एक प्रेस से दूसरे प्रेस में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। अनुशासन हीनता, अनियमितता तथा नैतिक अधमता के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर किये गए स्थानान्तरण के फलस्वरूप कर्मचारियों की प्रोन्नति आदि में जो विलम्ब होता है, उसका उत्तरदायित्व स्वयं कर्मचारी पर ही होता है ।

जौनपुर जनपद में सीमेन्ट प्रोडक्ट मानीकला तथा शिव सीमेन्ट प्रोडक्ट रिजवी खां का निरस्त किया गया पंजीकरण

30—श्री धनराज यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में जौनपुर सीमेन्ट प्रोडक्ट मानीकला तथा शिव सीमेन्ट प्रोडक्ट रिजवी खां का पंजीयन निरस्त करने के 30 दिन पूर्व कारण बताओ नोटिस दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत इकाइयों के पंजीयन निरस्त करने के बारे में डी0 जी0 सी0 सिविल की वैधानिक राय ली गयी ? यदि हां, तो वह राय क्या है ? यदि नहीं, ली गयी, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेसर्स जौनपुर सीमेन्ट प्रोडक्ट, मानीकला जौनपुर को पत्रांक 13437, दिनांक 9-3-83 के द्वारा नोटिस दी गई थी और पत्रांक 18620—24, दिनांक 26-3-84 द्वारा पंजीकरण निरस्त किया गया । इस तरह से 30 दिन से अधिक का समय दिया गया । दूसरी इकाई मेसर्स शिव सीमेन्ट प्रोडक्ट, रिजवी खां के पंजीयन निरस्तीकरण से सम्बन्धित मामलों के अभिलेख न्यायालय में दिनांक 18-8-86 को सील्ड करवा दिया गया है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है । इस कारण शिव सीमेन्ट के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है ।

मेसर्स जौनपुर सीमेन्ट प्रोडक्ट के सम्बन्ध में (डी0 जी0 सी0 दीवानी) से राय ली गई उनकी राय थी कि इकाई का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है क्योंकि अब कोई स्थगन आदेश नहीं है अतः पंजीयन निरस्त करने के नियम अथवा नैसर्गिक न्याय के नियम अपनाने चाहिए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह का रुड़की को स्थानान्तरण बुलन्दशहर से तथा बुलन्दशहर से कार्यमुक्त न होना

31—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री जितेन्द्र सिंह) सहायक अभियन्ता जिनका स्थानान्तरण बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर से परिकल्प रुड़की को जुलाई, 1987 में हुआ था, कार्य मुक्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इनको कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर अधिशासी अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच

32—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या शासन की जानकारी में है कि श्री जितेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी सतर्कता विभाग की जांच होते हुए इनको बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर

बुलन्दशहर के कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता का चार्ज अप्रैल, 1987 में दिलाया गया जो जून, 1988 तक चला ? क्या वर्तमान समय में भी इस सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो फिर इनको अब तक क्यों नहीं हटाया गया जिससे जांच पर कोई कुप्रभाव न पड़े ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

खण्ड के वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता होने के नाते श्री जितेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर को माह अप्रैल, 1987 से 27-6-88 तक अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर का चार्ज अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यहित में दिया गया था ।

वर्तमान समय में भी श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध इस खण्ड के कार्यकाल से सम्बन्धित शिकायतों की पारम्भिक जांच कराई जा रही है । श्री सिंह को बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर से कार्यमुक्त किया जा चुका है ।

सिंचाई खण्ड टांडा, फैजाबाद अन्तर्गत शाहपुर में क्लोजर में किन-किन स्थानों पर कार्य कराना था और कहां हुआ

33—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड टाण्डा, फैजाबाद अन्तर्गत शाहपुर सेक्शन में वर्ष 1988 ई0 के वार्षिक क्लोजर में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन सा कार्य कराया जाना प्रस्तावित था तथा किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से पक्के कार्य पूर्ण करा दिए गए ? शेष कार्य क्यों नहीं कराए गए तथा उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सिंचाई खण्ड टाण्डा, फैजाबाद के अन्तर्गत शाहपुर सेक्शन में वार्षिक क्लोजर वर्ष 1988 में टाण्डा मुख्य नहर के कि0 मी0 61.594 पर साईफन एवं कि0 मी0 69.376 पर क्रास-रेगुलेटर बनाना प्रस्तावित था । कि0 मी0 69.376 पर क्रास रेगुलेटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । कि0 मी0 61.594 पर साईफन निर्माण कराने हेतु आर0 सी0 सी0 पाईप स्थल पर पहुंचाये गये परन्तु स्थानीय जनता के विरोध के कारण निर्माण कराया जाना सम्भव न हो सका । नहर के दोनों ओर की जनता में, साईफन निर्माण के विषय में गम्भीर मतभेद है अतः निर्माण कार्य अवरुद्ध है । माह अप्रैल-मई, 1989 में नहरबन्दी के समय इस साईफन के निर्माण हेतु विशेष प्रयास करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर के ग्राम रामपुरहस के बिजली के टूटे तार के करेंट से मृतकों को मुआवजा की मांग

34—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 3-4-88 को जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर के ग्राम रायपुरहस के निकट बिजली के टूटे तार के करेंट लग जाने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या दुर्घटना की जांच की गयी ? यदि हां, तो दोषी कौन था तथा मृतकों को कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां । इस दुर्घटना में कुल तीन व्यक्तियों एवं एक भैंस की मृत्यु हुयी थी । जांच के आधार पर सम्बन्धित लाइनमैन को निलम्बित करके चार्जशीट दे दी गयी है तथा अवर अभियन्ता को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

मृतक सर्वश्री हरपाल सिंह, फूल सिंह व राजू के परिवार को दस-दस हजार रुपये की अनुग्रह क्षतिपूर्ति तथा भैंस की घातक दुर्घटना के फलस्वरूप चार हजार रुपये की अनुग्रह क्षतिपूर्ति परिषदादेश दिनांक 27-5-88 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा उसका भुगतान किया जा चुका है ।

राजकीय प्रेस लखनऊ में श्री के0 डी0 यादव की नियुक्ति के विषय में

35—श्री औसान सिंह तथा डा0 दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 डी0 यादव पूर्व कार्यिक अधिकारी, राजकीय प्रेस लखनऊ की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं 7 (सात) अन्य विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 19-2-86 एवं 2-9-86 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि श्री यादव विकलांग है ? यदि हां, तो शासनादेशों में निहित आदेशों की उपेक्षा करके विकलांग अधिकारी को अपने पद से हटाने का क्या औचित्य है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

विचारोपरान्त उस समय पद को रिक्त रखने का निर्णय लिया गया।

जी हां।

विकलांग को आरक्षण देने संबंधी शासनादेश कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होते। श्री यादव को एक वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो गई। अतः शासनादेश की उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के श्री पी0 सी0 त्रिपाठी अवर अभियंता ड्रेनेज प्रखण्ड को फर्जी भुगतान के जांच की मांग

36—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि उनके निजी सचिव को मुख्य अभियंता गण्डक द्वारा पत्र संख्या-398/ग0 आ0 गो/928/524/86 दि0 18-9-88 को यह सूचना दी गयी कि श्री पी0 सी0 त्रिपाठी अवर अभियंता ड्रेनेज प्रखण्ड प्रथम बस्ती को 10 लाख रुपये का फर्जी भुगतान करने का दोषी जांच द्वारा पाया गया? यदि हां, तो शासन द्वारा उन्हें निलम्बित न करके उनका स्थानान्तरण रोके जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। शासन द्वारा अवर अभियंता को निलम्बित नहीं किया गया है। प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण रोका गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में अधिशासी अभियन्ता के तार बाबू के पदों पर डिप्लोमा होल्डरों की नियुक्ति की मांग

37–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ शारदा नहर खण्ड सिंचाई विभाग में तार बाबू के 14 पदों पर डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति होनी थी लेकिन 1988 में इस विभाग के अधिशासी अभियंता ने बिना डिप्लोमा होल्डर व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली ? क्या मंत्री जी इन नियुक्तियों की जांच कराकर डिप्लोमा होल्डर व्यक्तियों की नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड (शारदा नहर खण्ड नहीं) प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1988 में तार बाबू के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

मोहन मीकिन लि0 लखनऊ, गाजियाबाद छिजन पर आबकारी कर की बकाये धन की वसूली की मांग

38–श्री भोपाल सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मूल चन्द–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि0 पर छिजन (ब्रूकेज) के निर्धारित मात्रा से अधिक करने के कारण छिजन आबकारी कर 1-4-70 से 31-3-88 तक करोड़ों रुपया बकाया है? यदि हां, तो इस अवधि की छिजन आबकारी कर की बकाया धनराशि कितनी है तथा उसे वसूलने के लिए आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में मोहन मीकिन की आसवनियों/ब्रुवरीज पर 1-4-70 से 31-3-88 तक मार्गनयन छीजन व ब्रूकेज के रूप में निम्नानुसार बकाया है:–

(1) मोहन मीकिन लि0 लखनऊ रु0 6,58,278·20
(2) मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर, गाजियाबाद रु0 83,78,227 35
(3) मोहन मीकिन आसवनी, गाजियाबाद रु0 79,27,852·35

उपरोक्त बकाया के विरुद्ध कम्पनी द्वारा विभिन्न याचिकाओं में प्राप्त स्थगन आदेश के अधीन वसूली स्थगित है।

प्रदेश में आबकारी विभाग में कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही

39–श्री दीपचन्द सांनकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में प्रदेश के अन्दर आबकारी विभाग में कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही हुई थी ? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ? सम्पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । वित्तीय वर्ष 1987–88 में प्रदेश के अन्दर आबकारी विभाग के निलम्बित 27 कर्मचारियों की सूची सम्पूर्ण विवरण सहित संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 190 पर)

40—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उन्नाव जनपद के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में नये पावर हाउस बनाने की योजना में आने वाले ग्राम

41—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 33/11 के0 वी0 ए0 का पावरहाउस किसी नये स्थान पर बनाने के मानक क्या हैं ? नये पावर हाउस के बनाने के मानकों में उन्नाव जनपद में पुरवा विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम आते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

किसी स्थान पर 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु उसकी तकनीकी उपयुक्तता (टेकेनीकल फीजीबिलटी) निम्न बातों पर निर्भर करती है :—

(1) उस स्थान एवं आस पास के क्षेत्र की आपूर्ति करने वाले निकटस्थ 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर विद्युत भार निकट भविष्य में विद्युत मांग की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, उसकी क्षमता से अधिक हो रहा हो।

(2) उस स्थान एवं आसपास के क्षेत्र की आपूर्ति के लिए निकटस्थ विद्युत उपकेन्द्र से 11 के0 वी0 फीडरों की लम्बाई इतनी अधिक हो रही हो कि सही वोल्टेज न मिल सके ।

उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नया विद्युत उपकेन्द्र ऐसे स्थान पर प्रस्तावित किया जाता है जो सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत भार का एक प्रमुख केन्द्र हो ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में निम्न स्थानों पर 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है :—

(1) मौरावां—यहां उपकेन्द्र पहले से स्थापित है ।
(2) पुरवा—यहां उपकेन्द्र निर्माणाधीन है ।
(3) असोहा—यहां उपकेन्द्र प्रस्तावित है ।

गोसाईगंज रजबहा के टेल पर शारदा सहायक के किनारे हेड बनाने की मांग

42—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26 अगस्त, 1987 एवं 19 जुलाई, 1988 जो गोसाईगंज रजबहा, लखनऊ ब्रांच तक लगभग 10 कि0 मी0 है, का ढाल उल्टा करके गोसाईगंज रजबहा के टेल (अन्तिम छोर) पर शारदा सहायक परियोजना की दायीं पटरी पर हेड बनाकर उक्त क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के संबंध में है, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या निकट भविष्य में उक्त कार्य को पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

वर्तमान में शारदा सहायक परियोजना से विषयगत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि शारदा सहायक परियोजना में उपलब्ध जल का पूरा वितरण पहले से ही निश्चित है तथा शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में पानी की कमी भी अनुभव की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई कार्य हेतु इलाहाबाद द्वारा सींचपालों की नियुक्ति हेतु परीक्षाफल की घोषणा की मांग

43—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता बेलनहर प्रखण्ड कार्यालय सिंचाई कार्य मण्डल इलाहाबाद द्वारा सींचपालों की नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा और साक्षात्कार वर्ष 1986 में लिया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का पोस्टल आर्डर लिया गया तथा कितने अभ्यर्थी आये और अभी तक उसका परिणाम घोषित न किये जाने का कारण क्या है ? कब तक परिणाम घोषित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां । अभ्यर्थी सींचपालों की प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार वर्ष 1986 में लिया गया था ।

5 रुपये का पोस्टल आर्डर परीक्षा आदि के व्यय स्वरूप लिया गया था ।

616 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे । परीक्षाफल घोषित होने से पहले ही प्रादेशिक अध्यक्ष, सिंचाई कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के द्वारा सींचपालों के पदों पर केवल कार्य प्रभारित कर्मचारियों को खपाने हेतु अनुरोध करने पर प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा आदेश दिये गये कि अभ्यर्थियों के चयन को स्थगित रखा जाये । परीक्षाफल यथाशीघ्र घोषित कर दिया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियों को निरस्त करने की अवधि

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को निरस्त करने हेतु दिए गये आवेदनों पर कितने समय में संबंधित अधिकारी को समुचित निर्णय लेकर कर्मचारी को अवगत करा दिया जाना चाहिए ? क्या इसका पालन राजकीय मुद्रणालय रामनगर वाराणसी में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियमानुसार प्रतिकूल प्रविष्टियों को निरस्त करने हेतु दिए गये प्रत्यावेदनों को 3 माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाना चाहिये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल स्थित बौर तथा हरिपुरा जलाशय द्वारा जनपद रामपुर आदि स्थानों को सुविधा की मांग

45–श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में स्थित बौर तथा हरिपुरा जलाशय द्वारा जनपद रामपुर तथा नैनीताल का कितना-कितना क्षेत्रफल, परियोजना के निर्माण के समय लाभावित किया जाना प्रस्तावित था तथा पिछले पांच वर्ष में दोनों जनपदों के कितने-कितने क्षेत्रफल की सिंचाई इस परियोजना से घोषित सिंचन संकर्मों द्वारा की गई ? जनपद रामपुर की सिंचाई आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हुए जनपद नैनीताल को इन परियोजनाओं से अधिक लाभान्वित क्यों किया गया ? क्या मंत्री जी तत्काल जिला रामपुर के सिंचन संकर्मों को इन जलाशयों से अधिक पानी उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जिला नैनीताल में स्थित बौर तथा हरिपुरा जलाशय द्वारा जनपद रामपुर तथा नैनीताल का निम्न क्षेत्रफल परियोजना निर्माण के समय लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित

(अ) हरिपुरा से

नैनीताल	खरीफ	रबी	योग
	5760	480	6240
रामपुर	10120	3630	13750
कुल योग (हे0 में) ..	15880	4110	19990
(ब) बौर से			
नैनीताल	3650	300	3950
रामपुर	11580	3360	14940
कुल योग (हे0 में) ..	15230	3660	18890

पिछले पांच वर्षों में दोनों जनपदों के जो क्षेत्रफल की सिंचाई उपरोक्त परियोजनाओं से घोषित सिंचन संकर्मों द्वारा की गई, वह संलग्न तालिका–1 में दी गई है।

जनपद रामपुर की सिंचाई आवश्यकताओं को नजरअन्दाज करके जनपद नैनीताल को, इन परियोजनाओं से अधिक लाभान्वित नहीं पानी की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर पानी दिया जाता है । अतः आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध करवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये तत्थी 'स' आगे पृष्ठ 194 पर)

46–श्री जयदीप सिंह बरार—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जिलापूर्ति अधिकारी इटावा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

47—श्री आसान सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22 मार्च, 1988 तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी इटावा के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रश्न में संदर्भित विषय पर प्रश्नकर्ता का दिनांक 22 मार्च, 1988 का पत्र नहीं प्राप्त हुआ अपितु उक्त विषय पर उनका 29 मार्च, 1988 का पत्र प्राप्त हुआ जिसकी

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इटावा प्रखण्ड के कुरसेन्डा राजवाहा गयी ।

48—डा0 दिनेश जौहरी—

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अभियन्ता तृतीय, मुनाखांड़ बांध प्रखण्ड वाराणसी द्वारा फर्जी नामों व मस्टर रोल बनाकर किये गये भुगतान की जांच

49—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता तृतीय, मुनाखांड बांध प्रखंड वाराणसी द्वारा वर्ष 1988-89 के माह जुलाई में वाराणसी जनपद की धानापुर चहनिया तथा सकलडीहा विकास खण्ड की लगभग सभी ड्रेनों पर बिना कार्य कराये फर्जी नाम व पते का मस्टर रोल बनाकर सूखा राहत के अन्तर्गत चौदह लाख रुपये का भुगतान अधिशासी अभियन्ता की मिली भगत से करा लिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में पूर्व में ही श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष युवा जनता पार्टी वाराणसी एवं क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों तथा जनपद वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारियों तथा मा0 सिंचाई मंत्री को टेलीग्राम एवं प्रार्थना-पत्र द्वारा अनुरोध किया गया था कि उक्त सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र की समस्त ड्रेनों का भुगतान कार्य एवं मस्टर रोल की जांच के बाद ही किया जाय ? क्या मंत्री जी उपरोक्त फर्जी भुगतानों की समयबद्ध जांच कराकर वास्तविकता से अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

यह सही नहीं है ।

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6222/सी-24, दि0 19-7-88 द्वारा जांच समिति का गठन कराकर जांच कराई गई । जांचोपरांत प्रथम दृष्टया सिद्ध पाई गई गई अनियमितताओं से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगकर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रथम उपखण्ड सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर में दो अवर अभियन्ताओं को कार्य सम्पादन में पुनः लगाये जाने का कारण

50–श्री राजकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम उपखण्ड सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर में दो अवर अभियंता महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में लगाये गये हैं जबकि दोनों अवर अभियंताओं के विरुद्ध शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद एवं सिंचाई खण्ड जौनपुर से संबंधित गम्भीर अनियमितताओं की जांच चल रही है? यदि हां, तो इन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में पुनः लगाये जाने के क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि दोनों अवर अभियंताओं के विरुद्ध राजकीय धन की वसूली के आदेश संबंधित उपरोक्त खण्डों द्वारा किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी राजकीय धनराशि की वसूली हो चुकी है ? यदि वसूली प्रारम्भ नहीं की गयी है, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

शारदा सहायक खण्ड–39, इलाहाबाद में दो अवर अभियन्ताओं श्री राम हंस मौर्या व श्री कैलास शंकर सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर में स्थानान्तरण पर आये थे । यह दोनों अवर अभियन्ता उक्त खण्ड के प्रथम उपखण्ड के अन्तर्गत नहरों के रख-रखाव तथा छोटे-छोटे निर्माण सम्बन्धित कार्यों पर कार्यरत हैं इनको किसी महत्वपूर्ण कार्य पर नहीं लगाया गया है । शारदा सहायक खण्ड–39, इलाहाबाद में श्री राम हंस मौर्या, अवर अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच में इन्हें दोषी नहीं पाया गया है । सिंचाई खण्ड, जौनपुर में श्री कैलाश शंकर, अवर अभियन्ता, के विरुद्ध विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत विचलन तथा स्टाक सामग्रियों के निर्गमन के अन्तर के कारण रु0 1,18,411·26 पैसे केवल अग्रिम प्रकीर्ण डाला गया था। प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के आदेश अभी होने शेष हैं । अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है । वसूली के आदेश हो जाने पर वसूली प्रारम्भ की जायेगी ।

उ0 प्र0 शासन लखनऊ के अवर अभियन्ता विद्युत के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

51–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विद्युत निरीक्षक उ0 प्र0 शासन लखनऊ के यहां अवर अभियंता विद्युत के कितने पद रिक्त हैं ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इन पदों पर तदर्थ नियुक्ति किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता सहित अन्य विधायकों के पत्र शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

विद्युत निरीक्षणालय जिसका नाम अब विद्युत सुरक्षा निदेशालय हो गया है, के अधीनस्थ विद्युत अवर अभियंताओं के 26 पद रिक्त हैं जिनमें से 17 पद नियमित रूप से तथा 9 पद स्थानापन्न रूप से (विद्युत परिवेक्षक के पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियों के कारण) रिक्त है ।

जी हां । अब वर्तमान में अधीनस्थ सेवा आयोग गठित हो जाने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पदों पर नियमित चयन कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

विद्युत अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

52–ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विद्युत निरीक्षक उ0 प्र0 शासन ने अपने पत्रांक सं0–6 दिनांक 3-4-87 के द्वारा कौन-कौन से मुद्दे शासन के समक्ष उठाये थे और उन पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र सं0 6 दिनांक 3-4-87 के अन्तर्गत विद्युत अवर अभियंताओं के उपरोक्त 26 रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । इस प्रस्ताव पर उक्त प्रश्न सं0 51 के उत्तर में यह स्थिति उपरोक्तानुसार पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

53–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र 1987 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के संदर्भ में जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं तथा दोषी अवर अभियंता के विरुद्ध शासन ने आज तक क्या कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जांच रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद गाजीपुर में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग

54–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्ड–कासिमाबाद, बाराचवर, मरदह एवं विरनो में वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1988 (अक्तूबर) तक किन-किन गांवों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हेतु चुनाव किया गया तथा किन-किन गांवों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया तथा किन-किन का विद्युतीकरण किया जाना अवशेष है ? क्या उन शेष गांवों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण शीघ्र ही कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

शेष गांवों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्च 1989 तक कर दिये जाने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 198 पर)

मुजफ्फर नगर खण्ड गंगा नहर के अधिशासी अभियंता से सम्बन्धित हरिद्वार प्रेस से श्री शलेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

55–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर खण्ड गगा नहर के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गिरि से संबंधित हरिद्वार प्रेस से मुद्रित दिनांक 25-6-88 का श्री शैलेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट (अपील) शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत मामले में श्री शैलेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट तो नहीं परन्तु श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा प्रकाशित दिनांक 25-6-1988 का पम्पलेट (अपील) प्राप्त हुआ है।

इस पैम्पलेट में जो शिकायतें अंकित हैं, उनकी जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के लिए शासन के सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक को निर्देश दे दिया गया ।

नगर बस्तिया, रसड़ा बिल्थरा एवं सिकन्दरपुर में बिजली की चोरी

56–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई को कब भेजी गयी ? इस अप्रत्याशित विलम्ब का क्या कारण है ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जांच उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई को परिषद् द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1988 को भेजी गई । शिकायती पत्र परिषद् में माह अक्टूबर, 1987 में प्राप्त हुआ था । शिकायत पर राज्य विद्युत परिषद् स्तर पर परीक्षण किया गया तदुपरान्त परिषद् द्वारा आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर परिषद् की सतर्कता इकाई को प्रेषित किया गया ।

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य करनपुर के अन्तर्गत कानपुर, इटावा, भोगनीपुर प्रखण्डों की सिल्ट सफाई में धन को फर्जी रूप से खर्च दिखाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

57–श्री आंसान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य करनपुर के अन्तर्गत कानपुर, इटावा, भोगनीपुर प्रखण्डों की सिल्ट सफाई हेतु कितना-कितना धन सूखा राहत योजना द्वारा आवंटित किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस धन को फर्जी रूप से खर्च करना दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1988-89 में द्वितीय मंडल सिंचाई कार्य, कानपुर के अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रखण्डों को सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा प्रखण्ड के सिल्ट सफाई में व्यय हुआ धन तथा फर्जी कार्यों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

58–श्री आंसान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इटावा प्रखण्ड के कुरसेन्डा राजबाहा को सिल्ट सफाई में विगत वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कुल कितना धन खर्च दिखाया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि सिल्ट सफाई कार्य फर्जी किया गया है और इसी कारण राजबाहा की टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । इटावा प्रखण्ड के कुरसेंडा राजबाहा पर सिल्ट सफाई में विगत वर्षों में निम्न व्यय हुआ है :–

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
1983-84	रु0 76,969.00
1984-85	रु0 76,045.00
1985-86	रु0 1,07,224.00
1986-87	रु0 97,830.00

कोई फर्जी सिल्ट सफाई नहीं की गई है । राजबाहा कुरसेंडा की टेल तक पानी न पहुंचने का कारण इसकी पैतृक चैनल गांगसी के हेड रीच में पानी की मांग अधिक होना है । अतः राजबहा कुरसेंडा में पानी की कमी होना स्वाभाविक है ।

कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता।

राजबाहा इटावा प्रखण्ड इटावा के टेल सारिका से शीशम के वृक्ष की चोरी को विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

59–श्री आंसान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि कोठीपुर राजबाहा इटावा प्रखण्ड इटावा की टेल पर एक लाख मूल्य के शीशम के वृक्ष दिनांक 5-1-88 को चोरी से काट लिये गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

चार वृक्ष शीशम के राजबहा कोठीपुर इटावा प्रखंड के टेल सारिजा से सर्वश्री रामसेवक पुत्र निन्हू व विश्राम सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम चिरहिलिया, चोरी से कटवाकर दिनांक 9/10-1-88 की रात्रि में उठाकर ले गये । इस संबंध में दोषी उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन फफूंद जनपद इटावा में दिनांक 10-1-88 को दर्ज करा दी गयी थी ।

दोषी व्यक्ति श्री रामसेवक पुत्र श्री निन्हू व श्री विश्राम सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम चिरहिलिया के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ।

सिंचाई खण्ड बरेली के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में अप्सरा नदी पर पुलों का निर्माण

60–डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड बरेली के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में अप्सरा नदी के ऊपर बनाए गए पुलों के निर्माण कार्य का पूरा भुगतान निर्माण के 7 वर्ष उपरान्त भी अभी तक ठेकेदारों को नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी ठेकेदारों को उक्त पुलों के निर्माण का भुगतान तुरन्त दिलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सिंचाई खण्ड, बरेली के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में अप्सरा नदी के ऊपर बनाये गये पुलों के निर्माण का कोई भुगतान शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 नलकूप निगम लि0 द्वारा अवर अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स) के पदों पर नियुक्ति की मांग

61–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम लि0 द्वारा जनवरी, 1987 में अवर अभियन्ता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स) के कितने रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे एवं इन पदों हेतु कुल कितने आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक प्राप्त हुए ? इनमें से कुल कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा किन-किन अभ्यर्थियों को चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र अब तक जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[देखें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गढ़वाल जनपद के नये टिहरी नगर में रियायती दरों पर भवन निर्माण

63–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित टिहरी बांध से विस्थापित टिहरी नगर से पुनर्वासित होने वाले परिवारों को नई टिहरी में भवन बनाने हेतु कोई वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी क्या रूप रेखा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

टिहरी नगर के भवन स्वामियों को नियमानुसार बाजार दर पर प्रतिकर तथा अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है एवं नये टिहरी नगर में रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वित्तीय सहायता दिये जाने की कोई भी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

टिहरी नगर के भवनों को प्रस्तावित बांध के डूब जाने से क्षति तथा भवनों का मूल्यांकन

64–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि टिहरी नगर जो कि सम्पूर्ण रूप से प्रस्तावित बांध में डूब जायेगा, में भवनों का मूल्यांकन तथा नई टिहरी में नये भवनों के निर्माण के मूल्यांकन में कोई सामंजस्य है? यदि नहीं, तो नई टिहरी में निर्माण होने वाले भवनों में जो अधिक धनराशि वांछित होगी उसकी पूर्ति करने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो पुनर्वासित होने वाले परिवारों को यह धनराशि कहां से मिलेगी? इस सम्बन्ध में शासन की क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

टिहरी नगर के भवन जो बांध निर्माण के फलस्वरूप सम्पूर्ण रूप से डूब जायेंगे, उनका मूल्यांकन वर्तमान दरों पर अथवा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 की तिथि को प्रचलित बाजार दरों पर किया जा रहा है। नये टिहरी नगर में जो भवन बनाये जा रहे हैं वह भी वर्तमान दरों पर है। टिहरी नगर में मूल्यांकन किये गये भवनों में रु0 20,000/- तक की धनराशि का अवमूल्यांकन का भुगतान अनुग्रह अनुदान के रूप में किया जाता है। भवनों के मूल्यांकन में सामंजस्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित टिहरी बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र प्रभावित गांव को देय सुविधाएं

65–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित टिहरी बांध से भेलगना नदी के बाईं ओर स्थित गांव जिनमें उठप, पिपोला, नन्द गांव, बडकोट, गडोलिया, सरकण्डा आदि अन्य छोटे-छोटे गांवों सहित कितने गांव टिहरी बांध निर्माण से पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आते हैं? क्या मंत्री जी को विदित है भिलगना नदी के बाईं ओर स्थित सभी गांव बहुत तीखी ढाल पर बसे हुये हैं? क्या बांध के निर्माण से उक्त गांवों की सिंचित भूमि सम्पूर्ण रूप से जल मग्न हो जायेगी? यदि

हां, तो क्या उक्त गांवों को सम्पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र प्रभावित मानकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

भिलगना घाटी से स्थित ग्रामों में से 5 ग्राम पूर्णरूप से तथा 22 ग्राम आंशिक रूप से बांध से प्रभावित होंगे। भिलगना घाटी के अधिकांश गांव तीखी ढाल पर हैं, जिनकी सिंचित भूमि डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। शासन की नीति के अनुसार जिन ग्रामों के विस्थापित परिवारों की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि डूब से प्रभावित होगी उन्हें पूर्ण डूब के विस्थापित परिवारों की भांति सुविधायें देय हैं। यही नीति इन गांवों के लिये भी अपनाई जायेगी।

टिहरी नगर के गांवों के विस्थापित परिवारों के पालन-पोषण तथा पुनर्वासित करने की मांग

66—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी को विदित है कि भिलगना नदी के बाईं ओर बसे हुए उक्त गांवों के लोग अपने परिवारों का पालन-पोषण करने हेतु आंशिक रूप से टिहरी नगर पर आश्रित हैं, जहां वे लोग अपने खेतों की उपजे तथा दूध का व्यापार व मजदूरी करते हैं? यदि हां, तो क्या टिहरी नगर के विस्थापित होने के साथ-साथ उक्त गांवों को विस्थापित हुआ मान कर पुनर्वासित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन की नीति के अनुसार जिनकी जमीन 50 प्रतिशत से अधिक डूब क्षेत्र एवं प्रभावित क्षेत्र में आ रही है, उन्हीं परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है। भिलगना घाटी के जो परिवार उक्त नीति के अनुसार विस्थापित होंगे, उन्हीं परिवारों को पुनर्वासित किया जायेगा।

67—श्री अवधेश प्रसाद—

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम के लखनऊ स्थित सीमेन्ट डम्प में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

68—श्री भगौती सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम के लखनऊ स्थित सीमेन्ट डम्प में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से निगम को हो रहे लाखों रुपयों के घाटे के सम्बन्ध में दिनांक 19-10-1987 को प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-10-1987 प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में मामले की जांच की गई थी परन्तु पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम के अन्तर्गत निर्मित के0 जी0 बांध तथा रेगुलेटर बनाने के आदेश

69–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम के अन्तर्गत के0 जी0 बांध बाढ़ के बचाव के लिये बनाया गया है जिसमें बरसाती पानी निकलने हेतु स्थान-स्थान पर रेगुलेटर बनाया गया है जिसमें रतखावा (रमवापुर) में जो रेगुलेटर है उसकी सफाई कई वर्ष से न होने के कारण पटखोली खरवरा, विशुनपुर, पीकारार, नरकरहा इत्यादि के खेतों में पानी भरा रहता है?, यदि हां, तो प्रश्नगत रेगुलेटर की सफाई न होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी रेगुलेटर की नियमित सफाई व्यवस्था हेतु आदेश देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

रतखांवा (रमवापुर) में रेगुलेटर के0 जी0 बांध के कि0मी0 29,70·00 पर स्थित है । रेगुलेटर की सफाई प्रति वर्ष होती है तथा वर्तमान में रेगुलेटर साफ है । परन्तु रेगुलेटर के ऊपर व नीचे नाले में जमुआर के जंगल होने के कारण पानी अवरुद्ध होता है । नाले की सफाई वर्षा से पूर्व कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रेगुलेटर की नियमित सफाई होती है ।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बाढ़ के पानी से फसल को बचाने हेतु रेगुलेटर बनाने के आदेश

70–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्राम तरधौना तथा लोटन के सिवान (क्षेत्र) में एक नाली जिसे स्थानीय भाषा में खड़ियवा कहते हैं जो तरधौना करमी आदि के बरसाती पानी को घोघी नदी में समेट कर ले जाती है. में घोघी नदी के बाढ़ का पानी उल्टी दिशा में तरधौना करमी-करमा, शिवपुर एकडेगवा इत्यादि गांवों में भर जाता है जिससे प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित गांवों के फसल की बरबादी होती है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्राकृतिक नाली में घोघी नदी के बाढ़ के पानी से फसल को बचाने हेतु रेगुलेटर बनाने का आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । ग्राम तरधौना तथा लोटन के सीवान में एक खड़ियवा नाली बरसाती पानी को घोघी नदी तक ले जाती है। जब घोघी नदी में अधिक बाढ़ आती है उस समय बाढ़ का जल न केवल उक्त खड़ियवा नाले के द्वारा अपितु ऊपर की ओर स्थित अन्य नालों, जिसमें हमनी नाला भी है, से तरधौना करमी, करमा, विशुनपुर, एकडेगवा इत्यादि ग्रामों में भर जाता है जिससे सम्बन्धित ग्रामों की फसल कुप्रभावित होती है । केवल खड़ियवा नाले पर रेगुलेटर बनाने से प्रश्नगत ग्रामों की फसल को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

समस्या के निदान के लिये विस्तृत सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं ।

राप्ती नदी के बांये तट पर ग्राम सोनकर एवं हाटा के बीच सोनखर टोंढ़या बांध एवं भंवारी बांध का निर्माण कार्य

71–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के डुमेनेज खण्ड प्रथम के क्षेत्र में राप्ती नदी के बांये तट पर सोनखर हाटा, हाटा अमरियां रीवा गायघाट-अजगरा बांध एवं बूढ़ी राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर ककरही गोहना बांध का निर्माण कार्य किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि राप्ती के बांये तट पर अजगरा के बनगहिया होकर नटवा ताल गांव तक एवं बूढ़ी राप्ती के दायें किनारे पर ककरही गोहना बांध को पूरा करते हुए नटवाताल गांव तक निर्माण न होने से राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती के बीच के लगभग 50 गांवों में बाढ़ का पानी भर जाता है और अभी तक निर्माण किये गये बांधों का उद्देश्य पूरा नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अजगरा से नटवाताल तक तथा ककरही गोनहा बांध को नटवाताल तक निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, राप्ती नदी के बांये तट पर ग्राम सोनखर एवं हाटा के बीच सोनखर-टोंढ़या बांध एवं भंवारा अजमागढ़ बांध का निर्माण किया गया है तथा आजमगढ़-हाटा बांध पर आंशिक कार्य कराया गया है । ग्राम हाटा एवं अजगरा के गांव हाटा-अवरिया-रीवा नानकार बांध पर आंशिक कार्य कराया गया है । रीवा-गायघाट एवं गायघाट अजगरा जमींदारी बांध है जो बाढ़ रोकने के लिये अपर्याप्त है इसी प्रकार बूढ़ी राप्ती नदी के दांये तट पर ककरही-गोनहा बांध का निर्माण किया गया है तथा तिलडिहवा-फत्तेपुर बांध पर आंशिक कार्य कराया गया है । जी हां, राप्ती नदी के बांये तट पर ग्राम अजगरा से बगहिया होकर नटवाताल तक तथा बूढ़ी राप्ती नदी के दाये तट पर ग्राम फत्तेपुर से नटवाताल तक बांध का निर्माण न होने तथा राप्ती नदी के बांये तट पर ग्राम अजमागढ़ से अजगरा तक बांध का निर्माण अधूरा होने एवं बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर ग्राम फतेपुर में बांध के अधूरा होने के कारण राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती के बीच लगभग 50 गांवों में पानी भर जाता है । जी हां, राप्ती नदी के बाये तट पर अजमागढ़ हटा एवं हाटा-अवरिया-रीवा-नानपार बांध तथा बूढ़ी राप्ती नदी के दाये तट पर तिलडिहवा-फत्तेपुर बांध का निर्माण अधूरा होने के कारण निर्मित बांधों का उद्देश्य आंशिक रूप में ही पूरा हुआ है ।

बूढ़ी राप्ती व राप्ती नदी के बस्ती जनपद में स्थित दोआब को बाढ़ से बचाने हेतु ओवर आल प्लान (वृहद् प्लान) तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार परियोजना साध्य होने पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् तथा धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से अनुमोदित अभ्यर्थी को विभाग द्वारा चयनित न करने के विरुद्ध कार्यवाही

72–श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 1978

में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा 3300 सिविल अवर अभियन्ताओं के पदों हेतु विज्ञापन के विरुद्ध वर्ष 1982 की लोक सेवा आयोग की प्रथम सूची में 2016 तथा द्वितीय सूची में लगभग 400 अवर अभियंताओं को चयन किया गया है ? यदि हां, तो द्वितीय सूची में उल्लिखित उन सिविल अवर अभियन्ताओं जो कि विभाग में एक लम्बी अवधि से तदर्थ रूप में कार्यरत हैं का अनुमोदन विभाग द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी को विभाग द्वारा चयनित न कर 1982 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं में चयन किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां । वर्ष 1982 की प्रथम सूची में 2016 तथा द्वितीय सूची में 439 अवर अभियन्ता पद हेतु चयन किया गया था विभाग को उस समय आवश्यकता न होने के कारण द्वितीय (प्रतीक्षा) सूची से किसी को नहीं लिया गया । विभाग में लम्बी अवधि से तदर्थ रूप से कार्यरत अवर अभियन्ताओं में से दिनांक 1-1-77 के पूर्व कार्यरत में से लगभग 314 का तथा 1-5-83 के पूर्व से कार्यरत में से 720 को संबंधित विनियमितीकरण नियमावलियों के अनुसार विनियमितीकरण किया गया ।

शेष लगभग 30 अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रगति में है ।

वर्ष 1982 के बाद टिहरी डूब क्षेत्र के विस्थापितों/आश्रितों के कुल 48 व्यक्तियों को अवर अभियन्ता (सिविल) पर तदर्थ नियुक्ति दी गयी थी जिसमें से दिनांक 1-5-83 से पूर्व कार्यरत 5 अवर अभियन्ताओं का विनियमितीकरण नियमानुसार किया गया । कोई अनियमितता नहीं की गई । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रश्न नहीं उठता है ।

ज्ञानपुर (वाराणसी) नहर परियोजना हण्डिया (इलाहाबाद) के निर्माणाधीन कार्य की पूर्ति अवधि

73—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सरकार को जानकारी है कि ज्ञानपुर (वाराणसी) नहर परियोजना हण्डिया (इलाहाबाद) पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य पूरा होने में अभी कितने दिन और लगेंगे और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

समुचित धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध होने पर यह कार्य वर्ष 1990–91 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है ।

ग्राम दिग्विजयपुर, विकास खण्ड बीधापुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के नलकूप नम्बर पी0 बी0 29 की स्थापना तथा निर्माण कार्य

74—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम त्रिलोकपुर विकास खण्ड बीधापुर तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में पी0 बी0 19 तथा ग्राम दिग्विजयपुर विकास खण्ड बीधापुर तहसील

पुरवा जिला उन्नाव के नलकूप नम्बर पी0 जी0 29 की स्थापना कब हुई और इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और उनकी किस मद में कितना-कितना रुपया अलग-अलग व्यय हुआ और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन नलकूपों का स्थानान्तरण मोटिनेंस विभाग को कब किया गया ? क्या इन दोनों नलकूपों को चलाने के लिए क्रमशः रज्जन प्रसाद तथा धन्नू लाल की नियुक्ति नलकूप चालक के रूप में की गई थी ? यदि हां, तो इनका वेतन कब से नहीं अदा किया गया है और कब तक उनके वेतन का भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

राजकीय नलकूप संख्या–19 पी0 जी0 ग्राम त्रिलोकपुर तथा 29 पी0 जी0 ग्राम दिग्विजयपुर, विकास खण्ड बीघापुर, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव का निर्माण कार्य क्रमशः वर्ष 1982 व 1983 में प्रारम्भ कर निर्माण कार्य क्रमशः माह 6/87 एवं 7/87 में पूर्ण होने के पश्चात मेन्टीनेन्स खण्ड को दोनों नलकूप क्रमशः माह 6/87 एवं 7/87 में स्थानान्तरित किये गये तथा राजकीय नलकूप संख्या–19 पी0 जी0 एवं 29 पी0 जी0 पर क्रमशः रु0 2.89 लाख एवं 5.59 लाख अलग-अलग व्यय हुआ ।

जी हां, अंशकालीन नलकूप चालकों के रूप में ।

दोनों अंशकालीन नलकूप चालकों के वेतन की कोई धनराशि उन्हें भुगतान किए जाने हेतु शेष नहीं है ।

उन्नाव ब्रांच नहर से निकलने वाले पाटन रजबहा से सिंचाई के लिए पानी न मिलने के संबंध में शिकायती-पत्र

75–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि अभिशासी अभियन्ता उन्नाव ब्रांच, शारदा नहर उन्नाव को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-10-88 के साथ ग्राम प्रधान भैरमपुर विकास खण्ड बीघापुर तथा उसी ग्राम के निवासियों के हस्ताक्षर युक्त कोई ऐसा शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उन्नाव ब्रांच नहर से निकलने वाले पाटन रजबहा से सिंचाई के लिए पानी न मिलने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इन कृषकों को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि नहर उन्नाव ब्रांच तथा पाटन रजबहा में पानी पर्याप्त मात्रा में न पहुंचने के क्या कारण है और उनके दूर करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-10-88 के साथ संलग्न शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान एवं अन्य काश्तकारों द्वारा माननीय विधायक जी से ग्राम भैरमपुर, विकास खण्ड बीघापुर में सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत की मांग की गई है ।

कृषकों को इस नहर प्रणाली से पूर्ववत् पिछले 10 वर्षों से जितना पानी मिलता रहा है लगभग वही स्थिति वर्तमान में भी है । कोई नवीन व्यवस्था विचाराधीन नहीं है ।

उन्नाव शाखा जिसकी अधिकृत क्षमता 500 क्यूसेक्स है, हेड पर सिल्ट की अत्यधिक मात्रा आ जाने के कारण, केवल 400 क्यूसेक्स जल की मात्रा ही ले पाती है जिसके

कारण उन्नाव शाखा एवं पाटन राजबहा पर पानी की उपलब्धता कम है । उन्नाव शाखा के शीर्ष पर, पूर्ण क्षमता से जल प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नहर के आन्तरिक भाग को ठीक करवाया जा रहा है ।

बस्ती जिले के जमींदारी सिस्टम की नहरों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

76–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जमींदारी सिस्टम की नहरों की मरम्मत हेतु मिट्टी के कार्य के लिए सूखा राहत से धन देने का निर्देश मुख्य मंत्री ने 3-12-87 को गोरखपुर की मण्डलीय बैठक में दिया था ? यदि हां, तो बड़पुर जमींदारी सिस्टम की नहरों की मरम्मत हेतु ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती को धन कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो ऐसे जनहित के कार्य (सिंचाई) के लिए धन उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

विभागीय बजट (सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत) से तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 में आवश्यक धनराशि आवंटित कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओबरा विद्युत गृह में स्थापित तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयां

77–श्री धनराज यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में ओबरा में 5 थर्मल टरबाइनस विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित किए गए हैं जहां प्रति टरबाइन 200 कि0 वा0 बिजली बनती थी, किन्तु कभी भी पांचों इकाइयां पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन नहीं कर सकीं ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में सन् 1988 में बिना अतिरिक्त उपकरण लगाए बिजली पावर स्टेशन की क्षमता के अनुसार प्रति टरबाइन 200 कि0 वा0 बिजली पैदा हो रही है जिसकी खपत विद्युत विभाग नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करके नया प्लान्ट लगाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां । ओबरा "ब" विद्युत गृह में पांच तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं, जिसमें से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है न कि 200 किलोवाट ।

उपरोक्त सभी इकाइयां वर्तमान में पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रही हैं । जी हां । कोल हैण्डलिंग प्लान्ट में विशेष रख-रखाव एवं सुधार करने के फलस्वरूप उपरोक्त इकाइयों द्वारा पूर्ण क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और उत्पादित विद्युत की पूर्ण रूप से खपत विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है ।

ओबरा तापीय परियोजना हेतु उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता में गिरावट के कारण वश तथा 200 मेगावाट की पांचों इकाइयों द्वारा पूर्ण क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन

करने हेतु वांछित कोयले की मांग को निरन्तर तीनो पालियो म सुनिश्चित करन हेतु एक अतिरिक्त कोयला संयत्र लगाया जा रहा है जिसकी लागत 55 करोड़ रुपए है :

वर्तमान कोयला संयंत्र द्वारा तीनों पालियों में आवश्यक कोयले की मांग को पूरा करने के लिए निरन्तर चलाना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उसका उचित अनुरक्षण सम्भव नहीं हो पाता । नया कोयला संयंत्र लगने पर भविष्य में उपरोक्त इकाइयों द्वारा पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन हेतु वांछित कोयले की आपूर्ति सम्भव हो सकेगी ।

बस्ती जिले में राप्ती नदी के बाढ़ से बचाने हेतु बांध बनाने की मांग

78—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के बाढ से बचाव के लिये बांसी डुमरियागंज के बीच में नदी के दोनों किनारे बन्धा बनाया गया है किन्तु शाहपुर के पश्चिम उत्तर की तरफ गोण्डा जिले की सीमा तक बांध न बनने से बिसकोहर के आस पास राप्ती नदी के बाढ़ का पानी बूढ़ी राप्ती में आ जाता है जिसके कारण मुहचुरवा घाट से नढ़वा ताल (उसका के आस पास) तक लगभग 400 गांव प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ से तबाह होते रहते हैं, जबकि तबाह होने वाले 400 गांवों की सुरक्षा के लिए लखना पार बर्दौली उस्का लखनापार, बांसी-सोनवर इत्यादि अनेक बांधों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या अभी तक करोड़ों रुपए के बने बंधे को उपयोगी बनाने हेतु तथा इस क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने हेतु बस्ती गोण्डा की सीमा पर राप्ती नदी के बायें तट पर बांध बनाने की स्वीकृति देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

राप्ती नदी के बायें तट पर शाहपुर से गोण्डा जिले की सीमा तक तटबन्ध न होने से नदी का पानी परासी नाले व फजिहतवा नाले में प्रवाहित होकर नालों के आस-पास व नीचे की ओर राप्ती व बूढ़ी राप्ती के दोआब को जलमग्न करता है । जिससे लगभग 400 गांव प्रभावित होते हैं ।

बैदोला-लखनापार व उस्का-लखनापार बांध बूढ़ी राप्ती नदी के बायें तट पर निर्माणाधीन है, जो बायें तरफ के क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेगा । जबकि नरकटहा-सोनवर बांध (बांसी से सोनवर तक) नरकटहा एवं सोनवर ग्रामों को सुरक्षा प्रदान करता है ।

बूढ़ी राप्ती एवं राप्ती नदी के सम्पूर्ण दोआब की सुरक्षा हेतु एक वृहद् प्लान तैयार करने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है जिसके आधार पर योजना तैयार की जायेगी । तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदनोपरान्त धन उपलब्धि के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले में आवंटित की गयी लेवी सीमेन्ट का वितरण

79—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में जनवरी, 1988 से जून, 1988 के छः त्रैमास में कितनी लेवी सीमेन्ट आवंटित की गई और इस आवंटित

लेवी सीमेन्ट में से जून, 1988 तक कितनी सीमेन्ट जिले को प्राप्त हुई ? क्या यह सही है कि वर्ष 1987 के अंतिम त्रैमास के लिए आवंटित लेवी सीमेंट का कुछ अंश जून, 1988 में जिला को उपलब्ध कराया गया ? सीमेंट जो आवंटित होती है वह जिले को नहीं मिल पाती इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

सीतापुर जिले के प्रथम त्रैमास 88 में 1500 मी0 टन तथा द्वितीय त्रैमास 88 में 1100 मी0 टन । इस प्रकार जनवरी, 1988 से जून, 1988 तक कुल 2600 मी0 टन लेवी सीमेन्ट आवंटित की गयी परन्तु उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध जिले को जून, 88 तक लेवी सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं हो पायी क्योंकि प्रथम त्रैमास (जनवरी-मार्च) 88 की वैधतावधि दिनांक 25 मार्च, 88 से 7 नवम्बर, 1988 तक तथा द्वितीय त्रैमास (अप्रैल-जून) 88 की वैधतावधि दिनांक 8 जून, 88 से 31 जनवरी, 1989 तक होने के कारण उक्त आवंटन के विरुद्ध उठान 31 जनवरी, 1989 तक होती रही, तथा प्रथम त्रैमास के आवंटन के विरुद्ध अब तक 1464.85 मी0 टन तथा द्वितीय त्रैमास के विरुद्ध कुल 665.30 मी0 टन लेवी सीमेन्ट जिले को प्राप्त हो चुकी है ।

जी हां । क्योंकि चतुर्थ त्रैमास (अक्टूबर-दिसम्बर) 87 की वैधतावधि दिनांक 23-11-87 से 19-8-88 तक थी ।

सीमेंट आवंटन के अनुरूप जिले को मिलने में इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि कभी फैक्ट्रियों द्वारा अपनी आन्तरिक समस्याओं के कारण निर्धारित आपूर्ति नहीं की जाती है और कभी जिले के लाइसेन्सियों द्वारा समय से पैसा नहीं जमा किया जाता है । वर्ष के कुछ महीनों में लेवी तथा नान लेवी सीमेंट के दामों में अन्तर समाप्त हो जाने के कारण लेवी सीमेंट की मांग कम हो जाती है ।

80–श्री मैनेजर सिंह–

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 स0 84 द्वारा उत्तरित]

श्री मथुरा प्रसाद तिवारी, अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उप खण्ड फैजाबाद का निरस्त किया गया स्थानान्तरण आदेश

81–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम अधिवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–130 के सन्दर्भ में श्री मथुरा प्रसाद तिवारी अवर अभियंता ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड फैजाबाद का स्थानान्तरण आदेश मुख्य अभियंता (जल विद्युत) के पत्र संख्या 1938 इ-11/2 बी-144 एस दिनांक 30-5-88 को निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो दिनांक 12-7-88 को कार्यमुक्त किये जाने के बाद भी किसकी संस्तुति पर इनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया तथा पुनः इन्हें कब कार्य भार सौंपा गया ? क्या यह सही है कि यह अपने गृह जनपद और गृह विकास खण्ड में ही नियमों के विपरीत विगत कई वर्षों से कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री तिवारी जी का स्थानान्तरण आदेश मानवीय आधार पर निरस्त किया गया ।

यह सत्य है कि श्री मथुरा प्रसाद तिवारी अपने गृह जनपद में तैनात हैं परन्तु अपने गृह विकास खण्ड में नहीं । इनकी पारिवारिक समस्याओं को मानवीय आधार पर दृष्टिगत करते हुए विशेष परिस्थितियों में श्री तिवारी को वितरण खण्ड, फैजाबाद से स्थानान्तरित करके, परिषण संगठन, फैजाबाद से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अवर अभियंता श्री एस0 एन0 द्विवेदी के विरुद्ध श्री जमुना सिंह के पत्र पर कार्यवाही

82–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–92 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टीमेट के अनुसार उपभोक्ता द्वारा 175 मी0 लाइन हेतु निर्धारित धनराशि सरकारी कोष में जमा करायी गयी अथवा वास्तविक रूप से बनी मात्र 55 मी0 लाइन के लिए ही धनराशि जमा करायी गयी ? यदि 175 मीटर के लिए जमा कराई गयी तो इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

लाइन 60 मीटर प्रति अश्व शक्ति तक छूट की सीमा तक छूट होने के कारण लाईन खर्च अलग से नहीं जमा कराया गया । केवल निर्धारित सर्विस कनेक्शन चार्जेज (फिक्सड) एवं सिक्योरिटी ही जमा करायी गयी ।

उपभोक्ता से 175 मीटर लाइन हेतु कोई भी धनराशि नहीं जमा करायी गई परन्तु त्रुटिपूर्ण इस्टीमेट बनाये जाने हेतु दोषी अवर अभियन्ता को चेतावनी दी गयी है ।

अवर अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण, उप खण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

83–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–83 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या क्या है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय उत्तर प्रदेश रा0 विद्युत परिषद, फैजाबाद द्वारा किये गये भ्रष्टाचार और अवैध अर्जित सम्पत्ति विषयक शिकायती पत्र दिनांक 21-10-87 श्री जमुना सिंह सह सचिव, जिला कौंसिल भाकपा0 फैजाबाद द्वारा ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित शिकायतों की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और जांच में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जांच अधिकारी की जांच आख्या से सक्षम प्राधिकारी सहमत नहीं हुए । अतः जांच सतर्कता इकाई द्वारा करायी जा रही है ।

सतर्कता इकाई की जांच आख्या आने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है।

सहायक अभियांत्रिक लिफ्ट सिंचाई प्रखण्ड, इलाहाबाद श्री आर0 एन0 राय के विरुद्ध शिकायती पत्र

84–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियांत्रिक लिफ्ट सिंचाई प्रखण्ड, इलाहाबाद श्री आर0 एन0 राय के विरुद्ध श्री रमाकांत मिश्र, श्री पुरुषोत्तम लाल, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, विधायकगण आदि का शिकायती पत्र दिनांकित 5-11-88 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त शिकायती पत्र पर प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग के माध्यम से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 201 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में नये तथा चालू किये गये तापीय विद्युत गृहों का प्लान्ट-लोड फैक्टर

85–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य विद्युत परिषद् के नए तथा पिछले पांच वर्ष में चालू किए गए तापीय विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर इसी प्रदेश में स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के इसी काल में चालू किए गए तापीय विद्युत गृहों के प्लांट लोड फैक्टर के मुकाबले पिछले पांच वर्ष (इस वर्ष सहित) प्रत्येक वर्ष कितना-कितना रहा ? इस अंतर का क्या कारण है तथा इस अंतर को समाप्त करने के लिए प्रशासन क्या-क्या उपाय कर रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में नये तथा पिछले पांच वर्षों की अवधि में चालू किए गए तापीय विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत में) निम्नवत रहा:–

वर्ष	अनपारा	परीक्षा
1984–85	—	—
1985–86	—	39.1
1986–87	71.7	50.1
1987–88	49.1	39.0
1988–89 .. .. .. (माह जनवरी, 89 तक)	58.8	48.5

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में इसी अवधि में चालू की गई इकाइयों का निष्पादन निम्न प्रकार रहा :–

वर्ष	पी0 एल0 एफ0
1984–85	कोई इकाई चालू नहीं ।
1985–86	–तदैव–
1986–87	शून्य
1987–88	79.3 (2×500 मेगावाट सिंगरौली सुपर तापीय)
1988–89 (अगस्त, 88 तक)	68.3–तदैव–

इस अवधि में एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा 500 मेगावाट की बेहतर टेक्नालाजी द्वारा विकसित इकाइयां ही स्थापित की गई जिनका निष्पादन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में स्थापित 110 मेगावाट/210 मेगावाट इकाइयों से अच्छा है। उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों के प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :–

1–औद्योगिक शान्ति ।

2–तापीय इकाइयों का "नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण" ।

3–मानव संसाधन विकास एवं प्रबन्ध पर विशेष ध्यान ।

4–स्पेयर्स के लिए बेहतर एवं वास्तविक प्रबन्ध व्यवस्था ।

5–परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु बेहतर तकनीक का प्रयोग ।

6–उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजनायें ।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्लांट लोड फैक्टर में सुधार परलक्षित हुआ है। यथा आनपारा तथा ओबरा "ई" विद्युत गृह में माह दिसम्बर, 88 में क्रमशः 91.3 तथा 83.3 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया गया ।

बरेली तथा मुरादाबाद मण्डल के क्षेत्रफल का राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल

86–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली तथा मुरादाबाद मण्डल के क्षेत्रफल का राजकीय साधनों द्वारा सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के राजकीय साधनों द्वारा सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल के मुकाबले सप्तम पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कितना-कितना होगा ? क्या बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रफल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत को पिछड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के बराबर लाने के लिए आठवीं योजना में कोई प्राविधान किया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जालौन जिले के ग्राम बसीठ, तहसील कॉच के निवासी श्री राम बाबू चौरसिया की पुत्री की मृत्यु तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान

87–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-9-87 को जालौन जिले के ग्राम बसीठ, डाकखाना बसीठ, तहसील कॉच के निवासी श्री राम बाबू चौरसिया की तेरह वर्षीय पुत्री संगीता की मृत्यु विद्यालय जाते समय मार्ग में पड़े हुए बिजली के तारों के छू जाने के कारण हो जाने और इस दुर्घटना की जांच में विद्युत कर्मियों की लापरवाही पायी जाने की बात सच है ? यदि हां, तो किस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक और कितनी राशि दे दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

स्थल जांच के उपरान्त यह पाया गया कि तेज हवा के कारण तार टूट गया था जिसके सम्पर्क में आने से कुमारी संगीता की मृत्यु हो गयी । दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विभागीय जांच की जा रही है।

कु0 संगीता के परिवार को भुगतान हेतु रुपये 5,000 (पांच हजार रु0) की अनुग्रह क्षतिपूर्ति की धनराशि चेक संख्या 072335 दिनांक 9-12-88 के द्वारा जिलाधिकारी, जालौन को प्रेषित की जा चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड गोण्डा को श्री उमेश्वर प्रताप सिंह द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

88–श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड गोण्डा को श्री उमेश्वर प्रताप सिंह का शिकायती पत्र माह अगस्त, 1988 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच पूरी करने के पूर्व ही फर्जी बिलों का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जांच

89–श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतीश प्रताप सिंह, अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस (इ) गोण्डा का दिनांक 16-8-88 का शिकायती पत्र सिंचाई खण्ड गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार सूखा राहत के नाम पर फर्जी भुगतान आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रजी अहमद सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध धन के गबन संबंधी शिकायती-पत्र

90—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमेश्वर प्रताप सिंह, विधायक गोण्डा का कोई शिकायती पत्र दिनांक 29-8-88 का श्री रजी अहमद सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध सरकारी धन के गबन संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 29-7-88 प्राप्त हुआ है ।

उक्त शिकायती पत्र पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के माध्यम से जांच करायी जा रही है ।

91—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[मा0 सदस्य द्वारा यह प्रश्न वापस लिया गया]

मड़हा नदी के उत्तरी किनारे पर निर्मित कच्चे तटबन्ध में किये गये भ्रष्टाचार और लापरवाही के संबंध में पत्र

92—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के गोसाईंगंज कस्बे के दक्षिण में मड़हा नदी के उत्तरी किनारे पर निर्मित कच्चे तटबन्ध में किये गये भ्रष्टाचार और लापरवाही के सम्बन्ध में गोसाईंगंज के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 23-7-88 के पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में सिंचाई विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से सम्बन्धित मांगें भी की गई हैं। जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, विभिन्न बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत है:—

(1) गोसाईंगंज कस्बे से घाट तक जाने वाली सड़क, बन्धा बनाने से नीची नहीं हुई है । सड़क जैसी थी वैसी ही है और पूर्व की तरह ही लोग उस पर आते जाते हैं ।

(2) सड़क का किनारा लगभग 25 मी0 लम्बाई में जहां, गहराई थी वहां किनारों पर मिट्टी डालकर सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी गई है ।

(3) बांध के निर्माण से प्रभावित भूमि का लगभग रु0 23,000 मुआवजा देना प्रस्तावित है जिसमें से रु0 19,301·58 पैसे का वितरण किया जा चुका है ।

(4) गोसाईगंज बन्धे के निर्माण हेतु 18,616 एकड़ भूमि ली गई है जिसमें से 11·83 एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है तथा 6·66 एकड़ भूमि का मुआवजा देना शेष है ।

(5) पानी निकासी के रास्ते पूर्ववत ही हैं । इन स्थानों पर बंधा नहीं बनाया गया है ।

बड़ी गण्डक नदी पर छितौनी बगहा पुल का शिलान्यास

93–श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में बड़ी गंडक नदी पर छितौनी बगहा पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व0 इन्दिरा गांधी ने अक्टूबर, सन् 1973 में किया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त पुल का निर्माण का आशय बाढ़ नियंत्रण भी था जिसका निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा कराया जाना था ? क्या केन्द्र सरकार की मांग पर प्रदेश सरकार ने अपना अंशदान जमा कर दिया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

उस समय पुल के निर्माण का आशय बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु आंशिक रूप से था ।

जी हां ।

रु0 80·00 लाख मार्च, 1977 में तथा रु0 220·00 लाख फरवरी, 1981 में जमा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी निरीक्षक क्षेत्र गोरखपुर के विरुद्ध विभागीय जांच

94–श्री मित्रसेन—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि ताडी पर्यवेक्षक के प्रत्यावेदन दिनांक 6-4-88 जनपद गोरखपुर के शिकायती पत्र के आधार पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र गोरखपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच आबकारी अधिकारी गोरखपुर द्वारा की जा रही है जिसको जांच अथ्या जांच अधिकारी श्री एस0 एन0 सिंह ने आयुक्त आबकारी, गोरखपुर की अनुपस्थिति में दिनांक 15-6-88 को सीधे आबकारी आयुक्त इलाहाबाद को सौंप दी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? क्या निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारी ने कोई शिकायती पत्र आयुक्त को भेजे थे ? यदि हां, तो उसके आधार पर मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सत्य है कि ताड़ी पर्यवेक्षक जनपद गोरखपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 6-4-88 के आधार पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र गोरखपुर के विरुद्ध विभागीय जांच जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित श्री जयजय राम पाण्डेय, ताड़ी पर्यवेक्षक (निलम्बित) के प्रत्यावेदन दिनांक 6-4-88 पर जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15-6-88/17-6-88 उप आबकारी आयुक्त, इ0 आई0 बी0 को प्रेषित की थी। श्री पाण्डेय का उपरोक्त दिनांकित 6-4-88 प्रत्यावेदन उनके निलम्बन को समाप्त कर सेवा में पुनर्स्थापन विषयक था।

श्री जयजय राम पाण्डेय, ताड़ी पर्यवेक्षक (निलम्बित) के सेवा में पुनर्स्थापन विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 6-4-88 पर श्री एस0 एन0 सिंह, जांच अधिकारी नहीं बनाये गये थे। श्री पाण्डेय के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन गोरखपुर जनपद से ही हो सकता था, अतः प्रत्यावेदन उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर को विन्दुवार आख्या हेतु भेजा गया था। श्री एस0 एन0 सिंह ने कोई शिकायती-पत्र आयुक्त को नहीं भेजा था, बल्कि अपनी आख्या दिनांकित 15-6-88/17-6-88 उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर को सम्बोधित किया था, परन्तु उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर के आकस्मिक निधन के कारण श्री एस0 एन0 सिंह ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17-6-88 सीधे उप आबकारी आयुक्त इ0 आई0 बी0 उ0 प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित की थी।

जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर ने अपनी रिपोर्ट (न कि जांच आख्या) में निष्पक्ष जांच हेतु श्री पी0 सी0 मिश्र, आ0 नि0 बांसगांव गोरखपुर के स्थानान्तरण किए जाने की संस्तुति किया था। इसके अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 15-6-88 में ताड़ी वृक्षकर से संबंधित 7,000 रु0 के प्रकरण में श्री पी0 सी0 मिश्र, आ0 नि0 को भी दोषी बताया था। चूंकि मामले में विभागीय जांच चल रही है, अतः विभागीय जांच सम्पन्न होने के उपरान्त ही इस प्रकरण में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा। जांच अधिकारी ने कोई शिकायती-पत्र नहीं भेजा था, बल्कि उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांकित 15-6-88 ही भेजा था। श्री पी0 सी0 मिश्र, आबकारी निरीक्षक एवं श्री जयजय राम पाण्डेय, ताड़ी पर्यवेक्षक, के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर जांच अधिकारी हैं। श्री पी0 सी0 मिश्र, आ0 नि0 का स्थानान्तरण बांसगांव गोरखपुर से सरैया आसवानी, सरदार नगर, गोरखपुर के लिए कर दिया गया है।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विकास खण्ड बाराचवर में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

95—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विकास खण्ड बाराचवर में 33 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी ? क्या उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब प्रारम्भ कर दिया जायगा और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

बाराचवर में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की स्वीकृति जनवरी, 1984 में दी गयी ।

जी हां । निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस कार्य के वर्ष 1989-90 में पूर्ण होने की आशा है जो कि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा ।

जनपद गाजीपुर में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

96—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) —

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के किन-किन स्थानों में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और उनमें से किन-किन विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और किन-किन सब-स्टेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? क्या उन सब स्टेशनों का निर्माण शीघ्र ही करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जनपद गाजी पुर में निम्न स्थानों पर 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत किया गया है:—

1—जंगीपुर
2—गाजीपुर नगर (द्वितीय)
3—दवेकली
4—फतेहउल्लापुर
5—भोजापुर
6—गहमर
7—हंसराजपुर
8—परसनी
9—बीरपुर
10—बाराचवर
11—सिगेरा ।

गाजीपुर नगर (द्वितीय) गहमर तथा हंसराजपुर उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

शेष उपकेन्द्रों—जंगीपुर, दवेकली फतेहउल्लापुर, भोजपुर, परसनी, बीरपुर, बाराचवर और सिगेरा का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । परसनी उप-केन्द्र हेतु भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

उक्त उपकेन्द्रों का निर्माण संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियंता द्वारा खरीदे गये विद्युत उपकरण के संबंध में जांच

97–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियंता द्वारा स्थानीय ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर सन् 85-86, 86-87 एवं 87-88 में अपने कार्यकाल में कई-कई गुने दामों पर विद्युत उपकरण खरीदकर विद्युत विभाग को करीब 2 करोड़ रुपये का घाटा पहुंचाया गया है? क्या इस प्रकार से खरीदे गए उपकरणों तथा 11 के0 वी0 से सी0 बी0 बुशिंग, इन्सुलेटर, क्लम्प, स्वीच कन्टेनर व सी0 टी0 आदि की खरीद में हुए घपले की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत मामले में परिषदीय सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सीयर, विधान सभा क्षेत्र, जिला बलिया में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में पत्र

98–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीयर विधान सभा क्षेत्र जिला बलिया में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-10-88 प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति की सूचना पत्र सं0 784/एम0/ईएम0/ मुख्य भवन सचिवालय लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 88 द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए सीयर क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सीयर विधान सभा क्षेत्र के कुल आबाद ग्राम 464 में से 377 ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार और 269 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया जा चुका है । इस क्षेत्र को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सामान्य योजना में ले लिया गया है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

श्री सुखराज भारद्वाज, निवासी ग्राम सेरवानीपुर, वाराणसी को विद्युत दुर्घटना में मृत भैंस की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान

99–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र संख्या 346/भी/एम0ई0/86, दिनांक 30-1-1986 एवं पत्रांक संख्या 1178/भी आई0 पी0/88, दिनांक 4-4-88 के संदर्भ में श्री सुखराज भारद्वाज निवासी ग्राम सेरवानीपुर, पो0 बुलुआ गजापुर, वाराणसी को बिजली दुर्घटना में मृत उनकी भैंस की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी की संस्तुति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं भैंस की खरीददारी रसीद अथवा बाजार दर पर भैंस के अनुमानित मूल्य का जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही संस्तुति धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

100–कुं0 मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभाग में सिंचाई मजिस्ट्रेट का सृजित पद

101–श्री भोला सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सिंचाई मजिस्ट्रेट का पद सृजित है ? यदि हां, तो क्या इन सभी पदों पर मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड गोण्डा के विरुद्ध लिखे गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87 को सिंचाई खण्ड गोण्डा के अधिशासी अभियंता द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि में प्राप्त चावल गेहूं (खाद्यान्न) का सही ब्योरा जिला प्रशासन को नहीं दिया था जिससे क्षुब्ध होकर जिलाधिकारी, बहराइच ने अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड गोण्डा के विरुद्ध शासन को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिलाधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड रिसिया एवं हुजूरपुर में ग्रामीण अतिरिक्त रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा एवं जल-निकासी की तीन परियोजनाओं हेतु सिंचाई खण्ड गोण्डा (स्थित बहराइच) को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बहराईच से रु0 37.866 लाख रुपया नकद तथा 13559-92 कुन्टल गेहूं का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। भारतीय खाद्य निगम के बहराइच डिपो से प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई खण्ड गोण्डा ने 12505 कुन्टल खाद्यान्न (गेहूं) उठाया किन्तु जिला ग्राम्य विकास

अभिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 14-5-87 में जन-प्रतिनिधियों की इस शिकायत पर कि श्रमिकों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है, जब जिलाधिकारी/अध्यक्ष के निर्देश पर सिंचाई खण्ड, गोण्डा के खाद्यान्न स्टोर की जांच की गई तो उनके स्टाक रजिस्टर में कुल 9089.92 कुन्टल गेहूं का ही प्राप्तांकन पाया गया, शेष 3415.08 कुन्टल गेहूं के कोई अभिलेख सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा सके। सहायक अभियंता द्वारा श्रमिकों को भी खाद्यान्न वितरण के कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके और न वे परियोजनावार खाद्यान्न वितरण की स्पष्ट स्थिति दे सके।

इसके विपरीत मुख्य अभियंता (सरयू) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई खण्ड, गोण्डा ने जनपद बहराइच में इस योजना के अंतर्गत जो कार्य कराये थे, उनकी सही प्रगति, जिसमें खाद्यान्न का भी विवरण होता है, जनपद बहराइच के सिंचाई खण्ड बहराइच को समय-समय पर उपलब्ध कराई थी जो उन्होंने अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बहराइच को अन्य खण्डों की प्रगति के साथ समय-समय पर भेजी है। इस प्रगति प्रतिवेदन में खाद्यान्न को जो हिसाब दिखाया गया, उस पर जिलाधिकारी, बहराइच ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, गोण्डा को खाद्यान्न का सही ब्यौरा न होने के बारे में कभी सूचित नहीं किया है।

प्रश्नगत मामले को लेकर दिनांक 21-5-87 को बहराइच जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं सिंचाई खण्ड, गोण्डा के अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंता श्री राम दयाल के मध्य जिला सभागार में गंभीर विवाद उत्पन्न होने की सूचना बहराइच के तत्कालीन जिलाधिकारी डा0 ओम प्रकाश ने सचिव, सिंचाई विभाग को सम्बोधित व फैजाबाद मण्डल के आयुक्त तथा मुख्य मंत्री जी के प्रथम सचिव के साथ-साथ सिंचाई राज्य मंत्री तथा सचिव, ग्राम्य विकास अभिकरण को पृष्ठांकित अपने अर्धशासकीय एजांक-246/आ0 लि0-(सी0 आर0 ओ0)-8/87 दिनांक 25-5-87 द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच तकनीकी प्रकोष्ठ से कराने की संस्तुति की थी। जिलाधिकारी, बहराइच ने खाद्यान्न वितरण के विषय में प्रकाश में आये घपले की जांच के लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी।

पुलिस में दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित अभियोग की जांच पुलिस द्वारा की गई परन्तु सबूत न मिलने के कारण अभियोग न्यायालय में भेजने योग्य नहीं पाया गया तथा अंतिम रिपोर्ट लगायी गई।

जिलाधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर इस मामले की जांच शासन के सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह अनियमितता पाई गई कि आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अधीन प्रश्नगत कार्य को सिंचाई खण्ड, गोण्डा के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्टियों के अनुसार नहीं किया गया तथा जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया गया। अवर अभियंताओं के विरुद्ध अभिलेख हड़ताल के समय कार्यालय में जमा नहीं किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया। अतः अधिकारियों के बारे में उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करके आख्या सहित उसे शासन को भेजने के लिए एवं अवर अभियंताओं के संबंध में अपने स्तर से कार्यवाही करने के लिए समस्त अभियंता को निर्देश दिया गया।

जनपद फैजाबाद के ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति हेतु किये गये प्रयास

103–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में और विशेषकर उसके ग्रामीण अंचलों में अनियमित और अनिश्चित विद्युत आपूर्ति के कारण बड़ा जनाक्रोश है और टाण्डा तहसील के ग्राम भारीडीहा में अगस्त, 1988 में कुल केवल तीन या चार घण्टे बिजली दी गयी है ? क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 31 अगस्त, 88 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां ।

फैजाबाद जनपद में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिये नये सब स्टेशनों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है।

श्री जंगली निवासी ग्राम माँहारी मजरे भटखेरवा, जनपद उन्नाव को भूमि का मुआवजा न दिये जाने की शिकायत

104–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्ता के दिनांक 15-9-88 के पत्र के साथ श्री जंगली पुत्र श्री सुखलाल निवासी ग्राम माँहारी मजरे भटखेरवा कलां विकास खण्ड बीघापुर तहसील पुरवा जनपद उन्नाव का कोई शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने डलमऊ बी लिफ्ट कैनाल के निर्माण में उसके मकान के लिये जाने के कारण उसका मुआवजा न दिये जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

श्री जंगली की मिट्टी की एक कच्ची कोठरी, ग्राम समाज की भूमि पर बनी हुई है। ग्राम समाज की भूमि में बनी इस कच्ची कोठरी को विभाग द्वारा न तो अधिग्रहीत किया गया है और न ही उसको क्षति पहुंचाई गई है। अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में डाक बंगलों के आवंटन के बारे में नीति

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिद्वार में डाक बंगलों के आवंटन के बारे में शासन की क्या नीति है? क्या यह सही है कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आवंटन में तहसील अधिकारियों के अनुरोध को नजरअन्दाज कर मनमाने ढंग से आवंटन किया जाता है? यदि नहीं, तो इसकी जानकारी कर आवंटन की सही नीति बनाने पर विचार करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हरिद्वार में डाक बंगलों के आवंटन के बारे में कोई पृथक नीति नहीं है।

जी नहीं। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित कक्ष का आवंटन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा करने का प्राविधान है, तहसील अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विद्युत वितरण खण्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत शीतगृह व उनकी भण्डारण क्षमता

106–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विद्युत वितरण खण्ड कतेहगढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत कुल कितने शीतगृह हैं व इनकी भण्डारण क्षमता क्या है ? पिछले तीन वर्षों में उक्त शीत गृहों द्वारा प्रयोग की गई बिजली के बिलों की मासिक स्थिति क्या रही है ? इस चालू वर्ष में उक्त शीतगृह मालिकों के विरुद्ध विद्युत उपयोग का मासिक बिल कितना आया है ? क्या यह सही है कि इससे पूर्व विद्युत की भारी चोरी हुई है और विद्युत परिषद् को भारी घाटा हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नरेन्द्र सिंह–

फर्रुखाबाद जनपद के विद्युत वितरण खण्ड कतेहगढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल पचास (50) शीतगृह हैं तथा इनकी भण्डारण क्षमता अलग-अलग है जैसा कि संलग्न† एनेक्सर के कालम नं0 4 में दर्शायी गयी है। उत्तर की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

सूचना संलग्न† है ।

संलग्नक† में मासिक बिलों की जो धनराशि दर्शाई गयी है उनमें वर्ष 85-86 का असित टैरिफ मूल्य कम होने की वजह से तुलना नहीं की जा सकती । फरवरी, 88 से अगस्त, 88 तक विद्युत बिलों की माहवार तुलना करने पर यह पाया गया कि चालू वर्ष में लगभग रु0 54.29 लाख की राजस्व की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें से लगभग रु0 13.12 लाख छः शीतगृहों की क्षमता बढ़ने के कारण है ।

शीतगृहों का सत्र जनवरी, 89 में समाप्त होता है। पूरे सत्र की धनराशि का तुलनात्मक ब्योरा निकालकर यदि आवश्यक पाया गया तो कार्यवाही की जायेगी ।

---

†छापा नहीं गया।

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में निर्मित राजकीय नलकूपों से कथित क्षति

107—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में नलकूप विभाग द्वारा निर्मित राजकीय नलकूप का पानी खारा है जिसके कारण आस-पास के खेतों की सींची गयी फसल को भारी नुकसान हुआ है और काश्तकारों ने उक्त नलकूप से पानी लेना बन्द कर दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप के कमाण्ड में आने वाले खेत मालिकों से मनमाने तौर से सिंचाई शुल्क निर्धारित कर वसूली की जा रही है, जिससे काश्तकारों में भारी क्षोभ है ? यदि हां, तो उक्त वसूली रोकने एवं नलकूप का खारा पानी समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि खारा पानी होने के कारण नलकूप 1-10-88 से अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । खारा पानी होने के कारण नलकूप दिनांक 1-10-88 से अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है।

फर्रुखाबाद नगर के मोहम्मद असलम को विद्युत दुर्घटना में उनकी भैंस की मृत्यु के कारण स्वीकृत अनुग्रह अनुदान

108—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नगर के मोहल्ला खरजा अब्दुल रज्जाक के मोहम्मद असलम पुत्र रहीम बख्श की एक भैंस दिनांक 4-6-87 को बंगसपुरा कोहना में कोतवाल सिंह व नत्थू सिंह के नलकूपों को जाने वाले बिजली के तारों का ऊपरी फेज वाला तार टूट कर जमीन पर गिर जाने के कारण चिपक कर मर गयी ? क्या उसकी प्रथम सूचना रपट दिनांक 4-6-87 को कोतवाली फर्रुखाबाद में भी अंकित करायी गयी ? क्या मोहम्मद असलम को कोई क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

श्री मोहम्मद असलम को उनकी भैंस की दिनांक 4-6-87 को हुई विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप रुपये 2500 का अनुग्रह अनुदान परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या 687 ईए/राविप(आंस-18)/89 दिनांक 6-2-89 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ।

जनपद बस्ती में अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव

109–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रस्तावित था ? यदि हां, तो अब तक अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय बस्ती जनपद में न खोले जाने के क्या कारण हैं ? क्या निकट भविष्य में मण्डल कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड में नहरों के रख-रखाव पर व्यय

110–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड में नहरों के रख रखाव के लिए कुल सींच पर एक सौ पन्द्रह रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है जिसमें से पचास रुपये अधिष्ठान पर तथा पैंसठ रुपये नहरों के रख रखाव पर व्यय किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्या झांसी जिले की गुरसरांय नहर जिससे लगभग बाइस हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष सिंचाई होती है, को रख रखाव के लिए लगभग साढ़े चांदह लाख रुपये प्रतिवर्ष दिलाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

बुन्देलखण्ड में नहरों के रखरखाव के लिए कुल सींच पर एक सौ पन्द्रह रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धन नहीं दिया जाता है बल्कि धनराशि के आवंटन का आधार सींच के अलावा बांधों की श्रेणी एवं नहरों की लम्बाई आदि पक्ष भी है। अनुरक्षण कार्यों पर जो धन आवंटित होता है, वह बांधों एवं नहरों आदि के रख-रखाव पर ही व्यय किया जाता है।

जी नहीं । झांसी जिले की गुरसराय नहर से प्रतिवर्ष 22,000 हेक्टेयर सींच नहीं होती अपितु इस प्रणाली की औसत सींच लगभग 17,000 हैक्टेयर है ।

वर्ष 1979-80 में केवल एक बार इस प्रणाली पर 22,500 है0 सींच हुई तथा वर्ष 1987-88 में लगभग 19,500 है0 सींच हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण खण्ड तृतीय में लोअर राजघाट नहर पर ठेकेदारों द्वारा कराये गये अवैधानिक कार्य की जांच

111—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 जून, 88 का पत्र जो सिंचाई निर्माण खण्ड तृतीय में लोअर राजघाट नहर पर कतिपय ठेकेदारों के द्वारा अवैधानिक रूप से मिट्टी का लाखों रुपये का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कराने वाले ठेकेदारों के नाम क्या हैं तथा कितने का अवैधानिक कार्य कराया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त ठेकेदारों को काली सूची में करने पर इस अवैधानिक कार्य का भुगतान न कराने के आदेश करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

जांच की जा रही है। पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

112—श्री महेन्द्र भाटी—

[उत्तर बुधवार के लिए स्थगित]

श्री अविनाश माथुर, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमि0, चुर्क, मिर्जापुर के बकाया देयों का भुगतान

113—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अविनाश माथुर, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमि0, चुर्क, मिर्जापुर के त्याग पत्र देने के समय की ग्रेच्युटी, सी0 डी0 एस0 वेतन, अवकाश वेतन तथा बोनस के बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री अविनाश माथुर, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता को ग्रेच्युटी, सी0 डी0 एस0 वेतन, अवकाश वेतन तथा बोनस आदि की कोई धनराशि निगम के लेखों के अनुसार भुगतान करने के लिए बकाया नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री अविनाश माथुर को निगम के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 1988 एवं पुनः 23 जनवरी, 1989 द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नलकूप खण्ड बलिया में अधिशासी अभियन्ता का रिक्त पद

114—श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खण्ड बलिया में अधिशासी अभियन्ता का पद कब से रिक्त है और कब तक उक्त स्थान की पूर्ति कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नलकूप खण्ड, बलिया में अधिशासी अभियन्ता का पद दिनांक 28-7-88 के अपराह्न से रिक्त है जिस पर यथाशीघ्र पदस्थापना की जायेगी ।

जनपद बलिया के नलकूप सं0 40 के री-बोरिंग के संबंध में पत्र

115–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 15-11-88 का पत्र जो बलिया के नलकूप नं0 40 के रीबोरिंग के संबंध में है विभाग को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो यह नलकूप कितने दिन से बन्द है ? इसे ठीक करने (रिबोरिंग) हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पत्र दिनांक 15-11-88 उपलब्ध नहीं है ।

नलकूप सं0 40 बी0 जी0 का निर्माण वर्ष 1955–56 में किया गया था । यह नलकूप 63447 घंटे चलकर खरीफ 1988-89 में फेल हो गया है । इसको चालू करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही (सेण्ड पम्प चलाना, कम्प्रेसर चलाना आदि) की गई, परन्तु सफलता नहीं मिली ।

जनपद प्लान वर्ष 1989–90 में इसकी रीबोरिंग का कार्य प्रस्तावित है ।

बलिया के नलकूप नं0 बी0 जी0 172 की टंकी स्टार्टर, मेनस्विच बनाने के संबंध में पत्र

116–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-11-88 का पत्र जो बलिया के नलकूप नं0 बी0 जी0 172 की टंकी स्टार्टर, मेन स्विच बनाने के संबंध में है, विभाग को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो यह नलकूप कब लगाया गया इसे अब तक ठीक न कराने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पत्र दिनांक 15-11-88 उपलब्ध नहीं है ।

नलकूप सं0–172 बी0 जी0 वर्ष 1981-82 में चालू हुआ । डिलेवरी टैंक (टंकी) बनी हुई है तथा मेनस्विच, स्टार्टर भी लगा है ।

नलकूप सिंचाई में कार्यरत है । अतः ठीक न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के पुरवा तहसील के कतिपय ग्रामों में होने वाले जल भराव के पानी को नहर में डालने में कठिनाइयां

117–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले बुधवार के तारांकित प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि महना झील के पानी निकाल देने से

कितने एकड़ जमीन खेती के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी और महना के पानी को लिफ्ट पम्प द्वारा नौरावां डी0 वाई0 में डालने से कितने क्यूसेक पानी डी0 वाई0 को प्रति वर्ष मिलेगा ? क्या कुल उपलब्ध पानी और जल निकासी के बाद खेती के खाली हो जाने से प्रतिवर्ष होने वाले लाभ की तुलना में लिफ्ट पम्प पर होने वाला व्यय अधिक है ? यदि हां, तो कितना ? क्या यह सच है कि लिफ्ट पम्प पर शुरुआत में पूंजीगत व्यय अधिक हो गए मगर बाद में रख-रखाव पर ही व्यय आएगा ? यदि हां, तो योजना के क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

लगभग 200 एकड़ जमीन खेती के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी । वर्ष में (रबी एवं खरीफ) सिंचाई हेतु लगभग 5 घन फुट प्रति सेकेण्ड पानी उपलब्ध होगा ।

जी हां ।

अनुमानित निर्माण लागत रु0 42.00 लाख है, एवं अनुमानित लाभ रु0 1.00 लाख प्रतिवर्ष है। लाभ लागत अनुपात लगभग 0.25 है।

जी हां, परन्तु इसका रख-रखाव भी अत्यधिक महंगा एवं कठिन होगा क्योंकि पानी की निकासी के लिए विद्युत चालित मोटर से पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा एवं प्राकृतिक ढाल के विरुद्ध भूगर्भ जल स्तर से नीचे लगभग 1.2 कि0मी0 लम्बी चैनल से पानी ले जाना होगा जिसकी क्षतिग्रस्त होने की सदैव सम्भावना बनी रहेगी । अतः रख-रखाव न केवल कठिन होगा, बल्कि इस पर व्यय भी अत्यधिक होगा ।

उपरोक्तानुसार यह योजना तकनीकी दृष्टिकोण एवं लाभ लागत अनुपात को देखते हुए व्यवहारिक नहीं है और न ही उपयोगी है।

मेसर्स प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स छिबरामऊ द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र

118–श्री सन्तोष चतुर्वेदी (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव श्री बाबूराम यादव द्वारा जारी पत्र सं0–सी0 एम0 वि0 को/3/29-239/88 ई0 दिनांक 18 अक्टूबर, 1988 से अवगत कार्यालय की पत्रा0 सं0 सी0 एम0 वि0 को-3/30-239/88/ई जो प्रमुख सचिव, उद्योग को प्रेषित है और जो मे0 प्रताप इन्जीनियरिंग वर्क्स छिबरामऊ को स्वीकृत प्रपत्र न दिए जाने के सम्बन्ध में है, जारी किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0 सी. एम. वि. को. एम. 3/30-239/88 ई0 दिनांक 14-10-88 पर संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री की संस्तुति प्रमुख सचिव, उद्योग को प्राप्त हुई थी जिस पर जांच आख्या प्राप्त की गयी । प्रकाश में आये तथ्यों के अनुसार मे0 प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उससे संलग्न प्रपत्र संदिग्ध पाये गये थे अतः ऋण प्रार्थना-पत्र को प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) हेतु पंजीकृत नहीं किया गया । अतः ऋण स्वीकृत पत्र दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बहराइच द्वारा डाले गये छापे

119–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1988 में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बहराइच द्वारा कितने छापे डाले गये तथा इन छापों द्वारा कोई अवैध सामग्री बरामद हुई ? यदि हां, तो क्या तुरन्त एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

माह सितम्बर, 1988 में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बहराइच द्वारा दो छापे क्रमशः दिनांक 22 सितम्बर, 1988 व 27 सितम्बर, 1988 को डाले गये ।

प्रथम छापा दिनांक 22 सितम्बर, 1988 को मोहल्ला काजी कटरा बहराइच स्थित एक सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर डाला गया जिसमें तीन कुन्तल तीन किलोग्राम चीनी तथा 20 कुन्तल 97 किलोग्राम चावल बरामद किया गया तथा दिनांक 23 सितम्बर, 1988 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

द्वितीय छापे में दिनांक 27 सितम्बर, 1988 को ग्राम सभा हरदत्त नगर गिरन्ट में सस्ते गल्ले के एक दुकानदार के यहां डाले गये छापे के दौरान चार सौ लीटर डीजल बरामद किया गया जिसे कृषि उपयोग के लिये रखे जाने के पूर्ण समाधान हो जाने पर सम्बन्धित दावेदार को दे दिया गया । इसके अतिरिक्त उक्त जांच के दौरान एक खेत में तीन बोरों में तीन कुन्तल चीनी लावारिस हालत में पायी गयी जिसके निस्तारण हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत कलेक्टर, बहराइच के न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर ओवर ब्रिज निर्माण के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग को भेजे गये पत्र सं0–सी0 एम0 वि0 को0/एम-1-ब-238-47/88 जो ओवर ब्रिज निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र से सम्बन्धित है के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र के सन्दर्भ में मा0 विधायक को शासन के पत्र दिनांक 24-12-1988 द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त स्थल के समीप में आवागमन की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं ।

कोइली मोहान ताल के पानी की निकासी के लिए भारी संयंत्र लगाने के संबंध में प्रश्नगत ताल के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर पम्पिंग द्वारा जल निकासी की योजना तैयार की गई है, जिसे अगली राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी । योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात् धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जाएगा ।

जिला बरेली, तहसील सदर के ग्राम करनपुर की आबादी के दिजोड़ा नदी को कटाव का खतरा

121–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली तहसील सदर के ग्राम करनपुर की आबादी को (मजरा मुहम्मदगंज) को दिजोड़ा नदी (भकड़ा नदी तथा किछा नदी के संगम से नीचे) द्वारा कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है और आगामी वर्षाकाल में गांव के नदी में समा जाने की पूरी सम्भावना हो गई है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामीण आबादी की सुरक्षा हेतु सिंचाई मंत्री जी तत्काल नदी में पत्थर के ठोकर निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ग्राम करनपुर (मजरा मोहम्मदागंज) जनपद बरेली तहसील बरेली के अंतर्गत आता है इस गांव की आबादी लगभग 900 है । इसमें लगभग 50 पक्के मकान तथा 100 कच्चे मकान हैं । यह गांव भाखड़ा तथा बैंगुल दिजोड़ नदी के संगम से नीचे की ओर दाएं किनारे पर बसा हुआ है । इस गांव की खेतिहर भूमि को यह नदी लगातार काट रही है तथा इस नदी से गाव के मकानों की दूरी लगभग 50-60 मीटर रह गई है । गांव के निवासियों को इस नदी से खतरा उत्पन्न हो गया है । शासन की नीति के अनुसार बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कटान रोकने का कार्य न करके यदि उन ग्रामों को ही किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाता है तो वह अधिक लाभदायक होगा ।

ग्राम हृदयपट्टी विकास खण्ड भदोही जनपद वाराणसी के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

122–श्री शेरबहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हृदयपट्टी विकास खण्ड भदोही जनपद वाराणसी के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण शासन विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है जिसके कारण वहां के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त बस्ती का विद्युतीकरण शीघ्र करवाने की कृपा करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा ग्राम हृदयपट्टी जिला–वाराणसी का चयन नहीं किया गया है इसलिए उक्त ग्राम एवं हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता ।

123–श्री कौशिक रमाशंकर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विकास खण्ड सुरियावां जनपद वाराणसी में ग्रामों का विद्युतीकरण

124–श्री मूल चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में विकास खण्ड सुरियावां जनपद वाराणसी में सन् 1985 व 86 व 87 व 88 में प्रतिवर्ष कितने ग्राम विद्युतीकरण में लिए गये हैं ? क्या सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1985-86 से वर्ष 1988-89 तक विकास खण्ड सुरियावां में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की संख्या निम्नवत है :–

1985–86	3
1986–87	8
1987–88	3
1988–89	3

जी नहीं । (वर्ष 1985-86 में प्रस्तावित ग्रामों में से), वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित ग्रामों में से एक तथा वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित तीनों ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित तीनों ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 1985-86 और वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित शेष ग्रामों का विद्युतीकरण इस कारण नहीं हो सका क्योंकि इन ग्रामों के उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हुए ।

जनपद फैजाबाद में राजकीय नलकूप खराब होने से खेती को क्षति

125–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में 50 प्रतिशत से अधिक राजकीय नलकूप काफी अरसे से खराब पड़े हैं जिससे किसानों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है और खरीफ में काफी क्षति होने के साथ रबी की बोआई भी न हो पाने का खतरा पैदा हो गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित दिनांक 27-9-88 का पत्र मिल गया है ? यदि हो, तो इस बारे में अब तक की कृत कार्यवाही और सही तथ्यों के विवरण के सदन पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पक्की सड़क नहर की मरम्मत हेतु स्वीकृत पांच लाख रुपये के संबंध में की गई कार्यवाही

126–श्री कनक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-1-88 जो उप सचिव सिंचाई अनुभाग-3 को सम्बोधित था और जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में एक सड़क/नहर की मरम्मत हेतु पांच लाख रुपया स्वीकार किया था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । प्रश्न में अंकित पत्र दिनांक 6-1-88 उपलब्ध नहीं हो रहा है । वरन इसी विषय पर उप सचिव, सिंचाई अनुभाग-3 को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-9-88 प्राप्त हुआ है । उसमें उल्लिखित रु0 5 लाख की कथित स्वीकृति की कोई सूचना नहीं है ।

उक्त पक्की सड़क की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है ।

जनपद फैजाबाद में ट्रान्सफार्मरों के खराब होने अथवा जल जाने से क्षति

127–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में भारी संख्या में ट्रान्सफार्मरों के खराब होने अथवा जल जाने के कारण किसानों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? क्या इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-11-88 का पत्र संलग्नकों सहित शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो ट्रान्सफार्मरों को ठीक करने अथवा बदलने और बिजली की चोरी रोकने और इस कार्य में बड़े पैमाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं, अधिकांश ट्रान्सफार्मर बदले जा चुके हैं ।

प्रश्नकर्ता द्वारा संदर्भित पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

ट्रान्सफार्मरों को ठीक करने और बदलने का कार्य त्वरित गति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है । विद्युत चोरी का रोकथाम के लिये विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रवर्तन दल द्वारा समय समय पर छापे डाले जाते हैं दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र शासन से प्राप्त न होने के कारण यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

सोहावल पावर हाउस फैजाबाद में बन्द विद्युत केन्द्र से हुई क्षति एवं कृत कार्यवाही

128–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोहावल पावर हाउस फैजाबाद विगत कई वर्षों से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सरकारी सम्पत्ति की जनहित में सदुपयोग की दृष्टि से यहां पर 132 के0वी0 विद्युत केन्द्र बनाने पर विचार करेगी ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि पावर स्टेशन बन्द होने के पश्चात् विभागीय सम्पत्ति की क्षति हुई है और पावर हाउस में आवासीय कालोनी तथा अनाधिकार कब्जे कर लिए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी सुरक्षा में कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । यहां पर 132 के0 वी0 उप केन्द्र बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं । पावर स्टेशन बन्द होने के बाद न तो विभागीय सम्पत्ति की क्षति हुई है और न ही पावर हाउस में आवासीय कालोनी तथा भूसम्पत्ति पर किसी प्रकार का अनधिकार कब्जा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड बरेली के अन्तर्गत बहगुल नदी को चौड़ा करने हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि

129–श्री जगदीश सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड बरेली के अन्तर्गत नटगुल (पूर्वी) नदी को चौड़ा करने के लिए कुछ भूमि अधिगृहीत की गयी थी, जिसके भू-स्वामी श्रीमती चन्द्रा देवी ने मुकदमा संख्या–222/86, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नं0–1 के यहां कर रखा है उस मुकदमें में सरकार ने जवाब कब दाखिल किया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इतनी देर से जवाब दाखिल करने के फलस्वरूप सरकार पर कितना अतिरिक्त ब्याज पड़ेगा ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जवाब समय से दाखिल न करने के लिए जिम्मेदार कौन-कौन है और सरकार ने उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां किन्तु प्रश्नगत नदी का नाम नटगुल नहीं है, सही नाम बहगुल है इस मुकदमें में दिनांक 29-7-88 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जवाब दाखिल किया गया है । अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नं0–1 बरेली द्वारा निर्धारित तिथि पर ही, न्यायालय में उत्तर दाखिल किया गया था । अतः देर से न्यायालय में उत्तर दाखिल करने के कारण अतिरिक्त ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत तथा न्यायालय द्वारा निश्चित की गई तिथि के अन्तर्गत ही जवाब दाखिल किया गया है । अतः जवाब समय से दाखिल न करने के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं किसी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत प्रारूपकारों/मानचित्रकारों को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में सामान्य नीति

130–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत प्रारूपकारों/मानचित्रकारों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1987-88 में सामान्य नीति क्या थी तथा वर्ष 1988–89 हेतु क्या सामान्य नीति निर्धारित की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 87-88 की उक्त स्थानान्तरण नीति का अनुपालन करते हुए रुहेलखण्ड कैनाल खण्ड बरेली में वरिष्ठतम प्रारूपकार, श्री शारदा चरण, जो उक्त नीति के अनुसार जिला बरेली से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित होने चाहिए थे, का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता कार्यालय से न किये जाने का क्या कारण रहा ? क्या उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शासनादेश आ0 शा0 प0 सं0–14/1/198 कार्मिक–2, दिनांक–17 अप्रैल, 1984 द्वारा स्थानान्तरण की जो नीति लागू की गई थी वही नीति वर्ष 1987-88 व 88-89 के लिए निर्धारित की गई थी ।

सीमित स्थानान्तरण किये जाने की दृष्टि से पंचम मंडल सिंचाई कार्य बरेली में कार्यरत श्री शारदा चरण, प्रारूपकार का स्थानान्तरण वर्ष 1987-88 में नहीं किया गया था परन्तु वर्ष 1988-89 में इनका स्थानान्तरण पंचम मंडल सिंचाई कार्य बरेली से अन्यत्र जिले निरीक्षण एवं नियंत्रण मंडल, कालागढ़ किया गया था तथा श्री शारदा चरण की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें निरीक्षण एवं नियंत्रण मंडल, कालागढ़ के बजाय अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, बरेली करने के आदेश दिये गये हैं ।

मांट तहसील, जनपद मथुरा में गांव पंचायतों को चीनी व मिट्टी के तेल का कोटा

131–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की जानकारी में है कि मांट तहसील जनपद मथुरा में 1971 में की गई आबादी की जांच रिपोर्ट के अनुसार गांव पंचायतों को चीनी व मिट्टी के तेल का कोटा अब तक दिया जा रहा है जबकि प्रत्येक गांव सभा की आबादी दुगनी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांट तहसील में गांव की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक गांव को चीनी व मिट्टी के तेल का कोटा बढ़वाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

चीनी का कोटा वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है ।

मिट्टी तेल का कोटा वर्तमान राशन कार्डों एवं भारत सरकार से प्राप्त मासिक आवंटन को दृष्टिगत करते हुये दिया जा रहा है ।

भारत सरकार से बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर आवंटन बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, अतएव जैसे ही यह प्राप्त होगा, मथुरा जनपद का कोटा भी बढ़ा दिया जायेगा ।

इसमें कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

मथुरा जनपद के मांट व नोहझील ब्लाकों में चीनी वितरण में अनियमितताओं की जांच

132–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के मांट व नोहझील ब्लाकों में पिछले तीन माह से नियमित रूप से अनेकों गांवों में चीनी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संबंधित तहसील मांट के अधिकारी मनमानी कर चीनी डीलर या साधन समितियों के खिलाफ वितरण में की गयी अनियमितताओं की जांच न कर उस चीनी व मिट्टी के तेल के कोटे का अटैचमेन्ट दूसरे प्राइवेट डीलर से करा कर चीनी का ब्लैक कराते रहे हैं ? यदि हां, तो पिछले तीन माह में उक्त ब्लाकों में प्रतिमाह कितने और कौन-कौन प्राइवेट डीलरों को किस-किस गांव की चीनी का अटैचमेन्ट किया गया ? क्या यह भी सच है कि अटैचमेन्ट व्यवस्था से भारी भ्रष्टाचार हुआ और वितरण में अव्यवस्था हुई ? यदि हां, तो दोषी पाये गये कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

यह सही नहीं है ।

यह कथन भी सही नहीं है क्योंकि चीनी डीलर और साधन सहकारी समितियों के खिलाफ वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर विस्तृत जांच के उपरांत ही कार्यवाही की जाती है ।

पिछले तीन माह में उक्त ब्लाकों में कोई चीनी का अटैचमेन्ट नहीं किया गया है । केवल मांट ब्लाक में विगत मई 1988 से सहकारी समिति, कसेरा कलां के विरुद्ध वितरण में अनियमितता के कारण सचिव एवं सेल्समैन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के फलस्वरूप इस समिति का कोटा अस्थाई रूप से निकटस्थ सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता श्री राजन लाल, जावरा को आवंटित किया गया । यह कोटा गांव अरुआ, भीम तथा पिपरोली के कार्ड धारकों के लिए था ।

इसी प्रकार इस ब्लाक की दूसरी आत्मनिर्भर साधन सहकारी समिति, भद्रवन द्वारा माह मई 88 से आवश्यक वस्तुओं का कोटा न उठाने के कारण कार्ड धारकों के हित में निकट के सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता श्री पूरन सिंह, हरनौल को आवंटित किया गया । यह कोटा गांव भद्रवन, मिरताना और बिजोली के कार्ड धारकों के लिए था । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कुण्डीडीह तहसील बांसडीह, जिला बलिया में प्रस्तावित विद्युतीकरण

133–श्री यदुनाथ सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुण्डीडीह तहसील बांसडीह जिला बलिया में विद्युत लाइनें देने का प्रस्ताव और बजट दो वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो क्या विद्युत लाइनें खींची गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

ग्राम कुण्डाडीह, विकास खण्ड नवानगर, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया का विद्युतीकरण पिछले वर्ष प्रस्तावित था ।

जी नहीं ।

यह कार्य सामग्री और धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका।

134–श्री यदुनाथ सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं में गुन्नौर ग्रुप के विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा बनाये गये निर्माण कार्य

135–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में गुन्नौर ग्रुप के विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 1984-85 व 85-86 में ट्यूबवेल नं0 23, 24, 26 पर किस-किस ठेकेदार ने निर्माण कार्य किया है? क्या उन ठेकेदारों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो भुगतान का चेक नं0 तथा वर्क आर्डर तथा पूर्ण धनराशि कितनी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बदायूं में गुन्नौर ग्रुप के विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 1984-85 व 1985-86 में कूप सं0-23, 24, 26 जी0 जी0 का निर्माण कार्य केवल श्री बाल कृष्ण महेश्वरी, ठेकेदार द्वारा कराया गया था।

ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

भुगतान का चेक नं0, वर्क आर्डर तथा पूर्ण धनराशि का विवरण संलग्न है। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 202 पर)

उमेश चन्द्र तिवारी सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग प्रथम उपखण्ड अलीगढ़ का स्थानान्तरण

136–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता प्रथम उपखण्ड अलीगढ़, खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ का स्थानान्तरण जून, 87 में श्री राजेश्वर

प्रसाद सिंह सहायक अभियन्ता को श्री तिवारी के स्थान पर पोस्ट कराने हेतु कराया था? यदि नहीं, तो श्री तिवारी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 10859/1987 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) के शपथ पत्र दिनांक 3-9-87 के पैराग्राफ-7 और 25 में इस आशय के झूठे बयान के प्रति शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–10859/87 के सम्बन्ध में प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किए गए प्रति शपथ-पत्र के उत्तर में श्री तिवारी ने दिनांक 3-9-87 को जो रिज्वाइन्डर एफीडेविट दाखिल किया था उसके पैरा–7 व 25 में उल्लिखित बयान के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के प्रथम खण्ड में कार्यरत श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता प्रथम के विरुद्ध गबन की जांच

137–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के प्रथम खण्ड में कार्यरत श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता प्रथम के विरुद्ध मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 2243 सी0 टी0 ई0/23 सी-798 (ए) दिनांक 31 जुलाई, 87 के द्वारा एक लाख 20 हजार रुपये के गबन तथा अन्य गम्भीर प्रकृति के आरोपों में दोषी पाकर अविलम्ब निलम्बित कर कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की थी? यदि हां, तो अब तक प्रशासनिक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। श्री उमेश चन्द्र तिवारी सहायक अभियन्ता तथा अन्य मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के कार्यकाल से संबंधित मुख्य प्राविधिक परीक्षक के कथित पत्र दिनांक 31-7-87 द्वारा प्रथम दृष्टया लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये के अधिक भुगतान कर गोलमाल करने एवं शासन को हानि पहुंचाने संबंधी जांच आख्या प्राप्त हुई, जिसके लिए श्री यू0 सी0 तिवारी, सहायक अभियंता श्री जे0 पी0 बंसल, अवर अभियंता को दोषी बताते हुए निलंबित करने की संस्तुति की गई थी।

इसी संबंध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जांच की गई। श्री यू0 सी0 तिवारी, सहायक अभियंता को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा दोनों जांच आख्याओं के आधार पर आरोप पत्र बनवाये गये जो प्रमुख अभियन्ता से दिनांक 6-2-89 को प्राप्त हो गये हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के ग्राम खारिहानी समेत अन्य गांवों को पानी दिए जाने के संबंध में कार्यवाही

138–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-9-87 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, के उत्तर के अर्ध0 शा0 प0 सं0–3694/88-23-सिं0-4-1 वी0 आई0 पी0/87 दिनांक 30-8-88 द्वारा संयुक्त सचिव (श्री देवेन्द्र सिंह) के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि पोषक नहर बनाने के पूर्व जनपद बाराबंकी के ग्राम खारिहानी समेत 12 गांवों को पानी प्रचुर मात्रा में मिलता था परन्तु पोषक नहर के निर्माण के बाद इन्हें पानी की बड़ी कठिनाई रहती है ? यदि हां, तो इन गांवों को पूर्व की भांति पानी दिए जाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या शारदा नहर प्रणाली द्वारा ही सरोरा रजबहा को और चौड़ा करके इन गांवों को पानी देना सम्भव है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नगत 12 ग्रामों के क्षेत्र की सींच के लिए अन्य स्रोतों से पानी दिया जाना विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

जनपद एटा में सिंचाई विभाग (नलकूप खण्ड) में कार्यरत अमीन राम जी लाल की मृत्यु तथा पेंशन का भुगतान

139–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में सिंचाई विभाग (नलकूप) खण्ड) में कार्यरत अमीन रामजी लाल की मृत्यु के तीन वर्ष उपरान्त भी पेंशन का भुगतान उनकी विधवा पत्नी को अभी तक नहीं प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री रामजी लाल की मृत्यु तीन वर्ष पूर्व न होकर दिनांक 23-5-86 को हुई थी । पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई लखनऊ द्वारा भुगतानादेश का अग्रसारण पत्र उनके पत्रांक 599 सिंचाई 1141-पे0ग्रे0, दिनांक 21-4-87 द्वारा कोषागार एटा पर निर्गत किया गया था जिसकी प्रति स्वर्गीय श्री रामजी लाल की पत्नी को भी पृष्ठांकित की गई है । कोषाधिकारी, एटा द्वारा उक्त भुगतानादेश पर आपत्ति किए जाने के कारण प्रकरण कोषाधिकारी एटा, एवं मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ के मध्य पत्राचार में है । विभाग द्वारा प्रयास कर पेंशन के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

कटेहरी तथा भीटी विकास खण्डों में नलकूपों पर विद्युत एवं विभागीय कमी के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों की शिकायत

140–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 12-5-88 का पत्र जिसमें कटेहरी तथा भीटी विकास खण्डों में नलकूपों पर विद्युत एवं विभागीय कमी के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों की शिकायत की गई है, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई और अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्डवार ग्रामों का विद्युतीकरण तथा हरिजन बस्तियों के संबंध में विभाग की नीति

141–श्री भिखसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों का विद्युतीकरण तथा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के संबंध में विभाग की क्या नीति है और इस संबंध में सरकार ने विकास खण्डवार प्रतिवर्ष कितने ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है ? घरेलू उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन की प्राथमिकताएं क्या हैं ? इस दिशा में विकास खण्ड हरिगंटनगंज, मिल्कीपुर और अमीनगंज फैजाबाद की अब तक की कार्य प्रगति क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं और राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है जिसके लिए प्रति वर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी ग्राम के विद्युतीकरण के लिए विद्युतीकरण पर आने वाली लागत पर प्राक्कलन पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत और सर्विस लाइन व जमानत की राशि जमा करके अनुबन्धों के आधार पर 10 प्रतिशत प्रतिलाभ मिलना आवश्यक है । किसी ग्राम के एन0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करते समय उस ग्राम की एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अवश्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम के विद्युतीकरण के साथ एक से अधिक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण भी किया जा सकता है यदि (क) हरिजन बस्ती में परिवारों की संख्या 30 या अधिक हो और (ख) हरिजन बस्ती की दूरी निकटतम एल0 टी0 लाइन के खम्भे से 200 मीटर के अन्दर हो ।

ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया जाता है । इस लक्ष्य के अन्तर्गत जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा जिले के विभिन्न विकास खण्डों जिनके लिए योजना लागू हो के ग्रामों का चयन किया जाता है ।

घरेलू उपयोग के लिए विद्युत कनेक्शन की प्राथमिकता आवेदक द्वारा सर्विस लाइन तथा जमानत की राशि जमा करके अनुबन्ध करने की तिथि से निर्धारित होती है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिश्टनगंज, मिल्कीपुर और अमानीगंज में 22-1-89 तक ग्रामों व हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :—

विकास खण्ड	एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या
1—हरिश्टनगंज	11	16
2—मिल्कीपुर	21	26
3—अमानीगंज	14	13

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि

142—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर विद्युत परिषद् का एक लाख से अधिक रुपया बकाया है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उपभोक्ताओं के ऊपर विद्युत परिषद् का कुल कितना रुपया बाकी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

दिनांक 31-10-88 तक 606 विद्युत उपभोक्ताओं पर परिषद् का 1 लाख से अधिक बकाया था ।

उक्त तिथि तक उपरोक्त संख्या के उपभोक्ताओं पर परिषद् का कुल 494.44 करोड़ रु0 बाकी था ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या

143—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कुल कितने अधिकारी इस समय कार्यरत हैं तथा कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त परिषद् के गठन के समय अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग क्या संख्या थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में 4,346 अधिकारी एवं 94,327 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के गठन के समय अधिकारियों की संख्या 264 एवं कर्मचारियों की संख्या 8,650 थी ।

144–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति

145–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव ने अधीक्षण अभियन्ता षष्टम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ को अपने पत्रांक 1590/शारदा सहा0 समा0/मु0 अ0/दिनांक 20 अप्रैल, 1987 के द्वारा उन्नाव जनपद के विकास खण्ड सुमेरपुर को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और ग्राम्य विकास क्षेत्र (क्षेत्र विकास) विभाग को क्या संस्तुति की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

उन्नाव जनपद में सिंचाई शारदा नहर प्रणाली से होती है । अतएव इस जनपद के किसी विकास खण्ड को शारदा सहायक समादेश में लिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

ग्राम बसहिया, तहसील टाण्डा, फैजाबाद की भुइया ड्रेन निर्माण हेतु ली गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

146–श्री गोपी नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सम्पत पुत्र श्री खेचू, व धर्म राज पुत्र बेचू ग्राम बसहिया, ब्लाक बंभखारी, तहसील टाण्डा, फैजाबाद की भूमि 1980-81 में भुइया ड्रेन निर्माण हेतु भूमि नम्बर-2, रकबा 2 ग्राम बसहिया में स्थित की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसका प्रतिकर भुगतान किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्री सम्पत पुत्र श्री बेचू (न कि श्री खेचू) श्री धर्मराज पुत्र श्री बेचू की भूमि भोइया ड्रेन के निर्माण हेतु गाटा संख्या–1 रकबा 0.135 एकड़ न कि भूमि नं0-2 रकबा-2 वर्ष 1980-81 में ली गयी थी ।

जी नहीं।

धारा–6 का प्रकाशन होने के पश्चात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी फैजाबाद द्वारा भूमि के प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

टिहरी बांध परियोजना में प्रभावित गांवों को पुनर्वासित किए जाने की योजना

147—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में स्थित टिहरी बांध के कारण अब तक कितने गांव पुनर्वासित किये गये हैं? उनके नाम व जनसंख्या कितनी है तथा कितने गांव पुनर्वासित होने के लिए शेष हैं तथा उनके नाम व जनसंख्या क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण रूप से डूब प्रभावित होने वाले गांव माली-देवल सिरोंह, पांच बड़े-बड़े गांव उप्पू को पुनर्वासित करने हेतु किन-किन स्थानों पर भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था शासन ने की है तथा कब तक उक्त गांव पुनर्वासित किये जायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

टिहरी बांध परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 26 ग्रामों का पुनर्वास किया किया गया। ग्रामों के नाम व जनसंख्या का विवरण संलग्नक 'क' में है। टिहरी बांध परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 86 ग्रामों का पुनर्वास किया जाना शेष है। शेष ग्रामों के नाम व जनसंख्या का विवरण संलग्नक 'ख' में है। द्वितीय चरण के ग्रामों को विभिन्न पुनर्वास स्थलों यथा पथरीयाँ, रानीपुरी, बैजारावाला व जनपद देहरादून के अन्तर्गत कुछ निजी भूमि लेकर विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने की योजना है । प्रथम चरण के गांवों को पुनर्वासित करने के उपरान्त द्वितीय चरण के गांवों के पुनर्वासित किया जायेगा । प्रथम चरण के गांवों को 30 जून, 1991 तक पुनर्वासित करने का लक्ष्य है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 206 पर)

टिहरी जनपद में स्थित टिहरी बांध के निर्माण हेतु सोवियत संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं विस्थापित परिवारों को आवास निर्माण की सुविधाओं की मांग

148—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में स्थित टिहरी बांध के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि सोवियत संघ से शासन को प्राप्त हुई है ? टिहरी नगर कब तक हटाया जायेगा ? टिहरी नगर के विस्थापितों को नई टिहरी में आवास स्थल उपलब्ध करा दिए गए हैं? यदि नहीं, तो कब तक कराये जायेंगे?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

टिहरी बांध के निर्माण हेतु जो धनराशि सोवियत संघ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वह भारत सरकार को प्राप्त होती है, न कि उत्तर प्रदेश सरकार को।

जून, 1991 तक हटाया जाना प्रस्तावित है।

नये टिहरी नगर में विस्थापितों को आवास स्थल जून, 1990 तक उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

149—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने की तिथि से कितने समय की अवधि आवास निर्माण के लिए टिहरी बांध विस्थापित परिवारों को दी जायेगी तथा टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए नई टिहरी में आवास निर्माण सिंचाई विभाग करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विस्थापित परिवारों को आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि आवास निर्माण के लिये दी जायेगी।

विस्थापित परिवारों को नये टिहरी नगर में आवास निर्माण हेतु प्लाट दिये जाने का प्राविधान है, जिस पर निर्माण कार्य विस्थापितों द्वारा स्वयं किया जायेगा और शासन की नीति के अनुसार भवन निर्माण सामग्री विभागीय दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्राम सुखल में नलकूप निर्माण हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य संबंधी जानकारी की मांग

150—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में भूगर्भ जल उपलब्ध न होने के कारण नलकूप निर्माण हेतु छिद्रण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्या ग्राम सुखल में नलकूप निर्माण हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण की सफलता को देखते हुए उस क्षेत्र में कुछ और अधिक अन्वेषणात्मक छिद्रण कराये जायेंगे जिससे उस क्षेत्र में भूगर्भ जल की स्थिति की और अधिक व्यापक जानकारी मिल सके ? क्या प्राप्त जानकारी के आधार पर उस क्षेत्र में नए नलकूप भी लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कितने और कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

अन्वेषणात्मक छिद्रण का कार्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 लखनऊ एवं केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा स्वयं कराया जाता है। ग्राम सुखल में एक नलकूप निर्मित है। जनपद प्लान में प्राविधान के अनुसार जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति पर चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त ही विभाग द्वारा नलकूप का निर्माण कराया जाता है।

सम्प्रति उस क्षेत्र में नये नलकूप लगाये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की ग्राम मंगारी में दुर्गा बंशल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट स्थापित करने तथा उत्सर्जित प्रदूषण अवयवों की जांच विषयक जानकारी

151—श्री गोपी नाथ दीक्षित—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की बीकापुर तहसील में ग्राम-मंगारी में दुर्गा बंशल फर्टिलाइजर लि0 नाम से कोई प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है?

यदि हां, तो क्या उक्त प्रोजेक्ट स्थापित करने के पूर्व प्रदूषण संबंधित समस्त विषयों पर विचारोपरान्त स्वीकृति दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त प्रोजेक्ट से मौजूदा समय में प्रदूषण का वातावरण बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्टिलाइजर से उत्पन्न प्रदूषण होने की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी हां।

लागू नहीं होता है।

जी नहीं । उद्योग से निकलने वाले अवयवों की जांच करायी गयी थी, जो कि "बोर्ड" के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के कारण बोर्ड द्वारा वर्ष 1988 को सहमति प्रदान की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता है।

उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन बोर्ड के मानकों के अनुरूप होने के कारण जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय शाहजहांपुर की कथित स्थापना एवं कार्य

152–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय शाहजहांपुर द्वारा स्थापना के दिनांक से कितने उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

शाहजहांपुर में उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय स्थापित नहीं है। निदेशालय की स्थापना राज्य स्तर पर की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के अधिशासी अभियंता श्री सुरेश गिरी के विरुद्ध आरोपों की जांच, उनके द्वारा निर्मित भवन की लागत का विवरण

153–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश गिरी के विरुद्ध वर्क आर्डर 87206 का रेट व क्वालिटी मसकूक करके हजारों रुपये के फर्जी भुगतान 1987 के हड़ताल के दौरान 10-10 हजार रुपये के झूठे मस्टर रोल के फर्जी भुगतान व भ्रष्टाचार के अनेक गम्भीर आरोप हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध वर्ष 1987 में प्राप्त सभी शिकायतों की जांच कराकर सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। मुजफ्फरनगर खण्ड, गंगा नहर के तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता (अधिशासी अभियंता नहीं) श्री सुरेश चन्द्र गिरि (श्री सुरेश गिरि नहीं) के विरुद्ध वर्क आर्डर 87206 का रेट व क्वान्टिटी (क्वान्टिटी नहीं) मसकूक करके हजारों रुपए के फर्जी भुगतान, अगस्त, 1987 में जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल के दौरान 10-10 हजार रुपये के झूठे मस्टर रोल जिलेदारों से प्रमाणित कराकर फर्जी भुगतान की शिकायत व अन्य शिकायतें प्राप्त हुई।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच अब शासन के सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से करायी जा रही है। चूंकि जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः उसे माननीय सदन के पटल पर अभी रक्खा जाना संभव नहीं है। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

154–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि श्री गिरी ने विभाग से अर्जित अपार अवैध सम्पदा से लगभग 25 लाख रुपये की लागत से लखनऊ में अपने लिए एक आलीशान भवन निर्मित कराया है ?| यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री गिरी के भवन की सही कीमत व उसके निर्माण में लगे धन के स्रोत का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री सुरेश चन्द्र गिरि, प्रभारी सहायक अभियंता ने इन्दिरानगर कालोनी, लखनऊ में एक भवन का निर्माण कराया है, जिसकी अनुमानित लागत श्री एस0 एन0 पनजवानी, ए-531 इन्दिरानगर, लखनऊ मूल्य आंकलक के अनुसार रु-1.62 लाख है (रु0-25 लाख नहीं) ।

श्री सुरेश चन्द्र गिरि, प्रभारी सहायक अभियंता द्वारा प्रोषित भवन के निर्माण में लगे धन के स्रोत का विवरण संलग्न है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 209 पर)

बरेली जिला औद्योगिक विकास निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री घनश्याम शर्मा के विरुद्ध रिश्वत लेने की जांच विषयक कार्यवाही

155–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि बरेली जिला औद्योगिक विकास निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री घनश्याम शर्मा को दिनांक 13-10-87 को सतर्कता विभाग ने एक ठेकेदार से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था व उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने तथा उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, श्री घनश्याम शर्मा, अधिशासी अभियन्ता को सतर्कता विभाग ने रिश्वत लेने के आरोप में ट्रेप किया था तथा उन्हें पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया था। श्री शर्मा के मामले में विधिक विवेचना के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा श्री शर्मा पर अभियोजन की कार्यवाही करने की स्वीकृति निगम के निदेशक मण्डल द्वारा सतर्कता अधिष्ठान को प्रदान की जा चुकी है। चूंकि मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है अतः इस प्रकरण की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना जनहित में उचित नहीं होगा।

नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम बरेली द्वारा अनुसूचित जाति के ठेकेदार श्री राधेश्याम चन्द्रा से पी0-ग्रेवल की आपूर्ति कराये जाने पर भी भुगतान न होना

156–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम, बरेली ने अनुसूचित जाति के ठेकेदार श्री राधे श्याम चन्द्रा से पी0-ग्रेवल की आपूर्ति करने के लिए दिनांक 11-3-85 संख्या-2184-85 के अन्तर्गत अनुबन्ध किया था और 30-4-85 को पूरी सप्लाई होने के बाद भी अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी श्री राधेश्याम चन्द्रा ठेकेदार के द्वारा सप्लाई किये गये पी-ग्रेवल के भुगतान का तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

दिनांक 30-4-85 तक पूरी सप्लाई ठेकेदार द्वारा नहीं की गयी है। कुल अनुबंधित मात्रा 200 घनमीटर के विरुद्ध 85.75 घनमीटर बजरी सप्लाई की गयी है। इसमें से 64.67 घनमीटर बजरी का भुगतान वाउचर संख्या–175 एच दिनांक 26-3-88 द्वारा धनराशि रुपये 7366.00 का किया जा चुका है।

परगनाधिकारी, सदर बरेली द्वारा दिनांक 25-5-85 को बरेली स्टोर पर पड़ी बजरी का सैम्पल भरा गया है तथा जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। उपरोक्त अनुबन्ध के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा विभाग को सही सप्लाई की गयी बजरी की मात्रा का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज बहादुर सिंह, पेट्रोल मैन की विद्युत दुर्घटना से हाथ कट जाने से क्षतिपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाई

157–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज बहादुर सिंह, पेट्रोल मैन बेगम बाग, अलीगढ़ का 9-7-71 को हाइडिल सर्विस कनेक्शन उपखण्ड अलीगढ़ के कार्य क्षेत्र छर्रा में आज से 15 वर्ष पूर्व विद्युत परिषद् का कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर हाथ कट गया था ? विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथा विधायक श्री कल्याण सिंह द्वारा भी सरकार को लिखकर भेजा गया था परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? श्री राजबहादुर सिंह पेट्रोल मैन की क्षति पूर्ति एवं चिकित्सा खर्च की धनराशि देने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री राज बहादुर सिंह, पेट्रोल मैन को विद्युत दुर्घटना से उनके हाथ कट जाने के फलस्वरूप रुपये 5,880 की क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 12-10-88 को किया जा चुका है।

जहां तक श्री राज बहादुर सिंह के चिकित्सा खर्च की क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, उस समय राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त दुर्घटना के फलस्वरूप श्री राज बहादुर की अर्जन शक्ति का ह्रास के बावजूद भी उसी पद पर तथा वेतनमान पर रखा गया है जिससे इन्हें कोई आर्थिक क्षति नहीं पहुंचे । साथ ही श्री राज बहादुर को परिषद् द्वारा विकलांग भत्ता के रूप में रु0 25 प्रति माह की दर से अतिरिक्त लाभ के रूप में दिया जा रहा है।

श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता (प्रथम), अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की जांच

158–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमेश चन्द तिवारी, सहायक अभियन्ता (प्रथम), अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा शासन को प्रेषित जांच आख्या पत्र संख्या 4444 दिनांक 7-3-87 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो वह अनियमितताएं क्या थीं और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–4444 दिनांक 7-3-87 के साथ अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़ के पत्रांक–सी-52/सी-5, दिनांक 28-2-87 की प्रति भेजते हुए आवश्यक

कार्यवाही हेतु लिखा था । इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने अपने पूर्वाधिकारी के पत्रांक–221, दिनांक 5-5-86 का संदर्भ देते हुए इस पत्र में सहायक अभियन्ता द्वितीय का स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था ।

(1) दंभा करहला नाले के मील 4-4 पर पुल निर्माण में नियमानुसार कार्यवाही न करना ।

(2) पुल के फर्जी मस्टर रोल बनाना ।

उक्त क्रमांक–(1) पर अंकित अनियमितता के सम्बन्ध में श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप पत्र शासन के पत्रांक–3265/88-23-सिं0-10-14/86 दिनांक 13-7-88 द्वारा स्वीकृत कर अनुशासनिक जांच की जा रही है तथा अनियमितता संख्या–(2) के बारे में आवश्यक छानबीन की जा रही है एवं श्री उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ में पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल चालकों द्वारा किया गया आमरण अनशन एवं मांगों के विषय में कार्यवाही

159–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल, अलीगढ़ में कार्यरत नलकूप चालक जी0 ओ0 के अनुसार अपनी मांगों को मनवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

खण्डों में कार्यरत अंशकालीन नलकूप चालक अनशन पर बैठे थे ?

उनकी मुख्य मांग महंगाई भत्ते दिये जाने से सम्बन्धित है। शासकीय आदेश संख्या 1699/36-बी-23, दिनांक 5-8-84 के अन्तर्गत अंशकालीन कूप चालकों को संहत वेतन रु0 299 प्रति माह की दर से दिए जाने का प्राविधान है, जो उन्हें दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बस्ती द्वारा बघोली विकास खण्ड में स्थित दुकानदारों की जांच

160–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बस्ती द्वारा बघोली विकास खण्ड में स्थित दुकानदारों की जांच 21-10-87 को की गयी थी जिसमें गम्भीर अनियमितताएं प्रकाश में आई थी किन्तु विभागीय कर्मचारियों के प्रभाव के कारण जांच कार्य रोक दिया गया ? यदि हां, तो उन विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बस्ती द्वारा बघौली विकास खण्ड के दुकानदारों की जांच दिनांक 21-10-87 को की गयी थी । जांच में पाई गई अनियमितताओं के कारण दो दुकानों का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया । किसी विभागीय कर्मचारी के प्रभाव के कारण जांच कार्य नहीं रोका गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले के ग्रामीण अंचल एवं इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थापित 33 के0 वी0 के सभी सब-स्टेशनों को कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई को सौंपने की मांग

161–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के ग्रामीण अंचल एवं इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थापित 33 के0 वी0 के सभी सब स्टेशनों को कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ को सौंप दिए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्तमान में व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

जनपद बाराबंकी में विद्युतीकरण हेतु चयनित गांवों की सूची और कार्य की स्थिति

162–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विद्युत खण्ड को पिछले 6 माह से विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत सामग्री न दिए जाने के कारण वर्ष 87-88 में विद्युतीकरण हेतु चयनित गांवों में काम अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 87-88 में जनपद के कौन-कौन गांव चयनित थे और कहां-कहां काम अधूरा पड़ा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

बाराबंकी जनपद में वर्ष 1987-88 में 42 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था जिनमें 40 ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0 एम0 एन0 पी0) और 2 ग्राम राज्य सामान्य कार्यक्रम में प्रस्तावित थे । चूंकि वर्ष 1987-88 में आर0 एम0 एन0 पी0 योजना में केवल 32 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. चयनित ग्रामों में से 32 ग्राम आर0 एम0 एन0 पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत कर दिए गये । जो 2 ग्राम राज्य सामान्य कार्यक्रम में विद्युतीकृत हेतु चयनित थे उनके विद्युतीकरण का कार्य 87-88 में उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण पूरा नहीं हो सका था ।

वर्ष 1987-88 में जनपद बाराबंकी में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची और कार्य की स्थिति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 210 पर)

वाराणसी जनपद में नलकूप चालकों के शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान कर स्थायी करने की मांग

163—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता को सम्बोधित अपने पत्र सं0—वी0 974/88 दिनांक 24-5-88 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में नलकूप चालक के पद पर वर्ष 1971-72 से कार्यरत नलकूप चालकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा-8 है, शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान कर स्थायी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने के कारण ।

जनपद देवरिया, तहसील-सलेमपुर, ब्लाक भटनी के ग्राम सभा खजूरी करौता में विद्युतीकरण की मांग

164—श्री बलराम यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया, तहसील-सलेमपुर, ब्लाक भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजूरी करौता में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में मा0 मुलायम सिंह यादव नेता लोकदल विधान मण्डल दल के पत्रांक सं0 1111/एल डी/88, दिनांक 18-8-88 पत्रांक 1296/एलडी/88 दिनांक 26-10-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

चूंकि ग्राम खजूरी करौता विकास खण्ड भटनी, जनपद देवरिया का जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया है । अतः इस गांव के विद्युतीकरण हेतु कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

165—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

(1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

166—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

(3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

(श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

पी अध्यक्ष—

मैं आपके व्यवस्था के प्रश्नों को 300 और 301 के बाद सुनूंगा ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

[आज दिनांक 15 फरवरी, 1989 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से ग्राह्यता के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 10 सूचनायें स्वीकार की गयीं, इनके नाम इस प्रकार हैं :

पहली सूचना श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित की है, दूसरी सूचना श्री पारस नाथ यादव की, तीसरी सूचना श्री राम बदन एडवोकेट की, चौथी सूचना श्री इकबाल अहमद, पांचवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की, छठी सूचना श्री मो0 मसूद खां की, सातवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की, आठवीं सूचना श्री बदन सिंह की, नवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी की, दसवीं सूचना श्री कल्लू राम रत्नाकर की है । यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायें ।]

कानपुर महानगर की कतिपय बस्तियों में गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

[मान्यवर, "कनपुर शहर में भीषण गन्दगी व्याप्त है घनी आबादी वाली बस्तियां में जहां हरिजन एवं अल्प संख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। सार्वजनिक शौचालय टूटे पड़े हैं एवं स्थिति नारकीय है । स्त्रियों के अलग शौचालय की व्यवस्था नगण्य है जिससे कि उनको खुले मैदान में शौच जाना पड़ रहा है। लक्ष्मी पुरवा, बाबू पुरवा, मुंशी पुरवा, अजीतगंज, चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, महेश्वरी, मोहाल अनवर गंज, नौघड़ा, शास्त्री नगर, गड़रियनपुरवा आदि में सीवर जाम होने के कारण मलमूत्र सड़कों पर बह रहा है किसी समय भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं । अनेकों बार लिखने पर भी नगर महापालिका समस्या को हल करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठा सकी है । भारत सरकार ने जो "भंगी मुक्त नगर" योजना बनायी है उसमें से कानपुर महानगर को निकाल रखा है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं सदन के माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब सीवर की सफाई तथा जल निकासी का कार्य वृद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया जाये तथा इस कार्य हेतु जल संस्थान को अंतरिम धनराशि स्वीकृत की जाये । साथ ही साथ गंगा एक्शन प्लान की परिधि में सम्पूर्ण महानगर को लिया जाये जिससे कि उक्त योजना की धनराशि महानगर का सर्वेक्षण कर सार्वजनिक शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित करने पर खर्च किया जा सके ।]

जिला गाजीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पक्का पुल का पहुंच मार्ग बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व का जनपद गाजीपुर के सा0 नि0 वि0 द्वारा बने पक्का पुल से संबंधित पहुंच मार्ग की ओर ले जाना चाहता हूं । इस विभाग द्वारा परसा, बारुचौर तिराहीपुर मार्ग पर टोस नदी पर यह पुल तीन साल पहले बन कर तैयार हो गया लेकिन इस पुल के लिए अभी तक पहुंच मार्ग नहीं बना है, जिसे उस क्षेत्र के लाखों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है । यही नहीं यहां के किसानों और व्यापारियों को भी रसड़ा और मुहम्मदाबाद दोनों तहसीलों में अपने सामान को बिक्री हेतु नहीं ले जा पाते हैं जिससे इन गरीब किसानों और व्यापारियों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । इस क्षेत्र के गरीब किसान परिश्रम व मेहनत करके गन्ना उत्पादित तो करते हैं लेकिन उस गन्ना को चीनी मिलों एवं आलू उत्पादक शीतगृहों तक नहीं ले जा पाते हैं जिससे वहां के लाखों गरीब किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

कृपया सरकार को निर्देशित करें और उक्त पहुंच मार्ग को शीघ्र बनवाने का कष्ट करें जिससे उस क्षेत्र के लाखों गरीब किसान, व्यापारी तथा अन्य लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो ।]

जिला गाजीपुर में गोधनी नदी पर रेंगाघाट पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद-गाजीपुर के गोधनी नदी पर रेंगाघाट पर सिधागर रेंगा पिण्डारी मार्ग पर सा0 नि0 वि0 द्वारा पक्का पुल के निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस पुल के न बनने के कारण लाखों जनता , किसान एवं व्यापारी अपने सामान को मण्डियों तक नहीं ले जा पाते हैं । वहां के गरीब किसान अपना गन्ना, आलू को मण्डियों तक नहीं पहुंचा पाते है जिससे उन गरीब किसानों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । इस पुल के न बनने के कारण वहां के किसानों, व्यापारियों और अन्य लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

अतः कृपया सरकार को निर्देशित कर उक्त पुल का निर्माण सा0 नि0 वि0 द्वारा शीघ्र कराने का कष्ट करें ताकि उस क्षेत्र के लाखों लोगों को इस पुल से सुविधा प्राप्त हो सके ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला मैनपुरी की नौनेर ग्राम सभा को खण्डों में विभाजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इकबाल अहमद–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व का विषय मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जनपद मैनपुरी की गांव सभा नौनेर की आबादी 20 हजार से अधिक है । इतनी अधिक आबादी वाली गांव सभा राजस्व ग्राम का कार्य सुचारू रूप से चलाना असंभव है, इसीलिए आम तौर पर 5 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों को टाउन एरिया बना दिया जाता है ।

इस राजस्व ग्राम एवं ग्राम सभा को 13 खण्डों में बंटवाने हेतु राजस्व मंत्री उ0 प्र0 ने जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा परन्तु जिलाधिकारी मंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है ।

नौनेर गांव की संघर्ष समिति 27 जनवरी, 88 से गांव सभा को 13 खण्डों में बांटने हेतु क्रमिक अनशन चला रही है जो अभी भी जारी है ।

मेरी शासन से मांग है कि उक्त गांव को 13 राजस्व गांवों में विभाजित करके 13 गांव सभा का निर्माण करके राजस्व मंत्री के आदेश का अनुपालन कराया जाय ।]

जिला गोण्डा की नवाबगंज शुगर मिल पर गन्ना कृषकों तथा मिल मजदूरों का बकाया भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं ।

शुगर मिल नवाबगंज जिला गोण्डा के पुराने मालिक नारंग गुरू का नया व पुराना लगभग एक करोड़ पचपन लाख रुपये तथा मिल मजदूरों का लगभग एक करोड़ तीस लाख रुपया बकाया है जिसके कारण सरकार ने चीनी मिल पर अक्टूबर, 1987 में रिसीवर नियुक्त कर दिया और पुनः किसी निराकरण किये ही अधिकारियों और मिल मालिकों की सांठ-गांठ के कारण चीनी मिल त्रिदलीय बैठक करके श्री अग्रवाल को सौंप दी गई । गन्ना मूल्य का बकाया तथा चीनी मिल मजदूरों का बकाया पूर्ववत रहा । चीनी मिल मालिक मिल बन्द करके भागना चाहते हैं । गन्ना किसानों के गन्ने की दुर्दशा और मिल बन्द होने के कारण 1500 मजदूर भुखमरी के कगार पर जा चुके हैं । अब तक सरकार तथा मिल मालिक चीनी मिल चालू करके गन्ना किसानों का गन्ना खरीदना नहीं चाहते हैं । इससे 40 हजार गन्ना किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है । गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल शुगर मिल नवाबगंज, गोण्डा चालू करायी जाय, गन्ना किसानों का पुराना बकाया तथा मिल मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान कराकर उस क्षेत्र में फैले हुए असंतोष को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय ।]

जिला आजमगढ़ की तहसील आजमगढ़ व लालगंज के गन्ना काश्तकारों की परेशानियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां–

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में तहसील आजमगढ़ व लाल गंज के गन्ना किसानों की हालत काफी खराब है। पिछले साल गन्ना बिक्री केन्द्र का कांटा काफी बाद में लगा और तौलने में इतना अधिक समय लगता था जिसकी वजह से कई दिन गन्ना पड़ा रहता रहा । इस साल गन्ना बोने वाले किसानों का सर्वे भी गलत हुआ और कांटा भी लेट लगा । खास तौर से बिन्द्र बाजार (मुजफ्फरपुर धनौली) का कांटा जनवरी, 1989 में लगा और माँके पर तौल भी नहीं हो रही थी परन्तु मिल में तौल दिखाई जाती थी। गन्ना बोने वाले किसानों को पीड़ित किया जा रहा है । फलस्वरूप वह गन्ना बोना कम कर दिये हैं । चीनी मिल का मैनेजर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा रहा है और जन प्रतिनिधियों से बात नहीं कर रहा है। इससे जनता के अन्दर काफी रोष पैदा हो रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान दिलाते हुए मांग करता हूं कि सठियांव चीनी मिल जिसके एरिया में यह गांव आते हैं किसानों की समस्याओं की हमदर्दी रखने वाला मैनेजर रखते हुए गन्ने का सर्वे और समय से गन्ने की तौलवाई करने का कष्ट करें ।]

इण्डिया पेस्टीसाइड्स प्रा0 लि0 एवं स्वरूप केमिकल्स प्रा0 लि0 के श्रमिकों की अवैधानिक छटनी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, इण्डिया पेस्टीसाइड्स प्रा0 लि0 एवं स्वरूप केमिकल्स प्रा0 लि0 लखनऊ के 106 कर्मचारियों को अवैधानिक तरीके से निकाल दिया गया है। वे 11 अक्टूबर, 1988 से विधान भवन के समक्ष धरना, आमरण अनशन चला रहे हैं कुछ लोग जेल में भी पड़े हैं। निकाले गये श्रमिकों को सवेतन सेवा में लेने, 8 घंटे के कार्य, जले हुए कर्मचारियों को काम पर रखने एवं मुआवजा जैसी न्यायोचित मांगों को न तो मालिक देने के लिए तैयार हो रहे हैं और न श्रम विभाग ही उन्हें कानूनी संरक्षण दे रहा है। उक्त फर्म के मालिक सत्ता पार्टी के पदाधिकारी एवं केन्द्रीय मंत्री श्रीमती शीला कौल के सम्बन्धी हैं। इसीलिए शासन भी मौन है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के अकबरा ग्राम में हुई अग्नि दुर्घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम अकबरा के उप ग्राम नगला सपेरा में दिनांक 2 फरवरी, 1989 को दिन में ही हुई भयंकर अग्नि दुर्घटना में पूरा नगला जलकर स्वाहा हो गया। इस नगला में सपेरा जाति के (अनुसूचित जन जाति) के सिर-धारिया, एवरन, भुई, रघुबीर, अंगद गीतम आदि के फूस के बने मकान और उनमें रखा हुआ आनाज, वस्त्र, जेवर, भूसा सब पूरा जलकर समाप्त हो गया। यह लोग जाड़ों की भीषण सर्दी में जमीन और आकाश के बीच चाड़े में पड़े हुए हैं। इनके खाने के लिए न अनाज है और पशुओं के लिए चारा। इस अग्नि दुर्घटना से पूरा मजरा सपेरा त्रस्त और दुखी है। यह लोग भूखे मर रहे है। प्रशासनिक सहायता तो दूर रही पर अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है जिससे आप पास की जनता में बड़ा क्षोभ व बेचैनी व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि नगला सपेरा के अग्निपीड़ितों के लिए अन्न और उनके पशुओं के लिए चारे की तुरन्त व्यवस्था करवाई जाय और इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत उनके मकान पक्के बनवाये जायें। पास में बनी सड़क से इस नगला को भी जोड़ दिया जाय।]

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के टनकपुर (पिथौरागढ़) परिक्षेत्र में परिचालकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के टनकपुर (पिथौरागढ़) परिक्षेत्र पिछले लम्बे समय से 200 से अधिक परिचालकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। इस कारण उस परिक्षेत्र के अन्तर्गत सभी मार्गों में बस सेवा में बहुत अधिक व्यवधान पड़ रहा है।

उक्त पदों में भर्ती हेतु पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच सम्पूर्ण प्रदेश से अभ्यार्थियों को आमंत्रित करके भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। जबकि अन्य परिक्षेत्रों में सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों से ही नाम लेकर भर्ती की जाती रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ परिक्षेत्र में भर्ती की इस प्रक्रिया को लेकर उक्त परिक्षेत्र की जनता में व्यापक रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इससे परिक्षेत्र में संबंधित युवकों को परिचालकों की भर्ती में अपेक्षित वरीयता न मिलने के कारण स्थानीय युवकों के संगठन "उपेक्षित नवयुवक संघ" ने पहली फरवरी से धरना आयोजित किया है और आन्दोलन को और अधिक उग्र किये जाने की धमकी दी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि परिचालकों के चयन में टनकपुर (पिथौरागढ़) परिक्षेत्र से सम्बद्ध नवयुवकों को ही चयन में सम्मिलित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 के बकाया ब्याज माफ किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्लू राम रत्नाकर–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में निम्नांकित लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं। हमारे दो जिलों में मिर्जापुर और वाराणसी जिले में कालीन उद्योग एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। यह कुटीर उद्योग विदेशों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे- अमेरिका, जर्मनी, लन्दन, इत्यादि देशों में और विदेशी मुद्रा में धन लाता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। विशेष रूप से यह कुटीर उद्योग बेरोजगारी, समस्या दूर किया है। क्योंकि यहां की जनता 90 प्रतिशत इस उद्योग में लगी है। इस निगम से वाराणसी मिर्जापुर के 250 लगभग कालीन व्यापारियों का लेन-देन चल रहा था लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही द्वारा सभी व्यापारियों का कालीन उद्योग बन्द होने के कगार पर है। उदाहरण के लिए, "मेसर्स आगरा कारपेट पैलेस समरिया, वाराणसी" का निगम द्वारा रु0-30,6,167-35/- का ऊनी धागा दिया गया था, जिसमें व्यापारी 3,12,294-51/- भुगतान कर चुका है, इसके बावजूद अधिकारियों ने 2,95,608/- रुपया बकाया ब्याज निकाल रहे हैं, इस तरह गलत ढंग से रुपया वसूल किया जा रहा है इससे तंग आकर व्यापारी अपना धन्धा बन्द करने के लिये मजबूर हो गया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीबों को परेशानी हो रही है।

अतः आप से अनुरोध है कि निगम द्वारा "मेसर्स आगरा कारपेट पैलेस" पर और अन्य व्यापारियों पर गलत ब्याज लगाया गया है, उसे माफ करने का कष्ट करें ताकि कालीन उद्योग को प्रोत्साहन मिले।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना, सर्वश्री हर्ष वर्धन व रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है। दूसरी सूचना, माननीय श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की व श्री मूल चन्द्र जी की है, तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की है और चौथी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की है।

श्री हर्ष वर्धन जी आपको क्या कहना है?

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया था, उसके संबंध में हम लोगों ने संशोधन के प्रस्ताव के रूप में अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि व बाबरी मस्जिद के विवाद को हल करने हेतु पहल करने के लिए शासकीय उदासीनता के संबंध में दिया था। लेकिन 3 दिन से हमें जो संशोधन मिल रहा है, उसमें से वह संशोधन निकाल दिया

नोट–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया है । आज राम जन्म भूमि व बाबरी मस्जिद के मसले पर चर्चा नहीं की जा रही है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जबकि इसे दूर करने के लिए केन्द्र तक के मंत्री भी प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदेश की यह वर्तमान सरकार कट्टर पंथियों को संरक्षण दे रही है, राजनैतिक संरक्षण प्रदान कर रही है। यह एक इतना विषम मामला है कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। यह मामला तीन साल से लम्बित चल रहा है। यह सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बैठकर बात से इस समस्या का कोई सौल्यूशन नहीं निकाल रही है और हम लोगों के संशोधन को अनावश्यक रूप से निकाल दिया गया है। हमारे संशोधन को जोड़ा जाय इसी पर मेरा औचित्य का प्रश्न है।

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुला लिया है। आपके मामले को इसके बाद सुन लेंगे।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर मेरा केवल इतना निवेदन है कि यह एक साम्प्रदायिक समस्या है। यदि हम इसी प्रकार डिबेट से भागते रहेंगे तो हम साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला कैसे कर पायेंगे। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि वह सदन को विश्वास में ले। राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद का जो मामला है, इस पर सरकार का क्या सौल्यूशन है, उसे वह बताये। इसका कोई हल तो वह निकाले। इस मामले में हमने जो संशोधन दिया है, उसको जोड़ा जाय। इस पलायनवादी नीति से समस्या का हल होने वाला नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो हम साम्प्रदायिकता से छुटकारा नहीं पा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इन संशोधनों को सम्पादन कराने का पूरा अधिकार अध्यक्ष को है। यदि अपने विवेक से अध्यक्ष ने संशोधन का कोई अंश निकालना न शामिल करना, इस आधार पर मुनासिब समझा है कि मामला सब-जुडिस है तो उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दीक्षित जी आपने जो मामला दिया है क्या वह नियम-300 के अंतर्गत आता है ? यदि आता है तो आप अपनी बात कहें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, आता है। नियमावली के नियम-300 की उप धारा-1 में यह स्पष्ट दिया है कि यदि कोई विषय आदरणीय सदन के समक्ष आ जाय और वह आपके संज्ञान में आ जाय तो उससे संबंधित नियमोल्लंघन हम उसे 300 के अंतर्गत उठा सकते हैं। श्री राम लक्षन प्रसाद जो कांग्रेस के विधायक है, की मां को पुलिस ने पीटा । इसके बाद इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रंजिश से वहां नगर पालिका के चुनावों के दौरान उन्हें पुलिस ने इतना पीटा कि उनके हाथों के फ्रेक्चर्स हो गये । विधान सभा के सामने उन्होंने अनशन किया । गृह मंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया। . . .

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जांय । नियम-300 के अंतर्गत यह नहीं आता है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, उनको इसलिए पीटा गया है कि उन्होंने अपनी मां की पिटाई की बात यहां कही ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि श्री राम लक्षन प्रसाद जी के साथ कोई घटना घटी है तो संबंधित सदस्य स्वयं उठा सकते हैं, अन्य सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना ग्राह्य नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री मूल चन्द–

मान्यवर, किसी मा0 सदस्य की हत्या हो जाय और आप कह रहे हैं कि जिस सदस्य के साथ वारदात हुई है, वही उठा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है । आप बैठें । मैंने श्री राम आसरे वर्मा को बुला लिया है।

(श्री मूलचन्द के खड़े रहने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार आप बोलेंगे या नियम आपके अनुसार चलेंगे ? आप बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने राम आसरे जी को बुला लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, समय-समय पर इस सदन में ऐसे बिन्दु उठाये जाते रहे हैं कि माननीय विधायकों की गरिमा, उनकी मर्यादा और उनके सम्मान को देखते हुए जब कभी भी उनके स्तर से कोई शिकायतें किसी विभाग के अधिकारी या विभाग को भेजी जायं, उनकी जांच के सिलसिले में माननीय विधायकों की यदि वे आवश्यकता समझते हों तो स्वयं सम्पर्क करके जानकारी कर सकते हैं । लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बाद भी आज भी अधिकारियों द्वारा यह सिलसिला जारी है कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिशासी अभियन्ता है, कोई मुख्य अभियन्ता है, यदि वह जांच अधिकारी बन गया तो अदालत की तरह सम्मन भेजता है। इस सम्बन्ध में दो प्रकरण आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) हैं, उन्होंने एक पत्र 3 फरवरी, 1989 को भेजा जिसमें एक शिकायत के सिलसिले में जांच कर रहे थे। उसी सन्दर्भ में उन्होंने मुझे लिखा है कि "उक्त पत्र में लिखे गये आरोपों के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य अधोहस्ताक्षरकर्ता को 10-2-89 तक प्रेषित करेंगे अथवा उक्त तिथि को स्वयं प्रस्तुत होने का कष्ट करें।" इसी के साथ दूसरा पत्र है अधिशासी अभियन्ता का, जिसमें लिखा है—"किसी भी कार्य दिवस में उक्त साक्ष्यों सहित मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने की कृपा करें।" इस तरह के पत्र माननीय विधायकों के पास भेजे जाते हैं जिनमें निर्देश जैसा दिया जा रहा है कि विधायकों को साक्ष्य देना है तो उनके कक्ष में उपस्थित हों।

[12.30 बजे]

जो घोषणायें शासन की ओर से यहां पर रखी गयी और जो निर्देश आपकी ओर से भी यहां दिये गये उनकी अवहेलना तथा अवमानना की जा रही है और इसके साथ ही साथ विधायकों की गरिमा को समाप्त किया जा रहा है इसलिए मैंने आपसे इसको उठाने की अनुमति मांगी थी।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो दो पत्रों का हवाला दिया है, यह मामला प्रश्न और सन्दर्भ समिति के सामने गया है। विधायकों की गरिमा पूरी तरह से सरकार रखना चाहती है लेकिन यदि किसी के हस्ताक्षर से कोई शिकायत मिली है, तो जहां पर वह पत्र दिया गया है तो उस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह माननीय विधायक से इसके बारे में कम से कम पूछें कि यह हस्ताक्षर आपके हैं या नहीं ? उसको वेरीफाई कराना अत्यन्त आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार से किसी की गरिमा की बात नहीं आती है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रख रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक स्वयं उपस्थित होने का प्रश्न है, वहां जाने का प्रश्न है, यह जरूर है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि ऐसे साक्ष्य में माननीय विधायकों को अधिकारी के पास नहीं जाना चाहिये। यह मामला प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में विचाराधीन है, अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में विचाराधीन है। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव रखते हैं तो इस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में पृष्ठ 5 पर संस्कृत में गीता के एक श्लोक का उल्लेख किया जो मूलत: संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और हम लोग यह उम्मीद करते थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं और कांग्रेस पार्टी में इस समय सबसे ज्यादा बजट विशेषज्ञ माने जाते हैं, वे जब सदन के अन्दर अपना बजट भाषण पेश करेंगे तो सदन के नियमों का, सदन की भाषा का, भारतीय संविधान का पालन करेंगे, ऐसी परम्परा है । माननीय अध्यक्ष की पीठ से दी गई व्यवस्थाओं में भी दिया गया है कि जो भी सदन की भाषा है, उसी में उसका उल्लेख किया जाय । पहली बात यह कि उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए और यदि उल्लेख किया जाता है तो साथ ही उसका सदन की भाषा में अनुवाद कर देना चाहिए। फिर भी यदि कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना ही चाहता है तो उस समय वह उसका अनुवाद सदन की भाषा में करेगा ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि "अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा" इसके आगे "परन्तु" करके और भी लिखा हुआ है किन्तु उसका सम्बन्ध इस समय के सन्दर्भ से नहीं है इसलिये मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं । अब जो सदन की नियमावली है उसमें 282 नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है "संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा ।"

मान्यवर, जो कल माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण को पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का उल्लेख किया और गीता का श्लोक जो कि गीता के अध्याय 12 में दिया हुआ है कि जब कृष्ण जी अर्जुन को भक्तियोग का पाठ पढ़ा रहे थे उस समय उन्होंने चार लाइन के श्लोक द्वारा उन्हें उपदेश दिया था, उसमें दो लाइनें कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पढ़ीं और दो लाइनें छोड़ दी थीं जिनका कि मैं उल्लेख कर रहा हूं :–

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय: ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ।

हे अर्जुन जो पुरुष अविनाशी अनिर्वचनीय और अव्यक्त अर्थात् किसी भी प्रमाण से व्यक्त न किया जा सकने वाले तथा सर्वत्र व्याप्त अचिन्त्य कूटस्थ अर्थात् माया महेश्वर एवं अविचल और सुनिश्चित निराकार निर्विकार परमात्मा की उपासना करते हैं,. वे इन्द्रियों के समुदाय को भली भांति संयमित करके सर्वदा अखिल जगत में एक भाव से स्थित मानते हुए सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत ज्ञानी साधक मुझे प्राप्त होते हैं अर्थात् मेरा स्वरूप हो जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं मान्यवर, समझ नहीं पा रहा हूं कि इन श्लोकों का प्रयोग अपने बजट भाषण में क्यों किया है इनका यहां पर क्या काम था ? दूसरे बजट भाषण कल जब यहां पर पढ़ना प्रारम्भ किया गया है तो राजीव जी के गुनगान से ही प्रारम्भ किया गया और कांग्रेस पार्टी की अच्छाई का ही ढिंढोरा पीटा गया है जो कि नियमों और सदन की परम्परा के विपरीत है, इस प्रकार से सदन के नियमों का और समय-समय पर दिए गये माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्णयों का पालन नहीं किया गया है और यहां पर "गीता" के महत्वपूर्ण श्लोकों का भी दुरुपयोग किया गया है, इन श्लोकों की यहां पर क्या सुसंगत थी, यह भी मैं नहीं समझ सका इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि बजट भाषण के उस हिस्से को बजट का अंग न माना जाये और न ही इसे कल की कार्यवाही का अंग माना जाए, इसे बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि क्योंकि यहां पर भारतीय संविधान और सदन की परम्पराओं के अनुकूल किया गया है, इसलिए इस पूरे बजट भाषण को ही सही नहीं माना जाना चाहिए और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को दुबारा बजट इस सदन में आकर प्रस्तुत करना चाहिए । इसलिये इस सम्बन्ध में मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप हम लोगों के अधिकारों की व सदन की गरिमा की रक्षा करें और इन्हें पुनः आदेशित करें कि वह आकर यहां फिर से अपना बजट प्रस्तुत करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में व नियमावली व आप द्वारा समय-समय पर दिए गये निर्णयों के बारे में जो बातें कही हैं, इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं और शतप्रतिशत मैं इनकी बातों से सहमत हूं लेकिन मैं इतना अवश्य इनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कल श्लोक माननीय मुख्य मंत्री जी श्री तिवारी जी ने पढ़ा है, वह हर प्रकार से बजट से ताल्लुक रखता है और बहुत ही सटीक है क्योंकि इन्द्रियों के समुदाय को भली भांति सयंमित करके सर्वदा अखिल जगत के जितने भी लोग पिछड़े व निर्बल वर्ग के हैं, ऐसे समस्त लोगों को एक भाव से मानते हुए सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत ज्ञानी साधक मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात् ऐसे लोग मेरा स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए माननीय तिवारी जी ने जो बातें कही हैं अपने बजट भाषण में, वह सब प्रदेश के हित की बातें कही हैं यह उनका अभिप्राय कि जो साधन हैं, सभी को जटाकर प्रदेश की किस तरह से सेवा की जाये, यह मान्यवर, उनका अभिप्राय है । जो गीता की पंक्ति में है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के अनुसार सदन में अगर किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसका अनुवाद हिन्दी में होना चाहिए । मान्यवर, जिस तरह से फूल से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी

प्रकार से हिन्दी से संस्कृत को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन, वर्ष 1979–84 के पृष्ठ 239 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिसमें यह दिया हुआ है कि जो मंत्री प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे देते हैं, उसका हिन्दी अनुवाद, सारांश या अभिप्राय उन्हें हिन्दी में बता देना चाहिये । साफ-साफ लिखा है कि सारांश या अभिप्राय बता देना चाहिए ।

माननीय तिवारी जी ने उसका अभिप्राय पहले ही बता दिया है, पहली पंक्तियों में बता दिया है । उसमें बताया है कि जिस प्रकार से गीता में शिक्षा दी गयी है, उसी प्रकार से एक जट होकर हम प्रदेश की सेवा करें, लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आयी तो दूसरी बात है। जहां तक संस्कृत का सवाल है, संस्कृत तो हिन्दी की मां है, उसको किस तरह से अलग किया जा सकता है । मां और बेटी को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। अगर संस्कृत में श्लोक दिया गया है, गीता का श्लोक दिया गया है तो उसके अभिप्राय को वह जानते हैं । तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तिवारी जी ने बिल्कुल उपयुक्त और उचित और सही तरीके से उसका प्रयोग किया है। इसमें किसी संविधान की धारा या नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ है और इससे ज्यादा उपयुक्त स्थान इस श्लोक के लिये नहीं हो सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मा0 अम्मार साहेब भगवान रजनीश के शिष्य हो गये हैं, वे धारा प्रवाह उत्तर दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों के कल्याण करने के लिए प्रदेश के सारे संसाधन जुटाकर बजट पेश किया है । क्या उसमें काला बाजारी, रिश्वतखोरी आदि सभी वर्गों के लिए, कल्याण के लिए नीति निहित है, क्या ?

श्री अम्मार रिजवी–

आप नाउम्मीद होंगे कि जिस वर्ग की ओर आप ने इशारा किया है, उस वर्ग के कल्याण के लिये इस बजट में कोई चीज नहीं है।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह जैसी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

फूलहिं फलहिं न बेत, जदपि सुधा बरसहिं जलद ।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं बिरंचि सम ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, संस्कृत भाषा के प्रति और जो श्लोक है, उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव दिखाया गया है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन मान्यवर, नियमावली के प्रति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हमें जागरूक रहना चाहिये । नियमावली में है कि किसी दूसरी भाषा का प्रयोग सदन में नहीं किया जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी और संस्कृत दो अलग-अलग भाषायें हैं । संस्कृत और उर्दू का क्या रिश्ता है । जो नियमावली बनी है, वह हमारे संविधान के तहत बनी है। अगर गलती हो गयी है, तो उसे मान लेना चाहिए । यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप उनकी निष्ठा होगी । यह तो हिन्दी का अपमान है, सारे सदन का अपमान है । अगर कह देते कि गलती हो गयी, तो अच्छी परम्परा बनती । मैं नहीं कहता कि पूरा बजट फिर से आप रखें कि भविष्य में कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाये कि हिन्दी के अलावा यदि किसी दूसरी भाषा का प्रयोग हो तो उसका अनुवाद किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने बाल की खाल निकाल दी । संस्कृत भाषा हिन्दी की जननी है। इसलिए इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । उसके अलावा जब यह श्लोक पढ़ा जा रहा था उसी वक्त माननीय सदस्य आपत्ति करते तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसका तर्जुमा या अनुवाद भी प्रस्तुत कर देते लेकिन अब कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्य सूची के नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 1 की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस प्रश्न को मैंने दिनांक 1-2-88 को इस सदन में उठाया था । उसके बाद जब दूसरा सत्र बैठा तो उसमें भी यह प्रश्न आया । उसमें मैंने शासन से इतनी सूचना मांगी थी कि क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्ति और संस्थायों एवं औद्योगिक इकाइयां हैं जिन पर बिजली का पचास हजार रुपये से अधिक का धन बकाया पड़ा है । उनसे वसूली न होने का क्या कारण है ? क्या इस प्रकार की बकाया पड़ी वसूली ही परिषद् के घाटे का कारण बनती जा रही है ?

मान्यवर, एक साल से अधिक का समय हो गया है और बार-बार इस सदन में इसका उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है और अब यह प्रश्न तीसरे बुधवार के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े घराने और औद्योगिक संस्थायें हैं जिन पर करोड़ों रुपये बिजली विभाग का बकाया पड़ा हुआ है वह वसूल नहीं हो रहा है और उसके बारे में यह सरकार कुछ भी बताने नहीं जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से एक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बात कहना चाहता हूं कि जब बिजली का बिल बनता है तो उस पर प्रति महीने बकाये की राशि उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है और उसमें इस तरह से लिखा होता है कि यदि आपने फलां तिथि तक जमा नहीं किया तो आपकी बिजली काट दी जायेगी लेकिन हिन्डालको और बड़े-बड़े जो उद्योग हैं जिन पर बिजली का करोड़ों रुपया बकाया है उनकी बिजली नहीं काटी जा रही है और उनसे वसूली का (इस समय 12 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी इन बड़े घरानों से चन्दा लेती है इसलिए उनके बारे में सदन में कोई बात नहीं लाना चाहते हैं। इसी तरह से किसान पर यदि 100 रुपये भी बकाया रह जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, नलकूप बन्द कर दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े घरानों की बिजली बिना रुपया जमा किये बिजली और उसके बिलों की शर्तों के मुताबिक वसूल नहीं किया जाता है। इसलिये विद्युत परिषद् घाटे में जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे आप लिखकर दे दें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

बार-बार सूचना एकत्र करने के नाम पर इसे टालते जा रहे हैं। यह सदन की अवमानना है और यह हम लोगों का अपमान है। इसलिये आप कम से कम यह व्यवस्था दे दें कि बुधवार को निश्चित रूप से इसका उत्तर सदन में दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सवाल स्थगित कर दिया है और बुधवार का समय इसके उत्तर के लिये निश्चित किया है। 15 दिन का समय निश्चित किया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

इसको यह सरकार टालती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब नहीं टाला जायेगा। जो समय दिया है, उसमें आ जायेगा।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, आप यह देखें कि साल भर प्रश्न का उत्तर नहीं आया और आज भी उसे स्थगित कराया जा रहा है। क्यों ? मुख्य बात यह है कि इस समय ऊर्जा मंत्री नहीं हैं। बड़ी सख्ती से किसानों से वसूल हो रही है, 100, 200 रुपये बकाया पर उनके कनेक्शन्स काटे जा रहे हैं। 50 हजार से ऊपर के बकायेदार राज्य विद्युत परिषद् के हैं, उनकी हमने लिस्ट मांगी है, विद्युत परिषद् उसे नहीं दे रहा है। यह विद्युत परिषद् के घाटे, उसकी लापरवाही और घोटाले का प्रतीक है। यह बिजली विभाग किस तरह से गड़बड़ियां कर रहा है, छोटे-छोटे किसानों को परेशान किया जा रहा है और बड़े लोगों को छूट दी जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका भी स्थगित कर दिया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इस सवाल को देखें । काफी पुराना सवाल है। जो समय मिला है उसी के अन्दर जवाब दिया जाना चाहिए ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । प्रक्रिया नियमावली के नियम 38 में प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग प्रदर्शित किया गया है जिसमें लिखा कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे । मान्यवर इसका मतलब यह है कि जो भी प्रश्न पूछे जायं उनके उत्तर उस विषय से संबद्ध होंगे, सुसंगत होंगे। लेकिन जो यहां परम्परा चल रही है चाहे मूल प्रश्न हों या अनुपूरक उनके उत्तर ठीक नहीं आते हैं । आज ही माननीय मित्रसेन जी का प्रश्न सं0 11 और राजकिशोर सिंह जी का प्रश्न सं0 12 में मैंने पूछा था कि घनीभूत औद्योगिक क्षेत्र बनाने का मानक क्या है । तो उसका उत्तर स्पष्ट और सुसंगत नहीं दिया और प्रश्न सं0 11 में भी माननीय मंत्री जी उत्तर देने में असमर्थ रही जब मैंने पूछा था कि पूर्वांचल को जल भराव और बाढ़ से बचाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इस प्रकार संसदीय परम्पराओं का हनन हो रहा है, सदन में हमारे अधिकारों के रक्षक माननीय अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस बात के लिये निर्देश दें कि भविष्य में जो भी उत्तर दें वह सुसंगत और विषय से संबद्ध हों । इस तरह से असावधानी बरतने से ससदीय परिपाटी मलिन हो रही है। मेरा आग्रह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आप निर्दिष्ट करें कि भविष्य में इसमें सुधार करें और प्रश्नों के सुसंगत उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न स्थगित है। वैसे भी अगर आप समझते हैं कि उत्तर सही नहीं है तो नियम 49 में लिखकर दे सकते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप सरकार को निर्दिष्ट करें कि वह सुसंगत उत्तर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार कोई जवाब देती है अगर आप उसे सुसंगत नहीं समझते हैं तो नियम 49 इसीलिए बना है उसमें लिख कर दे दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

नियम में स्पष्ट लिखा हुआ है । आप हमारे हितों के रक्षक हैं आप ही अगर कहेंगे तो वह अपने आप मनमानी करेंगे । इस प्रकार यह निरंकुश हो जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर जो उत्तर शासन से दिये जाते हैं वह सही और सुसंगत हैं या नहीं यह देखना मा0 अध्यक्ष पीठ की जिम्मेदारी है। सवाल कुछ और जवाब कुछ और आता है तो उस पर यहां आपत्ति उठती है आपत्ति पर आप कहें कि शासन ने यह उत्तर दिया है तो उसको तो आपको देखना है। मेरा भी तारांकित प्रश्न 17 आज था जिसमें 50 लाख का घोटाला माना है । उसमें पाँच 20 लाख एक ने 6 लाख एक ने 10 लाख, एक ने 4 लाख एक ने 60 हजार का घोटाला किया। जिसने एक लाख या 60 हजार का घोटाला किया उनको तो आपने निलम्बित कर दिया लेकिन जिसने 20 लाख का घोटाला किया उसको निलम्बित नहीं किया। उसमें कहते हैं कि कागज नहीं मिले। तो जो कागज सतर्कता में हैं उसी के आधार पर दो को निलम्बित किया । जयसवाल और अनवर को किया उसी फाइल में जे0 सी0 त्रिपाठी और बी0 बी0 राय के आई0 डी0 राय के कागज हैं तो इन्हें क्यों नहीं निलम्बित किया गया। तो इन दो के लिए तो कहा गया कि मुअत्तल कर दिया और चार के लिए बहाना बनाया कि कागज नहीं मिल रहे हैं, कागज सतर्कता विभाग में है । मेरा कहना इसमें यह है कि ऐसे कागजों का परीक्षण करना और उसके संबंध में उचित उत्तर दिलाना आदरणीय पीठ का काम है । सुसंगत उत्तरों के बारे में देखना, श्रीमन् आपका काम है। प्रश्नों के जो अनर्गल उत्तर आते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, वरना बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ते ही जायेंगे और उनको संरक्षण मिलता जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिलवा लीजिए। सुसंगत उत्तर ही यहां आना चाहिए। ऐसा न हो कि सवाल कुछ और जवाब कुछ हो।

श्री अम्मार रिजवी–

हम इसको सुनिश्चित करेंगे।

नियम 301 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 301 के संबंध में हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 301 में वह प्रश्न आते हैं, इसके अन्तर्गत लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचनाएं ली जाती हैं। दो-तीन दिन से एक निर्णय के तहत इनके सम्बन्ध में यह परिपाटी पड़ गयी है कि नियम 301 की सूचनाएं पढ़ी नहीं जाती हैं। इससे पूर्व पढ़ी जाती थीं। जब पढ़ी जाती थीं, तो उसमें कुछ सूचनाएं ऐसी भी होती थी, जिन पर उसी समय आपकी तरफ से उस पर वक्तव्य के लिए निर्देशित कर दिया जाता था। इस समय जबकि सूचनाएं पढ़ी नहीं जाती हैं, इन लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचनाओं में से जो अति महत्व की सूचनाएं होती हैं, जिन पर आपकी ओर से वक्तव्य के लिए भी कहा जा सकता है, दब जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने इंडिया पेस्टीसाईड्स लि0 और मेसर्स स्वरूप केमिकल्स प्रा0 लि0 लखनऊ की बात बताना चाहता हूं, जिसमें 106 कर्मचारी निकाल दिए गये । इनमें वह कर्मचारी भी हैं जो इन्हीं की कम्पनियों में जलकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गये । यह बड़ी

मुश्किलों से किसी तरह काम करने लायक हो गये थे, तो उनको काम पर नहीं लिया गया, निकाल दिया गया। इन 106 आदमियों को बिना आधार के असंवैधानिक तरीके से निकाल दिया गया है. . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह अब आपका ले तो लिया गया है, अब क्या बात है?

श्री राम आसरे वर्मा–

यह उत्पीड़ित कर्मचारी 11 अक्टूबर से बराबर विधान भवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका आमरण अनशन चल रहा है, वे जेल में भी हैं और शासन की ओर से कोई सुनने वाला नहीं है। उनको कोई सुनने वाला नहीं मिला है.

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह अतिक्रमण है। नियम 301 पर आपने कुछ कहने को कहा था, लेकिन आप एक दूसरे विषय पर चले गये। आप बैठिये, आपकी नियम 301 की सूचना ले ली गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

बिना अनुमति के इस तरह बोलना गलत है। इस पर कुछ कहने की बात नहीं है। आप आसन ग्रहण करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री जय नारायण तिवारी–

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, बाहर है, क्या उस पर यहां पर चर्चा करना मुनासिब है। शीला कौल जी यहां मौजूद नहीं हैं, हमारी सदस्य नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी इजाजत नहीं है, मैं देखूंगा।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामआसरे वर्मा—

चर्चा उस पर नहीं हो रही है, लेकिन वह केन्द्रीय मंत्री [xxx] के नजदीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं ।

(व्यवधान)

[1.00 बजे]

मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दे दें । इतनी महत्वपूर्ण सूचनायें, अस्वीकृत कर दी जाती हैं, बिना पढ़े आप भी नहीं समझ पाते हैं कि अति महत्वपूर्ण हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सोच-समझकर ही सूचनायें ली जाती हैं ऐसे ही नहीं ले ली जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, इसे अति महत्वपूर्ण सूचना मानकर सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देशित करें ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, ऐसा पहले भी हो चुका है फिर इसको मानने में आपको क्यों एतराज हो रहा है अगर कोई तथ्य किसी के बारे में पेश किया जा रहा है और उसमें नाम लिया जाए तो इसमें आपको क्या एतराज है अगर आप एतराज करेंगे फिर तो यह एक रिवायत बन जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने न अभी स्वीकार किया है न अस्वीकार किया है । इसको देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ सूरतगंज रोड को डामर स्तर तक राज्य सेक्टर से बनवाने विषयक श्री धर्मराज गिरि निवासी ग्राम एड़ौरा, विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़-सूरतगंज रोड को डामर स्तर तक राज्य सेक्टर से बनवाने विषयक श्री धर्मराज गिरि, निवासी ग्राम एड़ौरा, विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

नोट:—[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
†छापी नहीं गयी ।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(पढ़ा हुआ मान लिया जाए की आवाजें ।)

सदन की सहमति से कार्य-मंत्रणा समिति की निम्नलिखित सिफारिशें पढ़ी हुई मानी गयीं :—

[1—सदन के उपवेशन 11 एवं 18 मार्च, 1989 को पड़ने वाले शनिवार को भी हों, तथा

2—सदन का दिनांक 21 फरवरी से 31 मार्च, 1989 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाए :—

फरवरी, 1989	
21 मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पहला दिन) :
	(2) अपराह्न 5 बजे
	कुंभ मेला, 1989 और इससे जुड़ी "गंगा प्रदूषण निवारण योजना" के संबंध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दी गयी नियम 52 की सूचना पर चर्चा–2 घंटा ।
22 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा दिन) ।
23 गुरुवार	(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन) ।
	(2) 5 बजे अपराह्न
	वित्तीय वर्ष 1989–90 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।
24 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन) ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1989–90 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
25 शनिवार 26 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

27 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवा एवं अंतिम दिन) ।
28 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

मार्च, 1989

1 बुधवार 2 गुरुवार 3 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
4 शनिवार 5 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
6 सोमवार	(शिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
7 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
8 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एव मतदान ।
9 गुरुवार 10 शुक्रवार 11 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
13 सोमवार 14 मंगलवार 15 बुधवार 16 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
17 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एव मतदान । (2) 5 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1988–89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।
18 शनिवार	(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) वित्तीय वर्ष 1988–89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

20 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

21 मंगलवार, 22 बुधवार, 23 गुरुवार — (होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

24 शुक्रवार — (गुड फ्राइडे का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

25 शनिवार, 26 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

27 सोमवार, 28 मंगलवार, 29 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

30 गुरुवार — (1) वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

31 शुक्रवार — (1) अशासकीय कार्य (आधा दिन) ।
(2) विधायी कार्य (आधा दिन) ।]

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने सदन में दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, कल बजट प्रस्तुत करने के पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा था । उस संदर्भ में मैं सिंचाई विभाग के बारे में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर सिंचाई योजनायें जितने व्यवहारिक ढंग से होनी चाहिए, जिस व्यवहारिक ढंग से बनायी जानी चाहिए उस ढंग से नहीं बनाई जाती है उसको बनाते समय पूरी तरह से विचार नहीं होता है । जो योजनायें बन जाती

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
†दिनांक 13 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है उसमें जितने वित्तीय संसाधन का जितने धन का प्राविधान होना चाहिए वह नहीं हो पाता है । योजनायें जो बनती हैं पांच वर्ष के अन्दर उसकी उपयोगिता उसकी सारी उपलब्धियां प्रदेश को प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन परिणाम यह होता है कि संसाधन के अभाव में यह सब नहीं हो पाता है । मेरा सुझाव है कि एक साथ तमाम परियोजनाओं को बनाने की अपेक्षा एक-एक परियोजना को एक-एक करके लिया जाना चाहिए ताकि वह समय से पूरी हो सकें ।

इस सन्दर्भ में मान्यवर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती के लिए एक सरयू कैनाल परियोजना बनी थी । यह परियोजना 1976–77 से शुरू होकर 1988 तक पूरी हो जानी थी । पहले इसकी लागत 3 अरब 72 करोड़ रुपये थी । आज सन् 89 चल रहा है और यह परियोजना पूरी नहीं हुई तथा इसकी लागत भी बढ़कर 6 अरब 98 रुपये हो गयी । 4 अरब रुपये की परियोजना की लागत लगभग 8 अरब हो गयी है । तो इस परियोजना के बारे में यदि समय पर साधन दिये गये और वित्तिय प्राविधान किया गया होता तो यह परियोजना पूरी समय पर हो जाती तथा इस परियोजना का लाभ किसानों को मिलता और सिंचाई होती । इस परियोजना के लिए चकबंदी के माध्यम से काफी पहले जमीन ले ली गयी और उससे प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है । यदि आपने चकबंदी में जमीन ली है तो नहर की खुदाई का काम क्यों नहीं किया जा रहा है । जब हम पूछते हैं कि नहर की खुदाई क्यों नहीं की जाती है तो बताया जाता है कि वित्तीय साधन नहीं हैं ।

दूसरी बात इसी सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं के लिए जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं उनका एक बड़ा भाग अधिकारियों के रहने के लिए क्वार्टर्स, गोदाम आदि बनाने पर खर्च हो जाता है और परियोजना के लिए धन की कमी हो जाती है । सरकार को चाहिए कि पहले धन आवश्यक कार्य जैसे नहर की खुदाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि परियोजना को जल्दी से पूरा किया जा सके । इस संबंध में मैं नेपाल का उदाहरण देना चाहूंगा । माननीय मंत्राणी जी जब आप बस्ती आयें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि चीन तथा हिन्दुस्तान, दोनों ने नेपाल में सड़क बनायी है । चीन के लोग आये, उन्होंने टेंट लगाया और सड़क बनायी, उसके बाद टेंट उखाड़ा लादा और चले गये । आपके देश ने महेन्द्र राजमार्ग सड़क जो बनायी तो पहले अधिकारियों के लिए डाक बंगले बनाये गये और सड़क पूरी करके वह डाक बंगले हम नेपाल में छोड़कर चले गये । तो पहले प्राथमिकता वाले कार्य करने चाहिए न कि इंजीनियरों के लिए बंगले बनाये जाने चाहिए । सरयू कैनाल में रेस्ट हाउस, इंजीनियर्स के रहने के लिए बंगले, बेलदार, जिलेदार के रहने के लिए क्वार्टर्स पहले बनाये जिसका नतीजा यह हुआ है कि एक इंच जमीन पर भोजपुर या उतरौला में नहर नहीं खोदी गयी और न वहां के किसानों को पानी मिला ।

कल यहां पर साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में बातचीत हो रही थी । महामहिम राज्यपाल ने भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया है । साम्प्रदायिक सद्भाव को सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । आज राजनीति और समाज में, दोनों

में गिरावट आ गयी है । हम लोग जो साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना चाहते हैं वह नहीं बन पा रहा है। समाज का राजनीति पर और राजनीति का समाज पर असर पड़ता है। इसलिए राजनीति और समाज दोनों में सुधार की आवश्यकता है । आज से 15–20 साल पहले हिन्दू-मुसलमान एक साथ बैठते थे । हमारा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां पर हिन्दू तथा मुसलमानों की आबादी बराबर है। आज से 10–20 साल पहले जब हम मुस्लिम परिवारों में निमंत्रित होते थे, जाते थे तो उनके यहां हिन्दू खाना बनाने वाला आता था । हिन्दू पानी पिलाने वाला आता था और बरतन भी हिन्दू के घर से मंगाये जाते थे और हम लोग जाकर खाते पीते थे, लेकिन उस समय जो मानवता और प्यार एक दूसरे के प्रति हमारे दिलों में होता था वह आज नहीं रह गया है। हर क्षेत्र में, देश और प्रदेश में उसमें गिरावट आयी है । यह जो हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति गिरावट आयी है हमें उसके कारणों का पता लगाना पड़ेगा ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि राजनीतिक कारणों से आज हम भले ही एक मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे दिलों में कहीं न कहीं एक खाई उत्पन्न हो गयी है। इसको समाज ने नहीं पैदा किया है, इसको हमने नहीं पैदा किया है। इसको 30–40 वर्षों से निरन्तर कांग्रेस सरकार जिसने राजनीति पर कब्जा कर रखा है, उसने पैदा किया है जिसके कारण हमारा पारस्परिक सद्भाव दूर होता चला जा रहा है। मान्यवर, पारस्परिक सद्भाव ऐसे नहीं कायम होगा । जब तक शंकराचार्य का आशीर्वाद और पेश इमाम के फतवों से चुनाव जीतने की कल्पना करेंगे तब तक साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बन सकता है । जब आप शंकराचार्य की भभूत और मौलानाओं की ताबीज से चुनाव लड़ेंगे तो आप कभी यह कल्पना न करिये कि आप साम्प्रदायिक सद्भाव इस प्रदेश में कायम कर सकते हैं । इस पर हम लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए हमें नये उपाय खोजने होंगे पारस्परिक दिलों को मिलाना होगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसके विवाद में न तो कोई बड़ा मौलाना मारा जाता है और न गोरखपुर के महन्त अवैद्यनाथ मारे जाते हैं जब कभी दंगा हुआ है तो उसमें कोई खोंचे वाला मारा जाता है या कोई गरीब मारा जाता है कोई बड़े हिन्दू या मुसलमान को न तो कभी चार लाठियां पड़ीं और न ही वह गोली का शिकार हुआ जब कि रामजन्म भूमि के चलते अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसके लिए आपको कोई सर्वमान्य हल खोजना होगा अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम हो । नहीं तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का और शासन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मान्यवर, चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गांवों में आपने प्रदेश के विकास का काम चला रखा है इसमें काफी भ्रष्टाचार है आप किसी विभाग में चले जाइये हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ।

मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि राजनैतिक आदमी या प्रशासनिक अधिकारी कभी बजट का पैसा खाते हों लेकिन आज होता यह है कि बिना बजट का हिस्सा लिये बजट रिलीज ही नहीं होता है। जब तक कोई जिले का अधिकारी यहां आकर कमीशन नहीं देता है तब तक वह बजट रिलीज ही नहीं होता है। उसका परिणाम है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें एक अप्रैल, 1988 से बननी चाहिए थी वह आज तक शुरू नहीं हो पाई हैं । यही हाल स्वास्थ्य विभाग का है और सिंचाई विभाग का है या वह कोई विभाग हो, सबका है।

सड़कों के बारे में एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ एक ठेकेदारों, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की जेबों में चला जाता है जिससे कामों की कोई गुणवत्ता नहीं रह जाती है । इसलिए गांव के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । मेरा जनपद बस्ती है जिसको दो भागों में बांटा गया है और एक सिद्धार्थनगर नया जनपद बनाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हेलीकाप्टर से बड़े जोरशोर से घोषणा कर दिया लेकिन उस जिले को कोई बजट नहीं दिया । इसका हाल यह है कि कलेक्टर को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है । वहां तहसील में जो शीशम का पेड़ था उसको काटकर कुर्सी बनायी जा रही है । कलेक्टर तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 के घर से फर्नीचर मंगाकर आफिस का काम चला रहे हैं । वहां पर एक भी पैसा बजट का नहीं दिया गया है । अगर आपने जिला बनाया था तो वित्तीय प्राविधान भी करना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि जो यह जनपद सिद्धार्थ नगर बना है तो जब सिद्धार्थ का उदय हुआ था तो हिन्दुस्तान में एक सामाजिक क्रान्ति आयी थी । मुझे आशा है कि इस सिद्धार्थ नगर के उदय से भी प्रदेश और नगर में सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति आयेगी । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे सिद्धार्थ नगर जनपद को मुख्यालय के अन्य हिस्सों से जोड़ दिया जाय । आपसे मेरा निवेदन है कि इटवा तहसील से सिद्धार्थ नगर नौगढ़ मुख्यालय तक जाने के लिए एक नई सड़क बनायी जाये और हौरिलापुर घाट पर एक नया पुल राज्य सेक्टर से बनवाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सिद्धार्थ नगर उद्योग विहीन जिला है उसमें उद्योग लगाये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकठ करता हूं और शासन से अपेक्षा करता हूं कि इन सुझावों पर ध्यान दें ।

चौधरी भगवती प्रसाद–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल महोदय ने शासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर जो प्रकाश डाला है, उन कार्यक्रमों और योजनाओं का सीधा सम्बन्ध गांव की गरीब जनता से जुड़ा है । कार्यक्रमों की आत्मा गांव से और गांव के गरीबों से जुड़ी हुई है । जिन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है, उन कार्यक्रमों से गरीबों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । गरीबों की आस्था है उन कार्यक्रमों में हरिजनों की श्रद्धा है । मजदूरों और किसानों, छात्रों और नौजवानों का विश्वास उससे जुड़ा है । मुख्य मंत्री जी ने नयी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये अपनी टीम के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं । मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर सही तरीके से स्थापित किया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर उन नौजवानों को रोजगार की ओर खींचने का प्रयास किया है जो शिक्षित होकर बेरोजगार हैं, जिन्हें आर्थिक बैसाखी की जरूरत है । जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक बैसाखी के अभाव में उस प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं । इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने नई उद्योगों को छूट देने की घोषणा करके उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों का विश्वास जीता है, दिल जीता है और पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है । मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का ध्यान मिर्जापुर की ओर आकृष्ट किया है । मिर्जापुर का इलाका पर्वतीय इलाका है । यहां पर हर प्रकार के पर्यटक आते हैं । चाहे विन्ध्याचल दर्शन के लिये आते हों या काली मन्दिर, अष्ट भुजी मन्दिर या सीता-कुण्ड वेरूअहवा तालाब के दर्शन के लिये आते हों । ऐसे दर्शनीय इलाके को ठीक रूप से विकसित किया जाय तो निश्चित रूप से शासन की सफलता और बधाई मिलेगी और शासन को पर्यटक लोग भी बधाई देंगे और शासन की नीतियों की प्रशंसा करेंगे ।

मान्यवर, एक तरफ हम लोग विकास कार्यक्रमों के लिये सबका सहयोग चाहते हैं, दूसरी ओर विपक्ष के विधायक श्री माता प्रसाद जी के व्यक्तित्व में शकुनि ने स्थान बना लिया है, जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है । वे विकास को भूल जाते हैं और आलोचना करते हैं जब विकास की मंजिल तय करने के लिये एक दो पड़ाव तय हो जाते हैं तो दूसरे पड़ाव इंतजार करने लगते हैं । विकास की आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो विकास के लिये और मांगें उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

मान्यवर, मैं उन बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो शासन तेजी से चलाना चाहता है । दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्धशालाओं की क्षमता में

वृद्धि किये जाने की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है । हमारे जिले में एक दुग्धशाला है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण मिर्जापुर में दुग्धशालाओं द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, और जो मिल्क प्रोडक्ट बन रहा है वह नगर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है । लोग दूध नहीं पा रहे हैं । दूध की आपूर्ति कहां की जा रही है इसको जिला प्लान की बैठक में अधिकारी लोग बताने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । हम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं । मिर्जापुर एशिया की विद्युत राजधानी है । हम विद्युत में आत्म निर्भर हैं । हमारे यहां से विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां एशिया की विद्युत राजधानी है वहीं पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कतई सन्तोष जनक नहीं है । जनता में भारी असन्तोष है । श्रीमन् इस जनपद को तो पूर्णतया विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाना चाहिए । वहां पर जो ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है मात्र एक जनपद के 40–45 गांवों का रखा गया है, आजतक 4 गांवों तक का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है । जहां हम विद्युत का जनरेशन कर रहे हैं, भारतवर्ष को बिजली दे रहे हैं, कम से कम वहां मिर्जापुर के ग्रामीण इलाकों में तो विद्युत मुहैया करायें ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से ।

सरकार ने सहकारिता के चुनाव करायें, नगरपालिका के चुनाव करायें, हर क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम किये हैं । सहकारिता की नीचे की सोसाइटी से लेकर जिला स्तर तक की सोसाइटियों में चुनाव हुए, उसमें जो रिजर्वेशन था, उसके हिसाब से चुनाव हुए । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सहकारी शीर्ष संस्था है, जैसे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, पी0सी0एफ0 व पी0सी0 यू0 वहां पर हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर नियमों में संशोधन की जरूरत हो तो उसे संशोधित करके संचालक मंडल के लिये हरिजनों को स्थान दिया जाय । ताकि वह किसी इलाके से, किसी मण्डल से संचालक की हैसियत से चुनकर के पहुंच सके और कोआपरेटिव सेक्टर में हरिजनों का इनवाल्वमेन्ट हो सके ।

मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की स्थिति सुधारने के लिये सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है । अभी इतना बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कुंभ मेला भी सुचारू रूप से सम्पन्न हो गया । मान्यवर, जिलों में हरिजनों के उत्पीड़न रोकने के लिये हरिजन पुलिस सेल बनाये गये हैं, लेकिन उन हरिजन सेल में जो पुलिस अधिकारी काम करते हैं, उनको एफ0 आई0 आर0 लिखने का अधिकार नहीं देंगे तब तक वह प्रभावी नहीं होगा । इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन आंकाक्षाओं को देखते हुए 4 नये जिलों का सृजन किया । पांचवें जनपद का भी निर्णय लिया गया है । मिर्जापुर का बटवारा करके सोनभद्र जिला बनना है । लेकिन उसकी घोषणा में क्या विलम्ब है, यह समझ में नहीं आ रहा है । इसी तरह से लालगंज में एक नयी तहसील सृजित हो रही है, अब अगर सोनभद्र जिले की घोषणा हो जाय, तो उस

तहसील की भी घोषणा हो जायेगी और इसका मिर्जापुर के लोग स्वागत करेंगे । विधान सभा क्षेत्र छानबे में एक मकोड़ी ग्राम सभा है जिसकी 20-25 हजार आबादी है उसके लिये बहुत दिनों से मांग है कि उसे टाउन एरिया का दर्जा दे दिया जाय जिससे वहां का विकास हो सकता है । क्योंकि ग्राम सभा के स्तर से, ग्राम सभा की पूंजी से उसका विकास नहीं हो पा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

चौधरी भगवती प्रसाद–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । जो अल्प बचत के कार्यक्रम चल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन दोनों कार्यक्रमों के चलते, भूमि आवंटन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है, उसमें प्रगति नहीं है । भूमि आवंटन के काम में तेजी आनी चाहिये । हरिजन, गरीब भूमिहीन जो मेहनत करना चाहते हैं, वह अपनी जमीन के मालिक हो जायेंगे और खेती करेंगे । क्योंकि सिंचाई की नयी नयी तकनीक निकल रही है और तमाम सुविधायें दी जा रही हैं । कलस्टर योजना में ट्यूबवेल की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भूमि असिंचित न रह जाय । हमारे यहां भी एक कलस्टर मिला है । मान्यवर, छानबे विकास खंड एक ऐसा इलाका है जहां ट्यूबवेल से ही सिंचाई हो सकती है । मेरा अनुरोध है कि विश्वबैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत एक कलस्टर और वहां दिया जाय । वहां आज भी सूखा पड़ा हुआ है । मेरे जनपद के 20 ब्लाकों में से 17 ब्लाक सूखे से प्रभावित हैं लेकिन सूखा राहत कार्य और पेयजल का कार्य तेजी से नहीं चल रहा है । जनपद के सदर तहसील के दूरस्थ ब्लाक हालिया में अग्निशमन स्टेशन स्थापित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिशाहीनता के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में कोई बात कही जाय । मान्यवर, शासन कैसे चलेगा, उसकी क्या नीतियां हैं, वह इससे परिलक्षित नहीं होता है । सरकार क्या कर रही है, इसका अंदाजा प्रदेश की जनता को नहीं है, राजनीति करने वालों को भी नहीं है । इसलिये यह पूर्णतया: दिशाहीनता वाला अभिभाषण है ।

मान्यवर, मैं कानून व्यवस्था के बारे में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । आज इस प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन है, वह अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध करवाता है और खासतौर से राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ यह सबसे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । इसके संबंध में मैं एक उदाहरण दूंगा । श्री अकबर हुसैन बाबर, जो इस

सम्मानित विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को, जिलाधिकारी को सूचना दी थी कि शराब के कुछ तस्कर अपराधी उनकी जान ले लेना चाहते हैं। यह बात सब लोग जानते थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उसके बाद 2 नवम्बर 88 को बावर साहब पर हमला हुआ लेकिन इत्तिफाक कि उनकी जान बच गयी। उनके ऊपर फायरिंग हुई, जिसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के यह लोग, जिनकी साजिश से यह हमला हुआ, वह आज भी मौजूद हैं और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। आज विधायकों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटनायें हो रही हैं और प्रशासन मौन है। सामान्य नागरिक को कितना जुल्म सहना पड़ रहा है, यह खुद सोचा जा सकता है। दूसरी बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की समस्या के संबंध में।

मान्यवर, आपके यहां से मेरे प्रस्ताव का वह पूरा पोरशन काट दिया गया। अगर इस हिस्से को निकलवाने से समस्या का निदान हो जाये, तो ठीक है, कटवा दीजिये। शासन तो कान में तेल डालकर बैठा ही है, ऊपर से मेरे संशोधन का प्रस्ताव काट कर आप समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। आज यह समस्या पूरे प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या बन गयी है और साम्प्रदायिक शक्तियां, विघटनकारी शक्तियां, प्रतिक्रियावादी शक्तियां आज इस समस्या का फायदा उठा रही रही हैं, इससे पूरे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरा पैदा हो गया है और समाज में कैन्सर जैसा रोग व्याप्त हो गया है। अगर इस समस्या को काबू नहीं किया गया तो इसके बड़े ही भयानक दुष्परिणाम होंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार इस समस्या का हल समस्या को दबाकर करना चाहती है।

मान्यवर, इस समस्या के संबंध में हमारे दल की एक राय थी, और आज भी वही राय है कि इस विवादित भूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले भी अनुरोध किया था और आज भी हम लोग कह रहे हैं कि यदि इस समस्या का समाधान न निकल रहा हो, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिये। आज देश में कई ऐसे स्थान हैं, जहां हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके हैं। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले जमाने में न जाने कितने विवाद पैदा होंगे। आज तमाम इस तरह की तैयारियां हो रही हैं, बातें चल रही हैं, जिससे एक समस्या के हल न होने से हजारों समस्यायें पैदा हो जायेंगी। दूसरी बात, जो हम लोगों का सुझाव था कि कोई लक्ष्मण रेखा खींच दीजिये। 15 अगस्त, 1947 के दिन जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाय। इस तरह का विधेयक केन्द्र सरकार को लाना चाहिये था, लेकिन वह भी इसको नहीं ला रहे हैं। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है हमारा सुझाव न माना जाय। सम्बन्धित पक्षों को विश्वास में लेकर लेकिन न्यायालय के जरिये से इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकालकर प्रस्तुत किया जाय, यह मेरी और मेरे दल की मांग है।

दूसरी बात मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी बेरोजगारी की समस्या का जिक्र नहीं किया गया। यह बड़े शर्म की बात इस सरकार के लिये है कि

डिग्रीधारी इंजीनियर बूट पालिश कर रहे हैं । नवम्बर की 3 तारीख से वह लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं । आज प्रदेश में 5 हजार सिविल इंजीनियर बेकार हैं, 80 हजार डिप्लोमाधारी इंजीनियर बेरोजगार हैं, एक हजार पशु चिकित्सक बेरोजगार हैं, जिन्होंने धरना भी दिया, मांग भी की और हम लोगों ने भी जिनके संबंध में यहां समय-समय पर प्रश्न उठाये हैं । आज 50 हजार से अधिक बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड टीचर बेरोजगार हैं और यह सरकार कहती है और उधर के माननीय सदस्य इस तरह कहते हैं कि लगता जैसे पूरा प्रदेश लगातार तरक्की पर तरक्की करता चला जा रहा है । जिस प्रदेश के अन्दर इतने ट्रेण्ड लोग बेरोजगार हों, एम0 ए0, बी0 ए0 की तो कोई थाह ही नहीं है, लाखों लोग बेरोजगार हैं और सबसे अफसोस की बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में, और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की बजट स्पीच में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गयी, जिससे हम लोग आशा कर सकें कि भविष्य में इन लोगों को कोई नौकरी मिलने वाली है ।

आज मान्यवर स्थिति यह है कि वर्ष 1981 से सिविल इंजीनियरों का मेजर रिक्रयूटमेंट नहीं हुआ है और वर्ष 1983 के बाद से सहायक अभियन्ताओं के पद पर कोई भरती नहीं की गयी है । तमाम सरकारी विभागों में स्थान रिक्त पड़े हैं । आज पी0 डब्लू0 डी0 में 650, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में 154 असिस्टेन्ट इंजीनियरों के पद रिक्त हैं । इसके अतिरिक्त राजकीय निर्माण निगम में 90 स्थान, जल निगम में 252 स्थान, राजकीय सेतु निगम में 50 स्थान, विकास प्राधिकरण में 90 स्थान, सिंचाई विभाग में 1400 स्थान, नगरपालिकाओं में 50 स्थान तथा आवास विकास परिषद् में 127 स्थान इंजीनियरों के रिक्त हैं । इसके अतिरिक्त डी0 आर0 डी0 ए0 में भी 27 पद रिक्त हैं ।

अगर इन स्थानों पर भर्तियां कर ली जाय तो बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश का विकास हो चुका है ? क्या इंजीनियर्स की जरूरत नहीं रह गयी है ? क्या इस संबंध में मांगें उठना बन्द हो गई हैं ? यदि ऐसा है तो इन इन्जीनियरिंग कालेजों को बन्द कर दिया जाय, पालीटेक्निक कालेजों को बन्द कर दिया जाय । 80 हजार की संख्या में डिप्लोमा इन्जीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं । एक इन्जीनियर बनाने पर सरकार एक लाख रुपए खर्च करती है और एक लाख रुपए घर वाले खर्च करते हैं । वह बड़ी लगन व मेहनत से पढ़ता है, लेकिन बाद में उसे नौकरी नहीं मिलती है । भर्ती करते समय कह देंगे कि ओवर-एज हो गया है या दिमागी तौर से बेकार हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस विषय पर गम्भीरता से सोचें । जो ये इन्जीनियरिंग कालेज व पालीटेक्नीक चलाये जा रहे हैं जिनसे बेरोजगारों की फौज आप खड़ा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । अभी नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमण ने कहा कि बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या देश के लिए खतरा है, लेकिन श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री अम्मार रिजवी को व पूरे प्रशासन व शासन को इसकी कोई चिन्ता नहीं है ।

मान्यवर, किसानों की बड़ी चर्चा होती है । ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने किसानों को सब कुछ दे दिया है । मान्यवर, जहां तक किसानों के कर्जे का सवाल है । तमाम जन संगठनों की ओर से, तमाम दलों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है कि किसानों के कर्जे माफ किए जायें आन्दोलन चले, लोग जेल गये । 1978 से आज तक स्वयं सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि यह प्रदेश कभी बाढ़ से ग्रसित रहा तो कभी सूखे से त्रस्त रहा है । जिसके लिए किसानों ने कर्जा लिया था, आज किसान उसको देने की स्थिति में नहीं है । उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । सरकार को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए । मैं कहता हूं कि सभी किसानों के कर्जों को आप माफ न करें, किन्तु सवा छः एकड़ तक जिन किसानों के पास जमीन है, उनके कर्जे माफ कर दिये जायें और जो इसके ऊपर के किसान हैं, उनसे केवल मूल धन लिया जाय, ब्याज माफ कर दिया जाय और आगे से जो आप कर्जा दें, वह सरल ब्याज व सीधे किसान को दें ।

किसान को आज जो कर्जा दिया जाता है, वह सीधे नहीं दिया जाता है, बल्कि बिचौलिये के माध्यम से दिया जाता है । उदाहरण के रूप में किसी किसान को 5 हजार रुपए कर्जा आपने दिया । पहले तो उसे एक हजार रुपए रिश्वत के रूप में बाबू से लेकर बैंक के अधिकारियों तक को देना पड़ेगा, उसके बाद बिचौलिया उसे सामान देगा और वह सामान अपने मन के हिसाब से देगा । इन्जन वह अपने हिसाब से देगा, चाहे गाय हो या भैंस हो वह अपने हिसाब से देगा । कहने का मतलब है कि घटिया किस्म का उसे सामान दिया जाता है । क्वालिटी से लेकर रिश्वत के रूप में उसका आधा कर्जा चला जाता है और उसे भुगतान 2 गुना या 3 गुना ज्यादा करना पड़ता है । एक उदाहरण दूंगा। यह ऐसी चीज है कि इसकी तरफ सोचना चाहिए।

माननीय जयराम सिंह, इस समय विधायक नहीं हैं, 1974 में विधायक थे गाजीपुर से। उन्होंने 45 हजार रु0 कर्जा लिया था, 80 हजार रु0 से ऊपर अदा कर चुके हैं, एक लाख कुछ हजार रु0 अभी भी उन पर बाकी है, जो मांगा जा रहा है। यह सरकार बताये कि कौन सा सिस्टम है ब्याज का । क्या पूंजीपतियों से यही ब्याज दर ली जाती है? क्या कोई पूंजीपति ऐसा है जिसको बिचौलियों के माध्यम से कर्जा दिया जाता हो? दूसरी ओर किसानों की तरफ देखिये, उनकी मांग में दम है। मेरी मांग है कि किसानों की कर्जा माफी पर गम्भीरता से विचार कीजिये। किसानों और पूंजीपतियों को कर्जा देने और वसूली के मामले में यह दोहरी नीति समाप्त की जाय। चाहे किसान हो या पूंजीपति हो, एक ही दर पर ब्याज लेना चाहिये।

प्रदेश का एक करोड़ बुनकर गांव और कस्बों में रहता है। इनकी हालत बहुत खस्ता है। मैं इसलिये जानता हूं क्योंकि बाराबंकी में बुनकरों की आबादी ज्यादा है। वहां जिनके घर में दो कोठरी थीं उनकी एक ही रह गयी है। न तो उनको सूत मिल रहा है और न उनके गमछे कोई खरीदने वाला है। यह सरकार अपने आपको कामगारों की हमदर्द कहती है लेकिन एक करोड़ बुनकर जो इसी से अपनी जीविका कमाते हैं, उनको सूत नहीं मिल पा रहा है न कोई उनका पैदा किया हुआ माल खरीदा जा रहा है। बुनकरों की समस्या को गम्भीरता से लें और इसका स्थायी हल खोजें। स्थायी हल यही है कि उनको सस्ती दरों पर सूत उपलब्ध करायें और उनका माल सरकार स्वयं खरीदे नहीं तो हथकरघा उद्योग चौपट हो जायगा।

यह सरकार हरिजनों की बहुत शुभचिन्तक है । बात पेश करती है तो पता चलता है कि हरिजनों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिये हैं। 1973 में प्रोन्नतियों में हरिजनों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, 70 में लोक सेवा आयोग चयनित प्रक्रिया नियमावली बनी थी। उस वक्त तक आरक्षण नहीं था, बाद में कर दिया गया। अब इनमें ज्येष्ठता के अनुसार अलग-अलग सूची बनानी चाहिए', सामान्य,; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब इसमें नियम 21 में संशोधन हो गया है। परन्तु नियम 8 का संशोधन नहीं हुआ है जिसमें श्रेष्ठता की सूची बनती है। अब ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति न करके श्रेष्ठता के आधार पर किया जा रहा है । जिनको प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी, उनको नहीं मिल रही है। जो सरकार घोषणायें करती हैं और जो वाई लाज में हैं, रूल्स में हैं, उनको गम्भीरता से लें तथा उपरोक्त नियमावली के नियम 8 का इसका तत्काल संशोधन करायें।

दूसरी समस्या है स्कूटर्स इण्डिया की। कई बार यह प्रश्न सदन में उठा है। यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। लेकिन केन्द्र सरकार का लखनऊ तक अधिकार क्षेत्र है, फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के लोगों की जमीन स्कूटर्स इण्डिया में गयी है। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग इसमें कार्यरत हैं। यहकर छुट्टी नहीं मिलेगी कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। अतएव हमसे इसमें कोई मतलब नहीं। मामला क्या है कि इस समय स्कूटर्स इण्डिया के पास पौने तीन अरब की सम्पत्ति है जिसका राहुल बजाज के साथ सौदा किया जा रहा है तीस करोड़ रुपए में। जिसमें से 25 करोड़ रु0 राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बजाज को दे दिया जायेगा और 5 करोड़ रु0 राहुल बजाज दे रहे हैं। राहुल बजाज नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अन्दर कोई उनका प्रतिद्वन्दी हो। लिहाजा यह स्थिति चल रही है और यह गड़बड़ कहां से है? वह यह है यह एक पुराना कारखाना इटली का दाम ज्यादा देकर लिया गया था। लन्दन की एक एजेन्सी के माध्यम से खरीदा गया था तथा टेकनिकल नो हाऊ लिया गया था। जो सरकार को पैसा लगाना चाहिए था वह उसमें नहीं लगाया और इन्हीं कारणों से उसमें गड़बड़ी है। लेकिन फिर भी वहां के अधिकारी और कर्मचारी इस बात पर भी तैयार हैं कि कारखाना राहुल बजाज को न दिया जाय और वे लोग स्वयं इसको चला लेंगे। इसके लिए वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों और स्टाफ के लोगों को शाबासी देनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति में भी उसको आगे खींचने के लिए तैयार हैं।

स्कूटर इण्डिया के द्वारा जो "विक्रम" नाम की गाड़ी तैयार की गयी है उसकी बहुत ज्यादा सराहना हुई है और बड़ी मांग है इसकी। प्रदेश के बाहर भी यह चल रहा है और देश के बाहर बांगला देश तक में इसकी मांग है। इसी प्रकार से एक नये माडल का स्कूटर ये लोग निकाल रहे हैं जो कि मार्केट में सबसे कम दाम का स्कूटर होगा । लेकिन यह सरकार यह कह कर कि यह केन्द्रीय सरकार का मामला है, इससे बच नहीं सकती है। आपको अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके इस फैक्ट्री को बचाना चाहिये। जहां के वर्कर्स और अधिकारी खुशी से तैयार हैं कारखाने को आगे

चलाने के लिए वहां आप उसे राहुल बजाज को उसे सौंप देना चाहते हैं, इस पर सरकार को अपना पूरा कमिटमेन्ट करना चाहिये कि पब्लिक सेक्टर का यह उद्यम बचेगा।

अब मैं कताई मिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि कानपुर में और कानपुर के बाहर जो कताई मिलें हैं उनमें समानता नहीं है । कानपुर में वेतन कुछ और दिया जाता है और कानपुर के बाहर की कताई मिलों में वेतन दूसरा दिया जाता है। दोनों ही जगह के वर्क लोड भी अलग-अलग हैं। न्यूनतम वेतन की दरें भी भिन्न-भिन्न हैं। मेरा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इस बिन्दु पर गम्भीर रूप से विचार करके समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित किया जाय और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं नई शिक्षा नीति के बारे में भी कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा परिवेक्षक 525 की संख्या में कई सालों से कार्यरत हैं, 5-7 साल से, आप उनकी सर्विस को खत्म कर रहे हैं या उनकी सर्विस खत्म कर दी गयी है। अब वे कहां जायें? बेचारे सड़क पर आ गये हैं। इसलिये नई शिक्षा नीति में बहुत सी खामियां हैं, मेरा अनुरोध है कि उन 525 आदमियों को सर्विस से निकाला न जाय, उनको सेवा में लगे रहने दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे महामहिम के अभिभाषण की प्रति प्राप्त हुई उसको मैंने ध्यानपूर्वक देखा और उसके संबंध में माननीय लाल प्रताप सिंह जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उसको मैंने सुना तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो बातें कहीं गयीं उसको भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी योजनाएं हैं उन पूरी योजनाओं का सारांश प्रदर्शित किया गया है। विपक्ष द्वारा जो बातें की गयी हैं, उन्होंने पूरी योजनाओं पर पूरी तरह से गौर नहीं किया उसी आधार पर यह कह दिया कि फलां योजना में यह यह चीजें नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी बात हमारी, आपकी व आम जनता की आकांक्षाओं के विपरीत नहीं रखी गयी हैं। जहां तक योजनाओं का संबंध है, हर स्तर पर हर क्षेत्र में विकास के लिए ही योजनाएं बनायी गयी हैं, अगर हम उन्हें गम्भीरता से देखेंगे तो पायेंगे कि हर चीज हमारे आपके विकास के लिए ही बनायी गयी है, लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं इसलिए विपक्ष की ही वकालत करेंगे, इस भावना से किसी भी बात को न लेना चाहिए इसमें जो बातें अच्छी आयी हैं, उनको अच्छा ही खुले भाव से कहना चाहिए और जिनमें यदि कोई कमी है तो उसे उसी रूप में कहना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीस सूत्रीय कार्य क्रम का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और नसबन्दी में केसेज फर्जी हो रहे हैं, तो यह बात पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन जितना कर्तव्य हमारा है कि हर योजना हर स्तर पर सही रूप में प्रदर्शित हो, मैं समझता हूं कि उतना ही कर्तव्य आपका भी है कि उसे आप देखें क्या कभी आपने यह किया कि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाते और उनके कार्य को स्वयं देखते, तब उस स्थिति में जो कमी जहां पर आप देखते उसे फिर आप कहते तो हम समझते कि आपने भी अपना कर्तव्य का पालन किया है, और फिर जब किसी बात का क्रियान्वयन न होता तो आप जो शिकायत करते वह उचित होती।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, 6 मामलों में मुकदमें बस्ती जिले से दर्ज कराए हैं इस संबंध में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सभी मामलों में गलत बयानी की है, फिर इन मामलों को हमने विशेषाधिकार समिति में दिया है। लेकिन हमारे मित्र रामपाल जी जो यहां कह रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से किसी मामले की जानकारी तो है नहीं, परन्तु हर बार यह वही कहेंगे जो बन्धुआ मजदूर कहते और करते हैं, उन्हीं की तरह यह भी बोल रहे हैं।

श्री रामपाल सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, मैं भी कह यही रहा था कि जो भी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही रूप में हो, जितनी जिम्मेदारी इस संबंध में हमारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आप सब की भी है, यदि दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो कार्य सही होगा। (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

जिस कर्तव्य पालन की बात आप कर रहे हैं, यह बता दीजिए जिस स्वास्थ्य सलाहकार समिति के सदस्य आप भी हैं और हम भी हैं, उसकी कितनी बैठकें इधर तीन साल में हुई हैं?

श्री रामपाल सिंह (एडवोकेट)–

हमारे यहां तो इस समिति की बैठकें हर तीसरे माह में हो रही हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि इन योजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, गड़बड़ी तो अवश्य है, लेकिन जितना कर्तव्य हमारा है उतना ही कर्तव्य आप सबका भी है आप उस स्वास्थ्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, और हम लोग भी हैं, जहां पर इस प्रकार की कमी पायें, दोनों लोग मिलकर देखें कि कहां-कहां पर गड़बड़ी हुई है और कहां-कहां पर सही हुआ है, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिये जिला लेवेल पर हम लोग बनाये गये हैं। जो समिति बनायी गयी है, उसका कार्य है कि अगर फर्जी नसबन्दी हुई है, तो उसकी लिस्ट प्राप्त करें। जिन लोगों ने सूची प्राप्त किया है, तो ठीक है और जिन लोगों ने नहीं प्राप्त किया है उनको प्राप्त करना चाहिए और जो फर्जी केसेज हैं, उनका सामने लावें और अगर फर्जी धन लेने के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो धारा 409 में डाक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर मुकदमा दर्ज हो गया है तो कानूनी कार्यवाही होगी। उसमें क्या कार्यवाही हुई है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, कुछ योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं । सिंचाई की सुविधा हमारे जनपद के मुजना क्षेत्र में बिल्कुल नगण्य है। जो विश्व परियोजना का कलस्टर बनाया जा रहा है, इन्डा डच स्कीम है, उसको भी हमारे जिले में लागू करावें । हमारा जिला बार्डर पर रहने के कारण हम लोगों को किसी भी योजना से अछूता कर दिया जाता है । इन शब्दों के साथ लाल प्रताप सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने की अनुमति दी उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने उन तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्यपाल जी को शान्ति पूर्वक इस सदन में अपना अभिभाषण पढ़ने का पहला अवसर दिया । राज्यपाल जी ने कथनी और करनी में जमीन और आसमान की तरह अन्तर रखने वाली सरकार की खोखली नीतियों को अपने अभिभाषण में पढ़कर सुनाया है अभिभाषण के प्रथम पैरा अनुच्छेद में राज्यपाल महोदय ने दो साहित्यिक विभूतियों श्री जैनेन्द्र कुमार, पंडित सोहन लाल द्विवेदी तथा श्री श्याम नारायण पाण्डेय के निधन पर जहां घड़ियाली आंसू बहाया है, वहीं उन्होंने नये वर्ष के उद्घाटन में सैफदाद के प्रसिद्ध नाटककार, कलाकार, प्रगतिशील लेखक, साहित्यकार प्रो0 सफदर हाशमी का कोई जिक्र नहीं किया है।

मान्यवर, प्रदेश की 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति इस वर्ष देश में 13वें नम्बर पर है । उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो नीतियां बनायी गयी हैं, उनमें 20 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश के विकास का आर्थिक कार्यक्रम है। इससे ही पता चलता है कि हमारा प्रदेश विकास की ओर जा रहा है या नहीं । जो फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, वह खोखले साबित हो रहे हैं। यह प्रदेश पिछले दो बार 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम आया है, लेकिन इस वर्ष यह 13वें स्थान पर चला गया है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि 15 पैसा जमीन पर लगता है और 85 पैसा लोगों की जेबों में चला जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह लोग कौन हैं और उन लोगों के खिलाफ आपने कौन सी कार्यवाही की है?

मान्यवर, श्रम नीति के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि सेवायोजक और मजदूरों के बीच में आपस में बैठकर शान्तिपूर्ण ढंग से कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर मेजा कताई मिल है। 81 दिन हो गये हैं, वह हड़ताल से बन्द पड़ी है। मिल की सेवायोजक सरकार है, तो वह मजदूरों से क्यों नहीं वार्ता करती है । श्रम कानूनों व नीतियों का यही पालन नहीं करते हैं। मेजा काताई मिल में डबल ओवर टाइम की नीति नहीं लागू हो रही है।

20 जनवरी को सिब्बू लाल नामक मजदूर को जिन्दा जलाने का प्रयास किया गया। उसकी यूनियन ने रिपोर्ट लिखाई किन्तु गुण्डो को संरक्षण पुलिस ने दिया और आज तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पूंजीपतियों के जितने सरकारी विभाग हैं, वे भी अपने यहां न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0, इरीगेशन हो या कोई अन्य विभाग हो, किसी भी विभाग में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ कर रहे हैं। जमींदारी प्रथा तोड़ दी गई लेकिन राजकीय आस्थानों की जमीन अभी भी सरकार बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के कब्जे से अलग नहीं कर पायी है। राजकीय आस्थान की भूमि पर आज भी बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों का कब्जा है। दूसरी तरफ जो गरीब और भूमिहीन हैं, शहरों या देहात में रहने वाले लोग हैं उनको जमीन का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। केवल फर्जी आंकड़े दिये जाते हैं। इस तरह से नजूल की भूमि पर भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय होने के बावजूद भी गरीबों का शोषण हो रहा है और उसके तहत आज भी लाखों लोग मजदूरी के लिए शहरों में आ रहे हैं। वे कहीं रेलवे लाइन के किनारे या रेलवे पुलों के नीचे, पटरियों या मलिन बस्तियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नारकीय जीवन भी रहे हैं। उनके लिए कोई नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार आवासीय योजनायें बना रही है। अल्प आय वर्ग वालों के लिए आपने 7926 मकान पिछले वर्ष बनाये हैं और इस वर्ष जब कि आप प्रगति कर रहे हैं केवल 5 हजार मकान बना रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अभी तक का आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। वह धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। इस तरह की आपकी गरीबों के लिए नीतियां हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो यह योजनायें हैं, नीतियां हैं या सब गरीबों के लिए कमजोर वर्ग के लिये, निर्धनों के लिए न होकर किसी विशेष वर्ग के लिये ही बनायी गई हैं। केवल उच्च आय वर्ग के लिये ही अधिक यह मकान बनाये जा रहे हैं।

नई शिक्षा नीति का आप बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। इसके लागू होने से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 52 प्रतिशत लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। किसी भी देश और प्रदेश का समाज उसकी शिक्षा द्वारा नियंत्रित होता है। आप साम्प्रदायिक सद्भाव कैसे ठीक करेंगे ? यह कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, उसे आप खरीद तो नहीं सकते हैं। यह साम्प्रदायिक सद्भाव तो समाज के मानसिकता से बनती है। जो पाठयक्रम निर्धारित है उसके अनसार यमन आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया लटा इससे छोटे-छोटे बच्चों में साम्प्रदायिक सदभाव की मानसिकता पैदा नहीं की जा सकती। रामायण में भी लिखा है कि "यवन कोल किरात,

ये अधम अघोरी जात ।'' इस सब को पढ़ने से बच्चों में साम्प्रदायिक सद्भाव की मानसिकता नहीं बनायी जा सकती । बच्चे ही आगे नागरिक बनते हैं। शिक्षा के माध्यम से आंगे साम्प्रदायिक सद्भाव बनायें ।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने स्नातक का पाठ्यक्रम तीन साल का कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं भी नहीं जानती होंगी कि तीन साल के पाठ्यक्रम में क्या है ? अब तक दो साल का पाठ्यक्रम था और वही दो साल का पाठ्यक्रम तीन साल का कर दिया गया है। यह एक साजिश है और विद्यार्थियों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने की गहरी साजिश है । जो दो वर्ष में पढ़ाया जा सकता था, उसे तीन वर्ष तक पढ़ाया जायेगा । बेरोजगारों को एक वर्ष और भटकाने की नीति सरकार बना रही है। यहां पर कुछ लोग बैठे-बैठे नीतियां बनाते हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, जिनके बच्चों के सामने कोई शिक्षा पाने व रोजगार की समस्या नहीं है। उनके द्वारा यह नीति बनायी जाती है। हमारी शिक्षा नीति बेकार और दिशाहीन हो गई है और इसी कारण बेरोजगारी बढ़ गई है । कानून व्यवस्था के बारे में लम्बी-लम्बी घोषणायें की गयी हैं । कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं।

कोई भी कुख्यात अपराधी नहीं पकड़ा जा सका है, किन्तु इलाहाबाद में ही निरपराध परवेज आलम, नरेश हरिजन को मार दिया गया और पिछली 1/2 फरवरी की रात को एक बद्रीप्रसाद नामक नवयुवक को जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था और आई0 टी0 आई0 का कर्मचारी था को घर से बुला कर पुलिस ले गयी और उसको निर्ममतापूर्वक गोली मार दी गई । हम लोगों ने विधान सभा अध्यक्ष महोदय के सामने 13 फरवरी को धरना भी दिया । उसका अपराध क्या था ? क्यों उसको मार दिया गया, क्योंकि यह सरकार पुलिस बल पर चलने वाली सरकार है, [xxx] और [xxx] के बल पर चलने वाली सरकार है। उन लोगों को यह सरकार संरक्षण देती है । बद्रीप्रसाद जिस मुहल्ले का रहने वाला है, उस मुहल्ले से इनको एक भी वोट पिछले उपचुनाव में नहीं मिला । पुलिस कर्मी जो चुनाव के दौरान वहां पोस्ट किये गये उनके द्वारा इस तरह से हत्या करवाई जा रही है । बद्रीप्रसाद नवयुवक चिल्ला शिवकुटी का रहने वाला है (व्यवधान) वहां से एक भी वोट इनको नहीं मिला । यह [xxx] के बल पर चलते हैं । (व्यवधान)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

यह असंसदीय है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

पुलिस और [xxx] के बल पर यह सरकार चल रही है। (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्याक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[2.00 बजे]

कोई भी कुख्यात अपराधी नहीं पकड़ा जा सका है, किन्तु इलाहाबाद में ही निरपराध परवेज आलम, नरेश हरिजन को मार दिया गया और पिछली 1/2 फरवरी की रात को एक बद्री प्रसाद नामक नवयुवक को जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था और आई0 टी0 आई0 का कर्मचारी था को घर से बुला कर पुलिस ले गयी और उसको निर्ममतापूर्वक गोली मार दी गयी । हम लोगों ने विधान सभा अध्यक्ष महोदय के सामने 13 फरवरी को धरना दिया । उसका अपराध क्या था ? क्यों उसको मार दिया गया, क्योंकि यह सरकार पुलिस बल पर चलने वाली सरकार है, [xxx] और [xxx] के बल पर चलने वाली सरकार है । उन लोगों को यह सरकार सरक्षण देती है । बद्री प्रसाद जिस मुहल्ले का रहने वाला है, उस मुहल्ले से इनको एक भी वोट पिछले उप चुनाव में नहीं मिला । पुलिस कर्मी जो चुनाव के दौरान वहां पोस्ट किये गये उनके द्वारा इस तरह से हत्या करवाई जा रही है । बद्री प्रसाद नवयुवक चिल्ला शिवकुटी का रहने वाला है (व्यवधान) वहां से एक भी वोट इनको नहीं मिला । यह [xxx] के बल पर चलते हैं । (व्यवधान)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–
यह असंसदीय है । इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–
अगर असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–
पुलिस और [xxx] के बल पर यह सरकार चल रही है । (व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–
[xxx] शब्द असंसदीय है ।

श्री उपाध्यक्ष–
मैं देख लूंगा असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–
यह गांधी टोपी और खादी के खाल में पहले भेंड़िए की तरह अपना मुंह छिपाये है (व्यवधान) हम लोग इनसे ज्यादा चरित्रवान हैं ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो आपत्ति है वह तो अपनी जगह पर है ही लेकिन एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जो गांधी टोपी का इन्होंने इशारा किया वह बदन सिंह जी के लिये किया या पाण्डेय जी के लिये इसको बता दें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि बद्री प्रसाद बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था और जिस क्षेत्र का वह रहने वाला था उस क्षेत्र से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला । यही कारण है कि इनकी सरकार द्वारा अनियमित ढंग से जिन पुलिस कर्मियों की वहां इलेक्शन के लिए पोस्टिंग की थी उन्होंने सुनियोजित ढंग से उसकी हत्या कर दी । इस आदमी के खिलाफ एक भी साधारण सी भी शिकायत किसी थाने में नहीं थी । उस आदमी को घर से बुला कर ले गये और उसके मां बाप के सामने मार दिया उसको तीन बच्चे अनाथ हो गये हैं और 25 साल की उसकी स्त्री विधवा बेसहारा हो गयी है । यह सरकार [xxx] और पुलिस को आंख मूद कर संरक्षण दे रही है । इससे लगता है कि यह क्या चाहती है । अधिनायकवादी तरीका अपना रही है ।

इसी सदन के माननीय सदस्य कामरेड बाबर के ऊपर कातिलाना हमला किया गया जो शोषितों, दलितों और मजदूरों के लिये हमेशा लड़ते आये हैं । इस प्रकार से एक सुनियोजित राजनीतिक चल रहा है और तमाम ऐसे राजनीतिक लोगों को जो इनके खिलाफ हैं और जो दलितों शोषितों के लिए लड़ते हैं उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है । मैं इस खोखले राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं (व्यवधान) नेता विरोधी दल के संशोधन का समर्थक करता है जो भी माननीय सदस्य इसको चुनौती देना चाहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं । इस प्रकार का निर्मम सुनियोजित अपराध करने वालों को यदि यह सरकार ठीक नहीं करेगी तो आम जनता अपने हाथ में हथियार उठा लेगी और बाद में चाहे वह बंगाल के रास्ते पर चलें या पंजाब की तरह आतंकवादी बनें लेकिन ऐसे लोगों का सफाया हो जायेगा जो [xxx] के बल पर राज्य करते हैं । ऐसे लोगों को जनता के बीच में बोलने चलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी । अंत में नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सरस्वती देवी–

मान्यवर, मैं राज्यपाल जी द्वारा अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की रीति नीति का दर्पण होता है । पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियां का इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे-कैसे हर क्षेत्र में यह सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है, और अगले वर्ष जनहित के कौन-कौन सी योजनाएं सरकार बनाने जा रही है। मैं मुख्य मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उसने हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी की नीतियां और आकांक्षाओं के अनुरूप स्वस्थ्य लोकतंत्र देश को देने के लिए एवं पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर चुनाव करा दिए गए हैं । ग्राम सभा, क्षेत्र समितियां, जिला परिषदों,

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नगर महापालिका, नोटीफाईड एरियाज और सहकारी समितियों के शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सफलतापूर्वक करा दिए गए हैं । यह इस सरकार की इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है ।

हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है । पिछले वर्ष के सूखे के बावजूद, इतनी बड़ी तबाही के बावजूद सरकार की मदद से किसान लक्ष्य के अनरूप कृषि उत्पादन करने में सफल रहे हैं । हमारी सरकार ने किसानों को अच्छे बीज और अच्छी खाद देकर उनका उत्साहवर्धन किया है । साथ ही उसने गन्ना मूल्य बढ़ा कर उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है ।

मैं जिस क्षेत्र से आई हूं—पहाड़ी क्षेत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र से बिलकुल भिन्न है । कृषि उत्पादन वहां नगण्य के बराबर होता है । वहां पर सब्जी उत्पादन का अच्छा काम हो सकता है और उसके लिए सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए । यदि वहां पर इसके लिए मार्केटिंग और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, तो वहां के लोगों को उसका पूरा मूल्य मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

मान्यवर, इस सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है । मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उसके अथक प्रयास से प्रदेश में कई बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे लगे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिला है। कई जनकल्याणकारी योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं । वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दी जाती है किन्तु मेरे क्षेत्र में इस मद में इतना कम पैसा जा रहा है कि हमारे यहां की अधिकांश विधवाएं, वृद्धाएं और विकलांग उससे वंचित रह गये हैं । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में इस मद में धनराशि बढ़ाई जाए ।

हमारे विपक्षी सम्मानित भाइयों का कहना है कि प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था नहीं है, यह बिलकुल गलत है । कुछ माह पूर्व यहां पर कई आन्दोलन हुए, वे शान्तिपूर्वक निपटाए गए, जनता की जायज मांगों को बड़ी खूबसूरती के साथ स्वीकार किया गया, जैसे वेतन आदि । मैं अपने प्रतिपक्ष के भाइयों से कहना चाहती हूं कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव रचनात्मक कार्यों के लिए दें, और उसमें सहभागी बनें ताकि हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन जो माननीय नेता विरोधी दल ने पेश किया है, उसके प्रति समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, ग्राम सभाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव कराकर सत्तापक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनसे बड़ा लोकतंत्र का हिमायती कोई नहीं है । लेकिन इन चुनावों के आइने में वह अपने लोकतन्त्र का चेहरा देखे, उन्हें खूबसूरत लगता है या बदसूरत? यह इसी बात से पता चल जाएगा कि इन चुनावों में किस तरह के तत्व उभर कर आए हैं और किन-किन हथकण्डों का इसमें सहारा लिया गया है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी, उसकी प्रस्तावना में कहा गया था । "सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय की भारतीय स्तर दर मौजूदा प्रति व्यक्ति आय की बराबरी में लाना है ।" जो राष्ट्रीय विकास दर है उसमें प्रदेश के विकास की दर को लाने की बहुत सी बातें कही गईं, लेकिन आज तक एक समय ऐसा आया जब राष्ट्रीय विकास दर से प्रदेश विकास दर के मामले में आगे आ गया । वह समय जनता शासन का था । जनता शासन में प्रदेश की औसत विकास दर 6 प्रतिशत की थी । उस समय भारत की विकास दर 4.9 प्रतिशत थी । उसके बाद यह कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में रही तब से कभी भी केन्द्र के बराबर विकास दर नहीं पहुंच पाई ।

विकास योजनाओं के लिए बैंकों में जो पूंजी जमा की जाती है ऋण देने के लिए, उसमें मैं तीन मिसाल देना चाहूंगा, दिन पर दिन किस तरह से उनका प्रतिशत घटता जा रहा है और उसका प्रभाव विकास योजनाओं पर कितना पड़ता है इसकी कल्पना की जा सकती है । जून, 84 में बैंकों में जो ऋण के लिए पूंजी जमा थी उसका सिर्फ 59.506 खर्चा हुआ था। जून 86 में पूंजी में 47.1 परसेन्ट था। जून 88 में 45.44 परसेन्ट बैंकों में जमा पूंजी थी यह प्रतिशत दिन पर दिन घटता जा रहा है । 88 में जो रुपया जमा पूंजी के रूप में था उनमें से 45.44 प्रतिशत ऋण के रूप में वितरित किया गया है । 5,558 करोड़ रुपया वितरित किया गया ।

मान्यवर, बैंकों में जमा पूंजी बढ़ती जा रही है उसका प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर अतिरिक्त विकास के लिए नहीं किया जाता है बल्कि दौलतमंद लोग उसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरी जगहों पर जाकर करते हैं । बैंकों में जमा पूंजी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में किया जाना चाहिए । जो प्रतिशत दिन पर दिन घटता जा रहा है उसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए । घटते प्रतिशत पर यदि अंकुश लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को धरती पर विकास की नयी दिशा मिल सकती है । कांग्रेस सरकार विकास की दिशा में सोचना नहीं चाहती है । इसलिए नकारात्मक रुख अपनाए हुए है ।

मान्यवर प्रदेश की 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है । 80 प्रतिशत जनता का संबंध कृषि से है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और किसान उसकी धुरी है । आज प्रदेश के किसान की क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है । एक तरफ सरकार की ओर से हर समय कहा जाता है किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा । लेकिन जितनी लागत किसानों की लगती है उससे कम लाभकारी मूल्य बताकर किसानों को गुमराह किया जाता है । जिस धरती पर किसान खून पसीना लगाकर उपज पैदा करता है और उसको बाजारों में जब वह ले जाता है तो वह उस खून पसीने की कमाई का मालिक नहीं रह जाता है । एक तरफ तो लागत मूल्य नहीं दिया जाता है दूसरी तरफ लागत में पूंजीपतियों को पूरी छूट है । अगर मशीनों की की घिसाई भी होती है तो उसको भी लागत मूल्य में शामिल कर दिया जाता है ।

लेकिन किसान से कोई नहीं पूछता कि उसकी खेती की उर्वरक शक्ति कहां कम हो रही है । जितनी उपज एक बोरी खाद डालने पर एक बार होती है वहीं दूसरी बार उतनी उपज के लिए खाद को बढ़ाना पड़ता है तब भी उतनी उपज होती है। खाद का ज्यादा इस्तेमाल यह साबित करता है कि खेती की उर्वरा शक्ति में कमी हो रही है । अगर पूंजीपतियों को मशीनों की घिसाई की छूट दी जाती है तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता कि जो उनके खेत हैं उनके खेतों में कमी होने वाली उर्वरा शक्ति का मूल्यांकन करके उसको उपज में शामिल किया जाय और एक लागत मूल्य निश्चित करके किसान को दिया जाय ।

पूरा ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई खुशनसीब किसान हो जो कर्जे के भार से दबा न हो । सारे किसानों पर भांति-भांति के कर्जे लद गये हैं । आज इतनी अहमियत इस बात की हो गयी है कि राजनीति के हर कोने से आवाज उठ रही है कि किसानों के कर्जों को माफ किया जाय । गांव का जीवन आज दूभर हो गया है । गांव के अंदर गलियारे, सम्पर्क मार्ग और नालियों की जो दशा है उसमें कोई आदमी अगर स्वास्थ्य के सामान्य नियमों की दृष्टि से देखे तो गांव की जिंदगी नारकीय हो गयी है । लेकिन गांव वाले इन विषम परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं । उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है ।

गांवों से जुड़ा हुआ बुनकरों का सवाल है । पूरे प्रदेश में बुनकरों की आबादी लगभग 1 करोड़ है । बुनकरों के नाम पर कहीं हैण्डलूम कारपोरेशन खोल दिया गया है, कहीं यूपिका खोल दी गयी है और कहा जाता है कि इनके जरिये बुनकरों को सहूलियतें पहुंचायी जा रही हैं । लेकिन अगर वास्तव में देखा जाय तो जो बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है ? मैं अपने जिले के मल्लावां कस्बे के बारे में बताना चाहूंगा । वहां पर बुनकर आबादी का बाहुल्य है । वहां की आबादी 40 हजार है जिसमें से आधे बुनकर हैं । वहां पर इन संस्थाओं ने काम शुरू किया है लेकिन इन संस्थाओं से जो अपेक्षाएं थीं कि बुनकरों का विकास होगा और उनकी समस्याएं दूर होंगी वैसा कुछ नहीं हुआ उल्टे बुनकरों की समस्याएं और कठिनाइयां बढ़ी हैं । आज बुनकर ऐसी जगह खड़ा हो गया है जहां वह सेठ साहूकारों का गुलाम बनता चला जा रहा है । अनेक बुनकर कस्बों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गये हैं और बहुत से बुनकर रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों को जा रहे हैं और बहुत से जाने की तैयारी में हैं । इसके बावजूद सरकार कहती है कि बुनकरों की खुशहाली के लिए शासन की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं कितनी हास्यास्पद स्थिति है ।

मान्यवर, राज्यकर्मचारियों का बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ । केन्द्र के समान वेतन नीति घोषित की गयी और शासन की तरफ से अनेक घोषणायें की गयीं लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रदेश का प्रशासनिक कार्य ठप पड़ा है, मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है । सरकार सरकारी कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए रोज, नयी-नयी कमेटियां बना रही है, कमेटियां बनाने का एक सिलसिला चल गया है। समता समिति में जो विलम्ब हो रहा है उसको लेकर हड़ताल की जा रही है ।

शासन की ओर से चाहे किसान हों, मजदूर हों या राज्य कर्मचारी हों या शिक्षक हों उनके साथ अगर कोई व्यवहार किया जा रहा है तो वह गुमराह करने का व्यवहार किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए शासन कोई कदम नहीं उठा रहा है ।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों के बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है । विधान भवन के समक्ष दलित पैंथर के लोग आंदोलन कर रहे हैं । उनकी मांगे अनुसूचित जातियों के लोगों के विषय में ही हैं । लेकिन इस शासन के पास महीनों से चले आ रहे आंदोलनकारियों की मांगों को सुनने का वक्त नहीं है और यह बड़ी हमदर्दी अनुसूचित जातियों के साथ दिखाते हैं । आज प्रदेश का कोई विभाग या संवर्ग ऐसा नहीं होगा जिसमें अनुसूचित जातियों के लोगों का आरक्षण संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया हो, अभी तक आरक्षण को पूरा नहीं किया जा सका है । आये दिन आरक्षण को पूरा करने की मांग की जाती है लेकिन स्थिति जहां की तहां है । जो अनुसूचित जाति के लोग गांवों में रहते हैं उनकी स्थिति देखें तो जो बरसों पहले उनकी स्थिति थी वही स्थिति आज भी मिलेगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विकास को नयी दिशा देने की बात मान्यवर, कही जाती है । मैं तो कहना चाहता हूं कि आज सरकार को यह जानकारी कर लेना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना पैसा 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर दिया जा रहा है उसका कितना हिस्सा व्यवहारिक रूप से इन कामों में लगाया जा रहा है और कितना हिस्सा व्यवहारिक रूप से इन कामों में लगाया जा रहा है और कितना हिस्सा व्यवहारिक रूप से नहीं लगाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जगह पर 21 सूत्री कार्यक्रम कीजिये । इक्कीस सूत्री इस लिए है कि बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी एक सूत्र के रूप में शामिल कर लें । इन बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कहीं पश्चिमांचल में नोएडा बन रहा है, कहीं पूर्वान्चल में नोएडा बन रहा है । इन दो अंचलों के बीच में मध्य का उत्तर प्रदेश है । मध्य उत्तर प्रदेश की आबादी भी कम नहीं है । यहां पर औद्योगिक विकास भी ज्यादा नहीं है । यह पश्चिमांचल और पूर्वान्चल की बात जहां यह शासन करता है वहीं कम से कम मध्यांचल की बात भी इनके दिमांग में आनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है वह वास्तविक तथ्यों से परे हैं, दिशाविहीन है तथा आंकड़ों की बाजीगरी है । धन्यवाद ।

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, विकास चाहे किसी प्रदेश का हो चाहे देश का हो चाहे गांव सभा का हो या जिले का हो या न्यायपंचायत का हो, एक सतत प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक-एक सोपान एक-एक सीढ़ी हम प्रगति की तय करते हुए आगे बढ़ते हैं । यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अपने में एक चतु-

र्दिक विकास की झांकी प्रस्तुत करता है । चतुर्दिक विकास का एक ऐसा हमको नजरिया इसमें देखने को मिल रहा है कि अगर कहा जाय तो मैं विपक्ष के लोगों का नाम लेकर कहना चाहता हूं ।

आप याद करें तो पिछले सत्र में विपक्ष के सम्मानित सदस्यगण यहां आकर प्रश्नों के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, औचित्य के प्रश्नों के माध्यम से हमारे सम्मानित सदस्य वेल तक आते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह बार-बार धमकी और नोटिस दिया करते थे कि यह सदन चलने नहीं देंगे जब तक स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करा दिए जाते । अगर वह दिल पर हाथ रखकर सोचें तो उनको सरकार की इस कार्यवाही के लिए धन्यवाद देना चाहिए और मुबारकबाद देना चाहिए कि सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिए हैं । यहां मान्यवर लगता है कि सुखपाल पाण्डे जी में न तो बुद्धि का स्थान है और न विवेक का स्थान है बस एक दिखावा के लिए, एक औपचारिकता के प्रदर्शन के लिए एक नाकारात्मक विरोध करना चाहते हैं जो प्रजातंत्र में समीचीन नहीं प्रतीत होता है ।

अगर हमारे विपक्ष के सदस्य सोचें तो जम्हूरियत की पहली इकाई को, जनप्रतिनिधियों के पहले सदन को इन्होंने 17 साल पहले हटा दिया था आज उसी को माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने पुनः स्थापित करके आपके विकास का द्वार खोल दिया है और विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को साझेदार सुनिश्चित करा दिया है । इसके लिए आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ।

इन्हीं सन्दर्भों में एक चीज और कहूंगा कि अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सम्मानित श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी बोल रहे थे, किसानों और कृषि को इन्होंने बड़ी प्राथमिकता दी, तरजीह दी, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन एक चीज कहूंगा कि उन्होंने कृषकों की आज की हालत को, कृषि की प्रगतिशील और उन्नतिशील तमाम साधनों को नजरन्दाज किया है और देखना मुनासिब नहीं समझा है ।

मान्यवर, हम लोग देहात के हैं, हम लोग किसानों के परिवार से आते हैं, खेती और किसानी से हमारा सीधा सम्बन्ध है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पहले का जीवन याद करें कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वाञ्चल में जब किसी के घर मेहमान आ जाया करते थे तो दिये की टिमटिमाती लौ को हम कभी-कभी बुझा देना मुनासिब समझते थे कि कहीं हमारी सच्चाई का पर्दाफास हमारे मेहमान के सामने न हो जाय ।

आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने आज ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दिये को बुझाने की बात नहीं की जाती बल्कि रात की रोशनी में मेहमान का स्वागत किया जाता है । आपको इसको नजरन्दाज नहीं करना चाहिए । सत्यता और समझ की परिपाटी डालेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा । महज विरोध के लिए विरोध की बात नहीं की जानी चाहिए । मैं कह सकता हूं कि किसानों की लाख-लाख दर्जे बढ़ोत्तरी हुई है । इधर 5–10 साल में किसानों की उपज इतनी बढ़ी है कि गेहूं चावल, दलहन, तिलहन के उत्पादन को आप देखें तो आज आत्मनिर्भरता हुई है ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

इसके लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं । उन्नतिशील बीज, बेहतर तकनीक और बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास करके इस सरकार ने किसानों को अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्रदान की है । इसके लिए आप नहीं सोचते हैं । पहले का किसान किस हालत में रहता था, आज किसान किस हालत में रहता है । मैं एक ही चीज का उदाहरण दूंगा । पहले किसी गांव जवांर में शादी पड़ती थी, शतरुद्र जी बनारस के गांवों से संबंधित होंगे तो मेरी बात की ताईद करेंगे कि एक जोड़ा जामा बनता था और कई दूल्हों का विवाह होता था । किसान एक जूता लेता था तो उसको बारात में जाने के पहले लाठी में टांगकर कन्धे पर उठाए रहता था और गांव के धोबी को मात्र एक जोड़ा कपड़ा इस्त्री करना पड़ता था, मैं सही वस्तुस्थिति को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, आज आप देखें कि गांव के धोबी को एक बारात में जाने के लिए एक आदमी के 5–10 सेट कपड़े प्रेस करने होते हैं और गांव का आदमी जूता घर से पहन कर जाता है । लेकर नहीं जाता है । गांव की स्थिति में कितना सुधार हुआ है । हम कितना आगे बढ़े हैं, आप इसको नहीं देखते ।

गन्ने की बात करते हैं, उसके दाम का भुगतान और उसका उत्पादन इस सरकार ने कितना बढ़ाया है । गन्ने का मूल्य समय से दिलाना इस सरकार ने सुनिश्चित किया है । एक जमाना था कि आप अपने जमाने को याद करें, अपने दिन याद करें, आपके जमाने में जनता पार्टी के शासन में किसानों का गन्ना खेत में सूख गया था और और जलाना पड़ा था ।

आज किसान जो मशक्कत और मेहनत से उत्पादन कर रहा है, उसके उत्पादन का सदुपयोग हो रहा है । उसकी कीमत भी सही रूप में अदा की जा रही है । लगता है कि वह सारी सच्चाई आप नजरन्दाज करना चाहते हैं । इनके सन्दर्भ में आप देखें, महज विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, हकीकत को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए । जो बात सत्यता पर आधारित है, तथ्य पर आधारित है, आप उसको स्वीकार करने में हिचकते हैं । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । इससे लगता कि हमारे और आपके मकसद का एकीकरण हो गया है ।

इसी से प्रदेश का विकास सही ढंग से हो सकेगा । इसी सन्दर्भ में एक ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं । आप देखें कि कितनी प्राइमरी पाठशालाएं, जब आप और हम दौरे पर जाते थे जनता का सादिम, सेवक होने के नाते जो हर चौराहे पर सहज सुलभता के नाते चौराहों पर जनता हमसे आपसे अपने प्रश्नों का जवाब चाहती थी । हम लोग देखते थे कि गांव के स्कूल गर्मियों में पेड़ों की छाया खोजते थे और बरसात में पेड़ों की छाया खोजी जाती थी । पानी बरसता था तो आये दिन स्कूल बन्द हो जाते थे । सर्वप्रथम नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने कितनी बड़ी घोषणा की कि सन् 90 तक सारे प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण करा देंगे ।

दूसरी बात देखें, एक तरफ चतुर्दिक विकास की परिकल्पना कितनी संजोयें हैं, कितना कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व आपको देना चाहता है । एक तरफ संजोये हैं सपना कि हम स्कूल के बच्चों को पेड़ के नीचे नहीं बैठने देंगे, उनको

बिल्डिंग देंगे, साज सज्जा का सामान मुहैया करेंगे । गुरुजनों का सम्मान किया है, उनको साज सज्जा मुहैया करायेंगे जिससे वह विद्यार्थियों को सही मायने में शिक्षा सुविधा और पढ़ाई लिखाई का अवसर दे सकें । मान्यवर, 2 मिनट और लूंगा । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सारगर्भित और ओजस्वी बजट भाषण में इस बात की घोषणा की कि अब 8 वीं तक लड़कों को मुफ्त शिक्षा देंगे । यह उन्होंने एक और विकास का आयाम दिया है प्रदेश की जनता को । गरीब लोग जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं फीस के कारण, उनके लिये यह घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विकास का दरवाजा खोल दिया है । हमारे बगल में बैठे साथी कह रहे हैं कि माननीय सुखपाल पाण्डे जी के लिए कुछ कहें । मान्यवर, पाण्डे जी के लिए क्या कहूं, वह स्वयं दूसरों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, अशिक्षा का प्रचार करते हुए पाण्डे जी घूमने लगेंगे तो क्या करेंगे।

मान्यवर, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात कही गयी है । दीवानी अदालत, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत–हर में यह लिखा होता है कि वादकारियों का हित सर्वोच्च है । सरकार ने वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्यायालय उपलब्ध कराने की दिशा में कोशिश की है । तहसील हेडक्वार्टर्स पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके वादकारियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय लाल प्रताप जी द्वारा रखे धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जयहिन्द ।

*श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

माननीय अध्यक्षता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधनों का समर्थन करते हुए, अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश में आये दिन बहुत सारी व्यक्तिगत रूप में हत्याएं, चोरी, डकैती होती रहती हैं । लेकिन, पिछले 15 दिनों में जनपद मेरठ और बुलन्दशहर में 36 सामूहिक हत्याएं की गयी । 26 जनवरी को सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, मेरठ की एक ग्राम कवसाट के एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या की गयी । 29 जनवरी को ग्राम चिन्दौरी में शाम के करीब 7 बजे बदमाश लोग शस्त्रों सहित स्टेनगन वगैरह लेकर और जब परिवार के लोग टी0 वी0 दे रहे थे, उस वक्त 3 महिलाओं की और एक प्रधान के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गयी । इसके अलावा अभी 2 दिन पहले यहां जिस घटना का जिक्र किया गया, बुलन्दशहर के ग्राम सारवनी में, जब एक महिला को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था, उस वक्त 11 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी । इससे पूर्व वहां के लोगों ने वहां के स्थानीय मंत्री श्री सईदुल हसन से यहां शिकायत भी की थी, इसके अतिरिक्त दरोगा को भी लिखकर दिया जा चुका था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी और पुलिस की मंजूदगी में 11 लोगों को मार दिया गया । मैं विस्तार से इन बातों का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसके बाद मान्यवर, बेकड़ा थाने के मंसूरपुर गांव में 6 लोगों की हत्या की गयी । इसके बाद अभी 9 तारीख को वहां एक अत्यन्त घिनौनी घटना हुयी और जो मा0 प्रभुदयाल जी का क्षेत्र भी है, वहां किठार में 3 बजे दिन में 7 आदमियों को हत्या कर दी गयी, जिसमें एक दो वर्ष का बालक भी था, जो अपनी मां की छाती से चिपटा हुआ था, उस मां की भी हत्या कर दी गयी, इतना ही नहीं, एक गर्भवती महिला की भी हत्या वहां की गयी है । इस प्रदेश में अब ऐसा लगता है कि किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है । हम इस सदन के अन्दर सुरक्षित इसलिये बैठे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को हमारे मारने में दिलचस्पी नहीं है । अगर कोई नारायण दत्त तिवारी को मारने की नीयत रखता हो, या माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मारने की नीयत रखता हो, तो किसी भी अपराधी के लिये कोई रुकावट नहीं है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोका जा सके । इन सामूहिक हत्याओं में मेरठ के लोगों में अत्यन्त रोष एवं क्षोभ व्याप्त है और वहां बच्चे और महिलायें सो तक नहीं रहे हैं ।

मान्यवर, वहां की पुलिस सिवाय रुपया बटोरने के कुछ भी नहीं कर रही है। अगर कहीं भी कोई आदमी जनता द्वारा पकड़ा जाय तो पुलिस उसे इन्काउन्टर दिखा देते हैं, जबकि असलियत यह है कि पुलिस किसी भी हत्याकांड के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है । आज यह सब इसलिये हो रहा है कि इस सरकार में स्वच्छ प्रशासन देने की, भ्रष्टाचार को दूर करने की क्षमता ही नहीं है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहीं एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा । अभी जो राज्यपाल महोदय के पिछले 50 वर्षों के भाषणों की किताब छपी है, उसमें सभी जगह स्वच्छ प्रशासन देने की बात कही गयी है, लेकिन यह पहला मौका है, जब राज्यपाल ने इस तरह की बात नहीं की । यही कारण है कि आज किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है और सारे प्रदेश में लोग असुरक्षित हैं । मेरठ और बुलन्दशहर के ऊपर तो जबरदस्त कहर है । संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करुंगा कि कुल 36 व्यक्ति मारे जा चुके हैं और पुलिस आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इसी जून, 1988 के उपचुनाव में जीतकर इस सम्मानित विधान सभा में आया हूं । मेरे इस बात का कहने का कारण यह है कि इस चुनाव में मा0 हुकुम सिंह, मा0 सईदुल हसन और लगभग दर्जन भर मंत्री वहां लगे हुये थे और चुनाव जीतने के लिए वहां की जनता में जिसने जो मांगा, इन्होंने उसे देने का वायदा दिया । जब मुख्यमंत्री जी वहां गये, तो लोगों ने कहा मान्यवर, पुल बनवा दीजिए, तो इन्होंने जवाब दिया कि ठीक है पुल बनवा देंगे, लेकिन वोट हमको देना होगा । लोगों ने कहा रेलवे स्टेशन बनवा दीजिए, इन्होंने कहा कि ठीक है रेलवे स्टेशन भी बनवा देंगे । इसी तरह से अस्पताल बनवाने के लिए लोगों ने कहा, बिजली घर बनवाने के लिए कहा ।

इन्होंने उन लोगों की सब बातें मान ली, सिर्फ वोट लेने के लिए । बाद में वहां सड़क कुछ बनी लेकिन रुपये का भुगतान नहीं हुआ । यह मंत्री लोग 5 साल के बाद तक वहा घुसने वाले नहीं हैं । इस तरह के वायदे इन गैरजिम्मेदार लोगों ने चुनाव जीतने के लिए वहां पर किए, लेकिन वह वायदे पूरे नहीं किए गये ।

मान्यवर, अब मैं चुनाव के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । इस उप चुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का, विशेष रूप से इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने आदेश से इतना बड़ा दुरुपयोग किया है उसकी चर्चा यहां पर मैं करना आवश्यक समझता हूं । मेरे क्षेत्र में जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हथियार रखवा लिए गये और 107/16 में चालान किया गया । चुनाव के दौरान छपरौली एक प्रकार से छावनी बन गयी । एक-एक पोलिंग स्टेशन पर 2 सौ 3 सौ पुलिस के आदमी तैनात थे । यही नहीं बुरी तरह से काला धन वहां पर बहाया गया । लगभग 30–40 लाख रुपए वहां पर पानी की तरह बहाये गये । मेरे क्षेत्र में कम से कम 100 नौजवानों को इन्होंने इस तरह से शराब पिलाई कि आज वे बिल्कुल बेकार हो गये हैं ।

इसके बाद भी जब जीत की बात नहीं आई तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के निर्देश पर वहां पर गोलियां चलाई गईं । एक नौजवान श्री चन्द्रपाल की मृत्यु हो गई और 8 नौजवानों को गोली लगी और वे घायल हो गये । हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया । हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री अजीत सिंह के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया । हमारे विधायकों के खिलाफ तफतीश हो रही है, लेकिन जो हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया, उसकी कोई तफतीश नहीं हो रही है । मेरठ के विकास के कार्यों के बारे में मैं कहना चाहता हूं । आगरा में चर्म नगर, अलीगढ़ में ताला नगर बनाने की बात कही गई है किन्तु मेरठ में कोई भी उद्योग लगाने की बात नहीं की गई है । खुद मुख्य मंत्री जी जब हवाई जहाज से जाते हैं, तो उन्होंने कहा है, कि दिल्ली से जिला सहारनपुर तक कोई इन्डस्ट्री नहीं है । उनके गृह जनपद नैनीताल में हजार-बारह सौ के आसपास बड़ी व छोटी औद्योगिक इकाईयां हैं ।

मेरठ में कोई भी फर्टीलाईजर का कारखाना नहीं है । हमारे यहां इतना गन्ना पैदा होता है, किन्तु एक भी शुगर फैक्ट्री नयी नहीं लगायी गई है । किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है । इसलिए मेरी मांग है कि प्रदेश के संसाधनों का बंटवारा बराबर किया जाय । मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाये जायं । मेरे क्षेत्र में श्री महेन्द्र सिंह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन है । इस किसान यूनियन का प्रभाव हरियाणा व राजस्थान तक है । यह सरकार उनसे बारबार झूठे वायदे करती रही है, मंत्री लोग झूठे वायदे करते रहे हैं । गतवर्ष मेरठ में इस यूनियन ने 25 दिन तक शान्तिपूर्वक आन्दोलन चलाया और मंत्री लोगों ने झूठे वायदे किए । दिल्ली में अक्टूबर में धरना दिया, उस वक्त इस सरकार ने झूठे वायदे किए । मैं बताना

चाहता हूं कि उस क्षेत्र के नौजवान हजारों की संख्या में उनके अन्दर रोष है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है । झूठे वायदे करते हैं और पीछे हट जाते हैं । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार किसान यूनियन की छोटी-मोटी मांगें जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, सुनने के लिये और गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये तैयार नहीं होगी, तो पंजाब के पथ पर उत्तर प्रदेश का युवक जा सकता है । अगर उत्तर प्रदेश में आग लग गयी तो राजीव गांधी और यह सरकार इसके बस का सम्भालना नहीं रहेगा । इसके साथ ही मैं विरोध पक्ष के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम भजन लाल–

मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं तो इस तरह का आदमी हूं और मेरी पार्टी इस तरह की है कि जो सही बात करने वाले हैं, मेरे ऐबों को ढूंढ़े, उनके कहने से मेरे ऐब दूर हो जायेंगे । गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो भी तुम्हारे आलोचक हैं, उनको दरवाजे पर मड़ैया डालकर रखिए, जिससे वे आलोचना करके आपको सुधार सकें । मैं इस बात का बुरा नहीं मानता लेकिन अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि जो हमारे प्रदेश के विरोधी दल हैं, जिनको हम समझते हैं कि उसमें विद्वान और होशियार लोग हैं, वे कुछ का कुछ कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हम रास्ता भूल गये हैं और रास्ता बताया जा रहा है । सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि देश में जनतांत्रिक प्रणाली है और उसमें यह है कि अगर आपसे किसान और मजदूर खुश हैं, जनता खुश है तभी आप इधर रह सकते हैं नहीं तो ऐसा होना चाहिए था कि अब तक आपको आना चाहिए था इस जगह और हमको उस जगह पर जाना चाहिए था । मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है यही जनतांत्रिक प्रणाली है । अफसोस इस बात का है कि 40 साल में एक बार केवल ढाई साल के लिए आप यहां आये । हटाना हम नहीं चाहते थे लेकिन ये स्वयं आपस में लड़कर झगड़कर अलग हो गये । कौन इस बात को नहीं जानता है कि गांव सभाओं और जिला परिषदों को आपने मुअत्तल कर दिया । एसेम्बली में भी आप चाहते थे कि लोग बाहर निकलकर आ जायं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

(मा0 परिवहन मंत्री को विपक्ष की ओर बैठे देखकर)

मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार जी रूठकर चले आये हैं । इन्होंने अतिक्रमण कर दिया है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा अनुरोध है मा0 परिवहन मंत्री जी से कि कृपया इस तरफ तशरीफ ले आयें, मैं ही उठा जाता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

ये आपसी मामले हैं, बाद में तय किये जायेंगे ।

श्री राम भजन लाल–

तो मैं कह रहा था कि 40 साल के बाद एक मौका आया था, ये असफल हुए। हमारे देश के किसान के लिये आंसू बहा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब चौधरी चरण सिंह, जिनको आप किसानों का रहनुमा कहते हैं, उनसे जब किसानों ने कहा कि गन्दा खेतों में खड़ा है और सूख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे सर पर बो दो । मैं आपसे बतलाता हूं कि पहले गन्ना जलाया नहीं जाता था और न वह तौला ही जाता था, वैसे ही आंक लिया जाता था।। इतना गन्ना उस समय जलाया गया, यह स्थिति थी। इस तरह से आप बात करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप याद रखिये कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो गये हैं।

मेरी अवस्था इस समय 84 साल की है, हमने गरीबी देखी है। आपने गरीबी देखी नहीं है और जो उमर वाले लोग हैं वो उसको छिपाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त जो गरीबी की हालत थी उसका बयान करना आसान नहीं है, बहुत परेशानी होती है। हमारे सामने जो मनसूबे हैं उनको हमने तैयार किया है और यह ठीक है। लेकिन आप तो चाहते हैं कि जो अच्छे काम हैं, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए।

आज ही का उदाहरण लीजिये कि गीता के एक श्लोक पर बहस उठ खड़ी हुई और यहां तक कह दिया गया कि इसको खतम कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि "दरम्याने कार दरिया तख्त बदम् करदई, बाज भी गोयद दामन पर मकुन हुशियार बाशा"

आपने हमारे सामने इस तरह से समस्याएं खड़ी कर दी हैं, आपने हरिजनों को भड़काया, हमारे सामने मुसीबतें पैदा की और फिर भी कहते हैं होशियार रहो। हमारी मंशा है गरीबी को हटाने की जैसे कि पहले प्रदेश में ताऊन, हैजा, मलेरिया, काला बुखार, चेचक का प्रकोप था, पर आज ये करीब-करीब खतम हो गये हैं। आज कुष्ठ रोग का इलाज होता है जैसे कि किसी जुकाम का इलाज किया जाता है। हमारी कोशिश है कि यह सारी बीमारियां खतम हो जांय, ऐसे ही गरीबी भी दूर हो जाय। आज आम आदमी में बीमारी से लड़ाई लड़ने की शक्ति आ गयी है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले किसान महाजन से तंग था और अपने खेत से केवल बढ़नी और बेल्चा लेकर ही घर आता था। लीजिये आपने तो लाल बत्ती जला दी।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने भाषण को सीमित करिये।

श्री राम भजन लाल–

हमारी मंशा है कि अगर आपने गरीबी देखी होती तो खेतों में जो कोदों, सांवा, काकुन, ज्वार बोया जाता था जिसे आज के जवान लोग जानते भी नहीं हैं नाम से और जायका उसका क्या होता है, यह भी उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से ये खाये जाते हैं। आज खेतों की उपज बढ़ रही है। हमारे देश की आबादी पहले 36 करोड़ की थी जो आज बढ़कर के 80 करोड़ के करीब हो गयी है। उत्तर प्रदेश की भी आबादी आज 12 करोड़ की है जो कि देश भर में उसका स्थान इस मामले में आठवां या नवां है। जो प्रदेश हमारे प्रदेश की आबादी से कम हैं, हमने जो तरक्की की है वह खेती के जरिये से की है। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बतला रहा हूं कि आज की हालत पहले से चार-पांच गुना अच्छी नहीं है बल्कि आठ या दस गुना अच्छी है। खेतों की पैदावार बढ़ी है।

श्री अधिष्ठता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मैजेजर सिंह–

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि प्रदेश ने तरक्की किया है तो यही तरक्की किया है क्योंकि आबादी 36 करोड़ के बजाय 80 करोड़ हो गयी है ?

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधीदल ने रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में यह लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में जनता का क्या नजरिया है, इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र संवेदन शील प्रशासन है। सदस्य, विधान सभा, श्री रणजीत सिंह की हत्या हुयी. उनकी हत्या पर माननीय मुख्य मंत्री ने 5 हजार रु0 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की और स्वीकृति प्रदान कर लखनऊ के जिलाधिकारी को भेज दी। उस धनराशि को लेने के लिए उनकी पत्नी चार बार गयीं और तब भी न मिल सकी। जब पांचवी बार वह गयीं हैं. तब वह धनराशि उनको मिल सकी है। चौथी बार जब वह मिली तो मैं भी उनके साथ था। काफी प्रयास के बाद जब धनराशि नहीं आयी तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा कि आपकी यह संवेदनाशील सरकार सही ढंग से चल नहीं पा रही है, ऐसी सरकार चलाने से क्या फायदा है, जब किसी के काम हो नही पा रहे हैं कानून और व्यवस्था ही चल नहीं पा रही है इससे अच्छा है कि आप त्याग पत्र दे देवें। तो वहां से जवाब आता है कि "सम्यक विचारोपरान्त यथावित कार्यवाही के लिए गृह सचिव को पत्र भेजा जा रहा है।" तो यह है कि इस संवेदनशील सरकार की हालत कि कहा क्या जाता है और उत्तर क्या दिया जाता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री के त्याग पत्र का निर्णय गृह सचिव करेंगे?

दूसरी बात मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के एक स्थान पर मंदिर के बनाये जाने के संबंध में उद्घाटन हुआ। प्रशासन ने यह रोक लगा रखी है कि किसी भी मंदिर व मस्जिद के बनवाने में कोई थानाध्यक्ष हिस्सा नहीं लेगा (व्यवधान) लेकिन

एक थानाध्यक्ष, श्री हीरा सिंह की अध्यक्षता में उसको सम्पन्न किया गया । उद्घाटन कर्ता केन्द्रीय संचार मंत्री थे। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा नीली बत्ती के बारे में। प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश दिए गये कि नीली बत्ती न लगाई जाए, परन्तु हमारे जनपद गोरखपुर में इसे लगाकर आज वहां पर स्मगलिंग का कार्य भैरहवां से हो रहा है । साथ ही यह बात भी आपके प्रकाश में लाते हुए कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक स्थलों के नाम भी आजादी के पूर्व अंग्रेजों एवं उनके पिट्ठुओं से उनसे प्रभावित होकर उनके नामों पर नाम रखे गये हैं जैसे जार्ज किंग के नाम पर लखनऊ के मेडिकल कालेज का नाम रखा गया है इसी प्रकार से हमारे गोरखपुर में सरदार नगर स्टेशन पीपीगंज, कम्पिकर गंज, बृजमन गंज बनाया गया है। इस प्रकार से सार्वजनिक स्थलों का नाम इस प्रकार नहीं रखे जाने चाहिए।

दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश साक्षरता में मात्र 27 प्रतिशत ही है जो नीचे से तीसरे स्तर पर है, इसी प्रकार से महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत मात्र 14 प्रतिशत है जिसका नीचे से दूसरे नं0 पर स्तर है। इसी प्रकार से वर्ष 1986-87 में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय 80 रुपये है जो मात्र बिहार से ही ऊपर है, जबकि तामिलनाडु में 117 रु0 है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च वर्ष 1986-87 में मात्र 29 रु0 ही है, जबकि केवल हमसे बिहार ही पीछे है जिसका 25 रु0 प्रति व्यक्ति खर्च है। इसी प्रकार से तामिलनाडु में जिसकी आबादी मात्र साढ़े पांच करोड़ ही है, राजकीय अस्पतालों में बेड्स की संख्या 34490 है और इसकी तुलना में हमारे यहां (उत्तर प्रदेश में) जिसकी आबादी 13 करोड़ के लगभग है, मात्र 34,267 ही बेड्स हैं ।

मान्यवर, कृषि हेतु बिजली की दर आन्ध्र प्रदेश में 9.50 पैसा किलोवाट है, तामिलनाडु में 11.40 पैसा प्रति किलोवाट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 42 पैसा प्रति किलोवाट की दर से किसानों से उसका मूल्य वसूल किया जा रहा है। घरेलू उपयोग के लिये जो बिजली दी जाती है वह तामिलनाडु में 55 पैसा प्रति किलोवाट की दर से दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह 75 पैसा प्रति किलोवाट की दर से दी जाती है । उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 118 किलोवाट प्रति व्यक्ति है, जबकि पंजाब में यह 423 है, हरियाणा में 247 है, तामिलनाडु में 213 है । यह आंकड़े हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि सरकार का जो नजरिया है वह क्या है ।

मान्यवर, इलाहाबाद में कुम्भ मेले की चर्चा की गयी। वास्तव में यह भृष्टाचार का महाकुम्भ है। सरकारी आंकड़े हैं कि डेढ़ करोड़ यात्री यहां पर आयेगा और यह घोषणा पहले शुरू में की गयी थी और अंत तक की जा रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आयी है। हमारी समझ में नहीं आता है कि यह संख्या किस प्रकार से दी गयी है। 3 हजार बसों को वहां पर लगाया गया है, यदि प्रत्येक बस ने 4-4 ट्रिपें की तो एक बस ने 240 व्यक्तियों को पहुंचाया । इस प्रकार से 3 हजार बसों ने 7 लाख 20 हजार लोगों को पहुंचाया । इसके अलावा 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई गयीं, यदि प्रत्येक में 5-5 हजार लोग आये तो लाख लोग आये । उस दिन आने वाली ट्रेनों से मान लिया कि एक लाख आदमी

आये तो यह कुल संख्या 10 लाख की होती है। पैदल लोगों को भी जोड़ लिया जाये तो उनकी संख्या 10-15 लाख हो सकती है। तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन नहाने वालों की संख्या 25 लाख से अधिक नहीं थी।

इसके अलावा मान्यवर एक और बात है कि प्रत्येक यात्री से दो रुपया यात्री कर लिया गया है तो 3, 4 व 5 तारीख को कितना यात्री-कर आया है, उसी से हिसाब लगाया जा सकता है कि कितना आदमी आया। अगर उस के आँकड़ों को पेश कर दें तो सही स्थिति मालूम हो जायेगी। तो डेढ़ करोड़ तीर्थ यात्रियों के नाम पर जो बजट था, उसको सरकारी अधिकारियों ने खा लिया। इस समय हमारी आबादी 80 करोड़ के लगभग है, इसमें 13-14 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, बाकी 66 करोड़ लोग हिन्दू हैं। यदि डेढ़ करोड़ लोग आये, तो औसत आता है कि 42 आदमियों पर एक आदमी कुम्भ गया, जो आंकड़ा फर्जी है। यह सोचने की बात है।

मान्यवर, गोरखपुर में आज लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, उससे लोकतंत्र का कत्ल हो गया है। चुनाव जिताने के लिए केन्द्रीय संचार मंत्री बैठ गये और अपने भाई को जिला परिषद् का अध्यक्ष बनवाया। इसी प्रकार से गोरखपुर के उस समय के ए0 डी0 एम0 (वित्त) जो थे अब ए0 डी0 एम0 (ई) हो गये हैं। उनकी पत्नी [xxx] को नगरपालिका का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि अधिकारी ने उनके गोलघर के मकान के खरीदने में तथ्यों को छिपाया था और उनकी मदद की थी, लेकिन अखबारों में यह बात छप गयी, इसलिए दूसरे व्यक्ति का नाम देना पड़ा।

श्री हाफिज मो0 उमर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तय हो चुका है कि अगर जब कोई आक्षेप लगाया जायेगा, तब आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है, इसलिये आप इसको अस्वीकार कर दें। यही तो यह कहने जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र देव–

जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित न हो उसके विरुद्ध कोई आक्षेप न लगाया जाये।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, आप कार्यवाही को दिखवा लें, अगर कोई आक्षेप हो तो निकलवा दें और न हो तो न निकलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, गोरखपुर में शिव्वन लाल सक्सेना जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुये हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गयी है, यह फिराक गोरखपुरी का शहर है, लेकिन वहां पर कोई भी सड़क या सार्वजनिक स्थल का नाम इनके नाम पर नहीं रखा गया है।

नोट:–[xxx] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

ये कहते हैं कि आरोप है । मैं किन अल्फाज में कहूं कि आप सत्य मान लें । गोरखपुर में एक सड़क का नाम स्वर्गीय चम्पादेवी सड़क रखा गया । यह चम्पादेवी कौन है ? वीर बहादुर सिंह जी की स्वर्गीय पत्नी हैं । गोरखपुर में जिन लोगों का नाम आना चाहिए था -सिब्बन लाल सक्सेना, फिराक गोरखपुरी जिन्होंने गोरखपुर के लिये कुछ किया है, उनके नाम पर वहां कोई सड़क नहीं बनायी गई । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हर्ष वर्धन–

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रति शासकीय उदासीनता का मामला मैंने उठाया था किन्तु यह कहा गया कि यह मामला सबजुडिस है, आप नहीं कह सकते हैं । मान्यवर, मैं न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन न्याय या किसी मामलों का हल निकालने के प्रश्न पर यह सरकार विफल रही है । यह सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये साम्प्रदायिकता से अकारण ही खेलती है । श्रीमान् 1 अप्रैल 1988 को यहां से बजट गांवों में चला जाना चाहिए था वह आजतक गांवों में नहीं पहुंचा है और अब जाता है तो निश्चय ही कार्यों की गुणवता पर असर आयेगा । गोरखपुर में एक हाता वेला हरैया अस्पताल है . . (व्यवधान)

मान्यवर, अभिभाषण में केवल वायदे किये गये हैं इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि–

बुलन्द वादों पर जीकर क्या करेंगे,
हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने तथा उनके भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि प्रदेश में खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई है । मैं उसके लिये अपने प्रदेश की सरकार, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का आभारी हूं कि उन्होंने समय-समय पर बिजली देकर पानी की व्यवस्था करके कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाई है । साथ ही मैं अपने प्रदेश के किसानों का भी आभारी हूं कि जो काफी मेहनत और लगन से कृषि की उन्नति करने में लगे हुये हैं । महामहिम राज्यपाल ने रबी की फसल अच्छी होने की सम्भावना भी व्यक्त की है । मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय हमारे जनपद में फसल बहुत अच्छी लगी हुई है लेकिन पूरे गाजीपुर जनपद में बिजली का किन्हीं कारणों से अभाव है । पिछले सालों मुख्य मंत्री जी ने गाजीपुर जनपद को विशेष जिला घोषित करके बिजली की व्यवस्था करायी थी लेकिन इस साल इसकी घोषणा नहीं हुई और इस कारण बिजली कम मिलने की वजह

से वहां पर फसल सूखने की सम्भावना है । मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि गाजीपुर जनपद के लिये बिजली की विशेष व्यवस्था करके हमारी फसल को सूखने से बचायें ।

मान्यवर, हमारी जनप्रिय सरकार ने हरिजनों, गिरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये संविधान में व्यवस्था की है और उसमें लगी हुई है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की नदियों की तहलटी में निवास करने वाले मछुवारे लोगों के हितों के लिये उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये इस सरकार ने अग्रणीय कार्य किये हैं । इन लोगों के हितों के लिये मकान बनाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार नदियों की तलहटी में रहने वाले मछुवारों के लिए 10 वर्ष के पट्टे पर पोखर, तालाब, झील की भूमि देने की व्यवस्था करे जिससे वे भी अपना जीवन यापन कर सकें । इस दिशा में शासन ने जो कार्य किया है उसके लिये मछुवारे समुदाय की तरफ से और अपनी तरफ से बधाई देता हूं ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उद्योगीकरण की बात कही गयी कि बहुत से जिले उद्योगीकरण के लिये गये हैं । मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि भूतपूर्व संसद सदस्य आदरणीय स्व0 विश्वनाथ सिंह गहमरी ने संसद में अपने भाषण में ऐसी दशा पैदा कर दी जिससे स्व0 प्रधान मंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू द्रवीभूत हो गये और गाजीपुर की गरीबी दूर करने के लिये पटेल आयोग का गठन किया । पटेल आयोग की खुलेआम सिफारिश है कि गाजीपुर की गरीबी दूर करने के लिये छोटे बड़े उद्योग लगाये जांय । मुझे दुख के साथ शासन से अनुरोध करना पड़ रहा है कि गाजीपुर की गरीबी दूर करने के लिये उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी पिछली बार हमें बताया गया था और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि गाजीपुर को एक मिनी स्टील प्लांट का कारखाना दिया जायेगा । उसके बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गाजीपुर की गरीबी मिटाने के लिये सरकार को बाध्य करें कि वहां भारी उद्योग लगाने की कृपा करें ।

मैं आपका ध्यान मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की तरफ दिलाना चाहता हूं । शासन ने स्कूलों को तो मान्यता दे दी लेकिन उनको अभी तक अनुदान की सूची में नहीं लिया गया है उसकी वजह से तमाम अध्यापक जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं । करीब 4 सौ कुछ स्कूल हैं जो अनुदान की सूची में आने के लिये प्रयत्नशील हैं । अगर हर साल एक एक सौ स्कूल को अनुदान की सूची में ले ले तो इनकी समस्या हल हो सकती है । अगर इनको अनुदान सूची में ले लिया जाय तो इन अध्यापकों की जो भूखों मरने की समस्या है वह दूर हो जायगी ।

हमारे साथी बार बार उधर से कहते हैं देश में कुछ नहीं हुआ वह बड़े घरों में पैदा हुये हैं वह गरीबी क्या जानते हैं । मैं तो पानी में पैदा हुआ हूं मैंने गरीबी देखी है, हम निषादों को जमीन पर चलने नहीं दिया जाता था । मैनेजर सिंह जी बैठे हैं वह जानते हैं लेकिन यह जो सन् 47 के बाद पैदा हुये इनको क्या मालूम (व्यवधान) कि...

श्री सुखपाल पाण्डे–

पानी में पैदा हुये का क्या मतलब है जरा बता दें ?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

हमारी नाव को लंगर जमीन में नहीं गाड़ने दिया जाता था जब देश का बटवारा नहीं हुआ था उस समय की बात बता रहा हूं । हम लोग नावों में रहते थे इसलिये मैंने कहा पानी में पैदा हुए हैं । मैं कह रहा था कि गरीबी हमने देखी है । हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है दो भाई थे एक पढ़ा लिखा था एक अनपढ़ । तो दोनों में बंटवारे की बात चली, छोटे भाई ने कहा "कि हमार बांट दो हम अलग रहब" इस पर बड़े भाई ने पूछा कि क्यों ? तो छोटे भाई ने कहा कि जब हित नाते आते हैं तो उनके साथ बैठकर आप खाते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है तो आप जाते हो कचहरी में किसी की गवाही में जाना होता है तो आप जाते हो । इस पर बड़े भाई ने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है ? छोटे भाई ने कहा मतलब साफ है हित नाते आते हैं तो गेहूं की रोटी बनती है और हम लोगों के लिए बाजरे की रोटी बनती है, तुम उनके साथ बैठकर गेहूं की रोटी खाते हो कचहरी में गवाही में जाने पर पूरी मिलती है इसी तरह रिस्तेदारी में जाने पर गेहूं की रोटी मिलती है। इसलिये मैं कहता हूं कि बांट दो । 1947 के आसपास और 1954, 55, 56 तक गेहूं नहीं मिलता था लोग गेहूं और जौ की मिली हुई पूड़ी बनाते थे । अच्छे-अच्छे लोग ही गेहूं खा पाते थे । लेकिन आज इतना गेहूं पैदा होता है कि हम दूसरों को गेहूं बेचते हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

यह पैदा होते ही बंटवारा कराना चाहते हैं ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

सुखपाल पाण्डे हमसे बहुत छोटे हैं वह [illegible] अपनी बराबियों व कमियों की वजह से । मैं कह रहा था कि गरीबी बहुत मिटी है, सीमा से ज्यादा मिटी है। आज हमारे देश की गरीबी पर, अन्न की कमी पर विदेशी हंस नहीं रहे हैं। आज हम दूसरों को अन्न देने लायक हो गये हैं, दूसरों की मदद करने लायक हो गये हैं । किन्तु इन लोगों को उसी तरह नहीं दिखाई देता है, जैसे राम के गुण रावण को नहीं दिखाई देते थे । इसलिए अंगद ने कहा था –

'अन्धउ बधिर न कहसि असि, नयन कान तव बीस'

यह इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि आज देश कहां का कहां जा रहा है। हमारा देश विकसित देश नहीं है । हमारा देश विकासशील देश है है और विकासशील देश में हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी रहती है । इसको हमारी जनप्रिय सरकार बराबर पूरा करती चली जा रही है । श्रीमन्, एक बात और कहकर मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा । मैं शासन से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार सीलिंग की जमीन, गांव समाज की जमीन हरिजनों को पट्टे पर दी जाती है, उसी तरह से नदियों की तलहटी में रेत और बालू की जमीन, जिन पर (मल्लाह) मछुवारा जाति के लोग सदियों से काबिज हैं, उन्हें आसामी हक उस पर दे दिये जाएं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ती । आप तो इस मामले में अध्यक्ष से भी आगे बढ़ गये हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह आरोप नहीं चलेगा (व्यवधान) ।पाण्डेय जी की बात स्वीकार है, लेकिन आपकी नहीं स्वीकार है (व्यवधान) कृपया शान्ति बनाएं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रस्तुत विपक्ष के संशोधन के प्रस्ताव से अपने आपको जोड़ते हुए यही बात कहना चाहता हूं कि उसूली बात सुनने के लिए तो बहुत अच्छी रहती है, किताबी बात पढ़ने की हद तक तो अच्छी लगती है, लेकिन अमली जिन्दगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता । मसलन सरकार बराबर कहती रहती है कि देश की तरक्की हुई है, क्या हम जमीन पर फौलाद का, लोहे की मशीनों का बोझ बढ़ाने को ही केवल तरक्की कहते हैं नहीं इसको तरक्की नहीं कहा जाएगा । हमारे बड़े-बुजुर्गों की सोच यही रही है कि हमारे देश में छोटी काटेज इंडस्ट्रीज लगें, जिससे हर छोटे आदमी का, गैर दस्तकार आदमी को काम मिल सके । हमारे देश में जो कर्जा दिया जाता है, उसका 98 प्रतिशत कर्ज चन्द खानदानों के हाथों में ही पहुंचता है, जिन्हें हम टाटा, बिड़ला और डालमियां आदि के नामों से जानते हैं । आज जो हालत है और जिसका जिक्र आज भी यहां आया है यदि किसी का 6000 का कर्ज मिला तो उस 6000 में उसे बैंक को 1000 घूस में देना पड़ता है और कायदे से किसी गरीब या जरूरतमन्द को नहीं मिलता ।

हमारे देश और प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, इसका अंदाजा यह मंत्रिमंडल के लोग विधान भवन के सामने लगे तमाम मंडपों में जाकर देखने के बाद लगा सकते हैं । तो उनको अपनी तरक्की का असली पता चल जाएगा कि वह कहां जा रहे हैं और देश कहां जा रहा है । सत्तापक्ष के माननीय सदस्य अपने भाषण को एक ही बात कहकर शुरू करते हैं कि मैं अभिभाषण का स्वागत और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हम उसे सही मानकर चलते हैं कि वह देश और प्रदेश की तरक्की के लिए था, लेकिन इसके ठीक एक-आध मिनट बाद ही, उसी नीति में वह सदस्य बुराई निकालने लगते हैं ।

जहां तक प्रदेश की तरक्की का सवाल है, जो बेरोजगारी का हाल है, जो भुखमरी का और यहां की फिरकापरस्ती का हाल है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है और पांच साल में आज हमने महसूस किया है कि जिन मुद्दों को पिछले 4-5 साल में यहां उठाने न देकर, आग को भूसे से ढकने की कोशिश की गयी थी, वह छिप नहीं पाई और आज बात निकल कर बाहर आ गई है । यह बात बार बार कही गयी लेकिन उसको सदन में कहने से रोका गया कहा था उन नारों से फिरकापरस्ती फैलेगी पर पूरे हिन्दुस्तान पर इस दरोदीवार पर नफरत की निगाह है, आग लगी हुई है मगर—

यहां बात करने की इजाजत नहीं दी गयी आज बार-बार जिस अहम् मसले पर हमारे साथियों ने कहा, उसमें मुसलमान जैसा कोई भी सदस्य नहीं था। किसी भी साथी का नाम ऐसा नहीं था जो मेरे नाम से मिलता हो। हमारी बिरादरी से मिलता हुआ हो । मैं बाबरी मस्जिद बनाम रामजन्म भूमि के अदालती मामले पर, एक भी बात नहीं कर रहा हूं कानून और तारीख की बात करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी इस गुनाह की सजा किसी एक समाज एक रंग या एक धर्म को ही नहीं मिलेगी बल्कि 70 करोड़ आवाम को इसकी सजा भोगनी होगी सरकार 40 साल तक इस मुकदमें में फरीक की हैसियत रखने के बावजूद दो साल से उस हैसियत से फरार किए हुए है।

उसने इस हैसियत को वापस ले लिया है । 1885 में पहली बार महन्त ने यह मसला उठाया था उसी समय अदालत के जरिये तय हो गया था । मुल्क को आजाद हुए एक लम्बी मुद्दत हो गई है। 1947 में आजादी के बाद 1949 में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से एक पंडित दरोगा और पंडित हैड मोहरिर्र ने जो रपट लिखाई उसमें लिखा था कि रात में कुछ शरपसन्दों ने सीढ़ी लगाकर मस्जिद में दाखिल होकर मस्जिद को नापाक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ उस वक्त के देश के बड़े नेताओं ने मंदिर से मूर्तियां हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो सका। हमारे समाज में जो गिरावट आजादी के बाद आई यह इसकी एक मिसाल थी। यही सूरते हाल 38 साल से चली आ रही है। यह सरकार एक मखसूस तबके के वोट हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों के जज्बात से खेलती रही है और ऐसा माहौल पैदा करती रही है कि यह मसला हल न हो। सरकार ने मेरठ मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में ऐसा माहौल पैदा कर दिया और फसादात कराए ताकि फायदा एक पार्टी को पहुंचे। मुझे बड़े ही दुखी दिल से यह कहना पड़ रहा है।

श्री नरेन्द्र देव–

यह ऐसा मुद्दा है जिसमें कहा हुआ एक वाक्य कहीं भी संक्रेशन फैला सकता है। इस समय देश और प्रदेश की जो स्थिति है उसमें यह गम्भीर भूमिका अदा कर सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह मामला अदालत में है। और जो यह कह रहे है यह अभिभाषण से सम्बन्ध नहीं रखता है इसलिए इनके वक्तव्य का वह अंश निकाल दिया जाए जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इस मुद्दे को एक साथी की तरफ से अभिभाषण से नहीं जोड़ा जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने तो खुद कहा है कि इस प्रदेश में फिरकापरस्ती जैसी कोई चीज नहीं है। महामहिम राज्यपाल जो कि शो पीस की हैसियत रखते है, को सरकार की तरफ से यह ही हक दिया गया है कि वह मजारों और दरगाहों पर जाकर चादर चढ़ायें और फातिहा पढ़ें, लेकिन वह रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं रखते। हमारे दोस्त हमारी बात को नहीं समझ रहे है।

हमेशा मेरी बात को और मेरे एहसास को गलत समझा गया है। मैं किसी एक फिरके की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सारे देश और प्रदेश की बात कह रहा हूं और

उस मयार को पैदा करने की बात कर रहा हूं जहां दोनों फिरके एक दूसरे के साथ नेकनीयती से रह सकें। लेकिन यहां ऐसे हालत पैदा कर दिये गये हैं जहां हम और आप खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से रहने के लिए मजबूर हैं। हमें एक साथ रहना है लिहाजा रह रहे हैं। हम खुशी से रहें उसके लिए ऐसा मयार होना लाजिमी है जिसमें हम रह सकें। हमें चाहिए कि हम उन तमाम तकाजों को हटा दें जो हमारे दिलों में नफरत पैदा करते हैं और फिरकापरस्ती के जज्बात पैदा करते हैं । अभी माता प्रसाद पाण्डेय जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि आज से 40-50 साल पहले हिन्दू मुसलमान और मुसलमान हिन्दू एक दूसरे के घरों में जब जाते थे तो बरतन बदल दिये जाते थे, खाना पकाने वाले बदल दिये जाते थे मगर लोगों के दिलों में यह नफरत नहीं थी।

मान्यवर, मगर आज हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख एक ही बरतनों में बैठकर खाते हैं लेकिन अफसोस है कि जहां हमारी तालीम बढ़ी है, तहजीब बढ़ी है, जहां हमारे समाज की तरक्की हुयी है वहीं हमारा मयारे जिंदगी गिर गया है। इंसान की तरक्की हो रही है लेकिन इंसानियत नहीं रह गयी है। हम केवल आदमी होकर रह गये हैं। हम केवल आदमी होकर सोचते हैं इंसान होकर नहीं सोचते। बहरहाल अगर मेरी बात से, मेरे अल्फाज से कोई शख्स यह समझता है कि मैंने किसी के जजबात को भड़काने और खून पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं माजरत चाहता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल से इस मुल्क में न केवल मुसलमानों के जजबातों से खेला गया है बल्कि मुसलसल उनको जलील भी किया गया है। इस बात का आपको अहसास होना चाहिए । मैं इस प्रदेश के एक छोटे से कमजोर जिले से ताल्लुक रखता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में आप अपनी बात खत्म करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जैसे ही आप लाल बत्ती जलायेंगे उसके एक मिनट बाद मैं खामोश हो जाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

तो मैं लाल बत्ती जलाये दे रहा हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं बहुत छोटे से जिले से आता हूं वह ऐसा जिला है जहां से कभी सुनते हैं कि नारायण दत्त तिवारी साहब चुनाव लड़ेंगे और कभी सुनते हैं कि अम्मार रिजवी साहब चुनाव लड़ेंगे । मान्यवर, रोज ही आप सुनते हैं सदन से यह मांग उठती है कि हमारी तहसील को जिला बना दिया जाय, मैंने भी एक बार तिवारी जी के पिछले दौर में कहा था और आज भी कहता हूं कि मेरे जिले को नैनीताल की तहसील बना दिया जाय तो हमारी बड़ी तरक्की हो जायगी । मैं मजदूरों के उस शहर से आता हूं जहां उनको सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी भर पेट रोटी नहीं मिलती और बेरोजगार मजदूरों को काम नहीं मिलता । वहां पर एक कपड़े का कारखाना है जिसका मालिक सरकार की गोद में बैठा है। वहां पर दो शक्कर के कारखाने थे जो बन्द करके एक कर दिया गया । आज यहां कहा गया कि कानपुर

के कपड़ा मजदूरों को जो उजरत मिलती है कहीं कम नहीं ज्यादा है उसी तरह से मेरे शहर की दो बड़ी सनदें हैं । एक रिक्शा चलाना और दूसरी बीड़ी बनाना जिसके मान्यवर, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं । मैं अपना हक समझता हूं कि बीड़ी मजदूरों की बात इसलिए आपसे कहूं कि आपको उनकी मदद करनी चाहिये ।

हमारे यहां रामपुर में 60 फीसदी लोग बीड़ी बनाकर रोजी कमाते हैं । जैसा मैंने पहले कहा था हमारे यहां कुंवारी लड़कियां न सिर्फ बीड़ी बनाकर अपने घर का खर्च चलाती हैं बल्कि वह अपना दहेज जमाकर शादियां भी करती हैं। वहां पर बीड़ी बनाने की जो उजरत मिलती है वह बहुत कम है । आप हरदोई चले जायं तो 5 रुपये फी हजार बीड़ी की मजदूरी मिलती है, गुरसहायगंज चले जायं तो वहां 8 रुपये फी हजार बीड़ी की मजदूरी मिलती है । अमरोहा चले जायं तो सवा 12 रुपये रोज मजदूरी मिलेगी और हमारे यहां चले जायं तो सवा 13 रुपये मजदूरी मिलेगी । यह जो मजदूरी में फर्क है अगर इस फर्क को बनाये रखा गया तो हमारे यहां के बीड़ी बनवाने वाले लोग हरदोई में आयेंगे और कम उजरत में बीड़ियां बनवाकर ले जायेंगे । इसलिए रामपुर, हरदोई, गुरसहाय गंज, अमरोहा में एक ही उजरत दर लागू करनी चाहिए । अगर इस पर अमल हो जायगा तो फिर बीड़ी मजदूरों का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जायगा । इन अल्फाजों के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि रामपुर एक छोटा शहर जो हमेशा सौतेलेपन की नजर से देखा गया है तो सिर्फ इसको सौतेलेपन की नजर से न देखा जाय बल्कि इसकी तरक्की के लिए जरूरी कदम उठाये जायं, इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं । शुक्रिया ।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा आबादी रखने वाला प्रदेश है जो अपनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है । ऐसी स्थिति में जब इस प्रदेश में अकाल पड़ते हैं और तमाम तरह की प्रकृति की आपदाएं आती हैं उन आपदाओं में भी हम प्रदेश को आज इन 42 सालों में अपने विकास के रास्ते पर कितनी दूर तक ले गये हैं । हम समझते हैं कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए भाई इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं ।

सच्चाई छिप नहीं सकती है कभी झूठे वसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश में चतुर्दिक विकास की सच्चाई है, हमारे प्रदेश की सरकार ने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ प्रदेश को आज विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है तथा आज उन्होंने निश्चित समय के अंदर विकास की जो बढ़ोत्तरी दी है प्रदेश को वह अपने में एक प्रशंसा के लायक है । मान्यवर, उनके इस चतुर्मुखी विकास के लिए मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता तो आभारी है ही विपक्ष में बैठे हुए

भाई भी इस बात को नकारेंगे नहीं । आज उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास तथा चतुर्दिक विकास हुआ है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति अभार प्रकट करना चाहिए । मान्यवर, मैं इसी परिपेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि जहां उद्योगों के रास्ते में हमारे प्रदेश ने जिसको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में व्यक्त किया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां भारी और मध्यम की तरह के उद्योग करीब 52 लगे हुए थे परन्तु 1988 तक हमारे उत्तर प्रदेश में 844 भारी और मध्यम वर्ग को मिलाकर लगे, यह अपने में एक मिसाल है।

मान्यवर, मैं इसी परिपेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि मैं जिस इलाहाबाद के सिराथू विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, इलाहाबाद जनपद में तो उद्योग बहुत लगे हैं परन्तु दोआब में इलाहाबाद जो 90 किलोमीटर का जिसमें मेरा सिराथू विधान सभाई क्षेत्र आता है पूरे क्षेत्र में दूर-दूर तक किसी प्रकार का कोई उद्योग आज तक नहीं लगा है जिसके कारण मैं समझता हूं कि दवाबा के 8 या 10 लाख लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे की जिन्दगी जी रहे हैं । यह अपनी जीविका छोटी-मोटी किसानी पर चला रहे हैं। उद्योग के अभाव में प्राय: यहां के कुछ बेरोजगार लोग निश्चित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाया करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां पूरे प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछा रहे हैं वहीं मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इलाहाबाद जनपद में दोआब में चायल, मंझनपुर और सिराथू जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में विशेष तौर से सिराथू में उद्योग लगाने की महान कृपा करें जिससे वहां की जनता को रोजगार मिल सके तथा विकास के रास्ते से जुड़ सके ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जहां हमारे प्रदेश की सरकार ने दबे और गरीब तबके के लोगों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेहतर तरीके से जीने के लिए एक नया प्रोग्राम दिया है तथा विभिन्न तरह से आज दबे हुए लोगों को कल्याण करके उनके बेहतरी की ओर आगे बढाया जा रहा है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के संविधान ने तथा देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जा ने और माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तमाम सारे लोगों को जो लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रकार से चयनित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा किया जायेगा परन्तु दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने प्रोन्नति में श्रेष्ठता और योग्यता का आधार बनाया है उसमें श्रेष्ठता के आधार पर जो चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 में संशोधन होना चाहिए नहीं किया गया । जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लोगों का अलग से पात्रता सूची बनाकर चयन नहीं किया होता है । इससे हम लोगों की या शासन की मंशा या माननीय मुख्य मंत्री जी की जो मंशा है, आरक्षण के तहत तमाम गरीबों को तथा दबे हुए वर्ग के लोगों को सेवा में अंदर उठाने की, मंशा पूरी नहीं होती तथा वह सुविधा उनको पूरी नहीं मिल पाती है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 1970 की प्रक्रिया नियमावली के तहत जिस प्रकार सरकार ने इन्होंने ज्येष्ठता के नियम 21 में

1984 में संशोधन किया उसी प्रकार श्रेष्ठता के नियम 8 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अलग से वर्ग बना दें तो उनको उपर्युक्त राहत मिल सकेगी । उनको न्याय मिल सकेगा । ताकि इससे हमारी मंशा पूरी हो सके ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे सिराथू विधान सभा क्षेत्र में पूरी तहसील में पेयजल का गम्भीर संकट हो गया है । अस्सी प्रतिशत पेयजल के कुएं या तो सूख गये हैं या सूखने की कगार पर हैं । करीब 20 प्रतिशत कुएं ऐसे रह गये हैं जिनमें कीचड़दार पानी आ रहा है । इसके बारे में वहां के डी0 एम0 और परगनाधिकारी ने भी रिपोर्ट शासन को की है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट चाहता हूं कि जहां प्रदेश में पेयजल के संबंध में तमाम विकास कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं मैं कहना चाहूंगा कि अगर तत्काल युद्ध स्तर पर सिराथू में पेयजल के लिए कोई बड़ा टैंक नहीं लगाया गया, हैण्ड पाइप नहीं लगाया गया तो हाहाकार हो जायगा और उसके लिये हमें चिन्ता करनी पड़ेगी । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सिराथू तहसील में युद्ध स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री जी निर्देश दें कि वहां पर पेयजल की समस्या दूर की जा सके । आज गन्ने के क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो देय राशि है उसका 99.41 दे दिया है । गांव के गन्ना पैदा करने वालों के लिए यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रगति है ।

लेकिन मान्यवर, उसी के तहत मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं उससे जुड़े हुए हैं । दवाबा गन्ने की फर्टाइल भूमि है, इसलिये चाहूंगा कि 120 किलोमीटर फतेहपुर और इलाहाबाद जनपद में, जहां मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़े उद्योगों के विकास में ध्यान दिया है, वहीं दवाबा में गन्ने की जगह पर एक मिल निश्चित रूप से लगवाएं, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और किसान का स्तर अच्छा हो सके । वहां के लोगों में खुशहाली आ सके । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रदेश की 13 करोड़ जनता को भारी निराशा हुई है । प्रदेश की जनता ने यह आकांक्षा बनाकर रखी थी कि राज्यपाल महोदय राजनीतिक भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम की घोषणा करेंगे । इसकी नौकरशाही, और उसके भ्रष्टाचार को और उसकी मनमानी नीतियों को रोकने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम उठायेंगे । जनता ने यह अपेक्षा कर रखी थी कि प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिये बजट में ठीक ढंग से प्राविधान होगा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब मुद्दों के न रहने के कारण प्रदेश की जनता को घोर निराशा हुई है। मान्यवर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कोई राजनीतिक आधार नहीं होना चाहिए लेकिन प्रदेश की चल रही हुकूमत ने देश की जनता के विकास के रास्तों को राजनीतिक कारणों से जोड़े रखा है। मान्यवर, जिस तरह से मुख्य मंत्री ने

ताबड़तोड़ जिलों की घोषणा की है उसके पीछे तहसील पुनर्गठन समिति की संस्तुतियों को आधार नहीं बनाया गया है। जहां की जनसंख्या 35 लाख से ज्यादा थी या भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा था, उस आधार पर नहीं बनाया गया । उन्होंने राजनीतिक आधार को दर्शाया है। तहसील पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को नजरंदाज किया गया । जहां के लिए उसने संस्तुति की वहीं पर तहसील संस्तुत किया था, वहां पर नहीं खोली गयी । मेरे क्षेत्र में कसया के अन्तर्गत तहसील खोला जाना सूची में प्रथम स्थान पर था, लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए, वहां तहसील नहीं खोली गयी । ऐसा ही चौरीचौरा में हुआ । भू0पू0 मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने वहां से तहसील को हटाकर अपने क्षेत्र में ला दिया । मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद की विशालता को देखते हुए उसका पुनर्गठन नये जिले का गठन कसया में कुशीनगर नाम से होना चाहिए । नये जिले का गठन होना चाहिए । माननीय सदस्य राम सकल तिवारी जी भी इससे सहमत हैं । देवरिया को दो, भागों में विभाजित करके, कुशीनगर नवीन जनपद मुख्यालय बनायें तथा तहसील केन्द्र बनायें । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य देने की घोषणा की गयी । सरकार को मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कितनी लागत आती है । मैं कहना चाहता हूं कि लागत को देखते हुए, गन्ने की कीमत कम से कम 40 रु0 और गेहूं की कीमत 250 रु0 निर्धारित की जानी चाहिए । खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी गोपनीयता की आड़ लेकर इस सम्बन्ध में पूछे गये सवाल का जवाब टाल गये । वह यह बताने में असमर्थ रहे कि किस मानक के आधार पर यह दाम तय किये गये हैं।

जिला परिषद् और नगरपालिकाओं के चुनावों में सरकारी पक्ष ने जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं । गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं । वह वहां पहुंच गये महापालिका के चुनाव में, वहां के सभासदों को किडनेप करवाकर, उनको पुलिस के माध्यम से दबाव डालकर वोट डलवाया । अपने घर पर जिलाधिकारी को बिठाकर जो वोट देने के लिये सभासद परिचय बनवाया जिसे उन्हें अपने कार्यालय में बनाया जाना चाहिए था । गोरखपुर के जिलाधिकारी एक दिन पहले से ही उस श्रीमान वीर बहादुर सिंह के घर पर बैठे हुए थे । सत्ता का दुरुपयोग इस तरह से किया जाना, राजनीति के भविष्य के लिए अंधकारमय और दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा । लोगों की राजनीति से आस्था घटेगी, संसदीय परिपाटी गिरेगी । राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिये उपाय किये जाने चाहिए थे ।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय अनुशासन की बात कही । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के जिला प्लानों के अन्तर्गत 37 चिकित्सालयों में एक्सरे प्लांट की व्यवस्था की जानी थी । 1986-87 से आज तक जिला प्लान से धन की व्यवस्था की गयी किन्तु स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कमीशन नहीं तय हो पा रहा है, इसलिये 37 चिकित्सालयों के मरीज एक्सरे की सुविधा से वंचित हैं । इस प्रकार की अनुशासनहीनता के क्या कारण है ।

कल बड़ी पीठ ठोकी गयी, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना और एन0 आई0 ई0 पी0 के माध्यम से 5 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जायेंगे । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास मंत्री जी अपने क्षेत्र की सड़क पर चले जायं क्या सड़क पर ठेकेदार का काम नहीं हो रहा है ? क्या वहां भूमिहीन मजदूर काम कर रहा है ? अगर आप दिखा देंगे कि भूमिहीन मजदूर काम कर रहा है, तो उस दिन विधान सभा की सदस्यता से बाहर जाने के लिए तैयार होंगे । प्रदेश के किसी एक प्रोजेक्ट पर ले जाकर दिखवाइये, क्या ग्रामीण मजदूर काम कर रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के ठेकेदार इस काम को करवा रहे हैं और करोड़ों रुपये गरीबों के खुद हड़प ले रहे हैं फर्जी तरीके पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की रिपोर्ट मानव दिवस सृजित करने की भेजी जा रही है।

औद्योगिक पिछड़ेपन के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, आज मैं विधान सभा में एक प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा था कि क्या मानक तय थे औद्योगिक स्थलों के विकास के लिये और नये नोएडा बनाने के लिये, माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । जीरो इन्डस्ट्री जिले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देवरिया में 1947 से आज की तारीख तक 40 वर्षों के इतिहास में एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ । वहां औद्योगिक स्थलों का विकास नहीं होगा, यह राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त निर्णय है । इसी सदन के नेता और प्रदेश के भू0पू0 मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने पट में डिबेट में कहा था कि विकास के कार्यों में राजनीतिक पक्षपात नहीं करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि आवश्यकता कहां है, विकास जरूरी कहां है । लेकिन आज सरकार विकास की जरूरत से हटकर, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने में लगी हुई है ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कितना व्यापक भ्रष्टाचार प्रशासन में भरा हुआ है । इसी लखनऊ के भीतर एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी धर्मेन्द्र देव के यहां भारत सरकार के इनफोर्समेंट स्क्वैड ने छापा मारा और 3 करोड़ की लागत से ज्यादा के सामान बरामद हुए, इसके अलावा 60 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई । मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि उसे राजीव गांधी का संरक्षण प्राप्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर0 ई0 एस0 डिपार्टमेंट के मुख्य अभियन्ता सिद्दीकी के खिलाफ दोनों ही पक्षों के 200 से अधिक माननीय सदस्यों ने 60 लाख रुपये के गबन और घूसखोरी का आरोप लगाया, लेकिन ग्राम्य विकास मंत्री ने इसी सदन के भीतर बैठकर कान में रुई ठूंसकर उसको अनसुना कर दिया । यह आज तक नहीं बता सके कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जायें । महा-महिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कोई कारगर कदम उठाये जाने की तरफ संकेत नहीं किया है। मान्यवर, पूर्वांचल की तरफ देवरिया, आजमगढ़,

बस्ती है, वहां पर 30 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, सी0 ए0 योजना के अन्तर्गत । मैं निवेदन करना चाहता हूं जो इसका लक्ष्य बढ़ाया जाना चाहिए था, वह नहीं बढ़ाया गया । मान्यवर, मेरी मांग है कि देवरिया जनपद में गन्ने के उत्पादन में लगातार वृद्धि को देखते हुए दो चीनी मिलों की स्थापना हैतिमपुर तथा बघौचघाट में की जानी चाहिए । इस तरह से मान्यवर, मेरे क्षेत्र बघौचघाट में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना के लिये 1986 में वर्किंग स्कीम के अन्तर्गत काम होना था, बाद में उसको प्रायरिटी सूची में लिया गया, लेकिन वह विद्युत सब स्टेशन पूर्ण होकर आज तक वहां की जनता को नहीं मिला । यह इस सरकार की कोताही और गैरजिम्मेदारानापन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार मान्यवर, पथरदेवां की पैयजल टंकी की बात है, इस टंकी को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया था, लेकिन आज तक उस काम को भी पूरा नहीं किया गया । मुझे उम्मीद है कि जब ग्राम्य विकास मंत्री जी बोलेंगे, तो उस समय यह आश्वासन देंगे कि इस वर्ष इस काम को पूरा करवा दिया जायगा । आज कांग्रेस की हालत क्या है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ।

मान्यवर, एक घटना है, एक गांव में एक बार बहुत अकाल और सूखा पड़ गया, तब गांव वालों ने बहुत अच्छा काम किया, इस पर राजा ने खुश होकर गांव वालों को इस शर्त के साथ एक हाथी इनाम में दिया कि यह हाथी कभी मरना नहीं चाहिए और अगर हाथी मर गया, तो जो आदमी इस बात का समाचार देने आयेगा, उसको हम प्राणदंड देंगे । इस बात पर गांव वालों ने हाथी की बड़ी सेवा सश्रूषा की । लेकिन हाथी को मान्यवर, एक दिन मरना ही था और हाथी मर गया । अब लोगों में यह चिन्ता हुई कि इसकी सूचना राजा को देने कौन जायगा । आखिर में एक बूढ़ा व्यक्ति इस बात की सूचना देने जाने के लिए तैयार हुआ और उसने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज यह जो हाथी आपने दिया था वह हाथी न कुछ खाता है, न कुछ बोल रहा है, न चल रहा है, न पानी पीता है, तो राजा ने पूछा कि क्या हाथी मर गया ? बूढ़े ने कहा यह हम नहीं महाराज कह रहे हैं । आज मान्यवर, इस सरकार की हालत ऐसे ही हाथी की तरह हो गयी है । माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार आज उसी हाथी की तरह मर गयी है । इस सत्र का यह अन्तिम अवसर है, इन लोगों के लिये. उसके बाद तो इन लोगों को इधर ही बैठना पड़ेगा । इसके साथ ही मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया । मैं अभी अपने विपक्ष के भाइयों का भाषण सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सदन में कोई रस्म अदायगी करी जाती है । देश की जनता को और प्रदेश की जनता को राज्यपाल के इस अभिभाषण से बहुत शिक्षा हुई,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ऐसा कहा जाता है । पता नहीं ये लोग किस दर्पण में देखते हैं और उसके बाद अपने ख्यालात जाहिर करते हैं। एक माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। किताबों में लिखी हुई बात दूसरी है, बसूली तौर पर कही बात दूसरी है, उन बातों में जो प्रेक्टिकल होता है और जो फर्क है, वह मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके सामने लाऊं । कोई माननीय सदस्य एक-दो थाने में हुई घटनाओं को कहता है तो किसी के दिमाग में कोई खास मसला है, उसे कहता है, बार-बार घूम फिर के उसी मसले पर आ जाते हैं । कोई यह कहता है कि हमारे क्षेत्र में यह विकास नहीं हुआ है, ऐसा कह कर वह अपनी बात खत्म कर देता है।

परन्तु हम बिना शंका के कहते हैं कि पैदावार बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है और उत्पादकता को बढ़ना चाहिए । हम ही कहते हैं कि हमारी जो जमा राशि है बैंकों में, उसके साथ जो हम देते हैं, वह अनुपात में कम है, वह बढ़ना चाहिए। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार को पाबन्दी लगानी चाहिए, मगर उसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है । हमने अपनी पार्टी से भ्रष्टाचार के नाम पर जिन लोगों को निकाला है, हमने देखा है कि लोगों का आप दरवाजे पर खड़ा होकर खैरमकदम करते हैं । हमने जिन लोगों को निकाला, आज वे आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार पर कैसे पाबन्दी लग सकती है? भ्रष्टाचार पर पाबन्दी लगाने के लिए हम जो अपेक्षा आपसे करते हैं, वह हमें नहीं मिलता है । कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका हम पालन नहीं करते । हमारी जितनी भी कार्यवाहियां हैं, सभी में हम यह देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन होना चाहिए । आप लोगों के दिमाग में एक फितूर है नशाबन्दी-नशाबन्दी । हमने यह तय किया है कि नशाबन्दी पर पाबन्दी लगनी चाहिए । हम ऐसी उम्दा नीति बनायेंगे कि नशा करने वाले की आदत ही खत्म हो जायेगी। हमें प्रेक्टिकल बात करनी चाहिए। क्रियान्वयन की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जनता के सामने हम जो जनता की सेवा करने का संकल्प लेते हैं, वह जिम्मेदारी पूरी हो सके ।

एक खास मसले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस मसले से इतने जज्बात जुड़े हैं कि उस मसले का तस्करा करना मुनासिब नहीं समझता हूं । पहले आप आपस में ही यह तय कर लें । एक तो पत्थर ईंटा व गारा जोड़कर किसी और चीज को बनाने के लिए तैयार है तो दूसरा, पुराने नक्शे की हिफाजत के लिए अपनी जान देने तक के लिए काम कर रहा है । जब इस मसले का तजकिरा करना चाहिए तो यह दिमाग में रहना चाहिए कि कोई ऐसी बात तो हम नहीं कह रहे हैं जिससे फिरकापरस्ती बढ़ रही हो हमारी जुबान से कोई ऐसी बात तो नहीं निकल रही है, जिससे उत्तेजना बढ़ रही हो । जिससे दोनों कौमों के जजबात मजरूह हों। इस बात से हमारी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती कि फसाद सरकार ने कराये फलां मंत्री ने कराये या किसी और ने कराये ।हमारी जिम्मेदारी है कि फसाद नहीं होने चाहिए। अगर फसाद हों तो जितना हमारा सिर शर्म से झुके उतना ही उधर के लोगों का भी झुकना चाहिए।

हमें इस बात के लिये अपने को तैयार करना चाहिये कि यहां ऐसा माहौल बनाया जायगा कि रहमान और परमात्मा का ईश्वर और खुदा का फर्क किसी शख्स के दिमाग में रह नहीं जायगा । जितना हिन्दू मजहब की हिफाजत करना जरूरी है उतना दूसरे मजहबों की हिफाजत भी जरूरी है । अगर हमने गांधी का नाम लिया है तो उसकी बात को पूरा करने का दम भी रखते हैं । अगर आपके मुताबिक हमने एक कौम को जलील करने का कोई काम किया था तो जिसने यह काम किया था क्या वह आज आपका सरगना बना नहीं बैठा है ? अगर वह नापसन्द था और यहां उसने गलत काम किया था तो उसे आपके यहां भी घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये थी । हमारा आपका सबकी इखलाकी, जिम्मेदारी है कि इस मसले को बिरादराना उखुवत के साथ रवादारी के साथ, भाइयों जैसे हुसैन अखलाक के साथ बैठकर हल निकालना है

(सत्तापक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट)

चाहे अदालत के जरिये हो हमारी आपकी गुफ्तगू के जरिये हो। इसका हल निकलना चाहिये । अगर हम लोगों ने जिम्मेदारी का इजहार नहीं किया, इस मसले को साफ जिहन और दिमाग से हल करने की कोशिश नहीं की, तो हालात को काबू करना मुश्किल होगा । हम अगर 1947 से इस मुल्क की बागडोर सम्भाल कर बैठे हैं तो हमें फख्र है कि हम उन सिक्यूलर आदर्शों पर आज भी कायम हैं । चाहे खून की आखिरी बून्द तक जाय, हम हिन्दू और मुसलमान को गले मिलाकर रखेंगे, लड़ने नहीं देंगे । हम ऐसा समाज बनाकर रखेंगे जिसे धर्म निरपेक्ष समाज कहते हैं सिक्यूलर समाज कहते हैं ।

(तालियां)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लाल प्रताप जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि जिस प्रकार बाहर रह कर विपक्ष के भाइयों ने पहली बार इस अभिभाषण को पूरा सुनने का मौका दिया है उसी प्रकार अबकी बार विरोध न करके इसे पास भी करेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं ऐसे जिले से आता हूं जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और घाघरा के कटान तथा तमाम दैवी आपदाओं के प्रकोप से हमेशा पीड़ित रहने वाला जिला है । लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया । मैं चाहता हूं कि सरकार बस्ती जिले की तरफ ध्यान दे । घाघरा का कटान गत वर्ष 1988 में हुआ तब वहां पर सिंचाई मंत्री जी, श्री लोक पति त्रिपाठी जी तथा सिंचाई के सचिव महोदय ने जाकर कटान को देखा था । वहां लाखों रुपए का घोटाला खनिज निगम के माध्यम से किया गया था जिस पर जांच-पड़ताल चल रही है लेकिन अभी तक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। सरकार जो घोषणा करे, जो आश्वासन दे उस पर कार्यवाही होनी चाहिये । वहां के लिये आश्वासन दिया गया था कि दिसम्बर तक वहां कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा

लेकिन अभी तक वहां कार्य चालू नहीं हुआ है । जब कटान हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तब सरकार का ध्यान इस ओर जाता है और तब पानी की तरह पैसा बरबाद होता है और कोई स्थायी हल भी नहीं निकलता है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के सैकड़ों गांव कटान की चपेट में आ गये हैं, खेती नहीं हो पायी है । वहां के लोगों का कर्ज और लगान माफ नहीं किया गया है बल्कि उन्हें कर्जा न दिये जाने पर जेलों में बन्द किया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों का कर्जा माफ करने का निर्देश दें जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो सके ।

इसी तरह से सरयू नहर की योजना है, यह योजना पहले साढ़े तीन अरब रुपये की थी जो कि अब 9 अरब रुपये की हो गयी है । शासन की ओर से सरयू नहर योजना में ट्यूबवेल भी लगाने बन्द कर दिये गये हैं और सरकार सरयू नहर का कार्य प्रारम्भ करने में भी असमर्थ है जिससे कि यह नहर योजना ही पूरी हो सके जबकि लागत बढ़ती जा रही है, समय भी बढ़ता जा रहा है, किसानों की जमीन पर सरकार का कब्जा हो गया है । इसी तरह से एक बिथरिया पम्प हाउस है, वहां के ए0ई0 के खिलाफ पहले से ही कार्यवाही चल रही थी देवरिया और बहराइच की तरफ से। उसे ट्यूबवेल से हटा कर सिंचाई विभाग में प्रोन्नत करके भेज दिया गया है जो कि खुली लूट कर रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये ।

विद्युत विभाग के बारे में स्थिति यह है कि बस्ती जिले में 6 हजार गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । जिस तरह से विद्युतीकरण के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है इससे बहुत समय लगेगा और पच्चीसों वर्षों में भी बस्ती जिले का विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा कम से कम वहां के 500 गांव के विद्युतीकरण करने का प्रति वर्ष लक्ष्य रखा जाय तब जाकर कहीं कार्य पूरा हो पायेगा । हरैया में और डुमरियागंज में 132 के वी0 का सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था वर्ष 1988-89 में, वह अब तक बन कर तैयार हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक उस सबस्टेशन पर कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

मख क्षेत्र मखौड़ा में जहां कि राजा दशरथ ने तप किया था, वहां के लिये 1978 में एक सब स्टेशन स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उसे नहीं बनाया गया है । पिछले तत्कालीन विद्युत मंत्री, श्री शास्त्री जी ने कहा था कि 1977-78 में मख क्षेत्र मखौड़ा में 133 के0 वी0 का सब स्टेशन बन कर तैयार हो जायेगा लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यदि सरकार आश्वासन देती है, कोई घोषणा करती है तो उस पर कार्यान्वयन भी होना चाहिये ।

पुलिस विभाग में जो कुछ लोग ईमानदार हैं और जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं उनको यह सरकार देख नहीं सकती है और न काम करने देती है । अभी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक, श्री बृजलाल जो कि ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं और जो भ्रष्टाचार और असामाजिक तत्वों पर कब्जा करने के लिये बड़े तत्पर हैं, उनको वहां से हटा दिया गया । वहां पर स्मगलरों को पकड़ा था उन्होंने और आज बहु

स्मगलर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इसका श्रेय माननीय तिवारी जी को है और उन्ही की देख-रेख में इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं ।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर अब मैं आपका ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से पहले हमारे ज़िले में जिला योजना में 1 करोड़ 12 लाख रु0 इसलिए वापस ले लिए गये कि यह पैसा किसी अन्य जिले के लिए आवंटित किया गया था । जबकि बस्ती जनपद की हालत सड़कों के बारे में बहुत पिछड़ी हुयी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का बहुत अभाव है । मान्यवर इस प्रकार से इस सरकार के पास सिवाय उलट-फेर की कार्यवाही करने के और कोई काम ही नहीं है और जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हीं अधिकारियों से ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन कराई जाती है, जिससे पूरी तरह से यह स्पष्ट है कि वह कार्यवाही कदाचित, निष्पक्ष नहीं हो सकती है, ऐसे ही न मालूम कितने मामलों में मैंने लिखित रूप में शिकायतें की हैं, परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

अब मान्यवर मैं सिंचाई विभाग के संबंधों में माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पुराने नलकूप बस्ती जिले में लगे हुए हैं, उनमें अब बिलकुल पानी नहीं आ रहा है । इस संबंध में आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वह मात्र एक ट्यूबवेल लगाकर यदि उसमें बिजली आ गयी तो यह समझ लिया जाता है कि इतने-इतने हेक्टेयर सिंचाई हो गयी और उनका लक्ष्य पूरा हो गया, इस तरह से जो सिंचाई आंकड़े दिए गये हैं और ऐसे झूठे आंकड़ों के आधार पर इस प्रदेश को प्रफुल्लित किया गया है, यह सही नहीं है, इस प्रकार के आंकड़ों के विकास युग में आंकड़ों से प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा । और माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह तो मजबूरी में प्रस्तुत किया वह जानते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार से हर क्षेत्र में दुरदशा हो रही है, उनकी तो ड्यूटी लगाई जा रही है यह सब करने में, मजबूरी में उन्हें करना पड़ रहा है ।

अब मान्यवर मैं चीनी मिलों के बारे में माननीय गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो यहां पर विराजमान भी हैं, माननीय गन्ना मंत्री जी जिस तरह से आज नवाबगंज चीनी मिल की दुर्दशा, अब से पहले कभी नहीं हुयी है, वहां के काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब है, उन्हें तितर-बितर कर लगभग 15 हजार मजदूरों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अधिकारियों की सांठ-गांठ से यह सब हो रहा है। वर्ष 1988 में इस चीनी मिल को रिसीवरशिप में लिया गया, परन्तु पता नहीं कौन सी सांठ-गांठ अधिकारियों के बीच बनी, जिससे फिर उस चीनी मिल को मिल मालिकों को दे दिया गया । माननीय अधिष्ठता महोदय अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि. . .

श्री अधिष्ठता–

माननीय सदस्य, अब मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, कृपा करके अब बैठ जाएं।

एक सदस्य–

माननवर यह लखनऊ की मसल बहुत मशहूर है पहले आप और पहले आप वाली यहां पर भी वही हो रहा है। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन भी लखनऊ में ही है (हंसी) ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। शिक्षा का जो संस्थायें हैं, जहां पर छात्र पढ़ते हैं, उनकी एकी एक ईंट की दीवाल बनायी जा रही है और आप ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि आप स्कूलों की इमारतें बनवा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पंत नगर माननीय हुकुम सिंह जी गये थे। जिन छात्रों को निकाल दिया गया था, उनका प्रवेश पुन: किया गया। 22 छात्रों को निकाला गया था। 8 जनवरी को वहां के उन छात्रों ने एक लड़के को पकड़ कर मार डाला और पुलिस के सामने फेक दिया, तो यह आपका प्रशासन है। मैं शिक्षा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि...

(लाल बत्ती होने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

एक दो मिनट और दे दें। आप समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप शिक्षा पर बोल लीजिएगा। मैंने उनको बुला लिया है।

(व्यवधान)

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे उस पक्ष में बैठे सदस्य बड़े चिंतित नजर आ रहे थे, जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ । तब तो उन्होंने बहिष्कार किया और कल जब बजट भाषण सुना तो उनके चेहरे उतर गये क्योंकि ऐसा लगा कि प्रदेश के विकास की तरफ इनकी रुचि नहीं रही, राजनीति में ज्यादा रुचि है और आज एक जगह पर एक लड़का दूसरे लड़के से पूंछने लगा कि सड़क पर आहट हो गयी है, क्या कोई आदमी है, उसने कहा आदमी नहीं नेता है। तो आज आदमी और नेता में फर्क हो गया है। आज हर चीज को राजनीति के नजरिये से देखा जा रहा है, तो जरूर सब उल्टा नजर आयेगा । आज जिला परिषद् और नगरमहापालिकाओं के चुनाव हुये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, वर्तमान सरकार ने जिला परिषद् और नगरपालिकाओं के चुनाव कराये, उसके लिये निश्चय ही वह धन्यवाद के पात्र हैं । जहां तक इन चुनावों की बात है, जब विपक्ष अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया तो आज दूसरा रुख अपना रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने स्थानीय निकायों के चुनाव कराये और प्रदेश के विकास की बात करते हैं, उसमें आप को भी हमारी सहायक करनी चाहिए और हम और आप मिलकर प्रधान मंत्री जी के सपने को साकार करें और मुख्य मंत्री जी के सपने को साकार बनवायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आदमी और नेता में फर्क हो गया है और प्रधान मंत्री के बारे में बता रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके प्रधान मंत्री हैं, वह नेता है वह आदमी हैं कि नहीं।

श्री नरेन्द्र देव–

यह फर्क वहां पर होता है, जो हर चीज को राजनीति के नजरिये से देखता है, उसे शिकायत होती है । जो विकास के प्रति सम्बद्ध होता है, उसकी कोई शिकायत नहीं होती है। मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर पाषाण मजदूर हैं, जो बटिया निकालते हैं, उनको जब पट्टा दिया जाता है, तो अधिकारी उसमें लिखकर देते हैं कि घन और घट्टी से काम होगा। मिर्जापुर में स्टोन माइन एक्ट, 1985 लागू था, जिसके अनुसार कृषि की उपज का जिस प्रकार से मूल्यांकन होगा, उसी तरह से अगर किसी गरीब आदमी के पास पत्थर का पट्टा होता था, तो वह पत्थर उसकी आय का श्रोत होता था । लेकिन आज माइन्स मिनरल एक्ट जब लागू हो गया तो स्टोन माइन एक्ट हटा दिया गया। आज पूरे देश में यह परिभाषा है कि जो कार्य हाथ से होता है वह हस्त शिल्प है, कुटीर उद्योग है और उस पर बिक्री कर नहीं लगाया जायेगा। लेकिन मिर्जापुर के 50 हजार से अधिक पाषाण मजदूरों पर बिक्रीकर लादा गया है जबकि वह बिक्री कर हाथ से काम करने वाले मजदूरों पर नहीं लगना चाहिए था।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की रचना करना है, इसका निर्माण करना है, इसको आगे बढ़ाना है, प्रदेश के गरीबों को आगे बढ़ाना है जो मुख्य मंत्री जी का लक्ष्य है। मान्यवर, आप देखें पाषाण मजदूरों को अगर हम कुटीर उद्योगों का दर्जा देकर उनको छूट देते हैं तो छोटे-छोटे मजदूर भी पट्टे ले सकेंगे, पटिया निकाल सकेंगे गिट्टी तोड़ सकेंगे। अन्यथा वे आज सूदखोरों के चंगुल में फंस गये हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गये हैं जिनके पास अल्प बचत योजना में जमा करने के लिए बिक्री कर देने के लिये पैसे हैं, उनसे वे केवल पैसा लेते हैं और मजदूर खुद मेहनत करता है और शाम को उसकी कमाई का तीन चौथाई सूदखोरों के घरों में पहुंच जाता है। मान्यवर, यह एक अहम सवाल है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं तो यह समझता था कि सोनभद्र जनपद के विकास की चर्चा मैं इस सदन में करूंगा लेकिन कुछ परिस्थितियों वश मुझे उसके निर्माण की चर्चा करनी पड़ रही है।

माननीय अधिष्ठाता जी, राबर्ट्सगंज तथा दक्षिणांचल में लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर चले गये हैं। इस वजह से सोनभद्र का निर्माण कुछ तकनीकी कारणों से टाला जा रहा है। जनतंत्र में विश्वास होने के नाते मेरा दायित्व है कि दक्षिणांचल के जिन लोगों ने वहां के नये जनपद के लिये, गरीब और आदिवासियों के जनपद के लिये जेलें काटी हैं, । आन्दोलन किया है, संघर्ष किया है उनके प्रति हमारा दायित्व है कि मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। आज पूरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दक्षिणांचल में जन रोष है। उनकी मांग है कि सोनभद्र जनपद का निर्माण और गठन शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। पहले भी यह प्रस्ताव आया था कि राबर्ट्सगंज, दुद्धी और चुनार के गांवों को मिलाकर एक जनपद की घोषणा होगी और उसके मुख्यालय के लिये यदि कोई विवाद होगा तो उसके लिये स्थानीय मुख्यालय के चुनाव के लिये निर्णय लिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि राबर्ट्सगंज तहसील में कोई कन्या इन्टर कालेज नहीं है, कोई डिग्री कालेज नहीं है। घोरावल में एक राजकीय हाई स्कूल है वह नाकाफी है। यह एक गम्भीर बात है। इस राजकीय हाई स्कूल में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं और इस राजकीय हाई स्कूल के पास कोई शौचालय नहीं है, कोई कमरा नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस राजकीय हाई स्कूल का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय, उसके लिये अनुदान दिया जाय। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बात कही गई है कि यह सरकार प्रदेश की रचना और उसके निर्माण में लगी हुई है वह निश्चय ही धन्यवाद की पात्र है और राज्यपाल धन्यवाद के पात्र है।

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मौका दिया। मान्यवर, हमको उम्मीद थी कि चाहे सरकार इस वर्ष को इलैक्शन का वर्ष मानती हो तो राज्यपाल महोदय अपनी सरकार को कुछ ऐसे निर्देश देंगे जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई राहत मिले और जनता की तकलीफें दूर होंगी। लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यह कोई नयी बात जनता की भलाई के लिये करना चाहते हो। इस अभिभाषण में नितांत यह कमी आई कि आम जनता की तकलीफों को दूर करने की कोई नियत इनकी है। इस बात की कमी साफ-साफ नजर आई है। इसके लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में हमारे पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से विकास कार्यों में बाधा पड़ी है। उसके कारण वहां आम जनता में रोष है। वह उस रोष को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के सामने रखती रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम है कि इस अधिनियम के सख्त प्रावीजन्स के कारण 1980 के बाद कोई वहां विकास काम नहीं हो रहा है। चाहे वह स्कूलों का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो या अस्पतालों का काम हों, कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है जहां वन भूमि इनवाल्व है। उसका नतीजा यह है कि पिछले साल इसी सदन में आपने देखा होगा माननीय वीर बहादुर सिंह ने प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी थी केवल मेरे जिले में 34 लिंक रोड इस वन संरक्षण अधिनियम के कारण बंद पड़ी है ऐसा स्वीकृत है। केवल पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के पास 36 करोड़ रुपया बैकलाग में पड़ा है और वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। वहां की जनता ने बार-बार इस बात की मांग रखी अगर इस सरकार में थोड़ी सी संवेदना होती, लोगों की बातें सुनने का जजवा होता तो निश्चित था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख होता कि विकास कार्य को

अवाध गति से करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये केन्द्र सरकार को संस्तुति की गयी है। लेकिन ऐसा नहीं है।

इसी कारण आज उत्तराखण्ड की जनता आंदोलन पर उतर आई है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 11 फरवरी को मेरे नेतृत्व में मेरे क्षेत्र के लोगों ने जौरासी में आंदोलन किया वहां इस सड़क में 12, 13 लाख रुपया खर्च हो गया है 60 कि0 मी0 सड़क इधर उधर से बन गयी है लेकिन डेढ़ सौ मीटर के कारण उस पर वन भूमि आने से वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से सड़क नहीं बन रही है। इस तरह से सारी सड़कों का काम बंद पड़ा है और जो पैसा खर्च हो गया है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके खिलाफ वहां आंदोलन किया गया और लोगों ने कई पेड़ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पुलिस के सामने काट दिये और इनके अधिकारी देखते रहे जनता के गुस्से के सामने कुछ नहीं कर पाये। मैं चुनौती देता हूं उस गांव के लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करके देख ले अगर कार्यवाही करेगी तो जनता का गुस्सा दूना और चौगुना हो जायेगा और यह उसे संभाल नहीं पायेंगी तो इस बात का कोई उल्लेख राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है।

यह सरकार कहती है कि वनीकरण में पेड़ लगा रहे हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो उत्तराखण्ड के जंगल हैं उसमें वन संरक्षण अधिनियम के कारण सारी गैर कृषि योग्य भूमि जंगल में रख दी गयी। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 80 फीसदी एरिया पहाड़ों में फारेस्ट के अंतर्गत आता है। वन कितने होने चाहिए उसके लिये विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि 66 प्रतिशत कम से कम जंगल पहाड़ों में होने चाहिये।

लेकिन आपके आंकड़े के अनुसार 39 परसेंट है, परन्तु जो रिमोट सेंसिंग वाली की अनालिसिस के हिसाब से आंकड़े हैं- वह कहते हैं कि केवल 29.8 परसेंट है और उसमें भी सघन वन जो 66 परसेंट होने चाहिए, वह केवल 4.4 प्रतिशत है। आज जंगल की यह दयनीय हालत है। लेकिन आप बनीकरण करने के बजाए उनका नाश कर रहे हैं। आपका कार्य करने का ढंग यह है कि अगर 10 लाख पौधे लगने हैं, तो 1 लाख गड्ढे खुदते हैं और उसमें 5–10 हजार ही पेड़ लगते हैं और साल दो साल बाद उनका भी कोई नाम निशान नहीं मिलता। इस तरह से सारे का सारा पैसा या उसका अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जेबों में चला जाता है। इसके लिए आपने कोई उपाय नहीं किया है, इस पर मुझे घोर वेदना है। दूसरी ओर काश्मीर राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को जंगलों और उसके आस-पास बसाकर उनसे वनों के बनीकरण, मेनेजमेंट और उनकी रक्षा का काम लिया जा रहा है। यही वनों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी भली भांति देखभाल भी करते हैं।

उत्तर प्रदेश में और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर ऐसे भूतपूर्व सैनिक होंगे, यदि आपने उनकी फोर्स बनाकर उनकी शक्ति का सदुपयोग किया होता तो वनों का बड़ा कल्याण हुआ होता। आपने अपने यहां उनकी तरह उनको वहां पुनर्वासित करने के साथ जंगलों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया होता तो प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाता और वनों को अवैधानिक तरीके से जो लोग काटने की कोशिश करते हैं उन पर रोक लगती और उनका पुनर्वास होता।

इन भूतपूर्व सैनिकों की सहायता से वनों के संरक्षण के साथ-साथ हिमालय की ओर से आपका प्रदेश और देश भी अधिक सुरक्षित हो जाता । लेकिन आपने यह न करके इस वन संरक्षण अधिनियम के जरिये उनके विकास के रास्ते और वहां पर निर्माण कार्य के रास्ते अवरुद्ध कर दिये हैं। दो-तीन पेड़ों के लिए उनके रास्ते बन्द कर दिये गये हैं, स्कूल का निर्माण बन्द कर दिया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह अधिनियम वापस हो और यह होना चाहिए।

भूस्खलन के बारे में कोई उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में काफी भूस्खलन होता है,, जिससे समय समय पर जनधन की काफी क्षति होती रहती है । उससे नदियों में सिल्ट जमा हो जाता है । हमारे पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट, और धारचूला आदि तहसीलों में 8-10 साल से रोज भूस्खलन हुआ करता है, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई उल्लेख नहीं किया । जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और पीड़ित ग्रामवासियों की आर्थिक सहायता की जाती है, उसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए कोई योजनाएं बना दी जाएं और वहां के लोगों की सहायता की जाए । इसका कोई न कोई उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे लिए अवश्य होना चाहिए था ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, वह चाहे मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र । 25 प्रतिशत से ज्यादा यह बजट लोगों की भलाई में खर्च नहीं हो रहा है। यहां तक कि प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि 100 रुपये में से 80 रुपया ही विकास कार्य पर खर्च हो पाता है । कोई भी स्कीम हो आप इसकी जांच करा लीजिए। पर्वतीय क्षेत्र में खासकर देख लीजिए कि कितना पैसा आप दे रहे हैं और कितना प्रतिशत उसका सदुपयोग हो रहा है । इसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी बूटियों का अपार भंडार है, किन्तु उसका भी दोहन और सदुपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों की आर्थिक दशा सुधर सके। वहां पर इसका सर्वेक्षण कराने की, उस पर रिसर्च कराने की और उस पर आधारित उद्योग वहां पर लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन राज्यपाल ने उसका भी अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया और इतनी बड़ी सम्पदा को यूं ही जाने दिया ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि पर्यटन के बारे में उत्तराखण्ड में काफी सम्भावनाएं हैं और पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर है, सुन्दर सुन्दर घाटियां हैं,, ग्लैशियर्स हैं और ट्रैक्स हैं। यदि उनका भरपूर उपयोग पर्यटन विभाग द्वारा किया जाय, तो वहां का नक्शा ही बदल सकता है। किन्तु इस दृष्टि से कोई व्यापक योजना बनाने के लिए इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है । राज्यपाल के अभिभाषण में इसको भी शामिल करने का आग्रह करता हूं ।

श्री दीप नारायण—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर हमारे

राज्यपाल महोदय ने प्रदेश की जनता को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया है, वहां पर मुझे बड़ा खेद होता है कि आजमगढ़ जनपद का, जो गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद और वाराणसी और बलिया से कानपुर के बीच में पड़ता है, और 32 लाख की आबादी का आजमगढ़ जिला उसे अछूता छोड़ दिया गया है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । पहले मऊ आजमगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र था जिसको काटकर जिला बना दिया गया जिसकी 13 लाख की आबादी है, और 32 लाख की आबादी आजमगढ़ की है जहां पर कोई उद्योग नहीं है आजमगढ़ के हृदय मऊ को तो जिला बना कर निकाल दिया गया है परन्तु मान्यवर, एक सठियांव शुगर मिल जो मऊ के बार्डर पर आजमगढ़ में पड़ती है इसको निकालकर मऊ में डाल दिया जाए और आजमगढ़ को अन-औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए तो अच्छा होगा जिससे कि आजमगढ़ का उत्थान हो सके । आजमगढ़ जिला पूर्वांचल का इतना बड़ा जिला होकर भी काफी पिछड़ा हुआ है । इसके बगल के अनेक जिलों को राज्यपाल महोदय ने उठाने का प्रयास किया है लेकिन इसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है।

ऐ दुनिया हमने बिगाड़ा है क्या तेरा
घर घर में दीवाली है मेरे घर में अंधेरा ।

मान्यवर, आजमगढ़ काफी बड़ी आबादी का क्षेत्र होकर भी काफी पिछड़ा हुआ है मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ को आजमगढ़ कमिश्नरी बनाकर जौनपुर, बलिया, मऊ और गाजीपुर के बीच पड़ने वाले आजमगढ़ में जोड़ दिया जाए। हमारा मान्यवर मेहनगर विधान सभा क्षेत्र है जो लालगंज तहसील के चारों ब्लाकों में बहुत बड़ा ब्लाक है वहां की आबादी एक लाख 16 हजार करीब आठ साल पहले ही हो गयी थी इसे तहसील घोषित कर दिया जाये । हमारा जो क्षेत्र है वह 70 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर लम्बा यहां पर सड़कों का बहुत अभाव है मेरे क्षेत्र में सड़क ठेकमा से कंचनपुर शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी से बना दी जाए एक जिला परिषद् की सड़क खरिहानी बेलहाडी टंडवा को जाती है उसको पी0 डब्लू0 डी0 में लेकर बनाया जाए ।

इसी तरह से मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि रानी की सराय से एक कोई लाडी मार्ग है उस पर पेन्टिंग कराई जाए । एक सड़क रासेपुर तितरा होकर गाजीपुर को मिलाती है उसको भी पक्का कराया जाए । हमारे क्षेत्र की कुछ सड़क मान्यवर अधूरी पड़ी हैं जैसे गोमाडीह, मेहनगर, नहर की पटरी, ताजपुर से बेला जाकरपुर भदसारी आदि हैं इनको पूरा कराया जाए ।

मान्यवर, बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि पूरे जनपद में 29 ब्लाक हैं प्रत्येक ब्लाक को दो हरिजन बस्तियों को बिजली देने का कोटा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे का काम करता है । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रत्येक ब्लाक में 25 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराया जाए । मेरे क्षेत्र के अन्दर प्राइवेट नलकूपों की समस्या बहुत ही जटिल है क्योंकि उनके किनारे-किनारे नहरें बिछा दी गई हैं जिससे एक तरफ तो किसानों को पूरी बिजली नहीं मिलती है दूसरी तरफ नहरों का पानी कट जाने से फसलें बरबाद करता है या बेकार नदी में जाता है । उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाये । मान्यवर, मेरा आपसे पुनः

निवेदन है कि आजमगढ़ जो गोरखपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर वाराणसी देवरिया इलाहाबाद, देवरिया, वाराणसी, बलिया, लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर आदि के बीच बसा हुआ है उसको कमिश्नरी बनाया जाए इसकी नितान्त आवश्यकता है । इन्हीं शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शासन की नीतियों और कार्यक्रमों का पता चलता है । मैंने सोचा था कि इस साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखने से ऐसा लगेगा कि जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो किसानों की लूट हो रही है और जो बेरोजगारी है उसके बारे में कुछ कारगर कदम उठाने की बात कही गयी होगी और प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी लेकिन 18 पृष्ठों का जो यह दस्तावेज राज्यपाल महोदय की ओर से बांटा गया है उसको देखने से केवल निराशा ही हाथ लगती है । मैं तो समझता था कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में केवल एक रस्म अदायगी की है उससे प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है ।

हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं आपका ध्यान विधान भवन के सामने अनशन कर रहे अध्यापकों की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह लोग कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं और मरणासन्न हालत में हैं । प्रदेश में 451 असहायता प्राप्त विद्यालय ऐसे हैं जिनके अध्यापकों को केवल 100 रुपये या 50 रुपये वेतन दिया जाता है । सरकार की तरफ से यह बात कही गयी कि तमाम विद्यालयों के भवन जो टूटे हुये हैं उनको बनायेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में 14 हजार प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जहां पर बच्चे जाड़ा हो या बरसात पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं । आज इस दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि सरकार की तरफ से 12 हजार 500 विद्यालयों के भवनों को बनाने की योजना है ।

मैंने देखा है कि कुछ विद्यालय जो बन रहे हैं उनके जो नक्शे दिये गये हैं वह डिफेक्टिव हैं इन नक्शों के आधार पर जब भवन बनेंगे तो गिर जायेंगे । अभिभावक डर रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ने जायेंगे तो उनका क्या होगा, कहीं छत न गिर जाय और वह मर न जायं । यह जो बिल्डिंग बनायी जा रही है वह कम से कम डेढ़ ईंट की बनायी जाय। यदि एक ईंट की बनायी जाती है तो मिट्टी से उनकी चिनाई न करायी जाय बल्कि सीमेंट से चिनाई होनी चाहिये । कृषि के बारे में आज बहुत सी बातें कहीं गयी हैं । मैं श्रीमन् सोचता था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के लिए उनकी सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई कारगर उपाय किये जाने की बात कही जायगी लेकिन उसको देखने से लगता है कि इस संबंध में उसमें कुछ नहीं कहा गया है । प्रदेश में तमाम ऐसे नलकूप, नहरें, माइनर हैं जिनकी सिंचन क्षमता बहुत कम है । कमांड एरिया की तमाम समस्यायें हैं । तमाम ऐसी जमीन है जिसको आजतक पानी नहीं मिल सका है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि प्रदेश में जो भी कमांड एरिया में जमीन पड़ती है और जहां-जहां पानी नहीं पहुंचता है उसकी सिंचाई को

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, आज प्रदेश में तमाम ऐसी झीलें हैं जहां बरसात में पानी जमा होता है और उसकी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण वहां के लोगों को उससे बहुत तकलीफ होती है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो इस प्रकार की झीलें हैं उनमें से बड़ी-बड़ी नालियां निकाल कर उनमें रुके पानी को निकाला जाय और जल जमाव को दूर किया जाय । इन झीलों के पानी से जो जमीन डूब जाती है उसको बचाया जा सकता है ।

मान्यवर, अब मैं प्रदेश के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष प्रदेश के आलू किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी थी लेकिन सरकार की ओर से किसानों के आलू को रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी । मान्यवर, यही नहीं इस साल जितने भी सरकारी शीतगृह हैं उसमें किसानों का लाखों लाख बोरा आलू पड़ा रहता है उसके संबंध में सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कही गयी ।

इस आदरणीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही है आज इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने भी चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों इसके बारे में चर्चा की है। रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में चर्चा की है। मैं अपने जनपद फैजाबाद के नागरिकों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं । रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे प्रदेश और देश में तमाम दंगे हुए, खून खराबा हुआ इस सरकार के इस निकम्मेपन के कारण, लेकिन हमारे फैजाबाद जिले के अन्दर ऐसी कोई घटना नहीं हुई श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैजाबाद में अभी पिछले दिनों इस सरकार के निकम्मेपन के कारण अधिकारियों की लापरवाही के कारण कर्फ्यू लगाया गया । सरकार अल्पसंख्यकों की बात करती है उसके हितों की बात करती है लेकिन फैजाबाद में कर्फ्यू के दौरान में जो दुकानें जलायी गयी हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह किसकी दुकानें जलाई गयीं । वह दुकानें अल्पसंख्यकों की जलाई गयीं यह सरकार की उदासीनता और निकम्मेपन का ही परिचायक है।

मान्यवर, सरकार जुबान से तो अल्पसंख्यकों की बात करती है, जुबान से हरिजनों की बात करती है लेकिन यह सरकार अपनी दिल और दिमाग से कुछ सोच नहीं पाती है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ तो चर्चा किया होता, मैं तो कहता हूं कि फैजाबाद में कर्फ्यू वहां के अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण लगाया गया, पूरा फैजाबाद कैदखाना हो गया था वहां के लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तड़फ गये, अस्पतालों में लोग तड़फते रहे और यह सरकार में बैठे हुए लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि कर्फ्यू के दौरान में जो दुकानें जलाई गयीं उनकी सारी जिन्दगी की कमाई बर्बाद कर दी गयी मैं सरकार से मांग करता हूं कम से कम उन दुकानों के लिए पांच-पांच लाख रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जायें क्योंकि यह दुकानें कर्फ्यू के दौरान वहां पर उपस्थित सी0 आर0 पी0 एफ0 और पी0 ए0 सी0 के जवानों की मौजूदगी में जलाई गयीं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी फैजाबाद गये थे उन्होंने उन दुकानों की हालत को देखा था । आज भी वह दुकानदार रो रहे हैं । मान्यवर, अल्पसंख्यकों को कारोबार करने के लिए पिछले साल यह व्यवस्था की गयी थी कि

इन्डस्ट्री विभाग के द्वारा अगर कोई उद्योग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस तरह का कोई भी अवसर उनको नहीं दिया गया है। जैसा कि इसमें व्यवस्था की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बद्री सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि जो पंचायत राज्यों के चुनाव हैं वह लगभग सभी स्तर पर पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए वास्तव में हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने इस लोकतांत्रिक परम्परा को पूरा करते हुए स्थानीय निकाय के चुनाव पूर्ण करा दिये हैं। मान्यवर, जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम की बात है उसमें यह गौरव की बात है कि वर्ष 1987-88 में भारतीय स्तर पर यह उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । जहां तक उद्योगों की बात है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात का जिक्र किया है कि वे उद्योग शून्य जनपद में उद्योगों की स्थापना करने जा रहे हैं । इसी प्रकार सूखे के बावजूद हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए 211 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यह भी एक प्रशंसा की बात है। 12 लाख मीट्रिक टन हमारे तिलहन का लक्ष्य रखा गया है, यह भी प्रशंसा की बात है । सिंचाई के भरपूर साधन उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। जहां तक हमारे क्षेत्र की समस्याओं का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र जनपद जालौन एक उद्योग शून्य जनपद है। हमारे कालपी क्षेत्र में यहां पर कोई उद्योग नहीं है । हमारा क्षेत्र दस्यु प्रभावी क्षेत्र है जो कि 100 किलोमीटर लम्बा-चौड़ा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कालपी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र में हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरे मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे यहां सिंचाई के भरपूर साधन किये जायं क्योंकि नहरें उबड़ खाबड़ होने के कारण सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहां 25 ट्यूबवेलों का वर्ल्ड बैंक का एक कलस्टर और 25 स्टेट ट्यूबवेल लगवाए जायं। इसके अलावा यमुना पर मालगांव में और बेतवा पर परासन गांव में दो पम्प कैनाल दिये जायं। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों और सड़कों की बड़ी कमी है। हमारे जिले में मीटिंग में बताया गया कि आपकी सड़कों का पैसा काटकर निर्बल वर्ग आवास में ले लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं

कि जो पैसा सड़कों और सम्पर्क मार्गों के लिए जनपद में आ गया है, वह उन्हीं पर खर्च किया जाय उसकी कटौती दूसरी मदों के लिए न की जाय। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोगों का विकास हो सके और ज्यादा लोगों को सुख सुविधा मुहैया हो सके। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में मात्र एक डिग्री कालेज है लेकिन उसमें एम0 ए0 की क्लासेज नहीं हैं। वहां के डिग्री कालेज में एम0 ए0 की क्लासें दी जायं। हमारे यहां एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है, इसलिए वहां पर एक कन्या डिग्री कालेज की मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो बनना चाहिए। वहां पर गोकुलपुरा से हथनावुजुर्ग तक पक्की सड़क बनाई जाय। इसी के साथ-साथ बमोहरा नाला, भदरेसी नाला और रामड नाला पर पुल बनवाए जायं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा था कि न्याय पंचायतों को और अधिकार दिए जाएंगे। प्रधानों को और अधिक अधिकार दिये जाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 5 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक पंचायतों को और प्रधानों को अधिकार क्यों नहीं दिये गये? दूसरी ओर अखबारों में पढ़ा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार दिये जाएंगे। जब बेटे को मां अधिकार नहीं दिला पाई तो बेटा कैसे दिला पाएगा। ये सब चुनावों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। न प्रधानों को अधिकार देने जा रहे हैं न महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार के इस कार्यकाल में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, सामूहिक नरसंहार हुए, सामूहिक बलात्कार, चोरी और डकैती हुई, उतने किसी और सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं हुए। इस पर तो स्वयं तिवारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको एक घटना याद होगी जब बनारसी दास जी के कार्यकाल में एक साधारण सी घटना हुई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था तो बनारसीदास जी की सरकार को इन्दिराजी ने बर्खास्त कर दिया था। इस सरकार के कार्यकाल में न जाने कितने नरसंहार, सामूहिक बलात्कार और साम्प्रदायिक दंगे हुए। ये हिन्दू मुसलमान और जाति वर्ण की व्यवस्था चलाकर सारी वोट की राजनीति कर रहे हैं। मान्यवर, इससे काम नहीं चलेगा। हमको कुछ करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में अधिकांश नलकूप बन्द पड़े हैं।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह कम्प्यूटर योजना लागू करने जा रहे हैं। इस देश में अमेरिका की नकल कर रहे हैं। अमेरिका धनी देश है, हमारा हिन्दुस्तान गरीब देश है। अमेरिका में आबादी कम है, यहां जनसंख्या अधिक है। यहां कम्प्यूटर योजना लागू हो ही नहीं सकती। यहां आधे स्कूल तो गिरे हुए पड़े हैं, बैठने की कुर्सी नहीं है, अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं है, यहां आप कम्प्यूटर सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, तो यह कहां से चलेगा। राजीव गांधी के पास अनुभव की कमी है, वह तो अधिकारियों के सहारे चल रहे हैं। कांग्रेस आई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जिसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हिन्दुस्तान के [xxx] बिना टिकट घुस जाते हैं और निकल आते हैं। इस तरह का इसमें काम हो रहा है। राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार नीचे से आता है, इंदिरा जी का कहना था कि भ्रष्टाचार बीच से आता है, नेहरू जी का कहना था कि भ्रष्टाचार बीच से आता है। चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। अब किसकी बात सही मानें।

राजीव की बात सही मानें या उनकी मां की बात सही मानें या नेहरू जी की बात सही मानें। चौधरी चरण सिंह जी की बात सही है, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से आता है। चौधरी चरण सिंह की नीतियां आप ईमानदारी से लागू कर दें तो मैं अंगद की तरह विश्वास दिलाता हूं कि कोई विपक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर यह चौधरी चरण सिंह की नीतियां लागू कर दें, तो देश आगे बढ़ जायेगा। [xxx] यह क्या है? मान्यवर, इसको जाना ही है। राम रावण युद्ध हुआ था, उसमें विभीषण मिला था, रावण का नाश हो गया। विभीषण रूपी वी0 पी0 सिंह इनको छोड़कर मिल गया। अब इनका नाश होना है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस तरफ को न जायें। क्योंकि अब तक यह परम्परा रही है कि डिप्टी स्पीकर उधर चला जाता है। उधर आप नहीं जायेंगे।

दूसरा मान्यवर मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं जिस प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ दो तिहाई बहुमत से राजीव गांधी को कुर्सी पर बिठलाया इस आशा से कि देश में कुछ काम करेंगे। लेकिन, देश को मिला क्या? आदमी तंग हो गया है। खाद के दाम बढ़ गये, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गये, सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। सब चीजों के दाम बढ़ा दिये, लेकिन किसान जो पैदा करता है उन चीजों के दाम बढ़ते ही नहीं। जब किसान के पास गेहूं होता है तो दाम कम होते हैं आज जब उसके पास गल्ला नहीं है तो 300 रु0 के दाम से मार्केट में बिक रहा है। यह सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, हरिजन विरोधी है। इसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नारायण दत्त तिवारी पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो [xxx] बोलते हैं। कानपुर देहात को जिला घोषित किया, लेकिन आज तक उसका मुख्यालय तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां मुख्यालय बनाया जाय और, यह तमाम नये जिले घोषित करते चले जा रहे हैं। यह सब क्या है आगे चुनाव होने हैं, यह देख रहे हैं। विकास हो या न हो, लेकिन जिला बना देंगे, तहसील बना देंगे। माननीय नरेन्द्र सिंह जी आप भी वहीं के निवासी हैं, जब मुख्यालय नहीं तय होगा तो कहां से विकास होगा? कानपुर में सारे अधिकारी बैठते हैं।

इस तरह मान्यवर, विकास कैसे संभव है? मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वह सबसे अधिक खर्चीले प्रधानमंत्री हैं। विश्व के किसी भी देश में इतने अधिक खर्चीले प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब इनको अपनी जान का खतरा है, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब यह जनता के बीच में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो इन्हें अपना पद छोड़कर ऐसे

नोट [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

व्यक्ति को देना चाहिए, जो आराम से जनता के बीच में आ जा सके, उनका सुख-दुख जान सके। हमारे गरीब देश की गरीब जनता का यह प्रधानमंत्री रुपया क्यों फूंक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपया विदेशों में खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर प्रतिबंध लगवाइये। अगर इसी तरह से यह पैसा खर्च किया जाता रहा, तो यह देश रसातल में चला जायगा। मान्यवर, मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप उस तरफ कभी न जायें, और इधर ही रहें, आप इधर रहकर ही दोबारा चुनाव जीतकर यहां आ जायेंगे।

विधान सभा सचिवालय के सेवा निवृत्त रक्षकों की रिट याचिका सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन में एक सूचना देना चाहता हूं।

विधान सभा सचिवालय के सेवा निवृत्त प्रधान रक्षक श्री श्याम दत्त तथा श्री धन सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ में दायर की गयी रिट याचिका श्री श्याम दत्त वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने संगत पत्रावली संख्या–83 (अधि0)/87 का अवलोकन किये जाने की अपेक्षा की थी। उस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा था, अतः इस दृष्टि से, कि न्याय के प्रशासन में विलम्ब न हो, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (सप्तम् संस्करण) के प्रस्तर संख्या–210(2) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी गयी थी।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष ने इसे कैसे भेज दिया ? यह तो हमारे विधान सभा का आन्तरिक मामला था और इसमें हाईकोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उन्हें इस तरह दखलन्दाजी करने की छूट देंगे, तो फिर यहां के हर मामले में व्यवधान का दखल होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो अध्यक्ष जी का निर्णय है।

श्री मैनेजर सिंह–

पत्रावली भेजना उचित था अथवा नहीं, इस पर आप यहां चर्चा कराइये। यह तो सीधे-साधे हाईकोर्ट का हस्तक्षेप है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इस मामले पर यहां चर्चा करा ली जानी चाहिए थी। अब माननीय अध्यक्ष इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सदन को अवगत करा दिया। आप लोग यदि चाहें, तो लिखकर दे दें, जो भी आप कहना चाहते हों।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पुनर्विचार करने की क्षमितया माननीय अध्यक्ष को है। आप उनसे कह दें कि पुनर्विचार करने के लिए माननीय सदस्यों की राय है। आप हम लोगों के निर्णय को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दें, बाद में उनके आदेश पर यहां विचार-विमर्श हो जाये। मान्यवर, आप पुनर्विचार करेंगे नहीं, बहस करेंगे तो जनतंत्र कैसे चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप करण संख्या–210(2) को आप देखें। उसमें लिखा है "जब सदन का उपवेशन न हो रहा हो तो अध्यक्ष आपातिक मामलों में सम्बद्ध लेखों के न्यायालय में उपस्थित करने की अनुमति दे सकेंगे।"

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इस समय तो उपवेशन चल रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप सदन की राय से माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी को तो अधिकार है। फिर यह तो उपवेशन से पहले दिया गया है।

श्री मैनेजर सिंह–

आपको सदन को स्थगित करने का अधिकार है। क्या सदन को आप आज गई तक के लिए स्थगित कर सकते हैं, इसका कोई औचित्य है। क्या कोई बहस उस पर नहीं होगी?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, करण के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप करण संख्या–210(1) को देखें, उसमें लिखा है "सदन का कोई सदस्य या अधिकारी किसी न्यायालय में सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही अथवा सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अथवा सदन के सचिव की अभिरक्षा में रखे हुए किसी अन्य लेख्य के सम्बन्ध में सदन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना साक्ष्य न देगा।" सदन अपने कार्यकलापों के मामले में स्वतंत्र है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप दूसरे भाग को पढ़ें। उसमें अध्यक्ष को अधिकार है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

एक रक्षक के मामले में पत्रावली उच्च न्यायालय में भेजी गई। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार इस सदन को है। माननीय उच्च न्यायालय इस सदन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपने सदन के समक्ष एक मामला रखा। अब सदन उसे माने या न माने। यह तो सदन का काम है। फिर दूसरा, क्या इस मामले को सदन के समक्ष रखना जरूरी था?

श्री उपाध्यक्ष–

जरूरी है सदन को सूचित करना। मैंने तो सदन को सूचना दी है न कि विचार करने के लिए रखा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय की सूचना को आपने पुष्टि करने के लिए सदन के समक्ष रखा है।

श्री उपाध्यक्ष–

पुष्टि करने के लिए नहीं बल्कि सदन को सूचना दी है।

श्री मैनेजर सिंह–

सदन को आपने इसकी सूचना दी है। सदन के अधिकारों में हस्तक्षेप हो गया है। श्री शाही जी ने जो करण पढ़ा, उसमें साफ लिखा है कि सदन की अनुज्ञा के बगैर कोई भी चीज न्यायालय में नहीं जायेगी । सदन की अनुज्ञा से ही पत्रावली न्यायालय में जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

करण संख्या 210(2) पढ़ें।

श्री मैनेजर सिंह–

जब 210(2) को मानते हैं तो 210(1) को भी मानिये।

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो मैंने पढ़ा है, अभिलेखों से सम्बन्धित है, करण में व्यवस्था है। पत्रावली उच्च न्यायालय को जा ही नहीं सकती थी।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक अध्यक्ष जी के निर्णय का सवाल है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता । जो भी निर्णय इस पीठ से देंगे शिरोधार्य है लेकिन आपने माननीय सदस्यों की भावना भी सुनी। यहां पर जो कुछ कहा जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। जो माननीय सदस्यों की भावना है उससे माननीय अध्यक्ष को अवगत करा दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी स्वयं ही अवगत हो जायेंगे क्योंकि जो कुछ बोला जा रहा है, वह लिखा भी जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अब हम लोगों को लिखकर नहीं देना होगा?

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा चाहेंगे तो लिखकर तो देना ही होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

नियम 51 में 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री रघुबर दयाल वर्मा और श्री बदन सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं, श्री हर्षवर्धन की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। बाकी सब को अस्वीकार किया गया है।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
15 फरवरी, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

वित्तीय वर्ष 1987–88 में निलम्बित कर्मचारियों के संबंध में सूचना:—

क्रमांक	निलम्बन का वर्ष व तिथि	निलम्बित कर्मचारी का नाम व नियुक्ति तिथि	निलम्बन का कारण	यदि निलम्बन के उपरांत कोई जांच की कार्यवाही हुई हो तो जांच की स्थिति व उसका परिणाम	यदि निलम्बित कर्मचारी पुनर्स्थापित हो गये हों तो पुनर्स्थापन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	22.5.87	श्री जी0 एन0 शर्मा, आबकारी निरीक्षक, फर्रुखाबाद	21.5.87 को फर्रुखाबाद नगर में विषाक्त ताड़ी पीने के कारण 9 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण।	विभागीय जांच चल रही है।	23.6.88
2	23.6.87	श्री एम0 आर0 सिद्दीकी, आबकारी निरीक्षक, बिंदकी जनपद–फतेहपुर।	दि0 22.6.87 को जनपद फतेहपुर की जहानाबाद देशी शराब दुकान से विषाक्त मदिरा की बिक्री से 9 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण।	जांच चल रही है।	
3	26.9.87	श्री रामदास, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–2, झांसी।	दिनांक 25.7.87 को झांसी जनपद के बरुआ सागर रेलवे स्टेशन को पास से अवैध अड्डे से विषाक्त पदार्थ पीने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण।	विभागीय जांच चल रही है।	23.4.88
4	2.11.87	श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव, आ0नि0 क्षेत्र हापुड़, जनपद–गाजियाबाद।	21.10.87 को गाजियाबाद के सिम्मावली थानान्तर्गत बक्सर नामक अवैध अड्डे से बिक्री की गई विषाक्त पेय पदार्थ से 9 व्यक्तियों की मृत्यु।	मजिस्ट्रीरियल जांच आख्या में आ0नि0 को निर्दोष पाया गया।	23.4.88

5	2.11.87	श्री शुकरुल्लाखां, आ0नि0, क्षेत्र–मवाना, जनपद–मेरठ।	23.10.87 को मवाना क्षेत्र के ग्रामकैली, थाना खुरखोंदा, में विषाक्त पेय के सेवन से 3 व्यक्तियों की मृत्यु।	जिलाधिकारी मेरठ ने आ0 नि0 को निर्दोष पाया है।	19.2.88
6	24.11.87	श्री एस0पी0एन0 सिंह, आ0नि0, कुण्डा, प्रतापगढ़।	दिनांक 15.11.87 को प्रतापगढ़ जनपद की कुण्डा एवं मानिकपुर की देशी शराब दुकान से ई0आई0 बी0 द्वारा भारी मात्रा में जलमिश्रित शराब एवं कुण्डा भांग दुकान से 40 किलोग्राम अवैध गांजा व 500 ग्राम चरस की बरामदगी।	विभागीय जांच/कार्यवाही चल रही है।	10.10.88
7	30.11.87	श्री राणा प्रताप, आ0नि0, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी में नियुक्ति काल में दिनांक 30-11-87 को डियूटी से अनुपस्थित रहने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की शिकायत पर निलम्बित।	विभागीय जांच चल रही है।	23.5.88
8	8.3.88	श्री अभय नारायण सिंह, आ0 नि0, जौनपुर।	दिनांक 23.12.87 को ई0आई0बी0 द्वारा जलालपुर देशी शराब दुकान में भारी मात्रा में जलमिश्रण तथा भांग दुकान से गांजा का बरामद किया जाना। (30 कि0ग्राम गांजा)	तदैव	11.10.88
9	18.4.87	श्री शेर बहादुर सिंह, उप आ0नि0 मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद।	मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद से चोरी से ले जाये जा रहे शीरे के 6 टैंकरों का पकड़ा जाना।	तदैव	11.10.88
10	25.5.87	श्री जय जय राम पाण्डेय ताड़ी पर्यवेक्षक, बांसगांव गोरखपुर।	गोरखपुर जनपद के बांस गांव तहसील में वर्ष 86-87 में क्षेत्र में नियुक्त ताड़ी पर्यवेक्षक ने ग्राम मुबारकपुर से 7000 रु0 वृक्षकर वसूल करके हड़प लिया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में ही ग्राम सरया, पिड़िया, बसवतपुर, गढ़या आदि गांवों में 70 पेड़ खजुर से अवैध ताड़ी की चलायी करते हुए 20 व्यक्तियों को प्रवर्तन स्टाफ द्वारा पकड़ा गया। उक्त दोनों आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।	तदैव	—

1	2	3	4	5	6
11	1.3.88	श्री ताराचन्द्र मोटर चालक (प्र0) बरेली।	प्रवर्तन कार्यालय बरेली के लिपिक के साथ दुर्व्यवहार, अनधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण।	विभागीय जांच चल रही है।	10.10.88
12	9.11.87	श्री मुनव्वर खां, आ0 सि0 (तत्कालीन) क्षेत्र–2, प्र0 झांसी।	बरुआ सागर में दिनांक 25.7.87 को जहरीली शराब से हुए मृत्यु के कारण।	विभागीय जांच चल रही है शीघ्र समाप्त होने की संभावना है।	11.5.88
13	9.11.87	श्री किशन सिंह, सेंगर, आ0सि0 क्षेत्र- 2, झांसी।	तदैव	तदैव	11.5.88
14	4.11.87	श्री भारत भूषण धुलियां, आ0सि0 क्षेत्र–हापुड़, गाजियाबाद।	अपराध निरोधक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बक्सर सिम्भावली थाना क्षेत्र में जहरीले पेय पदार्थ के पीने से कुछ व्यक्तियो की मृत्यु के कारण।	मजिस्ट्रीयल जांच समाप्त . जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्णय की प्रतीक्षा।	13.5.88
15	4.11.87	श्री प्रेमचन्द्र, आ0सि0 क्षेत्र–हापुड़, गाजियाबाद।	अपराध निरोधक क्षेत्र कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बक्सर सिम्भौली थाना क्षेत्र में जहरीली पेय पदार्थ पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के कारण।	मजिस्ट्रीरियल जांच समाप्त जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्णय की प्रतीक्षा।	13.5.88
16	4.11.87 14.12.87	श्री नयाब अली, आ0 सि0 श्री नयाब अली, आ0 सि0 क्षेत्र–हापुड़, गाजियाबाद।	तदैव गढ़ मेले में पकड़े गये 13 अभियुक्तों को भगाने, चार्जशीट गायब करने, सरकारी कार्य में अपराधिक विश्वासघात एवं आ0 नि0 से हाथापाई एवं गाली-गलौज के कारण।	तदैव विभागीय जांच में साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्ध नहीं हुआ।	4.10.88 4.10.88
17	14.1.88	श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव सहायक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 इलाहाबाद।	लोक लेखा समिति के आश्वासन संबंधी पत्र एवं पत्रावलियों का निस्तारण न किये जाने एवं अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण।	जांच कार्यवाही चल रही है।	10.7.88

18	23.6.87	श्री बसन्त लाल	जहानाबाद देशी शराब की दुकान से जहरीली शराब की बिक्री के फलस्वरूप हुई मृत्यु के कारण।	विभागीय कार्यवाही/जांच चल रही है। जांच आख्या अभी अप्राप्त है।	चारों सिपाहियों का निलंबन अभी समाप्त नहीं हुआ है।
19	23.6.87	श्री सुदर्शन लाल			
20	23.6.87	श्री उमा शंकर			
21	23.6.87	श्री हमीदुल्ला			
		आ0 सि0 गण विंदकी, फतेहपुर			
22	30.5.87	श्री श्याम लाल	ग्राम बनखड़िया, फतेहपुर के निकट अवैध रूप से बिक्री की जा रही जहरीली ताड़ी पीने से हुई मृत्यु के कारण	6 आ0 सिपाहियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जांच आख्या अभी तक अप्राप्त है।	4.7.88
23	30.5.87	श्री शिवसिंह			4.7.88
24	30.5.87	श्री रामसिंह			4.7.88
25	30.5.87	श्री प्यारे लाल			4.7.88
26	30.5.87	श्री मुरारी लाल			4.7.88
27	30.5.87	श्री मो0 अनीस			4.7.88
		आ0सि0 गण क्षेत्र–फर्रुखाबाद।			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'स'

तालिका–1

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

हरिपुरा एवं बौर बांध से जनपद नैनीताल एवं रामपुर की पिछले पांच वर्षों में हुयी वास्तविक सींच के आंकड़े (आंकड़े हैक्टेयर में)

जनपद का नाम	1983–84 खरीफ	रबी	योग	1984–85 खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7
अ—हरिपुरा जलाशय—						
नैनीताल ..	9764	8393	18157	10027	8754	13781
रामपुर ..	12173	13100	25273	12743	12704	25447
	21937	21493	43430	22770	21458	44228
ब—बौर जलाशय—						
नैनीताल ..	6079	5540	11619	6312	5709	12021
	12842	12802	25644	12963	13236	26199
	18921	18342	37263	19275	18945	38220

हरिपुरा एवं बौर से जनपद नैनीताल व सिंचाई खंड रुद्रपुर द्वारा दर्ज सींच के आंकड़े (हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	83–84 खरीफ	रबी	योग	84–85 खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ—हरिपुरा जलाशय—							
नैनीताल ..		9764	8393	18157	10027	8754	18781
रामपुर ..		96	109	205	101	127	228
	योग ..	9860	8502	18362	10128	8891	19009
ब—बौर जलाशय—							
नैनीताल ..		6079	5540	11619	6312	5709	12021
रामपुर ..		639	648	1287	641	649	1290
	योग	6718	6188	12906	6953	6358	13311

नोट:—उपरोक्त में सिंचाई खंड, रुद्रपुर द्वारा सींच के आंकड़े हैं।
रामपुर नहर खंड द्वारा सींच के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

1985–86			1986–87			1987–88			
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	विवरण
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10131	9191	19322	10481	9218	19699	10458	9178	19636	
11140	12349	23489	12536	12462	24998	11103	11179	22282	
21271	21540	42811	23017	21630	44097	21561	20357	41918	
6434	5889	12323	8551	5992	12543	6680	6095	12775	
12093	12935	25028	12785	12383	25168	10540	9823	20363	
18527	18824	37351	19336	18375	37711	17220	15918	33138	

नोट:- उपरोक्त आंकड़े सिंचाई खंड रुद्रपुर एवं रामपुर नहर खंड रामपुर दोनों के हैं।

85–86			86–87			87–88		
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
9	10	11	12	13	14	15	16	17
10131	9191	19322	10481	9218	19699	10458	9178	19636
103	135	238	104	134	238	110	128	238
10234	9326	19560	10585	9352	19937	10568	9306	19874
6434	5889	12323	6551	5992	12543	6680	6095	12775
643	631	1274	644	630	1274	600	631	1231
7077	6520	13597	7195	6622	13817	7280	6726	14006

रामपुर नहर खंड, रामपुर द्वारा रामपुर जनपद नैनीताल जनपद में हरिपुरा एवं बौर बांध से सींच के आंकड़े

जनपद का नाम	1983-84			84-85		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7
अ0 हरिपुर जलाशय						
नैनीताल ..	---	---	---	---	---	---
रामपुर ..	12077	12991	25068	12642	12577	25219
ब–बौर जलाशय–						
नैनीताल ..	---	---	---	---	---	---
रामपुर ..	12203	12154	24358	12322	12587	24909

नोट:---उपरोक्त में रामपुर नहर खंड, रामपुर द्वारा सींच के आंकड़े हैं। सिंचाई खंड, रुद्रपुर के द्वारा सींच के आंकड़े संलग्न नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

85–86			86–87			87–88		
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--
11037	12214	23251	12432	12328	24760	10993	11051	22044
--	--	--	--	--	--	--	--	--
11450	12304	23754	12141	11753	23894	9940	9192	19132

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 54 का उत्तर पीछे 54 पर)

जनपद गाजीपुर के विभिन्न विकास खंडों में वर्ष 1985–86 से अक्टूबर 1988 तक विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की स्थिति

चयनित ग्राम का नाम	विद्युतीकृत ग्राम का नाम	चयनित हरिजन बस्ती का नाम	विद्युतीकृत हरिजन बस्ती का नाम
1	2	3	4
(क) विकास खण्ड कासिमाबाद			
1–सुरजी पट्टी	1–सुरजी पट्टी	1–वारागांव	1–वारागांव
2–चकिया उर्फ नकदूम	2–चकिया उर्फ नकदूम	2–रोहली	2–रोहली
3–देवली	3–देवली	3–पाली (द्वितीय)	3–पाली (द्वितीय)
4–मुस्तफाबाद	4–मुस्तफाबाद	4–वरिहार	4–वरिहार
5–वरिहार	5–वरिहार	5–कादिपुर	5–कादिपुर
6–राजापुर (एम) नसरुद्दीनपुर	6–राजापुर (एम) नसरूद्दीनपुर	6–चवनपुर	6–चवनपुर
7–मुहम्मदपुर कुसुम	7–मुहम्मदपुर कुसुम	7–मनोरथपुर	7–मनोरथपुर
8–रसूलपुर	8–रसूलपुर	8–मेख	8–मेख
9–राजापुर कटया	9–राजापुर कटया	9–बड़ागांव (द्वितीय)	9–बड़ा गांव (द्वितीय)
10–नसरुद्दीनपुर	10–नसरुद्दीनपुर	10–सिहाउत	10–सिहाउत
11–जहुराबाद	11–जहुराबाद	11–सूरजपट्टी	11–सूरजपटुटी
12–सुरवत		12–कुतबपुर	12–कुतबपुर
13–वरुकही		13–सिउरीडीह (द्वितीय)	13–सिउरीडीह (द्वितीय)
14–टोडार		14–देवली	14–देवली
15–अवराकोल		15–बड़ापुर	15–बड़ापुर
16–सहदेवरापाली		16–चकिया उर्फ चक सिकन्दर	16–चकिया उर्फ चक सिकन्दर
17–मुहम्मदपुर		17–सलामतपुर	17–सलामतपुर
		18–सनेहुआ	18–सनेहुआ
		19–सऊना	19–सऊना
		20–राजापुर उर्फ नसरुद्दीनपुर	20–राजापुर उर्फ नसरुद्दीनपुर
		21–पट्टीगढ़ (टी) अवुलपुर	21–पट्टीगढ़ (टी) अवुलपुर
		22–सुरवत	
		23–बरूकही	
		24–टोडार	
		25–अवराकोल	
		26–सहदेवरा पाली	
		27–मुहम्मदपुर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	(ख) विकास खण्ड–वाराचंवर		
1–चकिया बदोपुर	1–चकिया बदोपुर	1–डेहमा	1–डेहमा
2–मरौली कला	2–मरौली कला	2–कटरिया	2–कटरिया
3–पातेपुर	3–पातेपुर	3–हरदासिपुर	3–हरदासिपुर
4–पकफातमा		4–उतरांव	4–उतरांव
5–चन्द्रकुर		5–खैरा	5–खैरा
6–देहन्दू		6–हुसेनाबाद	6–हुसेनाबाद
7–हाजीपुर		7–सवेरीनवापुरा	7–सवेरीनवापुरा
8–पहाड़ीपुर		8–मुबारकपुर	8–मुबारकपुर
		9–वाराचंवर साउथ	9–वाराचंवर साउथ
		10–मुहम्मदपुर	10–मुहम्मदपुर
		11–पातेपुर	11–मिरवी अहमट
		12–पकफातमा	
		13–चन्द्रकुर	
		14–देहन्दू	
		15–हाजीपुर	
		16–पहाड़ीपुर	
	(ग) विकास खण्ड–मरदह		
1–बेलसड़ी		1–बेलसड़ी	1–कंसहरी
2–कोदी		2–कोदी	2–कुसतवा
3–नसरतपुर		3–नसरतपुर	3–दूरकुसी प्रथम
4–पारा		4–कंसहरी	4–दूरकुसी द्वितीय
5–करदह कैथोली		5–कुसतवा	5–गोविन्दपुर
6–हरिहरी		6–दूरकुसी प्रथम	6–पारा
7–नरवर		7–दूरकुसी द्वितीय	7–धरिहा
8–बहुतरा		8–गोविन्दपुर	8–रामपट्टी
		9–पारा	
		10–धरिहा	
		11–रामपटटी	
		12–करदह कैथोली	
		13–हरिहरी	
		14–नरवर	
		15–बहुतरा	
		16–इन्दौर	
		17–मरदह	
		18–सिगेरा	

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

1	2	3	4
	(घ) विकास खण्ड-बिरनो		
1–चौबेपुर	1–चककपिल	1–मलेठी	1–मलेठी
2–घनेशपुर	2–नसरतपुर	2–चौबेपुर	2–नखतपुर
3–चककपिल	3–बोगना	3–घनेशपुर	3–बघोल
4–नसरतपुर		4–नखतपुर	4–भगवतीपुर
5–बोगना		5–बघोल	5–मोजापुर
6–बहलोलपुर		6–भगवतीपुर	6–लावा
7–घनेशपुर		7–मोजापुर	7–कोडरी (द्वितीय)
8–गहलीवसारीखपुर		8–लावा	8–डिढोर
9–लहूरापुर		9–कोडरी (द्वितीय)	9–बालचन्दपुर
		10–डिढोर	10–चौथी
		11–बालचन्दपुर	11–मुस्तफाबाद
		12–चौथी	12–मलेठी
		13–मुस्तफाबाद	13–बघाई
		14–मलेठी	14–सलेमपु र गोपान
		15–बघाई	15–मिश्रवली
		16–सलेमपुर गोपाल	16–बोगना
		17–मिश्रवली	
		18–चककपिल	
		19–नसरतपुर	
		20–बोगना	
		21–बहलोलपुर	
		22–घनेशपुर	
		23–गहलीवसारीखापुर	
		24–लहूरापुर	

उत्तर प्रदेश गजट भाग

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0 सं0 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

सेवा में,

माननीय सिंचाई मंत्री जी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:—श्री आर0 एन0 राय सहायक अभियंता (यांत्रिक) लिफ्ट सिंचाई प्रखंड इलाहाबाद द्वारा लाखों रुपये का हेरा-फेरी एवं गबन के संबंध में।

महोदय,

श्री आर0 एन0 राय, सहायक अभियंता (यांत्रिक) लिफ्ट सिंचाई प्रखण्ड इलाहाबाद चतुर्थ उप खंड में पद स्थापित है। इनके नियंत्रण में केन्द्रीय भण्डार, किशनपुर पम्प नहर का अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य टोन्स पम्प नहर का निर्माण कार्य है।

(1) श्री आर0 एन0 राय, सहायक अभियंता (यांत्रिक) किशनपुर पम्प नहर पर लाखों रुपये का फर्जी मरम्मत का कार्य दिखा करके भुगतान हेतु अधिशासी अभियंता के कार्यालय में प्रेषित किया था। परन्तु तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही नहीं की। चूंकि समस्त बीजक फर्जी थे। परन्तु इसी बीच अधिशासी अभियंता का स्थानान्तरण हो गया जिससे उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। श्री आर0एन0 राय, सहायक अभियंता वर्तमान अधिशासी अभियंता से भुगतान कराने हेतु प्रयत्नशील हैं।

(2) केन्द्रीय भण्डार में कई लाखों के सामान पड़े हुए हैं जिसका भी आर0 एन0 राय द्वारा धीरे-धीरे करके खुले बाजार में बेचा जा रहा है। जिसका सत्यापन अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप छोटी पम्प लिफ्ट नहरों से संबंधित कई हजार होज पाईप उन्होंने दो हजार प्रति नगर के हिसाब से बेच दिया।

(3) टोन्स पम्प नहर पर उन्होंने कई लाखों का सामान बिना अधीक्षण अभियंता के स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्यादेश एवं अनुबन्ध करके लाखों रुपये अपने जेब में कर लिये। बहुत से कार्य ऐसे कराये जिसकी आवश्यकता तीन चार साल बाद होती है जैसे एस0एस0 वोल्ट एवं वासर का लाखों रुपये की खरीद की तथा ए0एस0 वासर नहीं ली तथा भुगतान करा दिया। इस तरह इन्होंने लाखों रुपये का गबन किया। इस तरह का अनेकों कार्य जो आवश्यक नहीं था कागज पर दिखाकर लाखों रुपये का हेरा-फेरी किया।

(4) इस डिवीजन में कार्य भार ग्रहण करते ही उन्होंने ब्लैक से एक नई स्कूटर बजाज जिसका नं0 यू0 एम0 वी–3208 है खरीदा है। तथा लाखों रुपये का एन0 एस0 सी0 तथा बैंक बैलेन्स बनाया जिसकी जांच करने पर पता चलेगा।

(5) इन्होंने फर्जी टी0ए0 बनाकर 15–20 हजार का कार द्वारा दौरा दिखाया जिसकी की अधिशासी अभियन्ता ने रोक लगा रखी है। जबकि यात्रायें सरकारी ट्रक द्वारा की गयी हैं। जिसका सत्यापन लाक बुक है।

नत्थी 'ड.'

(देखिए अता0प्र0सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली

एवस्ट्रेक्ट

क्रमांक	कूपसंख्या				संलग्न प्रपत्र के अनुसार भुगतान की गई धनराशि
1	2				3
1	कूप सं0 23 जीजी	..	..	..	45,735.25
2	कूपसंख्या 24 जीजी	..	..	..	44,380.00
3	कूपसंख्या 26 जीजी	..	..	..	38,988.50
			योग:—	..	1,29,103.75
जमानत जो भुगतान की गई चैक संख्या 098।200178 दिनांक 18-9-86		..	..	..	5,650.00
चैक संख्या 015।16681 .. दिनांक 1-12-86		..	..	..	1,733.00
		कुल भुगतान की गई राशि		..	1,36,486.75

पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली

कूप संख्या 23 गुन्नौर ग्रूप के निर्माण हेतु वर्कआर्डर एवं भुगतान की सूची

क्रमांक	वर्क आर्डर संख्या	दिनांक	भुगतान का संदर्भ		
			चैक नं0	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	6/3	26-12-83	88/179119	29-1-84	745.00
2	13/6	8-3-84	049/182775	28-3-84	1781.00
3	23/6	10-3-84	063/182775	30-3-84	1776.00
4	40/6	28-3-84	084/181741	27-8-84	1704.25
5	34/10	6-8-84	098/181741	4-9-84	4241.00
6	50/10	22-8-84	098/181741	4-9-84	975.00
7	42/10	14-8-84	005/190120	23-9-84	4689.00
8	40/6	28-3-84	016/190120	18-10-84	223.00
9	34/13	21-10-84	040/190120	18-12-84	4605.00
10	32/13	20-10-84	049/190120	22-12-84	3916.00
11	10/15	15-12-84	067/190120	12-1-85	2128.00
12	28/22	5-2-85	003/189922	15-2-85	950.00

1	2	3	4	5	6
13	16/22	2-2-85	004/189922	16-2-85	4540.00
14	32/13	20-10-84	010/189922	28-2-85	899.00
15	46/22	11-2-85	018/189922	3-3-85	4229.00
16	46/22	11-2-85	022/189922	8-3-85	1795.00
17	36/22	8-2-85	033/189922	12-3-85	3672.00
18	43/13	5-12-84	041/189922	15-3-85	1429.00
19	41/13	4-12-84	045/189922	18-3-85	1438.00
			योग		45735.25

उक्त कार्यादेशों के विरुद्ध काटी गई सिक्योरिटी का भुगतान

1	13/6	8-3-84			389.00
2	23/6	10-3-84		18-9-86	340.00
3	36/22	8-2-85			526.00
4	43/13	5-10-84	098/200178		301.00
5	41/13	4-12-84			325.00
6	50/10	22-8-84	015/16681	1-12-86	193.00
7	40/16	28-3-84			447.00
			योग		2511.00

पब्लिक नलकूप निर्माण खंड, बरेली।

कूप संख्या 24 गुन्नौर ग्रुप के निर्माण हेतु वर्कआर्डर एवं भुगतान की सूची

क्रमांक	वर्क आर्डर सं0	दिनांक	भुगतान का संदर्भ		
			चेक नं0	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	3/3	24-12-83	088/179119	29-1-84	1252.00
2	42/3	11-2-84	049/182775	28-3-84	1899.00
3	2/6	6-3-84	049/182775	28-3-84	1807.00
4	35/6	11-3-84	033/181741	29-6-84	1710.00
5	25/10	5-7-84	084/181741	27-8-84	4352.00
6	21/10	3-7-84	069/181741	8-8-84	4586.00
7	33/22	7-2-85	04/152263	11-5-86	3756.00
8	42/22	10-2-85	04/152263	11-5-86	3182.00
9	4/13	28-7-84	016/190120	18-10-84	929.00
10	30/12	19-10-84	053/190120	28-10-84	4147.00
11	29/13	18-10-84	065/190120	8-1-85	4993.00
12	43/15	17-1-85	091/190120	30-1-85	2444.00
13	46/15	19-1-85	092/190120	31-1-85	2883.00

1	2	3	4	5	6
14	35/6	21-3-84	003/189922	15-2-85	76.00
15	28/22	5-2-85	003/189922	15-2-85	950.00
16	42/22	10-2-85	052/189922	20-3-85	3030.00
17	32/15	9-1-85	070/193832	9-10-85	1463.00
18	37/15	15-1-85	070/193832	9-10-85	925.00
				योग	44380.00

उक्त कार्यदेशों के विरुद्ध काटी गई सिक्योरिटी का भुगतान

1	43/3	11-2-84			402.00
2	2/6	6-3-84	098/200178	18-9-86	347.00
3	4/13	20-9-84			179.00
4	33/22	7-2-85			435.00
5	35/6	21-3-84			444.00
6	32/15	9-1-85	015/16681	1-12-86	336.00
7	37/15	15-1-85			313.00
				योग	2456.00

पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली।

कूप संख्या 26 गुन्नौर ग्रुप निर्माण हेतु वर्क आर्डर एवं भुगतान की सूची

क्रमांक	वर्क आर्डर सं0	दिनांक	भुगतान का सन्दर्भ		
			चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	41/3	10-2-84	049/182775	28-3-84	1836.00
2	8/6	7-3-84	049/182775	28-3-84	719.00
3	38/6	22-3-84	033/181741	29-6-84	2777.75
4	29/10	5-8-84	084/181741	27-8-84	4956.00
5	16/10	2-7-84	068/181741	8-8-84	238.00
6	16/13	13-10-85	030/196489	24-1-86	447.00
7	38/10	12-8-84	004/190120	22-9-84	4196.00
8	38/6	22-3-84	016/190120	18-10-84	539.00
9	6/13	21-9-84	016/190120	18-10-84	405.00
10	16/13	13-10-84	021/190120	20-10-84	4487.00
11	20/13	14-10-84	025/190120	23-11-84	3570.00
12	23/13	6-10-84	036/190120	7-12-84	1433.00

1	2	3	4	5	6
13	28/22	5-2-85	003/189922	15-2-85	950.00
14	20/13	14-10-84	010/189922	28-2-85	1216.00
15	28/13	17-10-84	010/189922	28-2-85	1389.75
16	30/22	6-2-85	035/189922	13-3-85	3666.00
17	40/22	9-2-85	038/189922	14-3-85	4424.00
18	40/22	9-2-85	049/189922	19-3-85	1739.00
				योग ..	38,988.50
1	41/3	10-2-84			399.00
2	8/6	7-3-84			169.00
3	16/10	2-7-84	098/200178	18-9-86	62.00
4	38/6	22-3-84			700.00
5	6/13	21-9-84			49.00
6	23/13	10-10-84			297.00
7	28/13	17-10-84			305.00
8	30/22	6-2-85			425.00
				योग ..	2406.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता० प्र० सं० 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

संलग्नक—क

पूर्ण डूब के ग्राम			पूर्ण प्रभावित क्षेत्र के ग्राम			आंशिक डूब क्षेत्र के ग्राम		
क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	क्रम-सं०	ग्राम का नाम	वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	जन सं० 1981
1	जोगियाणा ..	130	1	कोटि कार्यशाला	633	1	गडोली	210
2	खाण्ड	546	2	पंचकोटि	101			
3	कण्डल	298	3	बालसी	399			
4	सुनारगांव	384	4	गाजणा	114			
5	बागी	579	5	थापला	139			
6	पजाऊ	143	6	कटियागांव (कालोनी)	197			
7	बडियारगांव	1881	7	इणिया	51			
8	खसीर	8	8	डिबनू	112			
9	रामपुर ..	127	9	कुलणा (नया टिहरी)	257			
10	डोब	454	10	मोलधार	123			
11	हटवालगांव	172	11	बोराडी	302			
12	पुनसाडा	165						
13	सिमलासु (नगरीय क्षेत्र)	—						
14	मादूमगरी	—						

संलग्नक—ख

पूर्ण डूब के ग्राम

क्रम0सं0	ग्राम का नाम	वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	बिल्यासौड	361
2	मालीदेवल चकसौड	16
3	मालीदेवल	572
4	बयाली	58
5	बिरयाणी	228
6	गोरण	198
7	देवल	288
8	जोशियाडा	250
9	उत्तरकाशी	

पूर्ण प्रभावित क्षेत्र के ग्राम

क्र0सं0	ग्राम का नाम	वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	पिपली (नया टिहरी)	175
2	कुटठा	576
3	चवालखेत चक ,,	45
4	केमसारी ,,	83
5	पैन्यूला, तल्ला, मल्ला बिचला	139
6	भिलोड गांव	90
7	टोडी (कोलोनी)	12
8	शुकुलपुर	14
9	कोण्ड (विद्युत गृह)	141
10	मोकरी द्वस्वीचयार्ड	290

आंशिक डूब क्षेत्र के ग्राम

क्र0सं0	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
1	2	1	2
1	रामगांव (टिहरी जनपद)	2	गोदी सिराई (टिहरी जनपद)
3	किवाह गांव	4	लाखलगा ज्यूदासू
5	पलास	6	डोवरा
7	तल्लाउप्पू	8	सिला उप्पू
9	सोड मठ टप्पू	10	भडियाना
11	स्यासू	12	बन्दरकोटी
13	छाम	14	भंगरा
15	सरोट	16	खक्षण्ड
17	भडैतीसेरा	18	स्मोलगांव
19	होमल	20	भरवालगांव
21	चौघाण	22	मोटणा
23	ग्वाड	24	ओंखला
25	चाठी	26	नकोट
27	रोलाकोट	28	कंगसालो
29	नारगढ़	30	खाण्ड धारमण्डल
31	म्यूख	32	घोटो
33	सारपल	34	ननवा
35	पिपोल ढंगमन्धार	36	सादणा

1		2	
37	चाकरुसेरा	38	पिलखी
39	जोगियाणा	40	पडागली
41	असना	42	वोर
43	चाहगडोलिया	44	कैल बागी
45	नन्द गांव	46	छोलगांव
47	बरत्याखुण्ड	48	मटकण्डा
49	पिपोला खास	50	उठ ड
51	बड़कोट	52	रतवाडी
53	चौपडा	54	मंजाली
55	चकोडा	56	चिन्यालीसोड (उत्तरकाशी)
57	बडेथी (उत्तरकाशी)	58	तुलियाडा, मयसुनारगांव
59	कुम्हराडा "	60	हुडयाडी "
61	बडी मणी "	62	छोटी मणी "
63	बडडोगी "	64	भल्डगांव "
65	हटियारा "	66	नेरी
67	नागडी बडी "	68	बागी, सारज्यूला (टिहरी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता० प्र० सं० 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 101 पर)

संलग्नक

सुरेश चन्द्र गिरि, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा भवन निर्माण में लगाये धन के स्रोत का ब्योरा।

		रु०
(क)	पोस्ट आफिस सेविंग (सी०टी०डी० एकाउन्ट्स)	7250-00
(ख)	लाइफ इन्श्योरेंश पालिसी सं० 8392810 के विरुद्ध प्राप्त धनराशि	4000-00
(ग)	जी०पी०एफ० एकाउन्ट्स से निष्कासित धनराशि	28000-00
(घ)	अन्य सेविंग एकाउन्ट बचत	14000-00
(च)	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लखनऊ से प्राप्त उधार ..	40000-00
(छ)	सगे संबंधियों से उधार	
(1)	मेरे मामा श्री महावीरपुरी	10000-00
(2)	मेरे मामा श्री कल्याणपुरी	8,500-00
(3)	पत्नी के भाई श्री रत्नाकर भारती	15000-00
(4)	,, ,, श्री सुधाकर भारती	10000-00
(5)	पत्नी की मां श्रीमती कमला भारती	15505-00
(6)	मेरी बुआ श्रीमती सत्यवती गिरि	10000-00
	कुल ..	1,62,255-00

(ह०) सुरेश चन्द्र गिरि,
अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता० प्र०सं० 162 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 106 पर)

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1987–88 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की स्थिति

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	योजना आर०एम०एन०पी०/ एस०एन०पी०	वर्तमान स्थिति वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	टेरा कलां	आर०एम०एन०पी०	विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।
2	बेरहा (गोदरा) ..	तदैव	तदैव
3	सैहारा	तदैव	तदैव
4	भिटौली कलां ..	तदैव	तदैव
5	सफेदाबाद	तदैव	तदैव
6	ओवरी	तदैव	तदैव
7	सराय अकबराबाद ..	तदैव	तदैव
8	पाटमऊ	तदैव	तदैव
9	मीनापुर	तदैव	तदैव
10	टेरासानी	तदैव	तदैव
11	गंगौली	तदैव	तदैव
12	शाहपुर	तदैव	तदैव
13	बसारा	तदैव	तदैव
14	गोदौरा	तदैव	तदैव
15	बहुआव	तदैव	तदैव
16	गरौड़ा	तदैव	तदैव
17	वसौड़ी	तदैव	तदैव
18	चौबीसी	तदैव	तदैव
19	बीजापुर	तदैव	तदैव
20	रीठी सिकन्दरपुर ..	तदैव	तदैव
21	पोखरा	तदैव	तदैव
22	दहिला	तदैव	तदैव
23	न्योछना	तदैव	तदैव
24	पश्चिम बेलांव ..	तदैव	तदैव
25	मैंसौली	तदैव	तदैव
26	महमदमऊ	तदैव	तदैव
27	रमवापुर तेलवारी ..	तदैव	तदैव
28	किठरी	तदैव	तदैव
29	दुलहदेपुर	तदैव	तदैव
30	दनापुर शुक्ल ..	तदैव	तदैव
31	लालपुर	तदैव	तदैव
32	लालेपुर राजपुर ..	तदैव	तदैव

1	2	3	4
33	हड़ौहा	एस0एन0पी0	वर्ष 1987–88 में उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण न हो सका। अब कार्य प्रगति पर है।
34	देवरा	तदैव	तदैव
35	टिकवामऊ	आर0एम0एन0पी0	(आर0एम0एन0पी0 योजना
36	बीबीपुर	तदैव	का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो
37	रामसहाय	तदैव	जाने के कारण इन ग्रामों का
38	गनेशपुर	तदैव	कार्य 87–88 मे पूरा नहीं
39	जखौली	तदैव	किया जा सका। अब वर्तमान
40	रोहनामीरपुर ..	तदैव	वर्ष में कार्य प्रगति में है।
41	पुरजबर	तदैव	आर0एम0एन0पी0 योजना
42	बसारी	तदैव	का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो जाने पर और इन ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु 11 के0 वी0 लाइन अत्यधिक लम्बी (6 कि0 मी0) होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 454 वि0 सभा (733) –1989-813